खण्ड-360, अंक-1
शुक्रवार, 29 माघ, शक संवत् 1904
(18 फरवरी, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 360 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1—4
प्रश्नोत्तर	5—94
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	94—99
ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद की सम्पत्ति पर सवर्णों द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	—99
उत्तर प्रदेश चीनी निगम की मिल पिपराइच, जिला गोरखपुर की तकनीकी खराबी के कारण पेराई क्षमता में कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99—100
प्रदेश के सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतनमान निर्धारण के फलस्वरूप अवशेष धन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	—100
जनता धोती को खरीद बन्द किये जाने से हरदोई के मल्लावां व गौसगंज क्षेत्र के बुनकरों के समक्ष उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100—101
जूनियर हाई स्कूल के उर्दू अध्यापकों का वेतनमान निदेशक द्वारा कम कर दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101—102
दिनांक 17 फरवरी, 1983 को विधान परिषद् की कार्यसूची में श्री क्रान्ति कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना	102—106
उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय शोध, संदभ एवं अध्ययन समिति का नवम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	106—109
24 अगस्त, 1982 को अनुपूरक अनुदान 1982–83 के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा को समाप्त करते समय भाषण में वित्त मन्त्री द्वारा दिए गए आंकड़ों में संशोधन हेतु संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा शोधन वक्तव्य	109—110
दिनांक 18 जनवरी, 1983 को मुजफ्फरनगर में श्री करन सिंह की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी)	110—114
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	114—121
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिए औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्रार्थामकता कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योगों को दिए जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	121—157

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. .. 157—158

टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, रायबरेली में शान्ति प्रिय कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. 158—163

वाराणसी स्थित प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई चोरी से नागरिकों में व्याप्त क्षोभ एवं असंतोष के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा .. .. .. 163—179

दिनांक 18 जनवरी, 1983 को मुजफ्फरनगर में श्री करन सिंह की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य .. .. 179—180

नत्थियां .. .. 181—196

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 18 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 360

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह श्री, (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलश टन्डन, श्री (वाराणसी)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
खवाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरीशंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)

चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जगदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जैराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जयराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह मंडारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रतापनारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा0 (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्मदत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)

भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री, (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह. कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)

रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राम कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह, रावल श्री (एटा)

राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
ललई सिंह चौहान श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह रान, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कटियाल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 18 फरवरी, 1983

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सराया शुगर फैक्ट्री, सरदारनगर, जिला गोरखपुर और गन्ना समिति हाटा, देवरिया के बीच गन्ना पेरने का एग्रीमेन्ट

*1--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के केन यूनियन, हाटा में किसानों और शुगर फैक्ट्री, सरदारनगर के बीच 20 लाख क्विंटल गन्ना पेरने का एग्रीमेन्ट हुआ है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 10 मई, 1982 तक उक्त फैक्ट्री द्वारा केवल 8 लाख क्विंटल ही गन्ना पेरा गया है? तथा शेष गन्ने को पेरने की क्या व्यवस्था की जा रही है?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

जी नहीं। सराया शुगर फैक्ट्री, सरदारनगर, जिला गोरखपुर को देवरिया जिले की गन्ना समिति, हाटा द्वारा पेराई सत्र 1981-82 में 16·03 लाख क्विंटल गन्ना आपूर्ति हेतु आफर किया गया था। मिल ने दिनांक 10-5-82 को 14·21 लाख क्विंटल तथा दिनांक 24-6-1982 को बन्द होने तक गन्ना समिति, हाटा के 16·48 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की थी जो आफर से कहीं अधिक है। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 1982 के दूसरे सत्र में आपने बताया था कि हाटा केन यूनियन में गन्ना बच गया तो जब आपकी मिल बन्द हुई उस समय की कोई सूचना आपके पास है कि मिल बन्द होने के बाद किसानों का कितना गन्ना खेतों में खड़ा रह गया?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

कहीं पर कतई कोई गन्ना नहीं खड़ा रह गया। जितना आफर हुआ था उस आफर से अधिक गन्ना लिया गया। 24-6-82 को मिल बन्द हुई तब तक कोई गन्ना बाकी नहीं था।

हरदोई शुगर मिल बन्दी के खिलाफ भूख हड़ताल व मिल मालिकों व श्रमिकों के बीच हुआ समझौता

*2--श्री खैरुल बशर--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई शुगर मिल बन्दी के खिलाफ श्री राम आसरे वर्मा, विधायक द्वारा 25 अप्रैल से 27 अप्रैल, 1982 तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जिलाधिकारी, हरदोई के कार्यालय के समक्ष की गई? क्या यह सही है कि मिल मालिकों/अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों

के बीच मिल चलाने के लिए हुए समझौते के परिणामस्वरूप श्री वर्मा की भूख हड़ताल समाप्त हुई ? यदि हां, तो समझौता क्या था और उसका मिल मालिकों द्वारा अनुपालन कहां तक किया गया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

हरदोई शुगर मिल बग्दो के खिलाफ श्री राम आसरे वर्मा, विधायक द्वारा 25 अप्रैल से 27 अप्रैल, 1982 तक भूख हड़ताल जिलाधिकारी, हरदोई के कार्यालय के समक्ष की गई। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष मिल मालिकों व श्रमिकों के बीच एक समझौता हुआ, फलस्वरूप दिनांक 27 अप्रैल, 1982 को श्री वर्मा द्वारा भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई। समझौते की प्रतिलिपि संलग्न है। मिल मालिकों द्वारा समझौते की शर्तों के पालन की स्थिति निम्नवत् है :

शर्त सं0 1--पालन किया गया ।

शर्त सं0 2--शर्त के हिसाब से पालन नहीं हुआ । माह मार्च, 1982 के वेतन के केवल दो तिहाई भाग का मई, 1982 के प्रथम सप्ताह में भुगतान किया गया ।

शर्त सं0 3--पालन किया गया ।

शर्त सं0 4--शर्त के हिसाब से पालन नहीं हुआ प्रतिधारण भत्ते की धनराशि में से लगभग आधे का ही भुगतान 26-5-82 से 8-6-82 के बीच मिल मालिकों द्वारा किया गया ।

शर्त सं0 5--पालन नहीं किया गया ।

शर्त सं0 6--पालन नहीं किया गया ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 181 पर ।)

श्री खैरुल बशर--

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझे ऐसा पता लगा है कि मिल को टेक ओवर कर लिया गया है और एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति हो गयी है । क्या जिन शर्तों का पालन नहीं हुआ है, उनके पालन को सुनिश्चित कराने की आप घोषणा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, जो उस फैक्ट्री में पूर्व मिल मालिक थे वे फैक्ट्री को चला नहीं सके. तमाम सारा पैसा श्रमिकों का, किसानों का बाकी हो गया इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिसीवरशिप में फैक्ट्री को लेना पड़ा और अब वह सुचारु रूप से चल रही है। कृषकों को गन्ने का मूल्य नियमित रूप से दिया जा रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन शर्तों का पालन नहीं हुआ है उनमें एक शर्त यह भी थी कि मजदूरों और किसानों का जो पैसा

मिल पर बाकी है, उसके भुगतान को तुरन्त व्यवस्था करायी जाय ? यदि हां, तो उस दिशा में मिल द्वारा कोई कदम उठाया गया या नहीं ? क्या माननीय मंत्री जी उस भुगतान को सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

यह समझौता पुराने मिल मालिकों के सामनें हुआ था। इस समय रिसीवर के सामने नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो पिछली बार मीटिंग हुई थी उसमें जिलाधीश अध्यक्ष थे, मिल मालिक थे और जन प्रतिनिधि थे और इसको माननीय मंत्री जी ने माना है । इस समय वह पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है तो जो करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में किसानों का बकाया है जिसका भुगतान मिल मालिकों ने नहीं किया है, क्या उस रुपये के भगतान को सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, रिसीवरशिप में लेने की बात है तो साढ़े छियानवे लाख रुपया दे दिया है और रिसीवरशिप में लेने की मन्शा यह है कि किसानों का गन्ना कश होता रहे और श्रमिकों का अहित न हो तो जैसे जैसे यह संभव होगा व्यवस्था की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा स्पष्ट कहना है कि मिल के ऊपर कितना रुपया किसानों का बाकी है । चूंकि मिल रिसीवरशिप के अन्तर्गत आ गयी ह इसलिए भुगतान की व्यवस्था माननीय मंत्री जी जल्दी से जल्दी करने की कृपा करेगें और उसके बारे में माननीय मंत्री जी कौन सा उपाय निकाल रहे हैं ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, तत्काल हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि भुगतान कर सकें । जैसे ही हमारे पास साधन होंगे उसका भुगतान किया जायेगा ।

(शुक्रवार, 18 फरवरी, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 में लेबर वेलफेयर अधिकारी का पद

*1--श्री राम आसरे पासवान (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गत नवम्बर, 1981 में उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना संघ, लखनऊ के अधीन लेबर वेलफेयर अधिकारी ग्रेड तृतीय के कुछ पदों के लिए कुछ अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पश्चात् उक्त संघ के अध्यक्ष द्वारा वह चयन अन्तिम रूप से स्वीकृत (अप्रूव) भी हो चुका है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अब तक आदेश जारी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 में लेबर वेलफेयर अधिकारी ग्रेड तृतीय का न तो कोई पद सृजित है और न ही उक्त पद के चयन हेतु कोई

साक्षात्कार गत नवम्बर, 1981 में किया गया है अस्तु आदेश जारी करने का कोई प्रश्न नही उठता है ।

जनपद बदायूं में वृत्ति-कर की बकाया वसूली

2-- श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बदायूं में बिक्री-कर अधिकारी की दिनांक 20-4-79 तक की रिपोर्ट के अनुसार बिक्री-कर की बकाया रु0 40,600 थी जिसमें से वित्तीय वर्ष 1979-80 में रु0 33,320 की वसूली हुई ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1980-81 में 1,22,240 की बकाया बिक्री-कर की धनराशि किस आधार पर वसूल की गयी ? क्या सरकार बिक्री-कर अधिकारी की रिपोर्ट पर जो फर्जी नोटिसों द्वारा बकाया वसूल की गयी है, सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

प्रश्न बिक्री-कर से सम्बन्धित न हो कर वृत्ति कर से सम्बन्धित प्रतीत होती है । बिक्रीकर अधिकारी बदायूं ने अपने पत्र दिनांक 20-4-79 द्वारा उपायुक्त (शा0) बिक्रीकर, बरेली को वर्ष 1979-80 में वृत्ति-कर की वसूली बाबत बकाया 40,600 रु0 तथा प्रत्यक्ष रूप से वसूली योग्य बकाया रु0 3,48,796·50 अर्थात कुल बकाया रु0 3,89,396·50 रिपोर्ट की गयी थी । उसके विरुद्ध रु0 33,320 की वसूली वर्ष 1979-80 मे तथा रु0 1,22,244 की वसूली वर्ष 1980-81 में हुई । फर्जी नोटिस जारी करने वसूली करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि एक तो जो बकाया रुपया 40,600 का था वह किस आधार पर बढ़ कर 3 लाख 48,796.50 हो गया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर यह रकम बढ़ायी गयी । यह प्रोफेशनल टैक्स तो 12 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था ।

श्री अध्यक्ष--

इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री ब्रम्हदत्त--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि कुल बकाया 3,89,396.50 पैसे था जिसमें से 40,600 की वसूली वृत्तिकर से हो चुकी थी । प्रत्यक्ष रूप से जो वसूली थ; वह 3,48,796.50 पैसे की वसूली नहीं हो सकती थी जो अब वसूल हो गई है ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह टैक्स 12 वर्ष पहले समाप्त हो गया था मगर अभी भी रिवीजन मुख्यालय पर पड़े हुये हैं जिनका कि अभी तक निपटारा नहीं किया गया है क्या इनका आप शीघ्र निपटारा करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

किस चीज का निपटारा चाहते हैं मान्यवर, मैं समझा नहीं ?

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

मान्यवर, वृत्तिकर जो है वह 12 वर्ष पहले खतम हो चुका है और अभी भी उसके सिलसिले में काफी तादाद में मुख्यालय में मामले पड़े हुये हैं और उसकी रकम अभी तक जमा नहीं हो पा रही है। क्योंकि उन पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। तो क्या मंत्री जी जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों का निपटारा करवायेंगे और जांच कराकर जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रम्ह दत्त—

मान्यवर, इसका निस्तारण तो शीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

*3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

सी० ओ० चकबन्दी, गोसाईगंज तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, लखनऊ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*4—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 9 जून, 1982 का कोई पत्र राजस्व सचिव को प्राप्त हुआ था, जिसमें सी० ओ० चकबन्दी, गोसाईगंज, तहसील मोहनलालगंज तथ बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, लखनऊ के विरुद्ध चकबन्दी में अनियमितताओं सम्बन्धी उल्लेख था जिसकी प्राप्ति सचिव, राजस्व ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 152-आर० एस०/1982, दिनांक 10 जून, 1982 के माध्यम से स्वीकार की है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

जी हां।

शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, लखनऊ से कराई जा रही है जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

श्री सन्त बक्स रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, लखनऊ से करायी जा रही है। यह सरासर गलत है। आज ही मैंने एक अतारांकित प्रश्न संख्या 29 दिया था उसका उत्तर मंत्री जी ने दिया है कि जिलाधिकारी, लखनऊ का पत्र दिनांक 23-8-82 एवं 20-10-82 निदेशालय में श्री पी० डी० वर्मा, चकबन्दी अधिकारी, गोसाईगंज का अन्यत्र स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था जिस पर चकबन्दी आयुक्त ने श्री वर्मा का स्थानान्तरण करने हेतु शासन की अनुमति मांगी थी। चूंकि सभ्य सत्र में स्थानान्तरणों पर शासन द्वारा रोक लगी हुई है, अतः श्री वर्मा के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने को कहा गया है। इस तरह से मान्यवर, जिलाधिकारी की रिपोर्ट आ चुकी है तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही न करने अथवा उन्हें स्थानान्तरित न करने के क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, जांच तो जिलाधिकारी के यहां लम्बित है और अभी उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है । शिकायत दो अधिकारियों के खिलाफ थी एक एस0 ओ0 सी0 के खिलाफ और दूसरे सी0 ओ0 के खिलाफ थी । एस0 ओ0 सी0 का स्थानान्तरण पहले हो चुका है, सामान्य स्थानान्तरण के समय में, और सी0 ओ0 के खिलाफ जांच हो रही है । जहां तक उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने की बात है वह उसी आधार पर है । कुछ शिकायतें अंशतः सिद्ध हुई और चूंकि ट्रांसफर पर रोक लगी हुई थी इसलिये उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई और जब ट्रांसफर का वक्त आयेगा उस समय उनका ट्रांसफर किया जायेगा । इसलिये उनका ट्रांसफर नहीं किया गया । अभी पूर्ण रूप से जांच रिपोर्ट भी नहीं आयी है ।

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रश्न को देख लें । दो बाते हैं--एक तो यह है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही सिद्ध हो चुकी है कि उन्होंने अनियमितता की है और ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अनियमितता कर रहे हैं उनको अविलम्ब हटाया जा सकता है, शासन ने ऐसा नियम बनाया है, ऐसे मामलों में कलेक्टर और बड़े-बड़े अधिकारी हटाये गये हैं । दूसरी बात यह है कि दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति करने के लिये कहा गया है, यानी शासन ने संस्तुति कर दी है तो कब तक यह कार्यवाही की जायेगी और अब तक न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील---

मान्यवर, कार्यवाही के लिये आदेश शासन से चले गये हैं और वह चकबन्दी निदेशालय के माध्यम से की जायेगी ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

मान्यवर, मंत्री जी बड़ा गोलमोल जबाब दे रहे हैं । अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश शासन से हुए हैं और बिला अधिकारी ने संस्तुति की है कि उनको हटा दिया जाय और उनका तबादला अभी तब नहीं हुआ जब कि आपके यहां रोज तबादले हो रहे हैं । प्रशासनिक आधार पर तबदला करना किसी समय सम्भव है और यह प्रशासनिक मामला बनता है । जांच चल रही है और जिला जिलाधिकारी ने संस्तुति भी की है तो क्या स्थानान्तरण के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उनका स्थानान्तरण करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुरन्त कर दिया जायेगा । लेकिन जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है और स्थानान्तरण में रोक भी लगी है इसलिए नहीं किया । अब तुरन्त कर दिया जायेगा कल आदेश हो हो जायेंगे ।

श्री सन्त बक्स रावत---

जिलाधिकारी ने अपने पत्र 23-8-82 और 20-10-82 में उल्लेख किया है कि क्षेत्रीय विधायक की जांच पर सिद्ध हो गया है कि वह शराब पीकर अदालत में बैठते हैं इसलिए उनका लखनऊ में रहना उचित नहीं है किसी अन्य जनपद में

स्थानान्तरण कर दिया जाय । यह रिपोर्ट जिलाधिकारी लिख चुके हैं उसके बावजूद स्थानान्तरण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील---

मान्यवर, इसमें मैंने कहा कल ही कर देंगे, तुरन्त कर देंगे ।

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, आप स्वयं प्रश्न और उसका उत्तर देखने की कृपा करें । प्रशासनिक आधार पर उनको अविलम्ब हट या ज सकता है । आप मंत्री हैं आपकी शक्ति है । दूसरा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही स्वीकृत हो चुकी है तो वह क्यों नहीं की गयी । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह दंडात्मक कार्यवाही क्या की जायेगी ? उनको मुअत्तल किया जायेगा या जेल भेजा जायेगा, वह क्या संस्तुति है ?

श्री बैजनाथ कुरील---

मान्यवर, जिलाधिकारी की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है आदेश हो चुके हैं जो भी मुनासिब कार्यवाही होगी, वह की जयेगी ।

श्री संत बक्स रावत---

मान्यवर, उत्तर पूरा नहीं आ रहा है इसे स्थगित कर दें ।

जनपद मुजफ्फरनगर की चीनी मिलों पर अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान

*5---श्री हुक्म सिंह (अनुपस्थित)---

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर की चारों चीनी मिलों पर गन्ना कृषकों का वर्ष 1981-82 का लगभग दो करोड़ रुपया गन्ना मूल्य के रूप में बाकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि को मय ब्याज के तुरन्त भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

जी नहीं ।

जनपद मुजफ्फरनगर की केवल रोहाना चीनी मिल पर दिनांक 31 जनवरी, 1983 तक की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 1981-82 का 26.01 लाख रु0 किसानों के गन्ना मूल्य के रूप में बकाया है । खतौली, शामली तथा मंसूरपुर चीनी मिलों ने उक्त सत्र के सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है ।

पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कर दिया जाय ।

*6---प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा---

[6ठें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*7---श्री चेतराम गंगवार---

[22वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*8--श्री कुंवर सिंह नेगी--

[15वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम गोठा, टिकरी, जिला आजमगढ़ की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अनियमित अमलदरामद आदेश के विरुद्ध कार्यवाही

*9--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम गोंठा टिकरी, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ की भूमि प्रबन्धक समिति ने एक फर्जी प्रस्ताव, दिनांक 29 अगस्त, 1981 तथा 5 जनवरी, 1982 द्वारा उक्त ग्राम के 33 व्यक्तियों के नाम बिना नियमित प्रक्रिया के हुए ही अतिरिक्त जिलाधिकारी के आदेश से राजकीय अभिलेखों में दर्ज कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या अतिरिक्त जिलाधिकारी, आजमगढ़ को इस प्रकार का कोई आदेश देने और अमल दरामद कराने का अधिकार है ? यदि नहीं है, तो अमल दरामद के विरुद्ध दिए गये आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

यह सही है कि ग्राम गोठा टिकरी की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 1981 तथा 5 जनवरी, 1982 को ग्राम सभा भूमि को 33 व्यक्तियों के नाम आवंटित करने के प्रस्ताव पारित किये गये जिन पर परगनाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई । राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त जिलाधिकारी के आदेश से अमल दरामद नहीं किया गया । वास्तविकता यह है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पारित होने के बाद दिनांक 8 फरवरी, 1982 को प्रधान ग्राम सभा द्वारा परगनाधिकारी को सम्बोधित एक प्रार्थना-पत्र अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । चूंकि उक्त ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत था, अतः अतिरिक्त जिलाधिकारी ने उसे चकबन्दी अधिकारी को इस निर्देश के साथ पृष्ठांकित कर दिया कि मामले का परीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही करें । तदुपरान्त चकबन्दी अधिकारी द्वारा सहायक चकबन्दी अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया । सहायक चकबन्दी अधिकारी ने प्रधान और पट्टेदारों द्वारा तसदीक करने के उपरान्त समझौते के आधार पर अमल-दरामद करने का आदेश पारित कर दिया और उन्होंने यह नहीं सुनिश्चित किया कि अमल दरामद के लिये परगनाधिकारी की स्वीकृति है । उक्त अनियमित अमल-दरामद के आदेश के विरुद्ध श्री जैनाथ आदि द्वारा उप संचालक (चकबन्दी) के न्यायालय में गिरानी दाखिल की गई जिसे न्यायालय ने 15 फरवरी, 1982 को स्वीकार कर दिया और सहायक चकबन्दी अधिकारी के उक्त अवैधानिक आदेश को निरस्त कर दिया । सहायक चकबन्दी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी गई । राजस्व अभिलेखों में इन्दराज निरस्त होने के आदेश भी अंकित कर दिये गये हैं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, इस प्रश्न में मेरा इलीगेशन ए0 डी0 एम0, आजमगढ़ के विरुद्ध था, जो उत्तर आया है उससे सिद्ध होता है कि उनसे यह मामला सम्बन्धित है और जैसा कि मन्त्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पारित होने के बाद दिनांक 8 फरवरी, 1982 को प्रधान ग्राम सभा द्वारा परगनाधिकारी को सम्बोधित एक प्रार्थना-पत्र ए0 डी0 एम0 के न्यायालय मे प्रस्तुत

किया गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि सम्बन्धित गांव की चकबन्दी होने के लिये गजट किस तारीख को हुआ और ग्राम प्रधान के पत्र में किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, चकबन्दी की प्रक्रिया उस गांव में चल रही थी तभी ग्राम सभा ने ग्राम समाज की भूमि का प्रस्ताव किया और वह प्रस्ताव परगनाधिकारी को सम्बोधित था जो अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया लेकिन उन्होंने जहां चकबन्दी चल रही थी वहां चकबन्दी अधिकारी के पास उसको भेज दिया, नियमानुसार कार्यवाही के लिये ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, जैसा मेरा प्रश्न था कि इस गांव की चकबन्दी का गजट कब हुआ जिसको मन्त्री जी छिपा रहे हैं । इसलिये मैं पुनः पूछना चाहता हूं कि गजट कब हुआ ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मेरे पास वह तारीख नहीं है लेकिन उस समय वहां चकबन्दी प्रक्रियायें चल रहीं थी ।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह था कि 33 व्यक्तियों के नाम बिना नियमित प्रक्रिया के हुये ही अति0 जिलाधिकारी के आदेश से राजकीय अभिलेखों में नाम दर्ज कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ए0 डी0 एम0, आजमगढ़ को इस प्रकार का कोई आदेश देने और अमल दरामद करने का अधिकार है ? मान्यवर, जहां तक प्रावीजन आफ ला का सवाल है तो ए0 डी0 एम0 कंपटेंट नहीं है और यह माननीय सदस्य ने कहा है जिस पर माननीय मन्त्री जी ने प्रकाश नहीं डाला है और एस0 ओ0 सी0 और सी0 ओ0 कर सकते हैं यह कहा लेकिन ए0 डी0 एम0 ने कैसे किया है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने उस समय ध्यान नहीं दिया जब मैंने कहा था कि अति0 जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्ताव दाखिल किया गया, जिस पर उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया और उसको उस गांव में जहां चकबन्दी हो रही थी वहां के अधिकारियों को उस प्रस्ताव को भेज दिया तो यह नियमानुसार कार्यवाही की है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, नीतिगत प्रश्न है । यह प्रश्न आजमगढ़ का ही नहीं है । इसी प्रकार से सारे प्रदेश में फर्जी पट्टे रोज हो रहे हैं और उसके निरस्तीकरण की प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है । इसी सदन में माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि यदि अवैध पट्टे हुए हैं वह निरस्त होंगे । लेकिन उनके निरस्तीकरण की न्यायिक प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि पुनः उन पट्टों का पात्र व्यक्तियों को आवटन नहीं हो पाता है । तो क्या वह इसके लिए कोई आर्डिनेन्स या नियम बनायेंगे कि अवैध पट्टे को निरस्त करके दुबारा आवंटित करने की प्रक्रिया आसान हो जाए ?

श्री बजनाथ कुरील--

मान्यवर, अवैध पट्टा जो होता है, साबित होने पर वह निरस्त कर दिया जाता है और उसके दुबारा आबंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इस सम्बन्ध में सुनिश्चित आदेश हैं और यदि उनका कहीं पालन नहीं होता, है, तो जानकारी में आने पर उस पर भी कार्यवाही होती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं न्यायिक प्रक्रिया की बात कह रहा हूं। पट्टे तो शासन स्वीकार कर लेता है कि वह अवैध है, लेकिन उस पर दूसरा पक्ष न्यायालय की शरण लेता है और केस नीचे से ऊपर तक चला करता है और वह सैकड़ों एकड़ जमीन अपने कब्जे में रखकर उसी से मुकदमा लड़ता है। तो न्यायिक प्रक्रिया को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई अर्डिनेन्स निकालने या और कुछ करने पर क्या शासन विचार कर रहा है ?

श्री बंजनाथ कुरील--

आदेश तो बिलकुल सुनिश्चित है, उसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नही है। यह पट्टे अवैध नही हुए थे, इसमें केवल कुछ खामी थी, कि एस0 डी0 ओ0 का एप्रूबल नहीं हुआ था।

ग्राम बोबनमऊ के अभिलेखों मे फर्जी इन्द्राजों के विरुद्ध कार्यवाही

*10--श्री प्रभूनारायण सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 5वें शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 35 के सम्बन्ध में क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम बोबनमऊ के अभिलेखों में किए गए फर्जी इन्द्राजों को ठीक कराने तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या ग्राम इजरी के अन्तिम अभिलेखों के गायब किए गए जिल्द बन्दोबस्त प्राप्त कर फर्जी इन्द्राजों की जानकारी प्राप्त कर ली गयी ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

ग्राम बोबनमऊ में फर्जी इन्द्राजों को ठीक कराने के लिये भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत तहसीलदार केराकत के यहां कार्यवाही चल रही है तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही परगनाधिकारी के यहां चल रही है। ग्राम इजरी के जिल्द बन्दोबस्त जो गायब हैं अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हैं, जिसके कारण फर्जी इन्द्राजों की जानकारी नही हो पाई है।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

यह भ्रष्टाचार चकबन्दी विभाग का है। गांव प्रकाशित होने से पहले, धारा 52 प्रकाशित होने से पहले फर्जी ढंग से इन्द्राज कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में मैंने डेढ़ साल पहले यह सवाल किया था, तब भी यह उत्तर आया था कि जांच कराई जा रही है और उसके बाद वहां के सारे रिकार्ड्स भी गायब कर दिए गये। अब मैंने यह जानकारी करनी चाही तो यह कहा जा रहा है कि तहसील से उसकी जांच कराई जा रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके नाम क्या हैं, जिनके कारण फर्जी बन्दोबस्त और फर्जी पट्टे कराए गए ?

श्री बैजनाथ कुरील—

यह प्रश्न दो गांवों से सम्बन्धित है । एक गांव बोबनमऊ है, जिसको दिनांक 23-3-77 की धारा 52 प्रकाशित हो गयी है और गांव का बस्ता 18-4-78 को दाखिल हो गया है । अभिलेखागार में वहां के इन्द्राजों में कुछ फर्जी इन्द्राजात हो गये हैं और जब वह चीज प्रकाश में आयी तो उसको ठीक करने की एक विधिक प्रक्रिया है, उसके अनुसार परगनाधिकारी, केराकत ने नोटिस जारी करके तहसीलदार केराकत को धारा 33 व 39 के अन्तर्गत उनको ठीक करने के निर्देश दिए हैं, वह नोटिस देकर उसे ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं । दूसरा गांव ईसरो है, वहां पर धारा 52 का भी प्रकाशन हो गया है । और इसका बस्ता 12-12-78 को जमा कर दिया गया था । जिल्द बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कार्यालय के पेशी कानूनगो के चार्ज में थी, वह वहां से गायब हो गयी । चकबन्दी आयुक्त का पत्र जो 9-11-81 को गया, उसके अनुसार जिल्द तैयार करने के निर्देश तथा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, इस चकबन्दी विभाग के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, इस प्रकार के भ्रष्टाचार को देखते हुए । मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर जनपद में एक तहसील शाहगंज है, जहां एक बार चकबन्दी करायी गयी, वहां दोबारा चकबन्दी क्यों करायी जा रही है, जब कि इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है ?

श्री बजनाथ कुरील—

मान्यवर, जहां तक उत्तर प्रदेश में चकबन्दी होने का सवाल है, कहीं-कहीं इसमें गल्तियां हुई हैं । तो जहां गल्तियां होती हैं, वे पकड़ में आती हैं, तो सम्बन्धित व्यक्ति को बख्शा नहीं जाता । उनके खिलाफ कार्यवाही होती है । मान्यवर, 100 से ऊपर लगभग 150 ऐसे लोग हैं, जो इसको फेस कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है । मान्यवर, चकबन्दी यहां पर हो रही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि इस देश के अनेक प्रान्तों के लोगों ने हमारे यहां की चकबन्दी प्रक्रिया को देखा है कि चकबन्दी कैसे की जाती है । गुजरात प्रांत के लोग यहां आये, बिहार प्रांत के लोग आये । गुजरात की टीम अभी आयी थी, उन्होंने बड़ी सराहना की और बताया कि हम 20 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन एक ईंट आगे नहीं बढ़ पाये । यहां स्वेच्छा से भी चकबन्दी हो रही है । माननीय सदस्य ने यहां कहा कि चकबन्दी इतनी खराब है, उसका काम बन्द करना चाहिए । हम कहते हैं, हम तो परेशान हैं । इतने लोग, इतनी एप्लीकेशन आती है कि हमारा गांव छूट गया है, इसको भी ले लिया जाय, यह तो मांग उठती है । यह एक पापुलर स्कीम है । कहीं-कहीं पर गल्तियां होती हैं, तो उनके सुधार की कार्यवाही भी चल रही है । ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, कृपया माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करें कि जब इनका प्रश्न हुआ, तो जिल्द गायब हो गयी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच आप किस बात की करा रहे हैं, जो फर्जी इन्द्राज थे उनकी जांच करा रहे हैं, या जो अभिलेख चोरी गये हैं, उनकी जांच करा रहे हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया था कि यह 2 गांवों से सम्बन्धित प्रश्न है । न्यायिक प्रक्रिया से वह तहसील द्वारा की जा रही है । वह गांव बीबनमऊ और इजरी है, इजरी की जिल्द गायब हो गई है । तो यदि वह जिल्द न मिल पायी तो दुबारा उसे बनवाकर, उसी प्रक्रिया से पुनः जांच करायी जायेगी ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने गांव हैं जिसमें निश्चित रूप से धारा 52 का प्रकाशन कर दिया है, किन्तु मौके पर पैमाइश नहीं हुई है । तो जिन अधिकारियों ने पैमाइश नहीं कराया ऐसे अधिकारियों को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह बहुत व्यापक प्रश्न है । मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं । प्रश्न केवल 2 गांवों से सम्बन्धित है ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, चकबन्दी प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त सम्पूर्ण अभिलेख कलेक्टरी के मुहाफिज खाने में जमा हो जाते हैं । मुहाफिजखाने के सारे अभिलेख की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है तो फर्जी इन्दराज को छिपाने के लिए अभिलेख को चुराया गया । क्या कलेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उसमें जांच पड़ताल की गई और लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही की गई । उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि मैं लेखपाल रमा शंकर से चार्ज लिया है । अब उनको भी आरोपित किया गया है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, प्रश्न कुछ किया जाता है और उत्तर कुछ आता है तो मेरे प्रश्न करने का फायदा ही क्या है । मान्यवर, आप संरक्षण दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि माननीय सदस्यों के प्रश्नों का ठीक प्रकार से उत्तर नहीं आता है और इधर-उधर की बातें कह कर बातें टाल दी जाती हैं ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन इस प्रश्न में कोई ऐसा क्वाइन्ट नहीं आया है जिसका उत्तर न आया हो ।

श्री भीखा लाल--

मैं दो विन्दुओं पर जानना चाहता हूं । जिल्दबन्दी कब गायब हुई ? धारा 52 के प्रकाशन के पहले या बाद में । धारा 52 के प्रकाशन के पहले

गायब हुई तो धारा 52 का प्रकाशन कैसे हुआ ? दूसरा धारा 52 के प्रकाशन के बाद हुआ तो अधूरा बस्ता मालखाने में कैसे जमा किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, इसमें दो गांव का प्रश्न है इसलिए मिक्सप हो जाता है। ग्राम इजरी की जिल्द कानूनगो श्री पुरुषोत्तम को सुपुर्द की गई थी कि वह ले जाकर जमा करें। उनके चार्ज से गायब हो गया उनको निलम्बित किया गया है।

उन्नाव जनपद के ग्राम कटरी पीपर खेड़ा की भूमि के दुरुपयोग से सम्बन्धित शिकायती-पत्र की जांच

*11—श्री मोहन सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979-80 में जनपद उन्नाव के मू0 पू0 जिला परिषद् सदस्य श्री यशवन्त सिंह सेंगर ने ग्राम कटरी पीपर खेड़ा, तहसील व जिला उन्नाव की करीब 76 बीघा भूमि को बेंच करके 3 लाख रुपये के गोलमाल करने की शिकायत तत्कालीन तहसीलदार व नायब तहसीलदार उन्नाव के विरुद्ध की थी, जिसकी जांच गुप्तचर विभाग (सतर्कता) द्वारा कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

ग्राम सभा मंझरा पीपर खेड़ा व कटरी पीपर खेड़ा, परगना-हड़हा, तहसील व जिला उन्नाव की कतिपय भूमि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में श्री यशवन्त सिंह सेंगर का प्रश्नगत शिकायती-पत्र, दिनांक 1 जुलाई, 1980 प्राप्त हुआ था, जिस पर सतर्कता विभाग की जांच अभी पूरी नहीं हुयी है। अतः अभी कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, भ्रष्टाचार के ठोस आरोप में यह सरकार कितनी उदासीनता बरत रही है यह इसका ज्वलन्त उदाहरण है, 2 वर्ष पूर्व एक शिकायती-पत्र मिला था कि 76 बीघे जमीन बेचकर तीन लाख रुपये का गोलमाल किया गया तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा। तीन साल हो गए सर्तकता विभाग जांच कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सतर्कता विभाग तो आपके अवसान के बाद अपनी रिपोर्ट देगा क्या आपने इस आरोप पर अपने विभाग से भी जांच करवायी है और प्राग्दर्शन में आरोप सिद्ध हुये तो उसकी रोशनी में आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मोहन सिंह का आरोप अपनी जगह पर सही हो सकता है। तीन साल का समय समाप्त हो गया। 1 जलाई, 1980 को शिकायती-पत्र मिला 12 अगस्त, 1980 को सतर्कता विभाग को जांच के लिये भज दिया गया। अब गुप्तचर विभाग ऐसा है जिसमें समय लगता है। हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते कि अभी रिपोर्ट दे दें। दूसरा बिन्दु विभाग की जांच का है। एक जांच जारी रहते हुये अलग से जांच कराना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा।

श्री मोहन सिंह--

नहीं, मान्यवर, यह बात नहीं है, बहुत सारे बिन्दुओं पर सतर्कता विभाग अपनी इन्क्वायरी करता रहता है और विभाग भी अपनी छानबीन करता है। मान्यवर, इतने बड़े घोटाले की बात प्रकाश में आई और आप छानबीन न करें, यह तो मान्यवर, बहुत बड़ी बात हुई और मान्यवर, आपने अपने विभागीय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इन दोनों महानुभावों को अभी उन्नाव में ही रखा गया है और वह जांच को प्रभावित कर रहे हैं और अभी वह उसी स्थान पर ही बिराजमान हैं ? क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच कराकर उनको वहां से हटाने की कृपा करेंगे, ताकि वह जाँच को प्रभावित न कर सकें और निष्पक्ष जांच हो सके ?

श्री बैजनाथ कुरील--

दिनांक 1 जुलाई, 1980 को तो यह शिकायती-पत्र ही मान्यवर, हमारे ज्ञान में आया और 12 अगस्त, 1980 को सतर्कता विभाग को जांच के लिए भेज दिया गया।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, सबसे पहले तो मैं माननीय मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा घोटाला करने वाले नायब तहसीलदार और तहसीलदार का प्रोमोशन इन्होंने नहीं दिया वरना तो वह एस० डी० एम० हो जाते। जब एक शिकायती-पत्र मिला और उसमें प्राइमाफेसाई तौर पर वह इस योग्य पाया गया कि जांच के लिए सतर्कता विभाग को दे दिया। कुछ न कुछ तथ्य तो उसमें पाये गए, तभी तो उसे सतर्कता विभाग को दे दिया। उन तथ्यों के आधार पर आपके विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जब जांच सतर्कता विभाग के पास लम्बित है, तो दूसरी एजेंसी से जांच कैसे कराई जा सकती है ?

श्री मोहन सिंह--

जांच की कोई एजेंसी मान्यवर, नहीं होती है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि सतर्कता विभाग से जांच हो रही है। ठीक है, इसमें सदन को कोई एतराज नहीं है, दो साल तीन साल में जांच करें, जिस मंथर गति से वह जांच कर रहे हैं, करें। जो जमीन आज भी वहां पर फर्जी बिक रही है, उस पर तो रोक लगा दें और जो बिक चुकी है, और उस पर भवन निर्माण हो रहा है, उस पर रोक तो लगा दें।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैं तो यह समझता हूं कि रोक लगी हुई है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

नहीं लगी है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, उन्होंने इसको बेच कर अपना घर दिल्ली में बनवा लिया ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, दो-तीन साल हो गये, सतर्कता विभाग को क्या आपने कोई रिमाइंडर भी इस जांच के संबंध में भेजा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, उसकी जांच हो रही है, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दो-तीन महीने के अन्दर दे देंगे ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि उस पर सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई जा रही है, इस कारण विभागीय जांच नहीं हो सकती है । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा शासनादेश है, जिसके तहत सतर्कता विभाग द्वारा जिस भ्रष्टाचार की जांच हो रही हो, उसकी विभागीय जांच नहीं कराई जा सकती है, वह कौन सा जी० ओ० या आदेश है, मान्यवर, उसको बता दें ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि जांच नहीं हो सकती । मैंने यह कहा कि यह उचित नहीं है ।

इलाहाबाद जनपद के कतिपय ग्रामों को मध्य प्रदेश में अन्तरित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण

*12--श्री रमाकान्त मिश्र (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के बारा तहसील के नौढ़िया उपरहार नौबस्ता भड़िवार आदि गांवों को मध्य प्रदेश के रीवां जनपद के त्योंथर तहसील में सम्मिलित किया जा रहा है ? तथा म० प्र० के पटहट चाकघाट आदि गांवों को उ० प्र० में शामिल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच सीमा अभिनवीकरण के संबंध में ग्रामों के आदान-प्रदान करने हेतु दोनों प्रदेशों के राजस्व अधिकारियों की दिनांक 28 व 29 अप्रैल, 1981 को हुई बैठक में इलाहाबाद-रीवां क्षेत्र में इलाहाबाद के ग्राम नेवड़िया उपरहार आदि के रीवां जनपद में तथा रीवां जनपद के ग्राम पटहट कलां आदि के इलाहाबाद जनपद में अंतरण के संबंध में सहमति व्यक्त की गयी । किन्तु जनपद रीवां के ग्राम चाकघाट को इलाहाबाद में अन्तरित किये जाने के संबंध में मध्य प्रदेश के राजस्व अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गई । इसके पश्चात जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने सूचित किया कि जनपद

इलाहाबाद के प्रश्नगत गांवों की जनता तथा जनप्रतिनिधियों ने यह राय दी है कि नवम्बर, 1981 से नई तहसील बारा बन जाने के कारण उनकी कठिनाइयां दूर हो गई हैं और अब वे नहीं चाहते कि उनके ग्राम जनपद रीवां में अन्तरित किये जाय । इस प्रकरण में दोनों प्रदेशों के राजस्व अधिकारियों की मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली, आगामी बैठक में यथा समय विचार किया जायेगा । इस संबंध में अभी प्रारम्भिक परीक्षण राजस्व अधिकारियों के स्तर पर हो रहा है । तदुपरान्त दोनों राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार को संस्तुति भेजने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा । अभी इस संबंध में शासन स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

चान्दपुर, बिजनौर में चीनी मिल निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को सेवा का अवसर

*13--श्री फखरे आलम तथा श्री अमीरुद्दीन--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि चांदपुर जिला बिजनौर में शुगर कारपोरेशन ने चीनी मिल लगाने में जिन किसानों की जमीन ले ली थी उनको मिल में नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उसको पूरा न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उनको चीनी मिलों में नौकरी देने का वायदा पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाह --

जी हां ।

शासन की नीति भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के आश्रितों को सेवा में अवसर की समानता के आधार पर वरीयता देने की थी । इस आश्वासन की पूर्ति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सभी खातेदारों के परिवारों के इच्छुक व्यक्तियों को साक्षात्कार का अवसर दिया गया और विधिवत चयन पर उपयुक्त पाये गये 66 व्यक्तियों को सेवा में लिया गया । इस प्रकार आश्वासन की यथोचित पूर्ति की गई और किसी अन्य को अब सेवा में लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत साफ था, मगर उसका जवाब साफ नहीं मिला । मैंने यह बात पूछी थी कि उन लोगों की जमीन एक्वायर की गयी थी शुगर कारपोरेशन ने चीनी मिल बनाने के लिए, और उनको आश्वासन दिया था कि नौकरी दी जायेगी । मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि कितनी जमीन कितने आदमियों की ली गई और उनमें से कितने लोगों ने या उनके परिवार के आदमियों ने कारपोरेशन में चीनी मिल में नौकरी के लिए अप्लीकेशन दी या ओरली कहा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, इस तरह का कोई शासनादेश तो नहीं है । यह जो हमारे तत्कालीन मुख्य मन्त्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, वह वहां पर गये थे, उन्होंने जन सभा में आश्वासन दिया था कि उन लोगों को, जिनकी जमीन ली गई थी, उनको फैक्ट्री में स्थान दिया जायेगा । 101 खातेदारों की जमीन अधिगृहीत की गई थी, कुछ ऐसे लोग थे, जिनकी सम्पूर्ण जमीन ली गई थी । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक आदेश निकाला कि वह लोग जो नौकरी चाहते हों वह दरख्वास्त दें । जिन लोगों ने दरख्वास्तें दीं, उनको सेवा में लिया गया था ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो 99 का फेर पैदा कर दिया । तो 99 प्लस 2 बराबर 101 आदमियों की रोजी-रोटी उनके परिवार की ले ली और यह कह दिया कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री नारायण दत्त तिवारी जी ने आश्वासन दिया था । तो मान्यवर, चीनी मिल के दर्मियान जब यह एग्रिमेंट हो गया कि उनको नौकरी दी जायगी, तो उनको नौकरी न देने का क्या कारण है ? उन लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी गई ? माननीय मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करें कि कितने लोगों ने नौकरी के लिए चाहा और कितने लोगों को नौकरी दी गयी ?

श्री अध्यक्ष--

आपने एक प्रश्न में बहुत से प्रश्न किये हैं । आपको केवल एक प्रश्न करना चाहिए था ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मैं उसको क्लीयर कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठिये ।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने लोगों की जमीनें निकली और उनमें से कितने खातेदार वालों को आपने नौकरी दी और कितने को आप नौकरी नहीं दे सके और कितने लोगों ने नौकरी के लिए एप्लाई किया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, जो निवेदन किया कि 101 खातों की जमीनें ली गईं । चयन समिति गठित की गई जो स्थानीय विधायक, परियोजना प्रबन्धक आदि 4 सदस्यों की थी । उनसे आवेदन पत्र मांगे गए 64 खातेदारों में से, 66 लोगों को नौकरी में लिया गया है । दो खातेदारों के 2-2 व्यक्तियों को लिया गया । बाकी 3 लोग नाबालिग थे 2 ने आवेदन-पत्र नहीं दिये, 9 लोगों की कुल जमीन जो है, उसमें से एक-दो बिस्वा ली गई, एक व्यक्ति नौकरी का इच्छुक नहीं था, एक नौकरी में उपस्थित नहीं था और 13 लोग उसमें साक्षात्कार में उपयुक्त नहीं पाये गये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो आश्वासन शासन ने दिया था कि नौकरी में लेंगे, तो समानता के आधार पर वरीयता दी जायेगी । लोगों ने अप्लाई किया होगा, उनका इन्टरमेंय लिया गया होगा । मैं साफ-साफ जानना चाहता हूं कि जो लोग साक्षात्कार 13 लोग अनुपयुक्त पाये गये उन को वरीयता दिये जाने की जरूरत थी ताकि वे सामान्य प्रतियोगियों के मुकाबले में इनफीरियर होते हुए भी, ज्यादा अंक दिय जाने चाहिये थे । दूसरी चीज वे किसी न किसी काम के योग्य तो जरूर पाये गये होंगे । क्लर्क इंजीनियर के योग्य नहीं पाये गये तो उनको वेटेज क्या दिया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यह तो कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ अस्वस्थ होंगे, कुछ वृद्ध होंगे, असहाय होंगे, अपाहिज होंगे। वहां के जन प्रतिनिधि और डी० एम० भी थे उस चयन समिति में जो गठित की गई थी, उन्होंने देखा होगा। हां, यह जरूर देखा जा सकता है कि ऐसे परिवार जो नाबालिग थे, उन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। बाकी लोगों के लिए कहना मुश्किल है।

गन्ना सोसाइटी, मुरादाबाद पर उ० प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ का बकाया

*14--श्री रियासत हुसैन--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को यह विदित है कि गन्ना सोसाइटी, मुरादाबाद, पर लगभग रु० एक करोड़ का बकाया यू० पी० गन्ना फेडरेशन का है ? यदि हां, तो इसको अदा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां।

उ० प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ का 30-6-82 तक का 120.16 लाख रुपया देय है, जिसके अदा न करने का कारण कृषकों को दिये गये ऋण की वसूली न होना, चीनी मिलों से प्राप्त होने वाले कमीशन का न मिलना तथा बढ़ती हुई महंगाई के कारण समिति के प्रबन्ध व्यय में अधिक व्यय होना है।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा अनुमान तो एक करोड़ ही था, 20 लाख ज्यादा निकला। मान्यवर, यह देखते हुए कि इस सोसाइटी ने ओवर इम्प्लाइज रख छोड़े हैं, दुगने। दूसरी बात एक फैक्ट्री कांशीपुर की है, उसके गन्ना किसानों का रुपया अदा न कर के खुद बांट खाया है और जो बकाया लोन है, जो बड़े-बड़े लोग हैं, डाईरेक्टर आदि, इन लोगों को मैंने इस सम्बन्ध में बार-बार पत्र लिखे हैं कि इस सोसाइटी को भंग कर के इस एरिये को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाये जिसके सम्बन्ध में डी० सी० ओ० मुरादाबाद का रेजूल्यूशन भी आ चुका है। तो क्या इसको समाप्त करने का मन्त्री जी आश्वासन देंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

उसके खर्चे बढ़ने के तमाम कारण हैं। आज का तनख्वाहों में बेहद वृद्धि हुई है। तमाम स्टाफ आदि रखना पड़ा है और जो कमीशन आदि मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया है। माननीय सदस्य ने जो विभिन्न प्रकार की शिकायतों का उद्धरण दिया है, इनके प्रति शासन जागरूक है। विधिवत् जांच करायेंगे। यदि कमी पायी जायेगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसके पुनर्गठन के बारे में शासन फिर से विचार करेगा, वहां की स्थिति को देखते हुये।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० सठियांव, आजमगढ़ में किसानों से काटी गयी धनराशि तथा उसका व्यय

*15--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम शुक्रवार के अता० प्र० स० 75 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि

577368.75 रु0 जो किसानों से काटा गया था और उसे गन्ना विकास पर व्यय किया जाना था किन्तु विकास पर केवल 5410 रु0 व्यय किया गया ? शेष लगभग 5 लाख 70 हजार रुपया से ऊपर धनराशि के अनियमित रूप से व्यय किये जाने के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्रश्नकर्त्ता कटौती गन्ना विकास कार्य हेतु नहीं बल्कि वित्तीय पोषण संस्थाओं से लिये गये ऋणों तथा उस पर देय ब्याज के बकाये का भुगतान करने के लिए की गई थी । वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में अन्य मिलों की भांति ही इस मिल को अत्यधिक घाटा होने के कारण उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई थी । अतः अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रश्नगत धनराशि का उपयोग गन्ना ढुलाई पर कृषकों को अनुदान देने और गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए कृषकों के ही हित में किया गया था । अपरिहार्य परिस्थिति में किये गये इस व्यय के लिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, 57 लाख रुपया किसानों का काटा गया । पिछली बार जब यह सवाल आया था तो उत्तर दिया था कि गन्ना विकास पर व्यय हुआ है । जब दुबारा पूछा गया कि कितना व्यय हुआ तब पता लगा कि 5 हजार रुपये गन्ना विकास पर व्यय हुआ और 50 हजार रुपया मनमाना व्यय कर दिया गया । इस सवाल के उत्तर में आया कि राहत देने के लिये किया । मैं इसको सही मान लेता हूं । यदि यह सही था तो क्या वहां के बड़े अधिकारियों को इस बात की छूट शासन ने दे रखी थी कि 56 लाख रुपया मर्जी से व्यय कर दें या उन अधिकारियों को कोई शासनादेश इस प्रकार के व्यय के लिये दिया गया था ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जो एन0 आर0 डी0 का पैसा है वह गन्ना विकास में नहीं खर्च हुआ है । अलग मद है एन0 आर0 डी0 की । घाटा हुआ, घाटे को संभालने के लिये विशेष परिस्थितियों में एन0 आर0 डी0 का पैसा काटा गया, किसानों को गन्ने का मूल्य देने के लिये, भाड़े आदि के लिये । विशेष परिस्थितियों में वह पैसा व्यय कर दिया गया । इसमें अनियमितता नहीं बर्ती गयी, कहीं गबन नहीं हुआ जिससे किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो । पैसा उपलब्ध था आवश्यकता के अनुसार दूसरी मदों में खर्च कर दिया गया ।

श्री पंचानन राय—

व्यय शासन के किसी आदेश से खर्च किया या अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर दिया ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा —

परिस्थितियां विशेष में खर्च हुआ । इसमें शासनादेश की आवश्यकता नहीं है ।

श्री दामोदर शर्मा—

जिन अधिकारियों ने पैसा व्यय किया उनके नाम क्या हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

अर्ज कर दिया उसमें कार्यवाही को कोई आवश्यकता नहीं है ।

गन्ना समिति बड़हलगंज, गोरखपुर के संगठन का कार्य

*16--श्रीमती गौरी देवी--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि गन्ना समिति बांस गांव, गोरखपुर के संगठित करने का कार्य ठप हो गया है ? यदि हां, तो उक्त समिति को संगठित करने के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां ।

गन्ना समिति बड़हलगांव (न कि बांसगांव) के संगठन का कार्य समाप्त हो गया है क्योंकि इस क्षेत्र में स्थापित दि किसान सहकारी चीनी मिल घोसी (आजमगढ़) के कार्य क्षेत्र में बांसगांव तहसील के बड़हलगंज, गगहा तथा गोला विकास खंडों को भी सम्मिलित कर दिया गया ह । अतः उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

मेरठ जनपद में गन्ना ग्राम सेवकों की सेवा समाप्ति

*17--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतायेंगे कि जनपद मेरठ में वर्ष 1981 में उप गन्ना आयुक्त, मेरठ ने अपने पत्र संख्या 9408-9 दि 023-12-81 तथा जिला गन्ना अधिकारी मेरठ ने पत्र सं0 71-91-82 सी0, दि0 28-12-81 के द्वारा बिना कारण बताए अनेक गन्ना ग्राम सेवकों की सेवायें समाप्त कर दी ? क्या यह सत्य है कि उक्त सेवा मुक्त गन्ना ग्राम सेवक विभाग में 5-6 वर्ष पहले से कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गन्ना ग्राम सेवकों को पुनः विभाग में गन्ना ग्राम सेवक के पदों पर नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां, जनपद मेरठ में 9 गन्ना ग्राम सेवकों की सेवाएं दिसम्बर, 1981 में समाप्त की गयी । ये गन्ना ग्राम सेवक गन्ना विकास विभाग के कर्मचारी न हो कर सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना विकास परिषद् के 50:50 प्रतिशत अंशदायी योजना के अन्तर्गत कार्यरत थे । इनकी सेवायें दिसम्बर, 1981 में इस कारण समाप्त कर दी गयी थी क्योंकि चीनी मिल में अपने अंश का भुगतान नहीं किया तथा गन्ना विकास परिषद् की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह पूर्ण व्यय का भार वहन कर सके । चूंकि उक्त गन्ना ग्राम सेवक राजकीय वेतन भोगी नहीं हैं इसलिये उन्हें विभाग में पुनः नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

फैजाबाद के ग्राम शमशुद्दीनपुर में हरिजन बस्ती के लिए चक रोड

*18--श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शमशुद्दीनपुर ब्लाक बसखारी, तहसील टांडा, जिला फैजाबाद में हरिजन बस्ती के चारों तरफ सवर्णों का चक है ? क्या हरिजनों के निकलने के लिए कोई रास्ता छोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करा के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम शमशुद्दीनपुर, ब्लाक बसखारी, तहसील टांडा जिला फैजाबाद में तीन स्थानों पर हरिजन आबादी हैं । हरिजन आबादी के दो स्थान ग्राम की मुख्य आबादी से जुड़े हैं जहां सवर्णों के चक उनकी मूल जोत पर बने हैं तथा तीसरी हरिजन आबादी मुख्य ग्राम से हटकर है इनके चारों ओर सवर्णों का चक है । मुख्य आबादी से जुड़ी दोनों हरिजन आबादी को आवागमन के लिए रास्ता/चकरोड उपलब्ध है तीसरी हरिजन आबादी को चक रोड द्वारा सेक्टर रोड तथा अन्य प्रमुख स्थानों से नहीं जोड़ा गया है । इस आबादी के निकट श्री वासुदेव सिंह का चक है, जिसमें से उन्होंने स्वेच्छा से आधे लाठ्ठे का रास्ता दे दिया है ।

ग्राम में चक निर्माण कार्य वर्ष 1970 में हुआ तथा धारा 52 की विज्ञप्ति 12-2-72 को हुई एवं इस बीच इस सम्बन्ध में कोई विवाद नही उठाया गया ।

ग्राम पिपाला, जनपद बुलन्दशहर के लेखपाल श्री सत्यवीर व कानूनगो श्री विपिन कुमार के विरुद्ध शिकायत की जांच

*19--श्री किरन पाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि श्री हर प्रसाद शर्मा, निवासी ग्राम पिपाला, तहसील बुलन्दशहर, जनपद बुलन्दशहर ने 13-4-82 को लेखपाल श्री सत्यवीर व कानूनगो श्री विपिन कुमार के विरुद्ध उक्त गांव की खतौनी में भारी फेरबदल किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी को लिखित रूप में की थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त लेखपाल व कानूनगो के विरुद्ध जांचोपरान्त शिकायत सही पायी गयी ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

जांच के उपरान्त लेखपाल द्वारा अपनी डायरी सही रूप से न रखे जाने के सम्बन्ध में शिकायत आंशिक रूप से सही पायी गयी । लेखपाल की चरित्र पंजिका में उक्त गलती के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है ।

फिल्म "आगमन" हेतु दिया गया ऋण तथा फिल्म का उद्देश्य

*20--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना बीज निगम मध्य क्षेत्र, लखनऊ ने शक्कर विशेष निधि फंड से 12 लाख रुपया आगमन नामक फिल्म बनाने

हेतु फिल्म डाइरेक्टर श्री मुजफ्फर अली को गत वर्ष दिया है ? यदि हां, तो इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

शक्कर विशेष निधि से उत्तर प्रदेश (मध्य क्षेत्र) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि0, को गत वर्ष 12 लाख रुपया का ऋण फिल्म "आगमन" बनाने हेतु दिया गया था। जिसमें से इस निगम ने फिल्म डाइरेक्टर श्री मुजफ्फर अली को किस्तों में 9.24 लाख रु० गत वर्ष भुगतान किया था।

फिल्म का उद्देश्य प्रचारात्मक है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने पर विचार हेतु गठित त्रिपाठी समिति की रिपोर्ट

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि बिक्री-कर समाप्त करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपनी कोई राय अभी हाल में ही केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय पर विचार करने हेतु गठित श्री त्रिपाठी समिति के पास भेजी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

केन्द्रीय सरकार द्वारा जो विशेषज्ञ समिति गठित की गयी थी वह बिक्रीकर समाप्त करने के लिए नहीं अपितु वनस्पति, औषधियों, सीमेंट, पेपर तथा पेपर बोर्ड व पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के प्रस्ताव में निहित वित्तीय प्रभाव पर विचार करके अपनी संस्तुति देने के उद्देश्य से गठित की गयी थी। इस प्रश्न पर राज्य सरकार के विचार समिति को प्रस्तुत किए गये थे और समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य भी दिया गया था। राज्य सरकार ने यह मत व्यक्त करते हुए कि प्रस्तावित व्यवस्था न केवल राज्य के वित्तीय हितों के प्रतिकूल होगी अपितु इससे किसी राष्ट्रीय हित की रक्षा भी नहीं होगी, प्रस्तावित व्यवस्था से अपना अस्वीकृति व्यक्त की थी। तथापि, यदि अन्ततः यह विचार स्थिर होता है कि प्रस्तावित व्यवस्था लागू की जाय तो, राज्य सरकार के मत में, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न केवल उक्त वस्तुओं से प्राप्त वर्तमान राजस्व राज्य सरकारों को अवश्य मिले अपितु भविष्य में इस राजस्व में जो सम्भावित वृद्धि हो सकती है, जिसके आंकलन हेतु वर्ष 1980-81 अथवा 1981-82 को आधार माना जाय, वह भी राज्य सरकारों को सुनिश्चित की जाय। इस प्रकार सुनिश्चित राजस्व के अतिरिक्त यदि कोई राजस्व प्राप्त होता है तो उसे राज्य सरकारों के बीच उसी फार्मूले के आधार पर बांटा जाय जो सप्तम वित्त आयोग ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बटवारे के विषय में सुनिश्चित किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह बिक्री-कर की ऊंचाई बड़ी जटिलता होने के कारण अवरोधक रोकने तथा कर वंचना में परेशानी पैदा होती है और इसीलिए यह मांग होती रही कि राजस्व शासन को प्राप्त होना चाहिये। इस बिक्री-कर की जटिलता को समाप्त करने के लिये यह कमेटी भी

इसलिये बनाई गई और राज्य सरकार ने इसके सामने मत रखा कि यह वित्तीय हितों के प्रतिकूल होगी और राष्ट्रीय हित में भी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उस समय उन्होंने अपना कोई इस प्रकार का आग्रह किया था कि इन-इन वस्तुओं से आज राज्य सरकार को कोई आय हो रही है ? आंकड़े सामने आये ? भ्रष्टाचार समाप्त हो गया प्रशासन में और व्यापार में। इस तर्क को ध्यान में रखते हुए वित्तीय अहित क्यों हो गया और राष्ट्रीय हित पर बुरा प्रभाव क्यों पड़ा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, इसमें 4-5 वस्तुएं हैं, जिनके ऊपर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगने से करीब 26 प्रतिशत की आमदनी सेल टैक्स में थी और पहले भी यह रहा। पैसा सेन्ट्रल से मिलता था, उसमें जितनी वृद्धि होती थी, इसलिये मैंने इसको दो विकल्पों में रख दिया। पहला, स्टेट और सेन्ट्रल के रिलेशन को ध्यान में रखना है और राष्ट्रीय हित इसलिये मानता हूं कि स्टेट रिसोर्सेज कम होते हैं, नियोजन व्यवस्था में कमी कर दी गई है। फिर हमने कहा कि 1980-81 अथवा 1981-82 को आधार वर्ष मानकर उससे हमको राजस्व मिल जाय। यदि इस प्रकार सुनिश्चित राजस्व के अतिरिक्त यदि कोई राजस्व प्राप्त होता है तो उसे राज्य सरकारों के बीच उसी फार्मूले के आधार पर बांटा जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मैंने कहा था कि कितना रुपया आपको मिलता था। माननीय मंत्री जी ने केवल प्रतिशत बताय, रुपये नहीं बताये। दूसरा प्रश्न यह है कि उसकी रिपोर्ट सरकार को सबमिट हो गयी है। जहां तक मेरी जानकारी रिपोर्ट के बारे में है, उसने अनुशंसा में स्वीकार कर लिया है कि उत्पादन कर ही लगेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कोई निर्देश या सूचना राज्य सरकार को दी है। यदि राज्य सरकार को वह प्राप्त हुई है तो वह क्या है और उस कमेटी की सिफारिशें क्या हैं, कृपया उसे बता दें ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अभी केन्द्र से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और न ही केन्द्र सरकार ने कोई निर्देश ही दिया है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सबमिट कर दी है ? यदि हां, तो आपको इसकी कोई जानकारी हो तो बतायें ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अखबार में तो मैंने भी पढ़ा है कि दे दी है, लेकिन विधिवत जानकारी नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जब कमेटी गठित हुई थी तब बताया होगा कि कितनी आमदनी मिल रही है और उसमें सम्भावित वृद्धि का भी अनुमान बताया होगा। माननीय मन्त्री जी सदन के सामने बतला दें कि क्या बताया था ?

श्री ब्रह्मदत्त--

हमने समिति से निवेदन किया था कि 26 प्रतिशत आय होती है । उसमें जो वृद्धि है वह 21 प्रतिशत भी होती है, 27 प्रतिशत भी होती है, यह हर साल के ऊपर होता है । 80-81 और 81-82 में जो वृद्धि हुई उसको आधार वर्ष मान लीजिये ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राज्यों के वित्तीय अधिकार पहले ही सीमित हैं, यह देखते हुए इस समिति की जो रिपोर्ट अयी उस पर अपनी सहमति देने से पहले जो बिक्री-कर को एक्साइज में बदलने की बात है, उससे पहले क्या इस माननीय सदन की अनुमति लेने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, सामान्यतया सदन की अनुमति की आवश्यकता तो नहीं होती है। फिर भी मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव अवश्य दें । अभी मौका है, बजट पर चर्चा होगी ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात से किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट है, उसके बाद हमारे प्रदेश के संसाधन बढ़ेंगे या घटेंगे ? अगर बढ़ेंगे तो कितने प्रतिशत और अगर घटेंगे तो कितने प्रतिशत ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इसके ऊपर तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकूंगा जब कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने आ जाय ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

यह जो बिक्री-कर था, मल्टीप्वाइंट था, बहुत सी चीजें जो एक्साइज के लिये दी हैं, उनके हिसाब से 26 प्रतिशत आमदनी होती थी, अब वह एक हो प्वाइंट पर लगेगा । क्या केन्द्रीय सरकार के बीच ऐसा समझौता किया है कि जितनी आमदनी थी मल्टीप्वाइंट के हिसाब से तब भी केन्द्रीय सरकार उसी हिसाब से देगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जब यह रिपोर्ट आ जायगी, तब इसको देखेंगे ।

विकेन्द्रीकृत योजना में जिला सेन्टर के अन्तर्गत जिला परिषद् की योजनओं को सम्मिलित किया जाना

**2--श्री राम आसरे वर्मा---

क्या नियोजन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विकेन्द्रीकृत योजना में जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत जिला परिषद् की योजनाओं को सम्मिलित करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

इस आशय के आदेश पहले ही प्रसारित किये जा चुके हैं कि जिला योजनायें तैयार करते समय उनमें जिला परिषद् के संसाधनों से का न्वित की जाने वाली योजनाओं का भी उल्लेख किया जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जिला परिषदों की जैसी स्थिति है, वह माननीय मन्त्री जी से छुपी नहीं है । अगर हम यह कहें कि इससे ज्यादा खस्ताहाल संस्थायें उत्तर प्रदेश में नहीं हैं जहां पर उनके कर्मचारियों को वेतन और भत्ते आदि के लिये महीनों तरसना पड़ता है । जिला परिषद् के बारे में मन्त्री जी ने कहा कि अपने संसाधनों से जो योजनायें तैयार हैं, उनको देखेंगे । क्या इस विकेन्द्रीकृत योजना में उसकी प्रभावशाली भूमिका को आधार मानकर जिला परिषदों को अतिरिक्त संसाधन देने पर शासन विचार करेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जिला परिषदों को, हमारे जितने वित्तीय साधन हैं, उनको देखते हुए, पंचायती राज विभाग से अनुदान देते ही हैं ।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, विकेन्द्रीकृत योजना के अन्दर जो जिला योजनायें बनती हैं, उनको इसलिये कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है कि उनका प्रशासनिक एप्रूवल राज्य सरकार को देना होता है और तमाम जिलाधिकारी परेशान हैं और लोग भी परेशान हैं कि प्रशासनिक अनुमोदन होगा, तभी पूरा सेक्टर कामयाब होगा ।

श्री ब्रह्मदत्त—

स्वीकृति दो तरह की होती है एक वित्तीय और दूसरी प्रशासनिक । वित्तीय स्वीकृति के बारे में एक नयी परम्परा बन रही है कि अप्रैल में स्वीकृति मिल जाने पर विभागों को भेज दी जायेंगी और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए स्थानीय अधिकारियों को अधिकार ऐसे स्वीकृतियों के दे रखे हैं । इसमें पहले साल कुछ अवश्य कठिनाइयां हुयी हैं जिसके निराकरण के प्रयास जारी हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जिला योजना के अन्तर्गत योजनाएं स्वीकार होकर प्रशासन की स्वीकृति के लिए पड़ी हुयी हैं, उनका निस्तारण प्रशासन कितने समय में कर देगा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

इस बात का उत्तर तो जब दे सकेंगे जब मुझे यह पता हो कि कौन सी योजनाएं शासन के विचारार्थ पड़ी हुयी हैं ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, जिला योजना द्वारा जिन प्रतिनिधियों की राय से जो प्रस्ताव यहां आते हैं, उनमें प्रायः यह देखा गया है कि उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसके कारण अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्या माननीय मन्त्री जी कोई ऐसी विधि

या नीति अपनायेंगे कि जो प्रस्ताव जिले से आएं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए ?

श्री ब्रह्मदत्त--

सम्भवतः ऐसा तो नहीं किया जाता है, परन्तु जहां पर कोई बुनियादी बात होती है तो उसमें जरूर कुछ परिवर्तन किया जाता है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, डिसेन्ट्रालाईज प्लान के अन्तर्गत जिला परिषदें जो हैं, वह बहुत ही इम्पार्टेन्ट फोर्थ पिलर सिस्टम आफ डेमोक्रेसी हैं तो क्या इसे देखते हुए आप हर जिला परिषदों को उनके स्तर का जो छोटी-छोटी योजनायें हैं जैसे छोटी-छोटी सड़कों का बनवाना या कुओं आदि का बनवाना, के लिए अलग से कोई ग्रान्ट्स देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इस काम के लिए जो अनुदान दिये जाते हैं, वह पंचायत राज विभाग द्वारा दिये जाते हैं ।

श्री मोहन सिंह--

आप अपने विकेन्द्रीकरण की योजनाओं के अन्तर्गत जो प्रस्ताव जिलों से लाते हैं, उनको आपने अपने तौर पर योजनाएं स्वीकृत करने के अधिकार दे दिये हैं तो क्या इसी तरह के इसके लिए आप वित्तीय संसाधनों के लिए कोई जिला संचित निधि की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, इसी प्रकार की एक स्कीम शासन के विचाराधीन चल रही है, उसकी रूप-रेखा इस साल के अनुभव के आधार पर अगले साल आ जायेगी ।

श्री भीखा लाल--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि दो प्रकार की स्वीकृतियां होती हैं, एक तो वित्तीय एवं दूसरी विभागीय वित्तीय स्वीकृति तो आप अप्रैल में दे देंगे, जैसा कि अभी बताया आपने और विभागीय के लिए अपने अधिकारियों को आधकार दिये हुये हैं, तो यह अधिकार जिले के विभागाध्यक्ष को दे दिया करें । विकेन्द्रीयकरण योजना के अन्तर्गत जिलों में एक समन्वय समिति बनायी गयी है जिसमें विधान सभा के सदस्य तथा संसद सदस्य भी होते हैं । तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि विभागीय स्वीकृति देने के पूर्व उस समन्वय समिति की स्वीकृति भी प्राप्त की जाया करे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

विभागाध्यक्ष तो किसी उस योजना पर विचार ही नहीं करेगा जो वहां से स्वीकृत होकर नहीं आयी है ।

प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

बुन्देलखंड के लिये इस योजना के अन्तर्गत जिला सेक्टर में जो 30 परसेन्ट की धनराशि रखी गयी है वह बढ़ा कर क्या 48 प्रतिशत

करने के प्रश्न पर आप विचार करेंगे ? क्योंकि वह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है ।

श्री ब्रह्मदत्त--

अपने संसाधनों के अन्तर्गत बुन्देलखंड के लिये जो भी सम्भव है वह हम कर रहे हैं ।

श्री राम नरायन सिंह एडवोकेट--

जिन जिलाधिकारियों ने अपने यहां की योजनायें बिना समन्वय समिति से पुष्टि कराये हुये भेज दी हैं, क्या सरकार ऐसे जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

अगर ऐसी कोई शिकायत माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय वित्त मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि इस विकेन्द्रीयकरण योजना में जिला परिषदों का क्या रोल रहेगा क्योंकि आज उनके पास कोई काम नहीं है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जिला परिषदों की वर्तमान स्थिति से हम भी संतुष्ट नहीं हैं । यह प्रश्न विचार में है कि हम किस प्रकार से उनका गठन करें और कैसे उनके संशोधन बढ़ाये जायें । हम चाहते हैं जिला प्लान जिला परिषदों के बजट का ही अंग हों । लेकिन इस तरह की आदर्श व्यवस्था लाने में अभी कुछ समय लगेगा जिला परिषदों को ताकतवर बनाना पड़ेगा ।

श्री विजय सिंह राना--

इस योजना से जिलों में विसंगतियां पैदा हो गयी हैं, न तो काम वहां से हो पा रहा है और न ही यहां से हो पाता है । इसका कारण यह है कि उन समितियों की जिलों में कोई बैठक होती ही नहीं है । तो इस विसंगति को कैसे मंत्री जी दूर करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मेरी सूचना के अनुसार कोई ऐसी विसंगति नहीं है ।

श्री बदन सिंह--

माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह स्वीकार किया है कि इस योजना को अभी जिलों के अधिकारी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और हम जन प्रतिनिधि जब उनसे मिलते हैं तो वे यही कहते हैं कि वे राज्य से जानकारी कर रहे हैं । आप उनको प्रशिक्षित करने का कार्य भी करेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि आप उनको किस प्रकार से प्रशिक्षित करेंगे और बिना उसके यह योजना कैसे सफल होगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह एक नया प्रयोग था । कोई भी नये कार्य में कुछ कठिनाइयां आती हैं और उनको दूर किया जाता है । जो हमारा प्लानिंग रिसर्च इन्सटीट्यूट है उसमें प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है । आफिसर्स वहां भेजे जाते हैं । अब जो कठिनाइयां आयेंगी उनको दूर किया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम पालपुर, जिला फैजाबाद में हरिजन हत्याकांड के मृतकों के पीड़ित आश्रितों को भूमि का आवंटन

1--श्री राम आसरे वर्मा, श्री गोपी नाथ बर्मा तथा श्री प्रदीप कुमार यादव--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 1ले शुक्र के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पालपुर, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत हरिजन हत्याकांड के मृतकों के पीड़ित आश्रितों तथा घायलों को जो भूमि आवंटित की गयी है वह भूमि कृषि योग्य तथा सही नहीं है ? क्या इस सम्बन्ध में वहां के हरिजनों ने विधायकों की संस्तुति के साथ एक प्रार्थना पत्र अप्रैल, 1982 में माननीय राजस्व मंत्री व शासन को दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की और उन्हें कृषि योग्य भूमि आवंटित करके कब तक कब्जा दिला देगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जिलाधिकारी से जांच कराई गयी । जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि खेती करने योग्य है और इस गांव सभा में अब ग्राम समाज या सीलिंग की कोई अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि आवंटन हेतु शेष नही है ।

गोपालपुर फार्म से लगान तथा अन्य कृषि देयों की वसूली के लिये फार्म की नीलामी में अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायत

2--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपालपुर फार्म जिला मिर्जापुर की लगान तथा सभी देय सन् 1979 व 1980 में प्राकृतिक आपदा की वजह से स्थगित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उसकी वसूली नहीं की गयी और उसी बकाया में सन् 1981 में फार्म को नीलाम किया गया और 1 लाख 50 हजार छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री बैजनाथ कुरील--

यह सही है कि जनपद निर्जापुर की सदर तहसील में स्थित गोपलपुर फार्म की लगान तथा अन्य कृषि देयों की वसूली प्राकृतिक आपदाओं के कारण वर्ष 1979 ी 1980 में स्थगित रही । यह भी सही है कि इसी कारण उक्त देयों की बकाया धनराशि की वसूली नहीं हो सकी । यह कहना सही नहीं है कि उपयुक्त बकाया के सम्बन्ध में ही वर्ष 1981 में फार्म की भूमि नीलाम की गयी । यह भी सही नहीं है कि बकाया का रुपया 1,50,000 छोड़ दिया गया था । वास्तविकता यह है कि नीलाम तिथि तक उक्त फार्म के ऊपर जो भी धनराशि देय थी उसके सम्बन्ध में नीलाम की कार्यवाही की गई ।

3-श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस फार्म की फर्जी नीलामी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र माननीय मुख्य मन्त्री को 10 फरवरी, 1982 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और उस पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच किसने की है और जांच का परिणाम क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

प्रश्नकर्ता विधायक का दिनांक 10 फरवरी, 1982 को मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र प्राप्त हुआ था । चूंकि उक्त गोपलपुर फार्म पर भू-राजस्व एवं अन्य देयों के बकाया की वसूली के सम्बन्ध में फार्म की भूमि की हुई नीलामी के विरुद्ध मण्डलायुक्त वाराणसी के यहां आपत्ति लम्बित थी और इस प्रकार मामला न्यायाधीन था, इसलिए शासन स्तर से उक्त पत्र में कही गई बातों की अलग से जांच नहीं कराई गई । अब वस्तुस्थिति यह है कि आयुक्त, वाराणसी मण्डल, के आदेश द्वारा उक्त नीलाम की कार्यवाही निरस्त कर दी गई तथा फार्म पर बकाया देयों की वसूली विधि एवं नियमों के अनुसार करने के आदेश हुए । अब मण्डलायुक्त के इस निर्णय के विरुद्ध राजस्व परिषद के समक्ष दायर निगरानी में अध्यक्ष, राजस्व परिषद, के आदेश से नए सिरे से नीलाम की कार्यवाही स्थगित है ।

4-श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त फार्म की जमीन 80 रुपये बीघे के हिसाब से नीलाम की गई है ? यदि हां, तो इस फार्म को सरकार ने स्वयं क्यों नहीं लिया, इसका क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

उक्त गोपलपुर फार्म की भूमि की नीलामी की बोली 80 रु0 प्रति बीघे न होकर औसतन रु0 29 प्रति बीघे की दर से आती है । नीलामी में बोली न आने पर ही कलेक्टर द्वारा बोली बोलकर भूमि खरीदी जा सकती है परन्तु सरकार के हक में बोली के पहले नियमानुसार नीलाम का प्रयास किया जाना आवश्यक है ।

नजीमाबाद, कानपुर की फर्म कैलाश सिंह एण्ड सन्स भट्टे वाले के उपर बकाया बिक्रीकर की वसूली की कार्यवाही

5-श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि नजीमाबाद कानपुर की एक फर्म कैलाश सिंह एन्ड सन्स, भट्टे वाले की सम्पत्ति को बिक्रीकर की बकाया 53,859.15 रु0 के लिए नीलाम करने की तारीख 28-1-82 लगाई गई थी ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस करदाता के ऊपर बकाया किन-किन सालों का है ? इन सालों में कितना रुपया रूपपत्रों के साथ जमा किया गया ? कितना कर निर्धारण किया गया और कितने रुपए की मांग कब-कब निकाली गई ? रिकवरी इन सालों में कब-कब निकाली गई और उन तारीखों से आज तक क्या कार्यवाही की गई और क्षेत्रीय सहायक आयुक्त (शा) और उपायुक्त (शा) ने इस बकाये के सम्बन्ध में कब-कब क्या कार्यवाही की और उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री ब्रह्मदत्त--

सर्वश्री कैलाश सिंह एन्ड सन्स भट्टे वाले, नजीमाबाद, कानपुर पर बकाया धनराशि की वसूली हेतु बकायेदार की मूल सम्पत्ति की नीलामी 28-1-82 के लिए निश्चित की गई थी किन्तु उच्च न्यायालय के आदेश, दिनांक 27-1-82 के द्वारा नीलामी स्थगित कर दी गई । उस समय व्यापारी पर वर्ष 1961-62 से 1976-77 तक के सम्बन्ध में धनराशि बकाया थी । अद्यवधिक सूचना के अनुसार अब व्यापारी पर निम्नलिखित धनराशि बकाया है :--

वर्ष	धनराशि
	रु0
1970-71	3,135.00
1972-73	3,747.00
1972-73 (अर्थ दन्ड)	290.00
1973-74	5,749.00
1974-75	7,707.00
योग ..	24,665.00

उपरोक्त सभी धनराशियों की वसूली (अर्थदण्ड की धनराशि को छोड़कर) अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित कर दी गई है । शेष वर्षों के लिए बकाया धनराशि या तो व्यापारी द्वारा स्वयं जमा कर दी गई है अथवा धारा 31 के अन्तर्गत वाद पुनः खोले जाने का अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किए जाने के कारण समाप्त हो गई हैं ।

प्रतापपुरा, आगरा की फर्म श्री गोपाल मोटर्स पर बिक्रीकर बकाए की वसूली की कार्यवाही

6--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रतापपुरा, आगरा की फर्म श्री गोपाल मोटर्स पर वर्ष 76-77 व 77-78 को ता0 1-5-81 को बिक्रीकर का 1,12,478 रु0 बकाया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बकाया में स्वीकृत कर कितना था कि बकाया को वसूल करने में क्या कार्यवाही की गई और कितना वसूल हुआ और अब कितना शेष है ? और धारा 14 व 15 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो अब कब की जावेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

फर्म पर दिनांक 1-5-81 को बकाया बिक्रीकर की सही धनराशि 1,58,612 रु0 थी ।

उपरोक्त धनराशि में से स्वीकृत कर की धनराशि 1,26,011 रु0 थी ।

वसूलयाबी हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए । परिणामस्वरूप मूल बकाया जमा हो गई है तथा दिनांक 1-12-82 को व्यापारी के विरुद्ध ब्याज के रूप में केवल रु0 59,264.88 अवशेष था । धारा 14 व धारा 15 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

गोरखपुर के ग्राम ढेढ़वा की ग्राम समाज की भूमि के अवैध पट्टे करने से सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

7-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम ढेढवा तहसील महाराजगंज जिला गोरखपुर में ग्राम समाज की करीब 80 एकड़ भूमि का अवैध पट्टा जालसाजी पद के दुरुपयोग करने के आरोपों में सम्बन्धित प्रधान एवं लेखपाल निलम्बित हुए थे ? यदि हां, तो इन दोनों को पुनः बहाल करने तथा इनके विरुद्ध धोखा घड़ी का मुकदमा न दर्ज किए जाने के क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

इस बारे में परगनाधिकारी ने आदेश दिनांक 10-3-77 द्वारा श्री श्याम सुन्दर लेखपाल को निलम्बन काल का वेतन न देने, एक वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने, चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि देने तथा सत्य-निष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने के दन्ड के साथ लेखपाल को बहाल किया । अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी । परगनाधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 10-3-77 में ग्राम प्रधान को भी बहाल कर दिया और यह पाया कि भूमि अवंटन कार्य में प्रधान के साथ समिति के सदस्यों का भी हाथ है तथा प्रधान कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ।

गोरखपुर के ग्राम कुआं की बंजर भूमि का हरिजनों की प्रार्थना पर किया गया आवंटन

8 –श्री मारकण्डेय चन्द्र––

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील बांसगांव के ग्राम कुआं में हरिजनों द्वारा इस गांव की बंजर भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से की जा रही खेती का नियमानुकूल पट्टा करने के लिए प्रश्नकर्त्ता ने जनवरी, 1981 में एक पत्र माननीय राजस्व मंत्री को हरिजनों के आवेदन–पत्र के साथ दिया था ? यदि हां, तो क्या हरिजनों को नियमित पट्टा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? पट्टे कब तक नियमित कर दिये जायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील––

जी हां । जिला स्तर अधिकारियों ने जांचोपरान्त प्रश्नगत गांव में 28 हरिजन परिवारों को 15·69 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है और आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा भी दे दिया है ।

सीतापुर जिले में उत्पादित गन्ने की विभिन्न इकाइयों द्वारा खपत तथा गन्ने की खपत के सम्बन्ध में शासन की नीति

9––श्री हरगोविन्द वर्मा––

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981–82 में सीतापुर जिले में गन्ने की पैदावार कितनी हुई, कितना गन्ना मिल मालिकों ने पेरा और कितना गन्ना क्रेशर के माध्यम से पेरा गया ? क्रेशर मिल मालिकों ने किसानों को किस हिसाब से पैसा पेमेन्ट किया ? क्या सरकार गन्ना किसानों को लूट से बचाने के लिये कोई ऐसी नीति निर्धारित करेगा कि जिससे तीन और चार वर्षों के बाद गन्ना किसान पर अकारण दुर्दिन के बादल न छायेंगे ? यदि नीति बदली जायगी तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा––

पेराई सत्र 1981–82 में सीतापुर जिले में लगभग 19.01 लाख मी0 टन गन्ने का उत्पादन हुआ । चीनी मिलों द्वारा लगभग 8.17 लाख मी0 टन गन्ने की पेराई की गई । पावर क्रेशर इकाइयों द्वारा 1.25 लाख मी0 टन गन्ना पेरा गया । क्रेशर मिल मालिकों द्वारा 8 रु0 प्रति कु0 की दर से लेकर 16 रु0 प्रति कु0 की दर तक उक्त सीजन के दौरान गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया गया ।

विगत 2 वर्षों से गन्ना बुवाई के समय से पूर्व ही किसानों को सूचित कर दिया जाता है कि उनका कितना गन्ना किस आधार पर चीनी मिलों द्वारा लिया जायगा क्योंकि मिलों की स्थापित पिराई क्षमता के अनुसार कृषकों द्वारा उत्पादित समस्त गन्ने की पेराई नहीं की जा सकती । नीति की घोषणा बोवाई के पूर्व ही की जाती है ताकि कृषक विभिन्न स्रोतों (चीनी मिल, क्रेशर, गुड़ उत्पादक आदि) में गन्ने की सम्भावित खपत को दृष्टिगत रखते हुए ही गन्ने की बोवाई सुनियोजित कर सकें । पेराई सत्र 1983–84 के लिये भी नीति की घोषणा की जा चुकी है ।

सेवामुक्त ग्राम सेवक (श्री पन्ना लाल) की अपील पर उप गन्ना आयुक्त, बरेली द्वारा विचार

10--श्री रियासत हुसैन---

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त उ0 प्र0 के लखनऊ स्थित कार्यालय से सेवामुक्त ग्राम सेवक (श्री पन्ना लाल) की अपील के सन्दर्भ में क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, बरेली को जारी किये गये पत्रांक 1138-40/ए-10/स्था0, दिनांक 20 जून, 1981 में क्या निर्णय लिया गया और सम्बन्धित कर्मचारी को उसकी सूचना कब भेजी गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

गन्ना ग्राम सेवक की अपील पर निर्णय लेने हेतु उप गन्ना आयुक्त सक्षम अधिकारी हैं। अतः प्रश्न में उल्लिखित गन्ना आयुक्त के पत्र दिनांक 20-6-81 द्वारा श्री पन्ना लाल को सूचित करते हुये उनकी अपील उप गन्ना आयुक्त, बरेली को विचारार्थ भेज दी गई थी। उप गन्ना आयुक्त, बरेली ने विचारोपरान्त इस अपील को निरस्त कर दिया तथा इसकी सूचना सम्बन्धित कर्मचारी को दिनांक 3-7-81 को दे दी।

जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती द्वारा गन्ना ग्रामसेवकों का स्थानान्तरण तथा नियुक्तियां

11--श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती ने अगस्त, 1980 से अप्रैल, 1981 तक किन-किन कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं नियुक्तियां की थीं ? क्या यह सही है कि शासनादेश के अनुसार इस अवधि में कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना था ? जिस अधिकारी ने शासनादेश का उल्लंघन किया उनके विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने के लिए सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

अगस्त, 1980 से अप्रैल, 1981 तक जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती द्वारा एक राजकीय गन्ना ग्राम सेवक का स्थानान्तरण किया गया तथा इस अवधि में 3 राजकीय गन्ना ग्राम सेवक की नियुक्ति की गई। राजकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण न किये जाने से सम्बन्धित आदेश कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती में दिनांक 29-1-81 को प्राप्त हुआ। इस तिथि के बाद किसी राजकीय कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया। इसी प्रकार नियुक्ति न किये जाने से सम्बन्धित निर्देश उक्त कार्यालय को दिनांक 8-1-81 को भेजे गये। इस तिथि के बाद किसी राजकीय कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई। अतः शासनादेश का उल्लंघन नहीं हुआ है और जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मौहारी मजरा भटखेरवां कलां, जिला उन्नाव के अग्नि-पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता

12--श्री भगवत सिंह विशारद--

क्या राजस्व मंत्री, उप सचिव राजस्व अनभाग-10 के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 1928/1-10-82-6 (43)-82, दिनांक 31 मार्च, 1982 के सन्दर्भ में

बतायेंगे कि ग्राम मौहारी मजरा भटखेरवां कलां, विकास खंड, बांघापुर, पुरवा, जिला उन्नाव के अग्निपीड़ितों को जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा कब और कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नगत अग्निकांड के जिन पांच व्यक्तियों का मामला जिलाधिकारी उन्नाव को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था, जांच में पाया गया कि उनके घरों को केवल आंशिक क्षति हुई थी जो ऐसी नहीं थी कि उन्हें सहायता दिये जाने का औचित्य हो । इसके अतिरिक्त वे पात्र व्यक्तियों की श्रेणी में भी नहीं आते थे । अतः उन्हें सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

मौजा हुसैनपुर सकरवारी, जिला फैजाबाद की ग्राम समाज की भूमि के अवैध पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही

13-- श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री गुप्तार, भू0 पू0 प्रधान, निवासी मौजा हुसैनपुर सकरवारी, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद ने अवैधानिक ढंग से उक्त मौजा की ग्राम समाज की भूमि खसरा नं0 298 (बधवा ताल) को अपने पिता स्व0 गुलवास के नाम पट्टा करवा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पट्टे को निरस्त करके उनके विरुद्ध मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । अवैध पट्टे के निरस्तोकरण की कार्यवाही ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(4) के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

विकास खण्ड बसखारी एवं टांडा में व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु दिया गया तालाबों एवं पोखरों का पट्टा

14--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा व बसखारी ब्लाक टांडा, फैजाबाद में 1980-81 तथा 81-82 में कितनी समितियों एवं व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु तालाबों एवं पोखरों का पट्टा दिया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद के विकास खंड टांडा के 36 ग्राम सभाओं में 50 व्यक्तियों को तथा विकास खंड बसखारी के 12 ग्राम सभाओं में 35 व्यक्तियों को तालाबों का पट्टा मत्स्य पालन हेतु दिया गया है ।

15--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रदेश के जनपदों में वर्षा और बाढ़ से क्षति, मृत व्यक्तियों की संख्या तथा परिवारों को आर्थिक सहायता

16—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982-83 में कितने जनपद बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए तथा बाढ़ से जनपदवार कितने व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। बाढ़ और वर्षा के कारण मृत व्यक्तियों के परिवारों को सरकार ने किस दर से वित्तीय सहायता प्रदान की ? यदि कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई तो उसका क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1982-83 में प्रदेश के 42 जनपद प्रभावित हुए। बाढ़ अतिवृष्टि तथा जलभराव से मृत व्यक्तियों की तथा उनके परिवार वालों को दी गई सहायता का विवरण संलग्न तालिका में दिया है। जिन मामलों में सहायता नहीं दी गई, उनके कारण भी उक्त तालिका में दर्शा दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 182 पर।)

राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों की भविष्य निधि की धनराशि को लेखा शीर्षक "805—राज्य भविष्य निधियां" के अन्तर्गत प्रविष्ट

17—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद के लेखे के अनुसार राजकीय कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा भविष्य निधि में दिनांक 30-3-82 तक जमा की गई धनराशि में से कुल कितनी धनराशि सम्बन्धित व्यक्तियों के भविष्य निधि खाते में जमा न कर सस्पेंस खाते में जमा कर दी गई है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के लेखे के अनुसार राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1982 तक भविष्य निधि में जमा की गई 229.90 करोड़ रु० की कुल धनराशि में से 12.89 करोड़ रु० की धनराशि सम्बन्धित सरकारी सेवकों के भविष्य निधि खातों में जमा नहीं की जा सकी। इस धनराशि को फिलहाल सरकारी सेवकों के भविष्य निर्वाह निधि से सम्बन्धित लेखा शीर्षक "805—राज्य भविष्य निधियां" के अन्तर्गत अप्रविष्ट मदों के रूप में रख दिया गया है।

ग्राम तरसांवा, जिला सीतापुर में हरिजनों की खलिहान हेतु सुरक्षित भूमि

18—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम तरसौवा तहसील, मिश्रिख जिला सीतापुर के हरिजनों का एक पत्र दिनांक 6 फरवरी, 81 को उक्त ग्राम के कुछ प्रभावशाली सवर्णों द्वारा हरिजनों के खलिहान की जमीन चकबन्दी कर्मचारियों की साजिश से हड़पकर कब्जा करने की शिकायत के सम्बन्ध में हैं उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बैजनाथ कुरील--

पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । ग्राम तरसांवा के मजरा गंगापुर में गाटा संख्या 62 मि/-29 डि0, 55/11/0-08 कुल 0-37 डि0 खलिहान पश्चिम तरफ तथा गाटा संख्या 80 मि/0-09/81 मि/0-17, 68/1282/11 मि/0-35 डि0 कुल 0-61 डि0 खलिहान पूरब तरफ चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत छोड़ा गया जो कि खलिहान के प्रयोग में आती है । जिस पर किसी का कब्जा नहीं है । इस ग्राम में खलिहान हेतु अन्यत्र कोई स्थान चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत सुरक्षित नहीं किया गया है । ग्राम तरसांवा के मजरा गंगापुर में एक यादव परिवार के अतिरिक्त अन्य सभी हरिजन ही निवास करते हैं जहां पर खलिहान हेतु भूमि सुरक्षित की गई है ।

श्री इम्तियाज, तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद को देय प्रतिकर की धनराशि का भुगतान

19--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इम्तियाज ग्राम व पोस्ट खासपुर थाना व तहसील टांडा जनपद फैजाबाद की भूमि का बकाया प्रतिकर भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री इम्तियाज का संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 25-3-82 को मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । आवेदन पत्र पर जांचोपरांत पाया कि श्री इम्तियाज को देय प्रतिकर की धनराशि का भुगतान दिनांक 17-1-82 को कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर प्रधान लिपिक की प्रोन्नति

20--श्री रामजी राम--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय में सहायक लेखाधिकारी ने नव सृजित पद पर बीमा निदेशालय के प्रधान लिपिक को हः प्रोन्नति देकर नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या वह लेखाकार के पद पर की अर्हतायें रखता है ? यदि नहीं, तो उसे किस आधार पर नियुक्त किया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां,

सहायक लेखा अधिकारी का पद एक वर्ष के लिए निःसंवर्गीय घोषित किया गया है और इस पद पर जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है उसे राजकीय लेखा सम्बन्धी नियमों तथा कोषागार नियमों का लगभग 24 वर्ष का अनुभव है । अतएव निःसंवर्गीय पद पर इनकी नियुक्ति इनकी योग्यता को देखकर की गई है ।

जनपद गाजीपुर में बाढ़ से प्रभावित ग्रामों को अहेतुक सहायता

21--श्री राम नरायन--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में 1982 की बाढ़ में कुल कितने गांव, प्रभावित हुए हैं तथा सरकार द्वारा कौन सी राहत प्रभावित क्षेत्र के लोगों को दी गयी ? क्या सरकार इसकी जांच उच्चस्तरीय अधिकारी द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1982 की बाढ़ में गाजीपुर जनपद के कुल 982 ग्राम प्रभावित हुए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 33,80,110 रु0 निम्नलिखित मदों में व्यय किया गया :--

क्र0 सं0	मद	रु0
1	अहेतुक सहायता एवं निःशुल्क खाद्यान्न	18,85,000
2	अनुग्रह अनुदान	30,000
3	गृह अनुदान	1,50,000
4	विशेष सहायता	3,65,110
5	खाद/बीज तकाबी	6,00,000
6	आपदा तकाबी	3,50,000
	योग ..	33,80,110

बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे मिट्टी का तेल एवं दियासलाई इत्यादि उपर्युक्त अहेतुक सहायता की मद से क्रय कर निःशुल्क वितरित की गयी।

राहत कार्य नियमित ढंग से सम्पन्न हुआ तथा वितरण कार्यों के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। अतः किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बस्ती का नाम "कपिलवस्तु" रखने का प्रस्ताव

22--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जनपद का नाम "कपिलवस्तु" रखने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद बस्ती का नाम 'कपिलवस्तु" रखने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

गन्ना विकास परिषद्, बिलारी, जनपद मुरादाबाद में अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र

23—श्री अकबर हुसैन—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र गन्ना विकास परिषद्, बिलारी, जनपद मुरादाबाद में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में दि0 22-9-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां।

शिकायतों की जांच मुख्य जांच दल अधिकारी द्वारा कराई जा रही है।

उप सभापति, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0 द्वारा दिया गया इस्तीफा

24—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना संघ उ0 प्र0, लखनऊ के उपाध्यक्ष श्री दिवाकर विक्रम सिंह ने अपने पद एवं सदस्यता से माह अगस्त, 1982 में इस्तीफा दिया है ? यदि हां, तो इस्तीफे का कारण क्या है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां। श्री दिवाकर विक्रम सिंह ने उ0 प्र0, सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ के उपसभापति पद से तथा सदस्य प्रबन्ध कमेटी के पद से माह अगस्त, 1982 में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने त्याग-पत्र में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है।

श्री प्रकाश चतुर्वेदी, जनपद संख्या अधिकारी, गोरखपुर के भ्रष्टाचार के बारे में शिकायती-पत्र

25—श्री राजकुमार राय—

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन को श्री प्रकाश चतुर्वेदी जनपद संख्या अधिकारी, गोरखपुर के भ्रष्टाचार के बारे में प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र जून, 1983 में मिला था ? यदि हां, तो उसमें मुख्य शिकायतें क्या थीं और शासन उसमें कौन सी कार्यवाही कर रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय भवन के दुरुपयोग, कार्यालय की रद्दी बेचने, सरकारी पेट्रोल का निजी कार्य में उपयोग करने, फर्नीचर की फर्जी खरीद करने, सफाई कर्मचारियों को फर्जी भुगतान करने तथा शराब पीकर दुराचरण आदि करने की शिकायतें हैं। इस सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है।

चकबन्दी आकार पत्र 26 का ग्रामों में वितरण

26--श्री राजकुमार राय--

क्या शासन को प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 24-5-82 बाबत बंटवाने आकार पत्र 26-क यूनिट घोसी, जनपद आजमगढ़ प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

शासन को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र बाबत बटवाने आकार पत्र 26 दिनांक 24-5-82 प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है बल्कि इसी आशय का प्रश्नकर्ता का पत्र जो जिलाधिकारी आजमगढ़ को सम्बोधित है, दिनांक 31-5-82 को प्राप्त हुआ था। सम्बन्धित 129 पुष्टीकृत ग्रामों में जोत चकबन्दी आकार पत्र 26 वितरित कराया जा चुका है ।

ग्राम परसिया, जिला गोंडा में मरघट की भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु आदेश

27--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम परसिया, तह0 तरबगंज, जिला गोंड में मरघट की भूमि का आवंटन कर दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में उन्हें श्री छेद्दन, नि0 ग्राम परसिया, तह0 तरबगंज, गोंडा के पत्र दिनांक 24-8-1982 प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मरघट के आवंटन को निरस्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

ग्राम परसिया, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के गाटा संख्या 1276/0-28, 1277/0-02 एवं 1278/0-03 का पट्टा हो गया था जो मरघट भूमि से सम्बन्धित होने के कारण दिनांक 12-12-1981 को परगनाधिकारी, तरबगंज द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना, जानसठ व बुढ़ाना में सरकारी देयों की वसूली हेतु हवालात में बन्दी बनाये गये कृषक

28--श्री हुकम सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1982 से 15 सितम्बर 1982 तक तहसील कैराना, जानसठ तथा बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर में सरकारी देयों की वसूली हेतु कितने कृषकों को हवालात में बन्दी रखा गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद मुजफ्फरनगर में सरकारी देयों की वसूली हेतु जनवरी, 1982 से 15 सितम्बर, 1982 तक तहसील कैराना, जानसठ व बुढ़ाना में कुल 150 कृषकों को हवालात में बन्दी बनाया गया । यह उत्पीड़क कार्यवाही उन कृषकों के विरुद्ध की गई, जिन कृषकों के क्षेत्रों में ओला वृष्टि या अन्य दैवी आपदाओं से

कृषि को कोई हानि नहीं हुयी । जिन 150 कृषकों को हवालात में बन्दी बनाया गया था, उनमें से तहसील कैराना के 51, तहसील जानसठ के 11 तथा तहसील बढ़ाना के 65 कुल 127 की विविध देयों को बकाया वसूली के सम्बन्ध में तथा 23 कृषकों को कृषि देयों की वसूली के सम्बन्ध में बन्दी बनाया गया था ।

श्री पी0 डी0 वर्मा, चकबन्दी अधिकारी, गोसाईगंज का अन्यत्र स्थानान्तरण सम्बन्धी पत्र

29--श्री सन्त बक्स रावत---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2-8-82 को सी0 ओ0 चकबन्दी, गोसाईगंज, जनपद लखनऊ का स्थानान्तरण किसी अन्य जनपद में करने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ ने चकबन्दी आयुक्त महोदय को लिखा है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है, उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जिलाधिकारी, लखनऊ का पत्र दिनांक 23-8-1982 एवं 20-10-1982 निदेशालय में श्री पी0 डी0 वर्मा, चकबन्दी अधिकारी, गोसाईगंज का अन्यत्र स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था जिस पर चकबन्दी आयुक्त ने श्री वर्मा का स्थानान्तरण करने हेतु शासन की अनुमति मांगी थी । चूंकि मध्य सत्र में स्थानान्तरणों पर शासन द्वारा रोक लगी हुई है, अतः श्री वर्मा के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने को कहा गया है ।

ग्राम राजापुर, जिला फैजाबाद में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक काटने की गम्भीर अनियमिततायें तथा नवीन चकों की संख्या, नाली व गूल की सुविधा

30--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम राजापुर, पो0 राजापुर, सरैंसा, तह0 व जिला फैजाबाद में 1982 में हो रही दुबारा चकबन्दी में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक काटने में गम्भीर अनियमितताएं करने की शिकायत चकबन्दी समिति मो0 राजापुर व काश्तकारान द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम राजापुर, परगना अमसिन, तहसील व जिला फैजाबाद में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा चक काटने से सम्बन्धित अनियमितताये करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं । जांच में कुछ अनियमिततायें मिली थीं । उत्तरदायी सहायक चकबन्दी अधिकारी को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही की गई है । चकबन्दी अधिकारी द्वारा अधिकांश त्रुटियों का निराकरण कर दिया गया है ।

31--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम राजापुर, पो0 राजापुर सरैंया, तह0 सदर, जनपद फैजाबाद में 1982 में हो रही दुबारा चकबन्दी म कुल नवीन चकों की संख्या क्या है ? क्या समस्त चकों को सिंचाई गूल दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त चकों हेतु सिंचाई गूल की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम राजापुर में नवीन चकों की संख्या 181 है । अधिकांश चकों को नाली व गूल की सुविधा दी गई है । 51 चक नालो की सुविधा से रहित हैं जो नीचे धरातल तथा चकबन्दी अयोग्य भूमि से प्रभावित है । फिर भी इनम से 43 चकों को प्रयास करके धारा 48 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुय नाली देने का मामला विचाराधीन है ।

तहसील टाण्डा, फैजाबाद में बाढ़ से प्रभावित कतिपय ग्राम तथा प्रभावित परिवारों को सुविधायें

32--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1982-83 में टाण्डा, तह0 फैजाबाद में ग्राम चितौरा माझां, छज्जापुर म झां एवं उल्टहवा माझां व ग्राम नैपुरा बाढ़ से प्रभावित रहा ? यदि हां, तो ग्राम में बाढ़ के दौरान कितने परिवार व भूमि व फसलें प्रभावित रहीं ? प्रभावित परिवारों को क्या-क्या सुविधाएं एवं राहत दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1982-83 में तहसील टाण्डा, फैजाबाद के ग्राम चिन्तौरा मांझा उल्टहवा मांझा व ग्राम नैपुरा घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित रहे । बाढ़ के समय इन चारों ग्रामों के कुल 456 परिवार प्रभावित हुए थे इन ग्रामों का कुल क्षेत्रफल 5,852 बीघा है । सम्पूर्ण रकबा बाढ़ से प्रभावित रहा । इनमें कृषक क्षेत्रफल 1,151 बीघा प्रभावित हुआ था । नियमानुसार इन ग्रामों के छूट का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

इन ग्रामों में से 33 परिवारों को जो पानी से घिर गये थे, उन्हें उपरहार में लाकर भोजन आदि का प्रबन्ध किया गया । ग्राम नैपुरा में जिनके मकान घाघरा की कटान से प्रभावित थे, उन 28 परिवारों को उसी ग्राम के उपरहार क्षेत्र में बसाने के लिये आवास स्थल हेतु 1 बीघा 9 विस्व भूमि पट्टे पर दे दी गयी है ।

मांझा चिन्तौरा में 3 नावें, मांझा छज्जापुर में 2 नावें तथा मांझा उल्टहवा में 10 नावें प्रभावित लोगों के सहायतार्थ लगायी गयी थीं । उपरोक्त ग्रामों में 456 परिवारों को कुल 94.70 कुन्तल गहुं, 230 लीटर मिट्टी का तेल, 308 माचिस तथा 2 बोरा नमक का वितरण किया गया है ।

जनपद फैजाबाद में बाढ़ का प्रकोप तथा प्रभावित परिवारों को दी गयी सुविधाएं

33--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में 1982-83 में बाढ़ का प्रकोप रहा ? यदि हां, तो बाढ़ के दौरान प्रत्येक तहसील में कितनी फसलें व भूमि प्रभावित रहीं ? प्रभावित परिवारों को क्या-क्या सुविधाएं दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, बाढ़ से जनपद फैजाबाद के तहसील सदर में 11,721 अकबरपुर में 12,680 बीकापुर में 37,000 तथा टाण्डा में 9,070 हे0 क्षेत्रफल प्रभावित

हुए । इनमें से कृषक क्षेत्रफल तहसील सदर में 9,103, अकबरपुर में 11,220, बीकापुर में 26,000 तथा टाण्डा में 2,939 हे0 प्रभावित हुआ था । प्रभावित गरीब पीड़ित परिवारों को 50,050 रु0 निःशुल्क सहायता नकद, 5,28,425 रु0 का खाद्यान्न, 9,796 रु0 का नमक, 46,104 रु0 का मिट्टी का तेल 5,787 रु0 की माचिस तथा 250 रु0 की लइया वितरित किया गया है । मृतक परिवारों को 10,000 रु0 की विशेष निःशुल्क सहायता वितरित की गयी है । इसके अतिरिक्त कृषि से सम्बन्धित राजस्व देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी तथा छूट प्रस्ताव की कार्यवाही प्रगति में है । गृह निर्माण सम्बन्धी सहायता की धनराशि के वितरण की कार्यवाही भी प्रगति में है ।

भूतपूर्व ग्राम प्रधान, श्री रामेश्वर प्रसाद के विरुद्ध जांच

34--श्री गोपीनाथ वर्मा--

द्वितीय सत्र 82 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0 35 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

खंड विकास अधिकारी ने भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर प्रसाद के विरुद्ध पंचायत राज ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत गांव सभा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य उचित कार्यवाही हेतु अपनी रिपोर्ट परगनाधिकारी टांडा को प्रस्तुत कर दी है जिसमें भूतपूर्व प्रधान को क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है ।

छितौनी चीनी मिल को आफ सीजन में मरम्मत एवं नये कार्यों हेतु दिया गया ऋण

35--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया, छितौनी चीनी मिल को वित्तीय वर्ष 1981-82 आफ सीजन में फैक्टरी की मरम्मत एवं नए कार्य के लिए कितनी धनराशि सरकार द्वारा प्रदत्त की गयी थी और उसका किस-किस मद में उपयोग हुआ ? क्या सरकार इसकी जांच उच्च अधिकारियों से करायेगी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

छितौनी चीनी मिल को वित्तीय वर्ष 81-82 में आफ सीजन में सरकार द्वारा फैक्ट्री के आफ सीजन मरम्मत हेतु 29 लाख रु0 का ऋण दिया गया था और शक्कर विशेष निधि से नये कार्यों के लिये 8 लाख रु0 का ऋण दिया गया था जिसका व्यय भी उन्हीं मदों पर किया गया है । अतः उस सम्बन्ध में कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता ।

करदाता आयुक्त बिक्री-कर से वस्तुओं की करदेयता के बारे में परामर्श

36--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्री-कर कानून में धारा 35 का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत करदाता आयुक्त बिक्री-कर से वस्तुओं की कर-देयता

के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ? क्या यह सही है कि कुछ वादों में आयुक्त बिक्रीकर ने कुछ वस्तुओं की करदेयता के बारे में शासन से परामर्श किया ? यदि हां, तो आयुक्त बिक्रीकर ने कितने वादों में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में शासन से परामर्श किया ? क्या शासन से परामर्श करना नियमित था ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां । बिक्रीकर अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत करदाता आयुक्त बिक्रीकर से वस्तुओं की करदेयता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

वर्ष 81-82 तथा 82-83 में आयुक्त बिक्रीकर ने क्रमशः 6 तथा 1 मामले में शासन का दृष्टिकोण जानने के लिये शासन को लिखा था । यह सही है कि धारा 35 के अधीन आयुक्त को उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रश्नों का उत्तर स्वयं देना होता है किन्तु इन प्रश्नों के सम्बन्ध में शासन भी, जो विधि के अधीन राजस्व का संग्रह करता है, एक पक्ष होता है । अतः शासन का दृष्टिकोण जानने के लिये आयुक्त द्वारा संदर्भित किया जाना अनियमित नहीं कहा जा सकता । शासन का दृष्टिकोण जानने और प्रश्नकर्ता को सुनने के बाद आयुक्त स्वयं प्रश्न पर विचार करके विधि के अनुसार निर्णय देते हैं, जैसा कि उक्त धारा में अपेक्षित है ।

स्टाम्प व स्टाम्प पेपर की व्यवस्था कराने हेतु कार्यवाही

37— श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में कोर्टफीस स्टाम्प्स व स्टाम्प पेपर का इस समय अभाव है ? यदि हां, तो स्टाम्प व स्टाम्प पेपर की व्यवस्था करने तथा उनकी चोरबाजारी रोकने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

दिनांक 31-1-1983 तक प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ में छोटे अभिधानों के कोर्ट फीस स्टाम्पों को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के स्टाम्पों का अभाव नहीं है । छोटे कोर्ट फीस स्टाम्पों की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार के मुद्रांक नियंत्रक, नासिक रोड से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके आपूर्ति करने तथा सम्बन्धित अधिनियमों में स्टाम्पों के बदले नकद धनराशि जमा करने की सुविधा का उपयोग करने की व्यवस्था की गई है जिससे स्टाम्पों की चोर बाजारी न हो सके ।

ग्राम सभा खासपुर, जनपद फैजाबाद में ग्राम समाज द्वारा मछली की नीलामी

38—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा खासपुर, ब्लाक टांडा, जनपद फैजाबाद में 1980-81 में ग्राम समाज द्वारा मछली नीलामी की गयी थी ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के नाम नीलामी हुई तथा क्या नीलामी की समस्त धनराशि की वसूली की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील.--

जी हां। नीलामी सर्वश्री राम अधीन, झींगर, देव मन, जैनुद्दीन, साहेब लाल, राम आसरे, मेवा लाल के नाम हुई थी। केवल राम आसरे व मेवालाल से समस्त धनराशि की वसूली हो चुकी है। शेष ने नीलामी धनराशि का 1/4 भाग ही जमा किया है। अवशेष 3/4 भाग के वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम भटियाहक, जनपद फैजाबाद स्थित कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

39--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम भटियाहक, थाना तरुन, जनपद फैजाबाद में स्थित कृषि भूमि पर बलात कब्जा करने के सम्बन्ध में श्री बहाऊ पुत्र खिलावन व घनपता बेवा सरजू आदि के शिकायती-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-5-82 का उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायत का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर अवैध कब्जा हटाया गया तथा जांच के दौरान कोई अधिकारी दोषी पाया गया ? दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बजनाथ कुरील--

प्रश्न के सन्दर्भ में जांच कराने पर प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बहाऊ आदि तथा श्री शिवराम आदि के बीच आराजी नं0 403, 404, 408, 378 तथा 489 का विवाद है, जिसके बारे में दोनों पक्षों के बीच जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229 (बी) के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है।

ग्राम नन्दपुर, जनपद फैजाबाद की सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

40--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम नन्दपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद की सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 20-9-81 को कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता का उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में जांच कराई गयी तथा अवैध कब्जा ग्राम सभा भूमि से हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजानाथ कुरील--

जी हां। इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी। जांच से ग्राम सभा भूमि पर श्री राम प्रसाद सिंह पुत्र श्री सन्त बहादुर सिंह का अवैध कब्जा पाया गया जिनके विरुद्ध धारा 122-बी के अन्तर्गत वाद कायम किया गया जिसका निर्णय दिनांक 29-11-82 को हो चुका है। श्री सिंह को बेदखल करते हुए रुपया 4584 की क्षतिपूर्ति लगाई गयी है।

श्री सुरेश चक्रवर्ती, निवासी टांडा, फैजाबाद को तहसीलदार टांडा, फैजाबाद द्वारा गाली गलौज एवं मारने-पीटने के सम्बन्ध में जांच

41—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरेश चक्रवर्ती, निवासी टांडा, फैजाबाद को तहसीलदार टांडा, फैजाबाद द्वारा गाली गलौज एवं मारने-पीटने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 1982 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मामले की जांच कराई गयी ? क्या जांच के दौरान शिकायतकर्त्ता से भी कोई बयान या जानकारी की गयी ? जांच के आधार पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जो हां। मामले की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), फैजाबाद से करायी गयी।

जांच में शिकायतकर्त्ता को साक्ष्य हेतु अवसर दिया गया किन्तु उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया। शिकायतकर्त्ता ने यहां लिखकर दिया है कि श्री रामेश्वर प्रसाद, तत्कालीन लेखपाल का स्थानान्तरण हो जाने से अब उनकी कोई शिकायत बाकी नहीं है।

चूंकि इस मामले में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के लेखपाल सर्वश्री जगरनाथ सिंह व दया शंकर सिंह का निलम्बन समाप्त करने का आधार व औचित्य की जांच

42—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या 211/81 धारा 147/148/149/307 भारतीय दंड विधान, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया के अभियुक्त श्री जगरनाथ सिंह, लेखपाल, हल्का श्रीनगर द्वाबा बलिया व श्री दयाशंकर सिंह, लेखपाल, हल्का जिगनों, बलिया को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि तहसीलदार बलिया ने उक्त दोनों लेखपालों के बहाली हेतु सक्षम अधिकारी से संस्तुति की है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जो हां, सर्वश्री जगरनाथ सिंह व दयाशंकर सिंह लेखपालों को पुलिस की रिपोर्ट पर दिनांक 23 मार्च, 1982 को निलम्बित किया गया था। पनिशमेंट एन्ड अपील रूल्स फार सबार्डिनेट सर्विसेज के नियम 1-ए एवं तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बन आदेश के पुनर्विलोकन सम्बन्धी प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार द्वारा लेखपालों के निलम्बन आदेश को समाप्त करने की संस्तुति की गयी। लेखपालों के स्पष्टीकरण, तहसीलदार की संस्तुति एवं शासकीय अधिवक्ता, दीवानी व फौजदारी की राय के आधार पर परगनाधिकारी द्वारा दोनों लेखपालों को 31 जुलाई, 1982 को सेवा में बहाल कर दिया गया है।

इस प्रकरण में निलम्बन समाप्त करने के आधार व औचित्य की जांच परिषद् द्वारा कराई जा रही है ।

श्री राधा मोहन सिंह, निवासी ग्राम रुस्तमपुर, जिला बलिया की कुर्क शुदा फसल को मुक्त किए जाने हेतु रिपोर्ट

43--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राधा मोहन सिंह, निवासी ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड, जिला बलिया की लगभग 2 बीघे लेतरी की फसल वर्ष 1979-80 में कुर्क की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त कुर्क शुदा फसल को मुक्त किए जाने हेतु तहसीलदार बलिया से रिपोर्ट मांगी गई थी ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

धारा 145 जा0 फौज0 के अन्तर्गत वाद संख्या 12 राधा मोहन बनाम राजधारी में विवादग्रस्त क्षेत्र संख्या 510 क्षेत्रफल दो बीघा में खड़ी फसल परगना मैजिस्ट्रेट, बलिया के आदेश दिनांक 11 मार्च, 1980 द्वारा कुर्क की गई थी जिसके विरुद्ध श्रीमती राजधारी द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई और उस निगरानी में जिला एवं सत्र न्यायालय, बलिया के आदेशानुसार इस बात की जांच कराई गई कि प्रश्नगत सम्पत्ति किसके कब्जे से कुर्क की गई । तहसीलदार बलिया की रिपोर्ट से यह ज्ञात होने पर कि यह सम्पत्ति श्रीमती राजधारी के कब्जे से कुर्क की गई, इस सम्पत्ति का अपर परगना मैजिस्ट्रेट, बांसडीह ने दिनांक 10 अगस्त, 1982 द्वारा श्रीमती राजधारी के पक्ष में अवमुक्त करने के आदेश दिए परन्तु इन आदेशों का कार्यान्वयन न हो सका क्योंकि विवादित पार्टियों द्वारा समय-समय पर सक्षम न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त किए जाते रहे । अद्यावधिक स्थिति यह है कि निगरानी संख्या 275/82 श्रीमती राजधारी उर्फ शिव दुलारी बनाम सरकार में जिला न्यायाधीश बलिया द्वारा पारित आदेशानुसार इस मामले में अग्रिम कार्यवाही स्थगित है ।

सगड़ी तहसील के ग्राम मुहम्मदपुर अमलौनी की चकबन्दी तथा धारा 52 का प्रकाशन

44--श्री पंचानन राय---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में ग्राम मुहम्मदपुर अमलौनी की चकबन्दी 4 वर्ष पूर्व पूरी हो गयी किन्तु अभी तक इस गांव की धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है ? इसके क्या कारण हैं तथा धारा 52 का प्रकाशन कब तक हो जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील --

तहसील सगड़ी में ग्राम मुहम्मदपुर अमलौनी नाम का कोई ग्राम नहीं है ।

तहसील सगड़ी के ग्राम मुहम्मदपुर अमलौनी से यदि प्रश्न का सम्बन्ध है तो ग्राम मुहम्मदपुर जिसमें 2376 गटा 282 एकड़ क्षेत्रफल है उसका धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 18 जुलाई, 1981 को हो चुका है और अभिलेख अभिलेखागार में जमा किये जा चुके हैं । तहसील सगड़ी में मोहम्मदपुर

नाम का दूसरा ग्राम जिसमें 5053 गाटा 675 एकड़ क्षेत्रफल हैं उसके धारा 52 के अन्तर्गत प्रस्थापन का लक्ष्य वर्ष 1982-83 में रखा गया है । अन्तिम अभिलेख की तैयारी का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । यथासमय प्रकाशन कराया जायेगा ।

ग्राम अमलोनी जिसमें 475 गाटा 136 एकड़ क्षेत्रफल हैं उसका धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रस्थापन दिनांक 13 जुलाई, 1974 को हो चुका है और अन्तिम अभिलेख अभिलेखागार में जमा किये जा चुके हैं ।

45---श्री राम लाल वर्मा--

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

46--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सरकारी देयों की वसूली के बकायादारों को तहसील हवालात में भोजन बन्द किये जाने के कथित आदेश

47---श्री रघुबीर सिंह यादव तथा श्री बंशीधर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलों की तहसील हवालातों में जो लोग सरकारी कर्जे में बन्द किए जाते थे, उनको सरकार की तरफ से भोजन दिया जाता था, वह बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सरकारी देयों की वसूली के सम्बन्ध में तहसील हवालात में बन्द किये जाने वाले बकायादारों को भोजन बन्द किए जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आदेश शासन द्वारा जारी नहीं किए गए हैं ।

इलाहाबाद कोषागार में मनी टेस्टरों के वेतन का भुगतान

48---श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोषागार इलाहाबाद के कैश शाखा में दो मनी-ट्रेस्टरों की नियुक्ति शासनादेश दिनांक 3-6-81 के अन्तर्गत दिनांक 1-10-81 को हुई थी ? क्या यह सही है कि उक्त कार्यरत मनी टेस्टरों को वेतन का भुगतान तब से नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इस सम्बन्ध में कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इलाहाबाद कोषागार में शासनादेश दिनांक 3-6-81 द्वारा सृजित किये गये मनी टेस्टरों के दोनों पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम नगरिया खुर्द में अराजक तत्वों द्वारा रास्ता बन्द करने के सम्बन्ध में जांच

49---श्री नन्दकिशोर सिंह---

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा व मेड़ा के ग्राम नगरिया खुर्द में कुछ अराजकतत्वों ने ग्राम का एक रास्ता बन्द कर रखा है जिसकी शिकायत तहसीलदार तिलहर से ग्राम के प्रधान व अन्य नागरिकों ने दिनांक 17-5-82 को की है और शिकायत की जांच नायब तहसीलदार खेड़ा व मेड़ा मौके पर 23-5-82 को कर चुके हैं ? यदि हां, तो आज तक कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील---

जी हां। नायब तहसीलदार की जांच के आधार पर थानाध्यक्ष, जैंतीपुर को दिनांक 1-6-82 को रास्ता खुलवाने हेतु रिपोर्ट भेज दी गयी थी । पुलिस ने रास्ता खुलवा दिया है ।

देवरिया जिले के चौदहों चीनी मिलों पर कृषकों का गन्ना मूल्य का भुगतान

50---श्री नन्दकिशोर सिंह---

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के चौदहों चीनी मिलों पर किसानों का 60 लाख रुपया बकाया पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो किसानों का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

देवरिया जिले की चौदहों चीनी मिलों पर दिनांक 31-1-83 तक की स्थिति के अनुसार वर्ष 1981-82 का 94·10 लाख रु0 तथा इससे पूर्व वर्षों का 9·01 लाख रु0 किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया है ।

वर्ष 1981-82 के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु हर सम्भव सुविधा भारत सरकार की सहायता से दी जा चुकी है बैंकों का मार्जिन 25 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत किया गया तथा बफर स्टाक बनाकर भी मार्जिन की कुछ धनराशि मिलों को उपलब्ध कराई गई । खुले बाजार में चीनी के भाव निरन्तर कम रहने के कारण मिलों के कैश क्रेडिट लेखे में डेफिसिट हो गयी है और अब अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तभी सम्भव प्रतीत होता है जब जिन मिलों पर बकाया है उनको बाहर से वित्तीय सहायता दी जाये । प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधन बहुत सीमित हैं । भारत सरकार से प्रदेश सरकार को ऋण देने का अनुरोध किया गया है । पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करा दिया जाए ।

51---श्री राजपाल सिंह---

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

52---श्री राजपाल सिंह---

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम भुवांपुर, जिला फैजाबाद में आगजनी की घटना, निवासियों को आर्थिक सहायता तथा ग्राम प्रधान श्री शिवमगन द्वारा अतिरिक्त सहायता दिए जाने का औचित्य

53--श्री बनवारी राम---

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम भुवांपुर, मौजा मेवापुर मुतालके देवगांव, जिला फैजाबाद में माह मई, 1982 में हुई आगजनी की घटना में उक्त गांव के निवासियों में श्री सरदार, श्री रामबरन, श्री भारत, श्री मुन्ना लाल, श्री सीताराम के घर की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी थी और श्री मुन्ना लाल, श्री सीताराम तथा अन्य व्यक्ति श्री सूर्यपाल, श्री राधेश्याम को आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि हां, तो श्री सरदार, श्री राम बरन तथा श्री भारत को कोई आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री बैजनाथ कुरील---

जी हां। ग्राम भुवांपुर, मौजा मेवापुर मुतालके देवगांव, जनपद फैजाबाद में दिनांक 17-5-82 को 11 बजे दिन में अग्निकान्ड की घटना हुई थी। इस ग्राम के निवासियों में सर्व श्री सरदार, राम बरन, भारत, मुन्नालाल तथा श्री सीताराम की आवासीय मकान की सम्पत्ति नष्ट हो गयी थी। सर्वश्री मुन्नालाल, सीताराम तथा अन्य व्यक्ति श्री सूर्यपाल व श्री राधेश्याम प्रत्येक को 50 रुपए की दर से कुल 200 रुपया अहेतुक सहायता प्रदान की गई है। श्री सरदार, श्री राम बरन तथा श्री भारत को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई क्योंकि वे नियमानुसार सहायता के पात्र नहीं पाए गए।

54---श्री बनवारी राम---

क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त मौजा के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान (श्री शिवमगन) द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों ने बिना किसी जांच के श्री राधेश्याम, श्री सूर्यपाल को जिनका सम्पत्ति को आगजनी में बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है, को आर्थिक सहायता दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस घपले की जांच एस0 डी0 एम0 द्वारा स्वयं किए जाने एवं गलत सूचना देने के लिए उक्त ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील---

जिलाधिकारी की सूचनानुसार नवनिर्वाचित प्रधान (श्री शिवमगन) द्वारा प्रश्नगत अग्निकांड से सम्बन्धित कोई सूचना का प्रस्तुत किया जाना जिला स्तर के अभिलेखों में नहीं पाया जाता है। अग्निकांड की जांच लेखपाल श्री रामनेवाज की सूचना पर तत्कालीन पर्यवेक्षक कानूनगो श्री राम किशोर जायसवाल द्वारा दी गई थी। उनकी संस्तुति के आधार पर ही सर्वश्री राधेश्याम एवं सूर्यपाल को आर्थिक सहायता दी गयी थी।

इस मामले की जांच पुनः क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा करायी गई जिससे यह तथ्य प्रकाश में आये कि श्री राधेश्याम का आवासीय मकान कथित अग्निकांड से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, बल्कि केवल एक छप्पर का बैठका, दो पलंग, चार लकड़ी की धरन तथा एक तख्ता जल कर नष्ट हो गया था। यह अहेतुक सहायता पाने के पात्र नहीं थे।

श्री सूर्यपाल का आवासीय मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। इनका केवल सरपत, जो घर के बाहर रखा था, जल गया था, जिसका अनुमानित मूल्य केवल 100 रु० होगा। यद्यपि यह भूमिहीन है, फिर भी ये अहेतुक सहायता पाने के पात्र नहीं थे।

कथित गलत सूचना का दोषी लेखपाल जो अल्पकालीन रिक्ति में अस्थायी कार्यरत था, सेवामुक्त हो चुका है। श्री राम किशोर लाल जायसवाल तत्कालीन पर्यवेक्षक कानूनगो को आरोप-पत्र दिए जाने की कार्यवाही प्रगति में है।

विकास खंड राजेपुर को बाढ़ से क्षति तथा बाढ़ पीड़ितों की सहायता

55---श्री विमल प्रसाद तिवारी---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के अन्तर्गत सदर तहसील फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर में 1982 में रामगंगा में बाढ़ आने से भारी क्षति हुई है? यदि हां, तो कृषि, मकान और जनजीवन की क्षति का विवरण क्या है और शासन द्वारा पीड़ित लोगों को क्या-क्या सहायता दी गयी?

श्री बैजनाथ कुरील---

वर्ष 1982 में रामगंगा तथा गंगा में बाढ़ के कारण फर्रुखाबाद जनपद की तहसील सदर फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर के 173 ग्रामों के लगभग 18,100 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ, 533 मकान क्षतिग्रस्त हुए, फसलों को अनुमानित 32,17,500 रु० की क्षति पहुंची तथा एक बच्चे की जीवन हानि हुई।

बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को 19,475·75 रुपए के मूल्य की खाद्य सामग्री तथा 5,351·55 रुपए की अन्य वस्तुएं निःशुल्क वितरित की गई। क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को 1,12,600 रु० गृह अनुदान बांटा गया।

मृतक बच्चे के परिवार को 500 रु० अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया।

घाघरा नदी के किनारे बने महुला गढ़वाल बांध के दक्षिण स्थित गांवों में चकबन्दी की कार्यवाही

56---श्री पंचानन राय---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 2रे शुक्रवार के अता० प्र० सं०-66 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत 39 गावों में चकबन्दी कब प्रारम्भ की गयी है तथा कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री बैजनाथ कुरील---

प्रश्नगत 39 ग्रामों में चकबन्दी प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव जिले से प्राप्त हुआ है जिसके परीक्षण उपरान्त चकबन्दी आयुक्त द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन ग्रामों में रिकार्ड आपरेशन प्रक्रिया के द्वारा भू-चित्र तथा अभिलेख तैयार कराने के उपरान्त ही इन ग्रामों में चकबन्दी का प्रसार कराना सम्भव हो सकेगा। तदनुसार कार्यवाही सम्पन्न करने के पश्चात् पुनरीक्षित प्रस्ताव नियमानुसार पुनः भेजने के निर्देश जिलाधिकारी, आजमगढ़ को भेजे गए हैं।

57--श्री पंचानन राय---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

58---श्री गोपी नाथ वर्मा---

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गन्ना सहकारी समिति भोजीपुरा के क्रय केन्द्र आटा मांडा पर कृषकों द्वारा गन्ने का क्रय, गन्ने की पेराई पर व्यय तथा घाटा

59---श्री चेतराम गंगवार---

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में गन्ना सहकारी समिति भोजीपुरा के क्रय केन्द्र आटा मांडा पर कुल कितने ग्रामों के किसान अपना गन्ना बेचते हैं और इन ग्रामों में वर्ष 1981-82 में अनुमानित उपज क्या थी तथा इसमें से कुल कितने कुंटल गन्ना का सट्टा किसानों से खरीद हेतु किया गया था तथा कुल कितना गन्ना लिया जा सका ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

जनपद बरेली की सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 भोजीपुरा के क्रय केन्द्र आटा मांडा पर 35 ग्रामों के कृषक अपना गन्ना बेचते हैं। वर्ष 1981-82 में इन ग्रामों की अनुमानित उपज 8·59 लाख कुन्तल थी तथा 8·92 लाख कुन्तल का सट्टा गन्ना खरीद हेतु कृषकों से किया गया था जिसमें से 8·32 लाख कुन्तल गन्ना मिलों द्वारा खरीद लिया गया।

60---श्री चेत राम गंगवार---

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके सरकारी परिक्षेत्रों (फार्म्स) पर गन्ने का बुवाई पेराई आदि पर कुल खर्च प्रति एकड़ क्या है ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा---

बालक एवं पेड़ी गन्ने की बुवाई, पेराई आदि पर प्रति एकड़ कुल खर्च 2,940·66 रुपया तथा 1,954·72 रुपया क्रमशः आता है।

61---श्री चेत राम गंगवार---

क्या यह सही है कि सरकारी फार्मों पर गन्ना बेचने के पश्चात् लागत को देखते हुए घाटा होता है ? यदि हां, तो प्रति एकड़ प्रति वर्ष कितना रुपया घाटा होता है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

सामान्य परिस्थितियों में सरकारी फार्मों पर गन्ना बेचने के पश्चात् कोई घाटा नहीं होता है। वर्ष 1981-82 में कोई घाटा नहीं हुआ है। अतः घाटे का प्रश्न नहीं है।

क्रय केन्द्र आटा मांडा पर न्योली चीनी मिल जिला एटा द्वारा खरीदा गया गन्ना

62--श्री चेत राम गंगवार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में गन्ना सहकारी समिति, भोजीपुरा के क्रय केन्द्र आटा मांडा पर वर्ष 1981-82 पर कुल कितना गन्ना न्यूली मिल जिला एटा द्वारा खरीदा गया तथा उसमें से कितने गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है और कितना पैसा अभी कृषकों को देना शेष है ? यह धनराशि कब तक दिला दी जायगी ।

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

जनपद बरेली की सहकारी गन्ना समिति भोजीपुरा के क्रय केन्द्र आटा मांडा पर वर्ष 1981-82 में न्योली चीनी मिल जिला एटा द्वारा कुल 92 हजार क्विंटल गन्ना खरीदा गया तथा कुल गन्ना मूल्य 16·82 लाख रु0 में से 12·91 लाख रुपया का भुगतान कृषकों को करने के लिए समिति को उपलब्ध करा दिया गया है । 3·91 लाख रुपया मिल से पाना अवशेष है जिसके लिए प्रत्येक स्तर से प्रयास किया जा रहा है ।

प्रदेश के अधिकतर चीनी मिल क्षेत्रों में काना रोग लगने की सूचना

63--श्री चेत राम गंगवार--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जाति गन्ने की 1148, 1158 और बी0 ओ0 70 में इस वर्ष प्रदेश भर में कन्डअ (काना) रोग लग गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1982-83 के लिए गन्ना शोध संस्थान कौन सी नई जाति की गन्ना कृषको को बोने हेतु संस्तुति कर रहा है ? इस जाति का कितना बीज सरकार के पास उपलब्ध है और कहां-कहां से मिल सकता है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

प्रदेश के अधिकतर चीनी मिल क्षेत्रों में बी0 उ0 70 जाति में काना रोग व्यापक रूप से लगने की सूचना प्राप्त हुई है । तदनुसार इस बीज के वितरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । सी0 ओ0 1148 एवं 1158 में इस रोग के प्रकोप की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । वैसे सी0 ओ0 1158 में स्मट रोग लगने की शिकायत है परन्तु यह रोग ऐसा भयंकर नही है कि इस जाति को समाप्त किया जाय ।

वर्ष 1982-83 के लिये गन्ना शोध संस्थान द्वारा को0 शा0 802, 767, 7918 एवं बी0 उ0 91 गन्ने की नई जातियों को बोने के लिये संस्तुत किया गया है । इन जातियों का 3,52,580, 6,40,840, 7,670, 35,500 क्विंटल क्रमशः (अर्थात् कुल 10,36,590 क्विंटल) गन्ना बीज 36 गन्ना जिलों में मिलाकर उपलब्ध है ।

फर्म जय आकरीज, लखनऊ द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

64--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र (82) के 1ले शुक्रवार, दि0 20-8-82 के अता0 प्र0 सं0 171 के उत्तर में वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि धारा 30

व 22 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में 5 वर्ष से ऊपर समय क्यों लिया गया जबकि आयुक्त बिक्री-कर के परिपत्र संख्या 11-ए आर0 मिस-75 (61-62)-5885-51, दि0 31-7-62 के अनुसार ऐसे प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण 15 दिन के अन्दर हो जाना चाहिये ? क्या धारा 30 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र और धारा 22 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र की आमद क्रमशः माह मार्च, 1976 व माह नवम्बर, 76 के मुख्यालय को जाने वाले माहवारी नक्शों में दिखाया गया और निस्तारण माह अप्रैल, 81 में माहवारी नक्शों में दिखाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र (1982) के प्रथम शुक्रवार, दिनांक 20-8-1982 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 171 के उत्तर में स्पष्ट किया गया था कि सर्वश्री जय शंकर, लखनऊ द्वारा धारा 30 व धारा 22 के अन्तर्गत दो प्रार्थना-पत्र जो वर्ष 1965-66 से सम्बन्धित थे, क्रमशः दिनांक 31-3-1976 तथा 19-11-1976 को बिक्री-कर कार्यालय खंड-5 में प्राप्त हुए थे। प्रस्तुत करते समय ही यह प्रार्थना-पत्र कालबाधित थे। इन प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण दिनांक 23-4-1981 को नहीं अपितु 21-4-1980 को हुआ है। तथापि संदर्भित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में पर्याप्त विलम्ब हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। इस बिलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है।

जनपद हरदोई की तहसील संडीला में चकबन्दी प्रक्रिया का प्रारम्भ

65—श्री रामलाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश गजट संख्या 7979/बी0-610-77, दिनांक 7 नवम्बर, 1981 के अनुसार जनपद हरदोई की तहसील संडीला में पुनः चकबन्दी का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो पुनः चकबन्दी कब तक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। जनपद हरदोई के तहसील संडीला में वित्तीय वर्ष 1982-83 में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री गोपीनाथ वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये ज्ञापन में लगाये गये आरोप तथा कार्यवाही

66—श्री राम आसरे पासवान—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उमरी जलाल, पोस्ट आदमपुर, तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद के गांव में चकबन्दी के विरुद्ध एक विधायक का ज्ञापन दिनांक 9-8-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या आरोप लगाये गये हैं तथा सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री गोपी नाथ वर्मा, सदस्य, विधान सभा का ज्ञापन, दिनांक 9-8-1982 प्राप्त हुआ था जिसमें श्री फुरसाती के चक नं0 120 में सिंचाई के लिए नाली की

व्यवस्था न होने का आरोप लगाया गया है । ग्राम उमरीजलाल, तहसील टांडा में फुरसाती क चक नं0 120 के बजाय 102 है जिसके पश्चिम मेड़ पर दक्षिण से उत्तर तक चकरोड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा उसके चक के पूरब एक बड़ी नाली पश्चिम से पूरब को गाटा सं0 293 व 294 आदि से आरम्भ होकर गाटा सं0 353 व 356 आदि तक जाती है जिससे फुरसाती के चक को सिचाई की पूर्ण सुविधा प्राप्त है ।

जनपद गाजीपुर स्थित नन्दगांव, सिहौरी शुगर कम्पनी लि0 में कृषकों के बकाया मूल्य का भुगतान

67--श्री राम नरायन सिंह एडवोकेट तथा श्री यदुनाथ सिंह--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गाजीपुर जनपद में स्थित नन्दगंज, सिहौरी सहकारी चीनी मिल द्वारा वर्ष 1981-82 में कृषकों को कितनी मात्रा में गन्ना की खरीद का लेहूं और कितना गन्ना मूल्य देना था अब तक कितने गन्ने का कीमत मिल द्वारा कृषकों को देय है ? क्या यह सत्य है कि चीनी मिल की लापरवाही से जनपद के गन्ना उत्पादकों का 15 प्रतिशत गन्ना खेतों में नष्ट हो गया ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इसकी उच्चस्तरीय जांच करायेंगे तथा गन्ना कृषकों के बाकी धनराशि को अति शीघ्र भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

गाजीपुर जनपद में स्थित नन्दगंज, सिहौरी शुगर कम्पनी लि0, नन्दगंज में पेराई सत्र 1981-82 में कृषकों के 3.24 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गई जिसका कुल मूल्यांकन 26.45 लाख रु0 देय हुआ । दिनांक 31-1-83 तक की स्थिति के अनुसार 13.13 लाख रु0 भुगतान हेतु अवशेष है । यह मिल उक्त सत्र का अपने सुरक्षित क्षेत्र का बान्डेड गन्ना पेर कर बन्द हुई । बान्डेड गन्ने के अवशेष रहने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1981-82 के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु हर संभव सुविधा भारत सरकार की सहायता से दी जा चुकी है । बैंकों का मार्जिन 25 प्रतिशत से घटाकर 17.5 प्रतिशत किया गया तथा बफर स्टाक बन कर भी मार्जिन की कुछ धनराशि मिलों को उपलब्ध करायी गयी । खुले बाजार में चीनी के भाव निरन्तर कम रहने के कारण अधिकांश मिलों के कैश क्रेडिट लेखे में डेफिसिट हो गई है और अब अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान तभी सम्भव प्रतीत होता है जब जिन मिलों पर बकाया है उनको बाहर से वित्तीय सहायता दी जाय । प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधन बहुत सीमित हैं । भारत सरकार से प्रदेश सरकार को ऋण देने का अनुरोध किया गया है । पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करा दिया जाए ।

जनपद गाजीपुर में सिनेमा गृह तथा मनोरंजन कर से प्राप्त धनराशि

68--श्री राम नरायन सिंह एडवोकेट तथा श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितने सिनेमा गृह हैं तथा वर्ष 1981-82 में मनोरंजन कर के रूप में कितनी धनराशि सरकार को प्राप्त हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जनपद गाजीपुर में 5 स्थायी सिनेमा गृह हैं । वर्ष 1981-82 की अवधि में जनपद स्थित सिनेमा गृहों से कुल 18,68,467 रु0 की राशि सरकार को मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त हुई ।

जिला लखनऊ में भूमिहीनों को ऊसर जमीन का आवंटन

69--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1981-82 में जिला लखनऊ में भूमिहीनों (निर्बल वर्ग) को कितनी ऊसर जमीन आवंटित की गई है और उसके सुधार हेतु सरकार ने उनको अब तक कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान कीं और उनसे कितने लोग लाभान्वित हुए ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1981-82 में जिला लखनऊ में भूमिहीनों (निर्बल वर्ग) को कोई ऊसर जमीन आवंटित नहीं की गई है । अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर की अवश्यकता नहीं रह जाती है ।

ग्राम शिवपुर निवासी श्री बलई पाल के घर बज्रघात की घटना तथा राहत कार्य हेतु आर्थिक सहायता

70--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के अन्तर्गत ग्राम शिवपुर निवासी श्री बलई पाल के घर पर दिनांक 14-4-82 को बज्रघात हुआ था जिसने उनका आधा मकान क्षतिग्रस्त हो गया और आठ बकरियां मर गईं ? यदि हां, तो उस दैवी आपदा से राहत हेतु क्या उन्हें कोई आर्थिक सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जौनपुर जिले की तहसील केराकत में दिनांक 14-4-82 को बज्रघात की घटना नहीं हुई थी बल्कि दिनांक 24-3-83 को श्री बलई पाल पुत्र मुखई निवासी नवाबाद जंगल शिवपुर के मकान पर बज्रघात हुआ था जिसके कारण एक मड़हा तथा एक कच्चे मकान का चौथाई अंश क्षतिग्रस्त हुआ, छः दूध देने वाली बकरियां तथा 6 माह की आयु के 12 बकरी के बच्चे मर गये थे ।

उपरोक्त श्री बलई पाल को 200 रु0 गृह अनुदान तथा 250 रु0 अहेतुक सहायता वितरित किया गया ।

सई व गोमती नदियों की बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामों को मालगुजारी में छूट दिये जाने का प्रस्ताव

71--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को मालूम है कि वर्ष 81 में सई, गोमती नदियों की भीषण बाढ़ से हुई क्षति के कारण सरकार द्वारा घोषित मालगुजारी की छूट का लाभ जनपद जौनपुर के कृषकों को अभी तक नहीं मिला ? यदि हां, तो क्या किसानों की क्षति को देखते हुए सरकार उन्हें तत्काल मालगुजारी से मुक्ति दिलायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1980 में सई व गोमती नदियों में बाढ़ से जौनपुर जिले के कृषकों को पहुंची हानि के कारण खरीफ 1388 फसली को देव मालगुजारी में छूट दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

बिक्री कर कार्यालयों में कर निर्धारण आदेशों में बैकडेटिंग रोकने के लिये दिये गये निर्देश

72--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, बिक्री कर ने परिपत्र संख्या 1706, दिनांक 17 अप्रैल, 1979 जारी कर बिक्री कर कार्यालय में कर निर्धारण आदेशों में बैक डेटिंग रोकने की प्रथा की दृष्टि से पंजी र-5 (स) रखने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो बिक्री कर कार्यालय बदायूं में पंजी र-5 (स) उसी क्रम में रखी गई थी ? यदि नहीं, तो माह अप्रैल, मई एवं जून, 1979 में पंजी र-5 (स) न रखकर श्री अशोक चन्द्र बाजपेयी, बिक्री कर अधिकारी, बदायूं के समय में कौन-कौन से व्यापारियों के कर निर्धारण आदेशों में बैक डेटिंग हुआ ? इस मामले में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आयुक्त बिक्रीकर के आदेशों की अवहेलना करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

परिपत्र संख्या 1706, दिनांक 17 अप्रैल, 1979 द्वारा बिक्रीकर कार्यालयों में कर निर्धारण आदेशों में बैकडेटिंग रोकने के लिए पंजी र-5 (स) रखने के निर्देश दिये गये थे । बिक्रीकर कार्यालय बदायूं में पंजी र-5 (स) 16-7-80 के पूर्व निर्धारित पद्धति में नहीं रखी गई, परन्तु श्री अशोक चन्द्र बाजपेयी, बिक्रीकर अधिकारी (बदायूं) द्वारा 16 अप्रैल से 16 मई, 1979 तक कोई कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किये गये । 16 मई, 1979 से 8 जून, 1979 तक श्री बाजपेयी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों में बैक डेटिंग की गई नहीं पाई गई । इस अवधि का आडिट भी किया जा चुका है । दिनांक 8 जून, 1979 के पश्चात् बदायूं से श्री अशोक चन्द्र बाजपेयी का स्थानान्तरण हो गया था ।

इस सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

73--श्री राम लाल वर्मा--

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया सदर तहसील के लेखपालों की सेवा समाप्ति तथा नये लेखपालों की नियुक्ति व दिया गया चार्ज

74--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया सदर तहसील के कितने लेखपालों को वर्ष 1981 में सेवा से निकाला गया था व उनकी जगहों पर कितने लेखपाल नियुक्त किये गये थे तथा उन नये नियुक्त लेखपालों में से कितने लेखपालों को डेढ़ साल उपरान्त भी बस्ते व कागजात का चार्ज नहीं दे पाया है और उन्हें कब तक पूरा-पूरा चार्ज दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्नगत तहसील में 28 लेखपाल अप्रशिक्षित होने के कारण सेवा से निकाले गये। उनके स्थान पर 28 प्रशिक्षित लेखपाल नियुक्त किये गये। इन 28 लेखपालों में से 23 लेखपालों को चार्ज दे दिया गया है, शेष 5 लेखपालों को पूरे कागजात का चार्ज नहीं दिया जा सका है, क्योंकि इनके स्थान पर पूर्व नियुक्त अप्रशिक्षित लेखपाल अपना बस्ता लेकर भागे हुए हैं। इनके विरुद्ध थाने में प्राथमिक सूचना दर्ज करा दी गई है। दाखिलाशुदा जिल्द बन्दोबस्त से खतौनी, खसरा की प्रतिलिपि तैयार कराकर इन पांचों प्रशिक्षित लेखपालों से सरकारी कार्य लिया जा रहा है।

परगनाधिकारी/जिला अधिकारियों को राजस्व एवं अन्य मुकदमों के निस्तारण हेतु दिये गये निर्देश

75--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जिलों में तैनात परगनाधिकारियों, जिला अधिकारियों को राजस्व एवं अन्य मामले से सम्बन्धित मुकदमों के त्वरित निबटारे हेतु अपने-अपने कार्यालयों में सप्ताह के किन-किन दिनों को निश्चित रूप से (विशेष परिस्थितियों तथा बाढ़, आगजनी दंगा के हालतों को छोड़ कर) बैठने के आदेश शासन द्वारा दिये जा रहे हैं जिससे दूर-दराज से आने वाले व्यक्ति मुकदमों के दौरान होने वाले समय व धन के अपव्यय से बच सकें और नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

शासन द्वारा ऐसे कोई आदेश नहीं भेजे जा रहे हैं कि परगनाधिकारी, जिला अधिकारीगण राजस्व एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित मुकदमों के निबटारे हेतु अपने-अपने कार्यालयों में सप्ताह में किन-किन दिनों निश्चित रूप से बैठें। वादकारी जनता का समय तथा धन का अपव्यय न हो, इसको ध्यान में रखते हुये इस आशय के आदेश पहले से ही हैं कि राजस्व वादों का निस्तारण त्वरित किया जाय। परगनाधिकारियों के लिए निर्देश हैं कि वे सप्ताह में तीन-चार दिन केवल राजस्व वादों का निस्तारण करें जिससे वादों का निस्तारण शीघ्र हो सके एवं स्थगन की तिथियों में कमी हो।

बदायूं जिले में भू0 पू0 तथा वर्तमान विधायकों, सांसदों एवं मन्त्रियों पर बकाया वृत्ति कर वसूल करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

76--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि ता0 1-1-1982 को बदायूं जिले में भू0 पू0 तथा वर्तमान विधायकों, सांसदों एवं मन्त्रियों पर वृत्ति कर का बकाया था और प्रयत्न करने पर भी वसूल नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन लोगों के विरुद्ध कितना बकाया है तथा बकाया वसूल करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

दिनांक 1-1-82 को बदायूं जिले में केवल श्री फखरे आलम वर्तमान विधायक पर वृत्तिकर का कुल 240 रु0 बकाया था। उक्त बकाया

की वसूली करने हेतु कलेक्टर, बदायूं को वसूली प्रमाण--पत्र दिनांक 10--11--80 को भेजा जा चुका है । श्री फखरे आलम, विधायक को भी पत्र भेज कर शीघ्र भुगतान करने का निवेदन किया गया है ।

कोषागार लिपिक, श्री अनिल कुमार सिंह की नियुक्ति एवं देय वेतन

77--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि कोषाधिकारी, हरदोई ने अपने साले (श्री अनिल कुमार सिंह) की कोषागार लिपिक के पद पर दिनांक 24--5--82 से नियुक्ति की ? यदि हां, तो उन्हें दिनांक 10--5--82 से किस आधार पर वेतन दिया गया ? क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर नियुक्ति अधिकारी/आहरण अधिकारी को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

कोषागार लिपिक के पद पर नियुक्ति दिनांक 24--5--82 को नहीं बल्कि 10--5--82 से की गयी । अतः 10--5--82 से ही वेतन दिया गया ।

मामले की जांच जनपद के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांच में उक्त नियुक्ति की तिथि 10--5--82 ही पायी गयी । अतः नियुक्ति अधिकारी/आहरण अधिकारी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा में लेखपालों की प्रोन्नति

78--श्री धनीराम वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जनपद में वर्ष 1980 से दिनांक 31--8--82 तक कितने लेखपालों की प्रोन्नति की गयी है ? क्या प्रोन्नति करते समय हरिजन आरक्षण का ध्यान रखा गया है ? यदि हां, तो कितने हरिजन लेखपालों की प्रोन्नति की गयी है ? उसका प्रतिशत क्या है ? यदि आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद इटावा में वर्ष 1980 से 31 अगस्त, 1982 तक 9 लेखपालों की प्रोन्नति की गयी है । 9 प्रोन्नत लेखपालों में हरिजन लेखपालों की संख्या 2 है । उनकी प्रोन्नति का प्रतिशत 22.22 है । इस प्रकार प्रोन्नति के समय आरक्षण का ध्यान रखा गया है ।

चीनी मिल सिसवा बाजार, गोरखपुर के आरक्षित क्षेत्र का कतिपय मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

79--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल सिसवा बाजार (गोरखपुर) आरक्षित क्षेत्र का जो गन्ना गत पेराई सत्र में शुगर मिल कप्तानगंज, धुधली, लक्ष्मीगंज रामकोला इत्यादि मिलों को दिया गया है उनका भुगतान उक्त मिलों ने गन्ना सहकारी समिति, सिसवा बाजार को कर दिया है ? यदि हां, तो या उक्त धनराशि किसानों को दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सिसवा बाजार चीनी मिल (जनपद गोरखपुर) के आरक्षित क्षेत्र का कुल गन्ना (मात्रा) 8.50 लाख कुन्टल निकटस्थ 9 अन्य मिलों को व्यावर्तित किया गया था। दिनांक 31-12-82 तक की स्थिति के अनुसार मिलों द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य 175.93 लाख रु0 में से 164.27 लाख रुपया गन्ना समिति सिसवा बाजार को दे दिया गया है तथा 11.66 लाख रुपया अवशेष है जिसके भुगतान का प्रयास किया जा रहा है। उक्त धनराशि में से समिति द्वारा 153.90 लाख रु0 का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है।

गन्ना समिति, सिसवा बाजार, जनपद गोरखपुर में गन्ना मूल्य का दुरुपयोग व वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें

80—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या यह सच है कि गन्ना समिति के अधिकारियों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान हेतु गन्ना मूल्य का दुरुपयोग व वित्तीय अनियमितता आदि सम्बन्धी कुछ शिकायतें उक्त गन्ना समिति के सदस्यों द्वारा 26-8-82, 13-7-82 तथा अन्य विभिन्न तारीखों में दी गई हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां।

गन्ना समिति सिसवा बाजार, जनपद गोरखपुर के सत्र 1981-82 के गन्ना आपूर्ति, गन्ना मूल्य भुगतान एवं अन्य वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में उक्त समिति क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायत पर जांच कराई गई। जांच के दौरान दोषी कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। दोषी सामयिक कर्मचारियों को गन्ना समिति की सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

81—श्री हरदेव—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गाजीपुर जनपद में गन्ने का क्षेत्रफल तथा कृषकों को दी गई सुविधायें

82—श्री राम नरायन सिंह एडवोकेट तथा श्री यदुनाथ सिंह—

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में वर्ष 1981-82 में गन्ना की खेती कितने रकबा में की गयी थी तथा गन्ना विभाग द्वारा कृषकों को कौन सी सुविधा दी गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

गाजीपुर जनपद में वर्ष 1981-82 में गन्ना का क्षेत्रफल 9,235 हेक्टेयर (अन्तिम सर्वेक्षण के आधार पर) था। वर्ष 1981-82 में विभाग द्वारा इस जनपद के गन्ना कृषकों को दी गयी वित्तीय एवं भौतिक सुविधाओं का विवरण संलग्न है।

†(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 188 पर।)

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों हेतु जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर विचार

83--श्री रामचरण सिंह--

प्रथम सत्र 1982 के 6ठें शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा संशोधित प्रस्ताव तैयार हो गया ? यदि हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां। वर्ष 1979-80 में खरीफ व रबी फसलों को क्षति के कारण 1387 फसली में भीषण सूखे के कारण 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक भू-राजस्व में अन्तिम छूट का संशोधित प्रस्ताव जिलाधिकारी, मिर्जापुर से सचिव, राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को माह जुलाई, 1982 में प्राप्त हो गया है, जिसमें खरीफ 1387 फ0 में जनपद के कुल 3382 ग्रामों की मालगुजारी में रु0 19,86,263.96 की छूट का प्रस्ताव था तथा रबी 1387 फ0 में जनपद के कुल 3399 ग्रामों की मालगुजारी में रु0 30,10,125.52 की छूट का प्रस्ताव था। उक्त प्रस्तावों पर अभी शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

प्रदेश में तहसीलों के पुनगठन पर विचार

84--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तहसीलों के गांवों का पुनर्गठन करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तहसीलों के पुनर्गठन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रदेश में तहसीलों के पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु शासन द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है। उक्त समिति को 30-6-83 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।

कानपुर रोड, लखनऊ की ग्रेजुवेट इंजीनियर्स फर्म पर बिक्रीकर बकाया की वसूली के लिये नीलामी

85--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर रोड, लखनऊ की एक फर्म ग्रेजुवेट इंजीनियर्स को बिक्री कर बकाया की वसूली के लिये नीलामी की तारीख 15-7-82 लगी थी ? यदि हां, तो यह बकाया किन-किन सालों का था और इसमें कितना स्वीकृत कर था ? क्या उक्त फर्म के विरुद्ध धारा 14 व 15 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हां, फर्म की सम्पत्ति की नीलामी हेतु दिनांक 15-7-82 निश्चित की गई थी। व्यापारी पर वर्ष 1977-78 प्रान्तीय एवं केन्द्रीय के लिए क्रमशः 15,613

13,925 रु0 बकाया है । स्वीकृत कर सब जमा हो चुका है, अतः उक्त बकाया में उसका कोई अंश शामिल नहीं है । वर्ष 1977–78 के लिये धारा 15 के अन्तर्गत 1650 रु0 अर्थदंड आरोपित किया गया था । धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

36—श्री यदुनाथ सिंह—

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों में नियमितीकरण की कार्यवाही

87—श्री बिहारी लाल—

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों में 62, 1/2 नाली से कम काश्तकारों के सिलसिले की भूमि के नियमितीकरण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ? क्या नियमितीकरण की कार्यवाही पूरी होने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील—

आयुक्त, कुमायूं मंडल के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद नैनीताल में 675, जनपद पिथौरागढ़ में 2056 तथा जनपद अल्मोड़ा में 16 मामलों में नियमितीकरण किया जा चुका है । शेष मामलों में वन (संरक्षण) अध्यादेश 1980 जो अब अधिनियम बन चुका है, के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में नियमितीकरण की कार्यवाही विचाराधीन है ।

स्ट्रांग फार्म, खटीमा में कथित चकबन्दी कार्य

88—श्री बिहारी लाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्ट्रांग फार्म खटीमा में जो चकबन्दी वर्ष 1981–82 में परगना अधिकारी खटीमा द्वारा की गई थी उसमें स्ट्रांग फार्म की कुल कितनी जमीन थी एवं चकबन्दी के बाद बकाया भूमि किन–किन व्यक्तियों को कितनी–कितनी आबंटित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बजनाथ कुरील—

वर्ष 1981–82 में तहसील खटीमा जिसमें स्ट्रांग फार्म स्थित है, में चकबन्दी का कोई कार्य नहीं हुआ । परगनाधिकारी द्वारा चकबन्दी का कार्य नहीं कराया जाता है क्योंकि इस कार्य के लिये अलग चकबन्दी विभाग है । उक्त फार्म के सम्बन्ध में सीलिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी और नियत प्राधिकारी/परगनाधिकारी द्वारा 56.46 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी । सिविल जज, नैनीताल ने नियत प्राधिकारी के उक्त आदेश को रद्द कर दिया और स्ट्रांग फार्म की कोई भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुई । उक्त स्थिति में अतिरिक्त घोषित भूमि के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

सीलिंग सम्बन्धी समस्याओं के निस्तारण हेतु परगना अधिकारी खटीमा को दिये गये आदेश

89--श्री बिहारी लाल--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा भूमि चकबन्दी के सम्बन्ध में जो आदेश जिलाधिकारी को पृष्ठांकित किए गये थे उसमें यह अपेक्षा की गई थी कि माह के प्रत्येक प्रथम शनिवार को क्षेत्र विधायक के साथ सीलिंग एवं चकबन्दी भूमि सम्बन्धी समस्याओं का निस्तारण करने हेतु परगना अधिकारी अपने क्षेत्रीय विधायक के परामर्श से क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम बनावे ? यदि हां, तो विधायक के साथ परगना अधिकारी खटीमा ने कितने दौरे बनाये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंजनाथ कुरील--

शासनादेश संख्या 10-3-57(15)/80-462/80-रा0-2, दिनांक 2-4-1981 के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा सितम्बर, 1982 तक माननीय सदस्य को पर्याप्त सूचना दिए जाने के उपरान्त भी वह उपलब्ध न हो सके और परिणामस्वरूप संयुक्त निरीक्षण सम्भव नहीं हो सका । माह अक्तूबर-नवम्बर तथा दिसम्बर, 1982 में क्षेत्रीय विधायक के उपलब्ध होने पर उनके साथ परगनाधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया । उक्त शासनादेश में चकबन्दी की कोई चर्चा नहीं है ।

बिक्री कर विभाग में विभागीय तथा सीधी भर्ती वाले बिक्री कर अधिकारियों की पदोन्नति

90--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर विभाग में विभागीय बिक्रीकर अधिकारियों श्रेणी-2 और सीधी भर्ती वाले बिक्रीकर अधिकारियों श्रेणी-2 की पदोन्नति एक साथ होती आयी है ? यदि हां, तब माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 1982 में पदोन्नति एक साथ क्यों नहीं हुयी और अब विभागीय अधिकारियों श्रेणी-2 के पदोन्नति कब तक होगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

बिक्रीकर सेवा नियमावली में प्रावधान है कि पदोन्नत बिक्रीकर अधिकारियों के रिक्त पदों का स्थायी सहायक बिक्रीकर अधिकारियों (बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2) में से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा । अतः वर्ष 1982 में जो पदोन्नति द्वारा स्थान भरे गये हैं वह नियमानुसार स्थायी बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 से पदोन्नति करके भरे गये हैं । विभागीय बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 जब विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित होकर स्थायी घोषित हो जायेंगे उन्हें भी बिक्रीकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में रखा जायेगा ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियांव, जनपद आजमगढ़ के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु विचार

91—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंग कि क्या यह सही है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए विज्ञापन एवं साक्षात्कार नहीं कराया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

विधान सभा प्रथम सत्र, 1982 के दूसरे शुक्रवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 32 तथा उसके क्रम में विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले शुक्रवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 74 जिन पदोन्नतियों के सम्बन्ध में पूछे गये थे, जिलाधिकारी ने अपने विवेक से उनको निरस्त करना उचित समझा था क्योंकि कुछ व्यक्तियों को ज्येष्ठ न होते हुये भी उच्चतर पदों पर नियुक्त कर दिया गया था और उन नियुक्तियों के लिये न तो जिलाधिकारी का अनुमोदन ही लिया गया था और न विज्ञापन एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाकर कोई खुला चयन ही किया गया था। इसी चीनी मिल के नियमों में कोई भी पद केवल पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिये आरक्षित नहीं है। अतः पदोन्नतियों के लिये विज्ञापन एवं साक्षात्कार करने का कोई प्राविधान उसके नियमों में होने का प्रश्न नहीं उठता। सहकारी चीनी मिल संघ को परामर्श दे दिया गया है कि वे इस विषय पर कोई उपयुक्त नीति बनाने पर विचार कर लें।

परगनाधिकारी सदर, गोरखपुर में लेखपालों की नियुक्ति रद्द करने का कथित आदेश

92—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के सदर तहसील में जनवरी, 1982 में परगनाधिकारी सदर, गोरखपुर ने जिन 40 लेखपालों की नियुक्ति रद्द कर दी थी उन्हें मई, 1982 में पुनः नियुक्त कर लिया ? यदि हां, तो इसका औचित्य व कारण क्या था ?

श्री बंजनाथ कुरील—

जनपद गोरखपुर, तहसील सदर के परगनाधिकारी ने ऐसा कोई आदेश माह जनवरी, 1982 में पारित नहीं किया है अतएव कथित पुनर्नियुक्ति का औचित्य व कारण बताने का प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने हेतु चकबन्दी विभाग में प्रशिक्षण

93—श्रीमती गौरी देवी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु "हाफ मिलीयन जाब कार्यक्रम" योजना 1973-74 के परिपालन में चकबन्दी निदेशालय ने अपने विभाग के सम्बन्ध में पत्रांक संख्या 2047-जी0

एस0 610 (1) व 72, दिनांक 21 मार्च, 1974 द्वारा शासन को कोई सूचना भेजी थी ? यदि हां, तो यह सूचना क्य थी और जून, 1982 तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया तथा शेष बेरोजगार व्यक्तियों को कब तक रोजगार दे दिया जाएगा ?

श्री बैजनाथ कुरील--

चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1974 द्वारा [21-3-74 द्वारा नहीं] शासन को यह सूचित किया गया था । शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में 2043 हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट पास बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को चकबन्दी विभाग में चकबन्दी लेखपाल के पद पर चकबन्दी अभिलेखों की तैयारी के कार्य का प्रशिक्षण दिया गया था । शासनादेश दिनांक 30 सितम्बर, 1974 द्वारा चकबन्दी अधिष्ठान में किसी भी पद पर नए व्यक्तियों की भर्ती रोक दी गई । वर्ष 1975-76 म चकबन्दी अधिष्ठान में होने वाले व्यय को सीमित रखने के कारण 2000 कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ी ।

94-श्रीमती गौरी देवी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में तहसीलों के पुनर्गठन हेतु समिति का गठन

95-श्रीमती गौरी देदी--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश को बड़ी तहसीलों के पुनर्गठन के लिए उन्हें कई भागों में विभक्त किया जायगा ? यदि हां, तो क्या गोरखपर जिले की बांसगांव तहसील दो भागों में विभक्त होगी ? यदि हां, तो विभाजन की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रदेश में तहसीलों के पुनर्गठन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु शासन द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 18 मई, 1982 को एक समिति का गठन किया जा चुका है । उक्त समिति को 30-6-1983 तक अपनी संस्तुति देने के लिए समय दिया गया है ।

जनपद जालौन के सुनायां ग्राम के धनीराम काछी तथा बीने कुम्हार को भूमि का कथित आवंटन

96--श्री शंकर सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करगे कि जालौन जनपद की कोंच तहसील के सुनाया ग्राम के धनीराम काछी नामक एक खेतिहर भूमिहीन मजदूर को भूमि आवंटन के लिए सुपात्र नहीं माना गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री धनी राम पुत्र बदल ग्राम सुनाया भूमि आवंटन के लिए जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 198 (1) में प्राविधानित प्राथमिकता हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं ।

97–श्री शंकर सिंह --

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के सुनाया ग्राम के दीने कुम्हार को भूमि आवंटन हेतु सुपात्र नहीं माना गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैंज नाथ कुरील--

जी हां ।

जांचोपरान्त पाया गया कि श्री दीने पुत्र धनी राम कुम्हार, ग्राम सुनाया ग्रामीण दस्तकार है और उसे इसके लिए उद्योग ऋण भी मिला है वह भूमिहीन खेतिहर मजदूर की श्रेणी में नहीं आता है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में बकाया सम्परीक्षा शुल्क

98–श्री राम आसरे वर्मा--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ पर वर्ष 1959–60 से लेकर 1979–80 तक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश का आडिट फीस की मद में बकाया रु0 32,244·78 पैसे की धनराशि की वसूली हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि स्कूल ने कब जमा की ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्य-वाही की ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी नहीं ।

सम्परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु निरन्तर पत्रों एवं अधियाचनों के भेजने के बावजूद भी संस्था द्वारा सम्परीक्षा शुल्क अभी तक नहीं जमा किया गया है । इस सम्बन्ध में निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश को शासन तथा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा विभाग द्वारा लिखा जा चुका है । संस्था ने अपने पत्र दिनांक 5–2–88 द्वारा निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग से सम्परीक्षा शुल्क के बकाए की धनराशि के बराबर अनुदान की मांग की है । क्योंकि उनके कथनानुसार बकाया सम्परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं ।

सिकारी ग्राम सभा के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़क पर अनधिकृत कब्जा के विरुद्ध शिकायती पत्र

99–श्री राम आसरे पासवान--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सीता राम आदि हरिजन निवासी, ग्राम सिकारी तप्पाकरी, परगना मझौलीपूरन, तहसील खलीलाबाद, जनपद बस्ती ने अपने सिकरी ग्राम सभा के अन्तगत गांव समाज की आबादी और खाद्यान्न योजनान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक सड़क पर अनाधिकार कब्जा दखल श्री झिनकू रामनयन, ठाकुर राम जतन, गनपत आदि ग्रामवासी द्वारा करने के सम्बन्ध में सन् 1982 में परगनाधिकारी महोदय तहसील खलीलाबाद, जनपद बस्ती को कोई शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां ।

सम्बन्धित अतिक्रमण कर्ताओं के विरुद्ध जांचोपरान्त तहसीलदार/एसिस्टेन्ट कलेक्टर, खलीलाबाद के न्यायालय में धारा 122 बी/नियम 115 सी जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन हैं ।

जिला निबन्धक, गोरखपुर द्वारा निबन्धक लिपिकों की नियुक्ति में अनियमितता की जांच

100--श्रीमती गौरी देवी--

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि सितम्बर 82 में जिला निबन्धक, गोरखपुर द्वार क्या निबन्धन लिपिकां की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई है ? लिखित परीक्षा नहीं ली गयी और साक्षात्कार ही लेकर नियुक्ति कर दी गई जबकि परीक्षा लेना अनिवार्य था ? यदि हां, तो इन अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करके दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही व जांच कराई जायगी ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी नहीं । ये नियुक्तियां अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 1979 के अनुसार की गई, जिसमें लिखित परीक्षा लिये जाने का प्राविधान नहीं है । अतः नियुक्तियों को निरस्त करके दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्रीकर आयुक्त, श्री हरीश चन्द्र सक्सेना के विरुद्ध घूस लेने संबंधी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

101--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले शुक्रवार दिनांक 20-8-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 134 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दी में लिखी शिकायत माननीय मुख्य मंत्री जी के पास गई थी और पिटीशन अधिकारी ने अपने पत्र संख्या नं0 3968/34-59, दिनांक 7-7-59 से वित्त सचिव को भेज दिया ? वित्त मंत्री के वैयक्तिक सहायक श्री आर0 पी0 अग्रवाल ने अपने पत्र दिनांक 27-10-65 के द्वारा स्वीकार किया कि शिकायत शासन में आ गई है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्री वार्ष्णेय की एक शिकायत पिटीशन अधिकारी के पत्र संख्या-3968(1)/34-59, दिनांक 3-7-59 द्वारा सचिव वित्त विभाग को भेजी गई थी ।

102--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री जी यह भी कृपया बतयेंगे कि जुलाई, 1959 में श्री सक्सेना के सेवा निवर्तन होने तक क्या कार्यवाही की और कौन लोग हेरा-फेरी के लिए जिम्मेदार हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्री सक्सेना के विरुद्ध कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई । अतः किसी की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी मिल धुघली, गोरखपुर में गोलमाल क, जांच तथा रिसीवर के खिलाफ फर्जी भुगतान का आरोप

103--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिसीवर के नियन्त्रण में चलने वाली चीनी मिल धुघली (गोरखपुर) चूना भट्ठी में लाखों रुपया के गोल माल सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र श्री आत्म प्रकाश द्विवेदी, मंत्री चीनी मिल मजदूर यूनियन ने दिनांक 22-5-82 को जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिया ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्री आत्म प्रकाश द्विवेदी, मंत्री चीनी मिल मजदूर यूनियन ने दिनांक 22-5-82 का एक शिकायती पत्र दिया था जिसमें चूना भट्ठी के बारे में शिकायत की गई थी । उक्त शिकायत की जांच की गई और उसे निराधार पाया गया ।

104--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मिल के रिसीवर के खिलाफ अपने रिश्तेदार को फर्जी भुगतान करने के सम्बन्ध में भी श्री द्विवेदी ने कोई शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, गोरखपुर को 6-8-82 को दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तत्काल क्या कार्यवाही की गई ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्री द्विवेदी ने एक पत्र दिनांक 6-8-82 का इस आशय से दिया था कि श्री अयोध्या प्रसाद नामक व्यक्ति को 1,540·00 रु0 का फर्जी भुगतान किया गया है । इस मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि शिकायत सही नहीं है और सही भुगतान किया गया है ।

105--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गांव कमला, विकास क्षेत्र, चिनहट में हरिजनों को आवंटित भूमि पर अनधिकृत कब्जा

106--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव कमला, वि0 क्षेत्र, चिनहट (लखनऊ) में जो भूमि हरिजनों को आवंटित की गई थी उस पर कोई व्यक्ति शीत गृह बनवा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और इस विषय में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है तथा क्या यह भी सच है कि उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में 2,000 रु0 जुर्माना भी सम्बन्धित व्यक्ति पर हो चुका है ? यदि हां, तो क्या जुर्माना धनराशि की वसूली की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जो नहीं। कोल्ड स्टोरेज खसरा नं0 357/1-1-0 पर बना है। यह भूखंड श्री राकेश गुप्ता पुत्र श्री हुकुम चन्द्र गुप्ता, निवासी 23, अशोक मार्ग, लखनऊ के नाम दर्ज है। कोल्ड स्टोरेज के सामने उत्तर तरफ फैजाबाद रोड से लगा हुआ भूखंड संख्या 351/1-3-0 ग्राम समाज का ऊसर है जिस पर श्री हुकुम चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री हर विलास का अनधिकार कब्जा है। यह पूरा भूखंड कोल्ड स्टोरेज की बाउन्ड्री के अन्दर है। अवैध कब्जे के आरोप में तहसीलदार, लखनऊ के न्यायालय में धारा 115-डी जमींनदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की कार्यवाही हुकुम चन्द्र गुप्ता के विरुद्ध चली थी तथा उन पर 2,000 रु0 हरजाना आरोपित किया गया था किन्तु अतिरिक्त आयुक्त, लखनऊ महोदय के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण हर्जाना की वसूली नहीं हो सकी।

107--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ओला पीड़ित मद में जनपद गाजीपुर को दी गई धनराशि

108--श्री राम नरायन सिंह एडवोकेट--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में सरकार द्वारा ओला पीड़ित मद में कितनी धनराशि गाजीपुर जनपद को दी गई है तथा किन-किन मदों में कहां खर्च किया गया है? क्या सरकार सम्बन्धित खर्चे का अडिट करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद गाजीपुर को वर्ष 1981-82 में सरकार द्वारा ओला पीड़ित मद में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। अतः इस सम्बन्ध में व्यय के अडिट कराने का प्रश्न नहीं उठता।

109--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत का विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यकाल तथा क्षेत्रीय कार्यालय में कर्मचारियों का वेतन भुगतान

110--श्री मोहन सिंह--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मुख्य-लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभागाध्यक्ष के पद पर गत 1972 से लगातार पदासीन हैं? यदि हां, तो क्यों और कैसे?

श्री ब्रह्मदत्त--

श्री के० डी० श्रीवास्तव की मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश के विभागाध्यक्ष के पद पर अक्तूबर, 1972 में नियुक्ति हुई थी। चूंकि उक्त पद "उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा" संवर्ग के अन्तर्गत आता है और इस सेवा संवर्ग इसके समकक्ष अन्य कोई पद नहीं है अतः श्री श्रीवास्तव के किसी अन्य संवर्गीय पद पर स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं था। फलस्वरूप श्री के० डी० श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष के पद पर स्थायी होकर 1982 तक कार्यरत रहे। अब इनकी नियुक्ति शासन द्वारा उप सचिव के पद पर की गई है तथा इस पद पर उन्होंने 29 दिसम्बर, 1982 को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। 29 दिसम्बर, 1982 से ही विभागाध्यक्ष पद पर श्री सैय्यद हिदायत हुसैन नियुक्त कर दिए गए हैं।

1 11—श्रीम ोहन सिंह—

क्या वित मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में कितने कर्मचारियों का गत अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1981 तथा जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, 1982 का वेतन भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है? विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई?

श्री ब्रह्मदत्त—

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में किसी कर्मचारी का माह अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1981 तथा जनवरी, फरवरी, मार्च व अप्रैल, 1982 के वेतन भत्तों का भुगतान नहीं रुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

खड्डा (पडरौना) गन्ना समिति के सी० डी० आई० एम0 श्री भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

112—श्री मोहन सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपया करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने मई, 1982 में खड्डा (पडरौना) गन्ना समिति के सी० डी० आई० एम० श्री भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध उन्हें कोई शिकायती-पत्र लिखा था जिस पर विभागीय जांच चल रही है? यदि हां, तो क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आए तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हां। सी० डी० आई० एम० श्री भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर विभागीय जांच कराने पर उनके विरुद्ध आरोप निराधार पाये गए। फिर भी सिंह का खड्डा गन्ना समिति से बस्ती जनपद में स्थानान्तरण कर दिया गया है।

डा० एस० एन० राय, तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

113—श्री मोहन सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि बी० एन० बाजपेयी, संयोजक यू० पी० केन यूनियन इम्पलाईज फेडरेशन, लखीमपुर ने डा० एस० एन० राय, तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर के विरुद्ध 21-10-79 को कोई शिकायती-पत्र जिसमें दिनांक 12-2-79 से 15-2-79 तक फर्जी टी० ए० बिलों और जोप से निजी यात्रा करके सरकारी यात्रा दिखाने का आरोप दिय

था ? इस सन्दर्भ में हुई जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आए और उन तथ्यों की रोशनी में विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्री बो० एन० बाजपेयी, संयोजक, यू० पी० केन यूनियन इम्पलाइज फेडरेशन, लखीमपुर का डा० एस० एन० राय, तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र दिनांक 21-10-79 शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। इसी विषय पर अन्य तिथियों के शिकायती-पत्रों की जांच के परिणामस्वरूप ये तथ्य प्रकाश में आया कि श्री बाजपेयी ने डा० राय के विरुद्ध कई शिकायतें की थीं, जिस में 12-2-79 से 15-2-79 के बीच फर्जी टी० ए० प्राप्त करने एवं जीप के निजी प्रयोग की बात कही गई थी, परन्तु जांच में यह सही नहीं पाया गया है कि दिनांक 12-2-79 से 15-2-79 तक फर्जी टी० ए० बिल डा० राय ने प्राप्त किया है। जीप द्वारा की गई निजी यात्रा मद में हुए पेट्रोल के खर्च का भुगतान उन्होंने अपने पास से किया था।

114--श्री पंचानन राय--

[दिनांक 18-9-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित]

ग्राम महदेवा बुजुर्ग, जिला बस्ती में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

115--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद में तहसील नौगढ़ में स्थित ग्राम महदेवा बुजुर्ग में ग्राम समाज की कितनी भूमि है तथा इस भूमि पर किसका कब्जा है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम समाज की भूमि का उक्त ग्राम के सभापति ने अनियमित ढंग से ऐसे लोगों को पट्टा लिख दिया है जो नियमों की परिधि में नहीं आते हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम समाज की भूमि पर अनियमित कब्जा की जांच कराकर सम्बन्धित पट्टों को निरस्त करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम महदेवा बुजुर्ग, तप्पा-नकसौली, परगना व तहसील नौगढ़, जिला बस्ती में कुल 74-19-13 भूमि ग्राम समाज की है। उसमें से 2-15-3 पर ग्राम के कुल 29 व्यक्तियों ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है शेष 72-4-10 भूमि पर ग्राम समाज का कब्जा है। यह सही है कि अनाधिकृत कब्जा करने वालों में से 9 व्यक्तियों को ग्राम के भूतपूर्व प्रधान ने पट्टा करने का प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर पर किया है किन्तु प्रस्ताव परगनाधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है। अनाधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा जांच कराई गई है और अनाधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध ज० वि० अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

116--श्री पंचानन राय--

[दिनांक 20-8-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के द्वारा उत्तरित]

117--श्री पंचानन राय--

[दिनांक 5-3-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 50 द्वारा उत्तरित]

118—श्री पंचानन राय—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

अजमतगढ़ स्टेट के मेहनाजपुर फार्म की नीलामी तथा कब्जा

119—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में अजमतगढ़ स्टेट बैंक के मेहनाजपुर फार्म से लगभग 54 एकड़ जमीन शासन के आदेश से 25-6-68 को नीलाम की गयी तथा नीलाम के विरुद्ध मूल खातेदार श्री इन्द्रभूषण गुप्त की याचिका उच्च न्यायालय ने 29-11-79 को खारिज कर दिया था ? यदि हां, तो क्या नीलाम में भूमि खरीदने वालों को खरीदी गयी भूमि का कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें कब तक कब्जा दे दिया जायगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित अजमतगढ़ स्टेट के मेहनाजपुर फार्म की 54·984 एकड़ भूमि दिनांक 25-6-68 को नीलाम की गई थी। नीलाम के विरुद्ध खातेदार श्री इन्द्रभूषण गुप्त की याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29-11-79 को खारिज कर दी गई। नीलाम में खरीदी गई भूमि पर खरीदने वालों को कब्जा वर्ष 1972 में ही दे दिया गया था।

120—श्री पंचानन राय—

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम मलौली, जिला बाराबंकी में सीलिंग से प्राप्त भूमि का आबंटन

121—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम डेटुआ मजरे मलौली, परगना रामनगर (तहसील फतेहपुर) जिला बाराबंकी में सीलिंग से निकली कुछ जमीन का बंटवारा किसने और किस प्रकार हुआ ? क्या शासन जमीन पाने वाले के नाम, पिता का नाम तथा ग्राम बताने का कष्ट करेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम मलौली में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत 6 बी0 10 वि0 4 वि0 भूमि अतिरिक्त घोषित हुई जिसमें से 4 बी0 16 वि0 भूमि अकृषिक है। शेष 6 बी0 5 बि0 8 बि0 भूमि का आबंटन ग्राम प्रधान की संस्तुति के आधार पर परगनाधिकारी द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को किया गया :—

	बी0	बि0	बि0
(1) बृज लाल पुत्र रामसरन, निवासी डेटुआ मजरे मलौली	1	16	14
(2) दयाराम पुत्र पंचम, निवासी मलौली	0	18	06
(3) भिखारी पुत्र अंगनू, निवासी मलौली	0	18	07
(4) कंधई पुत्र रामअौतार, निवासी डेटुआ मजरे मलौली	1	16	13
(5) गुरचरन पुत्र हुसेनी, निवासी डेटुआ मजरे मलौली	0	15	03

श्री खेदू तिवारी को ग्राम पूराबली में स्थित दिये गये पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही

122—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर में अब तक क्या कार्यवाही की गई और जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जांच आख्या के अनुसार श्री खेदू तिवारी, जो कि तहसील बीकापुर में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत थे, ने सरकारी कर्मचारी होते हुए भी, अवैध ढंग से ग्राम सभा बकचुना के अन्तर्गत ग्राम पूराबली में स्थित भूमि सं0 100 का पट्टा करा कर तत्कालीन परिवेक्षक कानूनगो द्वारा रजिस्टर्ड इकरारनामा के माध्यम से दिनांक 18-7-54 को रजिस्ट्री कराया जब कि उनके पिता के नाम पर्याप्त भूमि थी। मामले में दिये गये पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में चल रही है।

चूंकि तत्कालीन परिवेक्षक कानूनगो व लेखपाल अब सेवा में नहीं हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह को दिये गये मछली पालन हेतु पट्टे में अनियमितायें

123—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के सन्दर्भ में शिकायतों की जांच रिपोर्ट क्या है और कौन-कौन सी अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

परगनाधिकारी, बीकापुर द्वारा प्रारम्भिक जांच में निम्न अनियमितायें पायी गईं :—

(1) श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, चमरूपुर के प्रधान के सगे भाई हैं।

(2) ग्राम सभा चमरूपुर में काफी संख्या में भूमिहीन हरिजन उपलब्ध हैं जिन्हें वरीयता देने पर विचार नहीं किया।

(3) एजेंडा पर कोई तारीख जारी करने की नहीं पड़ी है।

(4) पट्टे की भूमि मौके पर झील है जिसका सार्वजनिक उपयोग होता है।

पट्टे के निरस्तीकरण हेतु वाद अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रधान को भी आरोप-पत्र देकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

नन्दगंज सिहरी शुगर मिल लि0, गाजीपुर पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

124--श्री मित्रसेन यादव--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नन्दगंज सिहरी शुगर मिल लि0, गाजीपुर पर किसानों का 42 लाख रुपये बकाया है, जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो यह देय धनराशि कब तक भुगतान कर दी जायेगी ? अब तक भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लि0, नन्दगंज, गाजीपुर पर दिनांक 31 जनवरी, 1983 तक की स्थिति के अनुसार 13.40 लाख रु0 किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया है जो चीनी मिल की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण भुगतान नहीं हो पाया है । वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है :--

वर्ष	बकाया (लाख रु0 में)
1981-82	13.13
1981-82 से पूर्व वर्षों का	0.27

पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गत वर्ष के गन्ना मूल्य का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कर दिया जाय ।

लेखपाल श्री राम अभिलाख सिंह, फैजाबाद के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

125--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 81 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे पये अतां0 प्र0 सं0 19 के उत्तर के सन्दर्भ में सम्बन्धित लेखपाल के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और कृपात्रों को अनियमित भूमि आवंटन के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सम्बन्धित लेखपाल, श्री राम अभिलाख सिंह को परगनाधिकारी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है । पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही धारा 198(4) जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है ।

आजमगढ़ जनपद के राजस्व अभिलेखागार में कार्यरत अस्थाई कर्मचारी व आरक्षण कोटा पूरा किये जाने हेतु कार्यवाही

126—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सुरक्षित पत्रावली माल विभाग में कितने अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनमें से कितने हरिजन हैं ? गत 3 वर्षों में कितने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? क्या यह सही है कि नियमित कर्मचारियों में हरिजन आरक्षण का कोटा पूरा न होने के बाद भी हरिजन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1982 जो जिला अधिकारी को भेजा गया है, पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

आजमगढ़ जनपद में राजस्व अभिलेखागार में 43 अस्थाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 10 अनुसूचित जाति के हैं। गत 3 वर्षों में किसी कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है। यह सही है कि नियमित कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा नहीं है, जिसे पूरा करने की कार्यवाही एवं प्रयास पदों के रिक्त होने पर किए जा रहे हैं। प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1982 विचाराधीन हैं।

ग्राम लक्ष्मीपुर देउरवा, चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र परतावल (गोरखपुर) के किसानों द्वारा पैमाइश में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

127—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायगे कि गांव लक्ष्मीपुर देउरवा, चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र परतावल (गोरखपुर) के 42 किसानों ने पैमाइश में अनियमितता सम्बन्धी शिकायत जिला स्तर के अधिकारियों को पंजीकृत पत्र द्वारा माह जुलाई, 1982 में भेजा ? यदि हां, तो क्या उनकी पुनः पैमाइश कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम लक्ष्मीपुर देउरवा, चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र परतावल, गोरखपुर के 42 किसानों ने पैमाइश में अनियमितता सम्बन्धी शिकायत जिला स्तर के अधिकारियों को पंजीकृत पत्र द्वारा माह जुलाई, 1982 में भेजा था। पैमाइश कार्य एवं कथित अनियमितताओं की जांच का कार्य प्रारम्भ किया गया परन्तु बरसात के फलस्वरूप चकों की पुनः पैमाइश का कार्य पूरा न हो सका। ग्राम के कृषकों द्वारा यह सुझाव रखा गया कि रबी कि फसल कटने के पश्चात् ही पैमाइश का कार्य किया जाये क्योंकि मौजूदा स्थिति में पैमाइश यन्त्रों के उपयोग से गेहूं की फसल क्षतिग्रस्त हो जायेगी। उप संचालक, चकबन्दी स्तर पर चक निगरानियों के निस्तारण का कार्य जो कार्यवाही है जिसके समाप्त होते ही फसल कटने के पश्चात् पुनरीक्षित पैमाइश कराकर कृषकों के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण खेत खाली होने के उपरान्त कर दिया जायेगा।

जनपद जौनपुर के ग्राम धनेजा में चकबन्दी कार्य की प्रगति

128—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की सदर तहसील के ग्राम धनेजा में चकबन्दी कब प्रारम्भ की गई और अब तक उसकी क्या प्रगति है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) का प्रकाशन दिनांक 4 अक्तूबर, 1976 को किया गया था। भू-चित्रों में संशोधन, पड़ताल विनिमय अनुपात निर्धारण के उपरान्त धारा 9 का प्रकाशन दिनांक 13 दिसम्बर, 1978 को किया गया। सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा समझौते का कार्य समाप्त करके विवादित मुकदमें चकबन्दी अधिकारी स्तर पर चल रहे हैं।

कोर्ट फीस से प्राप्त आय

129—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1981-82 में सरकार को कोर्ट-फीस से कितनी आय प्राप्त हुई ? यह कुल आय का कितना प्रतिशत थी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

वर्ष 1981-82 में सरकार को कोर्ट फीस से 8.50 करोड़ रुपये की आय हुई जो प्रदेश की कुल आय का 0.40 प्रतिशत थी।

विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत धन का आवंटन तथा निर्धारित मानक

130—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1982-83 के लिए जिलों को विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत धन का आवंटन करने के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं ? और किस मानक को कितना महत्व "वेटेज" दिया गया है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न जिलों के बीच धनराशि आवंटन करके निम्न मानक निर्धारित किये गये हैं :—

सूचकांक	प्रतिशत
1	2
1—कुल जनसंख्या	50
2—अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	5
3—सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10

1	2
4--कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5
5--औद्योगिक पिछड़ापन	5
6--सड़कों में पिछड़ापन	5
7--विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन	5
8--अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन	5
9--पेयजल अभावग्रस्त गांव	5

परिव्यय का शेष 5 प्रतिशत भाग जनपदों की विशेष समस्याओं के निमित्त आवंटन किये जाने का प्राविधान है ।

उपरोक्त मानकों में अधिक महत्व जनपद की जनसंख्या को तथा उसके उपरान्त जनपद के पिछड़ेपन को दिया गया है ।

एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री, बरेली में कृषकों की बकाया धनराशि

131—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एच0 आर0 चीनी मिल, बरेली पर इस समय कुल कितनी धनराशि किसानों की बकाया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री बरेली पर दिनांक 31-1-1983 तक की स्थिति के अनुसार वर्ष 1981-82 का 113.05 लाख रुपया तथा इससे पूर्व वर्षों का 17.32 लाख रुपया किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है ।

एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री बरेली के पास भूमि तथा बाजार भाव पर अनुमानित मूल्यांकन

132—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एच0 आर0 चीनी मिल बरेली के पास कुल कितनी भूमि है और बाजार भाव पर इसकी भूमि का मूल्यांकन कितना है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री बरेली के पास 138479-175 वर्ग मीटर भूमि है, जिसका बाजार भाव पर अनुमानित मूल्यांकन लगभग रु0 82.81 लाख है ।

रुद्र विलास सहकारी चीनी मिल में स्थायी पदों पर नियुक्ति तथा अतिरिक्त कार्यरत कर्मचारियों पर अनुमानित व्यय

133—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास जो बताने की कृपा करेंगे रुद्र विलास सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, विलासपुर, जिला रामपुर में 31 मार्च, 1981 से 31 मार्च, 1982 की अवधि में कौन-कौन व्यक्ति किन स्थायी पदों पर नियुक्त किए गये ? इस फक्टरी में निर्धारित माडल रोजगार स्कीम से कितने अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं और उनके वेतन में प्रति वर्ष कितना धन फैक्टरी को देना पड़ता है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

रुद्र विलास सहकारी चीनी मिल में उक्त अवधि में केवल एक महिला आया को स्थायी पद पर नियुक्ति की गई । निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार चीनी मिल में 76 व्यक्ति अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं जिन पर 3 लाख 49 हजार रुपये प्रति वर्ष अनुमानित व्यय होता है ।

134—श्री जयदीप सिंह बरार—

[7 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील बहेड़ी, जिला बरेली में प्रतिकर वसूल करने के आदेश

135—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बहेड़ी जिला बरेली में वर्ष 1981-82 में उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 122-ख के अन्तर्गत कुल कितना प्रतिकर वसूल करने के आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किये जा चुके हैं ? इसमें से कितना प्रतिकर वसूल हो चुका है और कितने मामलों में धारा 122-ख की उपधारा 3 के अनुसार प्रतिकर को मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करने के आदेश पारित किये गये हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

तहसील बहेड़ी जिला बरेली में वर्ष 1981-82 में उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122 बी के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा मु0 50, 112 रु0 प्रतिकर वसूल करने के आदेश पारित किये गये, जिनमें से 16,005 रु0 की धनराशि वसूल हो चुकी हैं, 23 वादों में 6,239 रु0 की धनराशि सक्षम न्यायालयों के आदेश से स्थगित है । शेष 27849 रु0 की भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

तहसीलदार विलासपुर जिला रामपुर द्वारा प्रतिकर वसूल करने के आदेश

136—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील विलासपुर, जिला रामपुर में वर्ष 1981-82 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, 1950

की धारा 122–ख के अन्तर्गत कुल कितना प्रतिकर वसूल करने के आदेश तहसील–दार द्वारा पारित किए गए ? इसमें से कितना प्रतिकर वसूल हो चुका है और कितने मामलों में धारा 122 ख की उपधारा 3 के अनुसार प्रतिकर की मालगुजारी के बकाया रूप में वसूल करने के आदेश किये गए हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील––

वर्ष 1981–82 में तहसीलदार विलासपुर ने धारा 122–ख के अन्तर्गत प्रतिकर वसूल करने का कोई आदेश पारित नहीं किया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील बरेली, जिला बरेली में मालगुजारी के बकाये को वसूल करने की कार्यवाही

137––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बरेली जिला बरेली में वर्ष 1981–82 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 122–ख के अन्तर्गत कुल कितना प्रतिकर वसूल करने के आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किये जा चुके हैं ? इसमें से कितना वसूल प्रतिकर हो चुका है और कितने मामलों में धारा 122–ख की उपधारा 3 के अनुसार प्रतिकर को मालगुजारी के बकाया रकम में वसूल करने के आदेश पारित किये गये हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील––

तहसील बरेली, जिला बरेली में वर्ष 1981–82 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 122–ब के अन्तर्गत तहसील–दार बरेली द्वारा कुल 68,924 रु0 प्रतिकर वसूल करने के आदेश पारित किये गये। इनमें से 9540·58 की धनराशि वसूल हो चुकी है, 44 वादों में 22,782 रु0 की धनराशि सक्षम न्यायालयों के आदेशों से स्थगित है । शेष 34 वादों से सम्बन्धित 36,601·42 रु0 की भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है ।

विलासपुर, रामपुर, बाजपुर, किच्छा एवं बहेड़ी चीनी मिलों के चीनी का औसत पर्ता

138––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में विलास–पुर, रामपुर, बाजपुर, किच्छा एवं बहेड़ी चीनी मिलों का चीनी का औसत पर्ता (रिकवरी) क्रमशः कितना था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

प्रश्न में इंगित चीनी मिलों के चीनी का औसत पर्ता (रिकवरी) निम्न-प्रकार रही :--

चीनी मिल का नाम		चीनी का औसत पर्ता (प्रतिशत में)				
		1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
1	बिलासपुर	6·98	8·48	9·35	9·15	7·95
2	रामपुर	8·35	8·38	9·63	9·19	8·91
3	बाजपुर	9·35	9.76	10·41	10·39	9·20
4	किच्छा	9·30	9·53	10·00	9·78	9.09
5	बहेड़ी	9·14	6·53	9·68	9·71	8·82

बिलासपुर चीनी मिल ने वर्ष 1977-78 में दिनांक 20-4-1978 को प्रथम बार गन्ना पेराई का कार्य आरम्भ किया था ।

139--श्री जयदीप सिंह बरार--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

श्री बेनी प्रसाद मौर्य, अस्थाई लेखपाल को सेवा मुक्त किये जाने का आधार

140--श्री जंग बहादुर--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बेनी माधव मौर्य, स्थायी लेखपाल हल्का नं0 319 तहसील मछलीशहर, जौनपुर जनपद को अप्रशिक्षित होने के नाते सेवामुक्त दिनांक 7-7-1982 को कर दिया गया ? जबकि उनकी सेवा विभाग में 5 वर्ष 7 माह थी और शासनादेश के आधार पर प्रशिक्षण के लिये उपयुक्त पात्र थे ? यदि हां, तो सेवा मुक्त किये जाने का आधार क्या था ? क्या शासन पुनः नियुक्त किये जाने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

दिनांक 12-6-80 के शासनादेश द्वारा 30-4-80 तक तीन वर्ष की सेवा पुरी कर लेने वाले अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवाओं के विनियमितीकरण के उद्देश्य से एक विशेष लेखपाल परीक्षा नवम्बर, 1981 में आयोजित की गयी थी । श्री बेनी प्रसाद मौर्य क्षेत्र संख्या-319 तहसील मछली शहर, जनपद जौनपुर, लेखपाल के पद पर अस्थायी रूप से दिनांक 17-11-77 से कार्यरत थे और 30-4-80 तक इनकी तीन वर्ष की सेवा पूरी नहीं हुई थी । वे अप्रशिक्षित लेखपाल थे और प्रशिक्षित लेखपाल उपलब्ध हो जाने के कारण उनकी सेवायें परगनधिकारी के आदेश दिनांक 14-5-81 द्वारा समाप्त कर दी गयी । इस आदेश के विरुद्ध श्री बेनीमाधव मौर्य

तथा अन्य ने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिसके कारण लेखपाल को कार्यभार से अवमुक्त नहीं किया गया। उक्त रिट उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4-12-81 को निरस्त कर दी गयी। फलस्वरूप श्री मौर्य को परगनाधिकारी मछलीशहर के आदेश दिनांक 9-7-82 द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया। अप्रशिक्षित लेखपालों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अतएव श्री मौर्य की पुनर्नियुक्ति सम्प्रति सम्भव नहीं है।

141--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

142--श्री यम्मन सिंह गहलौत--

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजीपुर को सूखे एवं बाढ़ से राहत कार्य हेतु दी गई धनराशि एवं व्यय

143--श्री राम नरायन सिंह एडवोकेट--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 में गाजीपुर जनपद को बाढ़ एवं सूखे से राहत हेतु कुल कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी गई है और जिला प्रशासन द्वारा उक्त धनराशि का खर्च किन-किन मदों में किया गया है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

गाजीपुर जनपद में 1982 के सूखे एवं बाढ़ राहत कार्य हेतु शासन द्वारा विभिन्न मदों में दी गई व जिला प्रशासन द्वारा व्यय की गई धनराशि का मदवार विवरण निम्न प्रकार है :--

क्रमांक	मद	आवंटित धनराशि	वितरित धनराशि
1	2	3	4
1	निःशुल्क सहायता एवं निःशुल्क खाद्यान्न	18,85,000	18,85,000
2	मृतकों के परिवार को सहायतार्थ	65,000	30,000
3	गृह अनुदान	1,50,000	1,50,000
4	नाव का किराया	4,10,000	3,57,110
5	राहत खेमे में व्यय	18,000	8,000
	योग ..	25,28,000	24,30,110

1	2	3	4
आपदा तकावी—			
	खाद/बीज सामान्य	6,00,000	6,00,000
	आपदा तकावी	3,50,000	3,50,000
	योग ..	9,50,000	9,50,000

जनपद मिर्जापुर के ब्लाक सीखड़ में गंगा की बाढ़ से प्रभावित ग्राम तथा उपलब्ध की गयी राहत सुविधाएं

144—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के सीखड़ ब्लाक के कौन-कौन से गांव वर्ष 1982 की गंगा की बाढ़ से प्रभावित हुए और उन्हें क्या राहत पहुंचाई गई ? क्या यह सत्य है कि इस वर्ष रबी की फसल भी इस क्षेत्र में अत्यधिक उपल वृष्टि से नष्ट हो गई थी ? क्या सरकार इस क्षेत्र की जनता को विशेष राहत सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष 1982 में गंगा नदी की बाढ़ से जनपद मिर्जापुर के ब्लाक सीखड़ के 97 ग्राम प्रभावित हुए थे जिनकी सूची संलग्न है । बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के सहायतार्थ नावें लगाई गई थीं तथा स्टीमर व मोटर बोटों का भी उपयोग किया गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा राहत सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई । बाढ़ सुरक्षा एवं राहत केन्द्र स्थापित किए गए । खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण किया गया । इसके अतिरिक्त निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया गया । स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कालरा के टीके लगाए गए। पशुओं को निःशुल्क चराने की सुविधा भी दी गई । बाढ़ प्रभावितों को 3,31,100 रु0 अहेतुक सहायता तथा 1,21,400 रु0 गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया । बाढ़ से डूबने वाले तीन व्यक्तियों के परिवारों को 1,000 रु0 प्रति परिवार की दर से कुल 3,000 रु0 अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया ।

उक्त ब्लाक में वर्ष 1982 में 1389 फसली की रबी फसल को उपलवृष्टि से भी अति पहुंची । प्रभावित ग्रामों के कृषकों को राहत देने हेतु समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई तथा 1,20,000 रु0 आपदा तकावी के रूप में वितरित किया गया । निराश्रित व्यक्तियों को निःशुल्क गेहूं का भी वितरण किया गया ।

उपलवृष्टि तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों को तीन माह तक शिक्षा शुल्क में माफी प्रदान की गई ।

(देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ 190 पर ।)

गुप्ता ट्रेनिंग कम्पनी फर्रुखाबाद पर बिक्री कर की बकाया धनराशि

145--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि लिजीगंज फर्रुखाबाद की एक फर्म करदाता गुप्ता ट्रेनिंग कम्पनी पर तारीख 1-4-82 को लाखों रुपया बिक्री कर का बकाया था ? यदि हां, तो यह बकाया किन-किन सालों को है और इसमें कितना स्वीकृत कर है ? क्या पंजीकरण को चालू रखने के लिए जमानतनामा मांगा गया ? यदि नहीं, तो क्यों और इस राजस्व की हानि के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

व्यापारी पर कुल 15,73,105,41 रुपये कर तथा अर्थदन्ड के रूप में बकाया है ।

बकाया वर्ष 1971-72 व 1972-73 के संबंध में है । बकाया में से स्वीकृत कर शून्य है ।

वर्ष 1971-72 प्रान्तीय में पंजीयन जारी करने के पूर्व 5,000 रु0 की जमानत मांगी गई थी । वर्ष 1972-73 में व्यापारी ने पंजीयन के नवीनीकरण के लिए कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया । अतः पंजीयन को जारी रखने के लिए जमानत मांगने का प्रश्न नहीं उठा ।

वर्तमान उपायुक्त बिक्री कर कानपुर का लखनऊ व कानपुर में ही तैनात करने का औचित्य

146--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि वर्तमान उपायुक्त बिक्रीकर (शा0) कानपुर जो अभी हाल में लखनऊ से स्थानान्तरित हुये हैं का सेवाकाल का अधिकांश भाग लखनऊ और कानपुर में ही रहा है ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अधिकारी को लखनऊ व कानपुर में ही तैनात करने का आधार क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्तता के आधार पर यह तैनातियां की गई ।

ग्राम सभा भवनपुर, जिला आजमगढ़ में रिकार्ड आपरेशन के बाद ग्राम का कुल रकबा

147--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भवनपुर तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के पास चकबन्दी के समय कुल कितनी भूमि ग्राम के नक्शे में दर्शायी गई है और रिकार्ड आपरेशन के बाद वह कितनी रह गई है ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त गांव के रामलीला मैदान तथा अन्य सार्वजनिक भूमि का गांव के नक्शे में किसी व्यक्ति विशेष के नाम कर दिया गया है ? यदि हां, तो नक्शे में यह हेर-फेर कैसे हुआ ? किसने किया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

आधार वर्ष अभिलेख (खतौनी व बन्दोवस्त) के अनुसार ग्राम का कुल रकबा 159-812 एकड़ था। ग्राम के भू-चित्र में आवश्यक दुरुस्ती के बाद ग्राम का कुल रकबा 158.851 एकड़ ही कायम किया गया है। इस प्रकार चकबन्दी के समय स्थल के अनुसार भू-चित्र में शुद्ध किया गया। संशोधित रकबा के अनुसार ही 158-851 एकड़ रकबा रिकार्ड आपरेशन के बाद भी कायम किया गया।

ग्राम के अभिलेखों के अनुसार तथा सिद्धान्तों के विवरण-पत्र में सुरक्षित भूमि के अनुसार राम लीला मैदान की कोई भूमि नहीं है। कोई भी सार्वजनिक भूमि किसी व्यक्ति विशेष के नाम दर्ज नहीं की गयी है। उक्त आधार पर किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

148--श्री हरिवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

149--श्री हरिवंश सहाय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

चकबन्दी आयुक्त श्री पी0 सी0 श्रीवास्तव द्वारा जनपद का दौरा तथा पडरौना में अधिवक्ताओं और काश्तकारों द्वारा की गयी शिकायतें तथा सुझाव

150--श्री हरिवंश सहाय--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी आयुक्त श्री पी0 सी0 श्रीवास्तव माह अगस्त, 82 के प्रथम सप्ताह में देवरिया जनपद के दौरे पर गये हुए थे तो पडरौना में अधिवक्ताओं एवं काश्तकारों द्वारा उन्हें कौन-कौन सी शिकायतें मिलीं और उन शिकायतों के निवारण हेतु अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां, उनके समक्ष एक सुझाव प्रार्थना-पत्र तथा शिकायतें प्रस्तुत की गयी थीं, जो निम्नलिखित हैं :--

1--श्री अमीरुल्लाह अन्सारी, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, देवरिया द्वारा ग्राम नोनियापट्टी तथा चौरा बड़गांव, परगना--सि0 ओ0 तहसील पडरौना, जिला देवरिया में चकबन्दी के मौजूदा धांधलियों के तहत निरस्त कर दुबारा चक लगाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी, के संदर्भ में ग्राम नोनियापट्टी तथा चौरा बड़गांव, परगना--सि0 ओ0 तहसील पडरौना, जिला देवरिया में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत की गयी अनियमितताओं से सम्बन्धित काश्तकारों के शिकायतों/कठिनाइयों की जांच की जा रही है। श्री हंसराज पत्रकार द्वारा ग्राम नरचोचवा तथा बांसी चिरगोड़ा, तहसील पडरौना, जिला देवरिया ने शिकायत की थी कि ग्राम सभा की भूमि लावारिश अवैधानिक रूप से श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हरिशंकर तिवारी के नाम अवैधानिक रूप में कर दी है। इस सम्बन्ध में अपील संख्या 1859,1860, 1861, 1862, 1863, 1864 एवं 1006/1965 प्रस्तुत कर दी गई, जो विचाराधीन है।

इन अपीलों का निस्तारण नियमानुसार किया जायेगा । दूसरी शिकायत श्री हंसराज पत्रकार द्वारा यह की गयी कि ग्राम चितहा में रामजीत आदि को नौ चक दिये गये हैं । यह तथ्य सही नहीं है, रामजीत आदि का चक संख्या 139 है और चार स्थान पर चक बनाया गया है तथा चकदार श्री राम जो आदि अपने चक से पूर्णतः संतुष्ट हैं । श्री हंसराज पत्रकार तथा रामजीत आदि के बीच मुकदमा चल रहा है जो विचाराधीन है ।

2--अधिवक्ताओं द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी बल्कि सुझाव दिया गया था कि स्वत्व की निगरानियां भी पडरौना में ही सुनी जायं तथा सहायक संचालक चकबन्दी की नियुक्ति भी पडरौना में की जाय। सहायक संचालक चकबन्दी पडरौना की नियुक्ति का मामला विचाराधीन है । उप संचालक चकबन्दी हाटा द्वारा प्रत्येक सप्ताह में शुक्रवार को निगरानियों का निस्तारण पडरौना में किया जा रहा है ।

गन्ना विकास समिति गोविन्दनगर जनपद बस्ती के सचिव एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में जांच

151--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें गन्ना विकास समिति, गोविन्दनगर, जनपद बस्ती के सचिव एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरुद्ध समिति में गन्ने की पर्ची बेचने, गन्ना मूल्य भुगतान में अनियमितता, किसानों में खाद वितरण बोरियों में कम कर देने तथा बिना बजट के जीप प्रयोग करने आदि को गम्भीर आरोप के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

जी हां, गन्ना विकास समिति गोविन्दनगर के सचिव एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में उप गन्ना आयुक्त गोरखपुर से जांच कराई जा रही है ।

152--153--श्री यदुनाथ सिंह--

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7--8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री लक्षिराम वर्मा, प्रधान, ग्राम पैकोलिया के आवेदन-पत्र पर कृत कार्यवाही

154--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पैकोलिया आदि ब्लाक व तहसील टांडा फैजाबाद में बाढ़ से हुई क्षति के कारण यथोचित मुआवजा या सहायता दिलाये जाने से सम्बन्धित आवेदन पत्र श्री आशाराम प्रधान ग्राम सभा पैकोलिया के साथ प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 14-9-82 उन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच कराकर सम्बन्धित परिवारों को सहायता दिलाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी हां । प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 19-4-82 के साथ श्री लक्षिराम वर्मा, प्रधान, ग्राम पैकोलिया (न कि श्री आशाराम) का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था ।

ग्राम पैकौलिया, चोथइया तथा महुवरिया थिरुवा नाले के किनारे बसे हैं। वर्ष 1982 में थिरुवा नाले में थोड़े समय तक बाढ़ का पानी रुका रहा जिससे खड़ी फसलों को क्षति नगण्य रही। क्षति नगण्य होने के कारण अनुदान के रूप में सहायता देने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

भूतपूर्व लेखपाल श्री जगदीश प्रसाद, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच

155—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व लेखपाल श्री जगदीश प्रसाद क्षेत्र बरौके, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा की गयी जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26-8-82 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच करायी गई तथा जांच के दौरान शिकायतकर्ता से लिखित बयान लिया गया और उस पर अब तक जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां। जांच करायी गयी। जांच के परिणामस्वरूप लेखपाल के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए। चूंकि शिकायत सही पायी गयी है, इसलिए शिकायतकर्ता का बयान लेना आवश्यक नहीं समझा गया। लेखपाल को सेवाच्युत कर दिया गया है।

जनपद सीतापुर में सूखा व बाढ़ से फसलों की क्षति तथा सहायता

156—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सीतापुर में जुलाई और अगस्त 1982 में सूखे से तथा अगस्त, सितम्बर, 1982 में अतिवृष्टि (बाढ़) से कितना नुकसान खरीफ फसल का हुआ तथा कितने मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए और सरकार ने बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त लोगों को सहयोग के तौर पर कितना अनुदान दिया और कितना गृह अनुदान दिया, कितनी तकावी दी तथा बाढ़ और सूखा पीड़ितों को सहयोग देने के लिए क्या सरकार लगान, खाद, बीज और पानी का दाम माफ करेगी तथा सरकारी सहकारी और बैंकों के कर्जे में से ब्याज माफ करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद सीतापुर में माह जुलाई व अगस्त, 1982 में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण 154703 हेक्टेयर बोए हुए क्षेत्रफल में खरीफ फसल को 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक क्षति पहुंची तथा 48303 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्रफल होने से रह गया। माह अगस्त के अन्तिम सप्ताह व माह सितम्बर, 1982 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण 2,83,313 हेक्टेयर कृषिगत क्षेत्रफल प्रभावित हुआ जिसके फलस्वरूप अनुमानित 11,87,29,285 रु0 की क्षति हुई। 1,71,765 मकान क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ तथा सूखा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायतार्थ 15,76,131 रु0 अहेतुक सहायता, 13,00,355 रु0 गृह अनुदान तथा 3,11,200 रु0 आपदा तकावी के रूप में वितरित किया गया। पीड़ित काश्तकारों को मालगुजारी में

छूट देने के प्रस्ताव जिला स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं तथा छूट प्रस्तावों पर विचारोपरान्त शासन द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जायगी। खाद, बीज और पानी के दाम की माफी तथा सरकारी, सहकारी और बैंकों के कर्जे पर ब्याज की माफी का कोई प्राविधान नहीं है।

157—श्री किरन पाल सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

रानीखेत तहसील के राम गंगा नदी व भशाणगड्डी विनोद नदी में नदी पार करने में महिलाओं की मृत्यु

158—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रानीखेत तहसील के रामगंगा नदी व भशाणगड्डो विनोद नदी में माह जुलाई, अगस्त 1982 में कितनी महिलाओं की मृत्यु नदी पार करने में हुई और उन महिलाओं के आश्रितों को शासन द्वारा क्या सहायता दी गई है ? यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में माह जुलाई–अगस्त, 1982 में रामगंगा नदी को पार करते समय तीन महिलाओं की मृत्यु पानी में बहने से हुई थी। इनमें से किसी भी महिला के आश्रितों को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। क्योंकि वे इसके पात्र नहीं थे।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा की सूचनानुसार विनोद नदी में माह जुलाई–अगस्त, 1982 में नदी पार करने में बहकर किसी की मृत्यु होने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है।

सहकारी गन्ना विकास समिति गोविन्दनगर, बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं की विभाग द्वारा जांच

159—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति गोविन्दनगर (बस्ती) में वर्ष 1981–82 में गन्ना सप्लाई में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं के जांच हेतु संयोजक एवं मंत्री, उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी महासंघ गन्ना विकास विभाग, बस्ती द्वारा दिए गए प्रार्थना–पत्रों दिनांक 12–3–82, 2–7–82, 20–7–82, 9–8–82 पर जब जांच नहीं हुई तो दिनांक 7–8–82 को भूख–हड़ताल की नोटिस दिनांक 5–10–82 से करने हेतु दिया था ? यदि हां, तो अब तक जांच न कराने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

संयोजक एवं मंत्री, उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी संघ, गन्ना विकास विभाग, बस्ती के प्रश्न में उल्लिखित शिकायती–पत्रों पर उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर से जांच कराई गई थी। फिर भी महासंघ की मांग के अनुसार जांच अधिकारी मुख्यालय से पुनः जांच कराई जा रही है। अधिकांश मांगे पूर्ण हो जाने पर महासंघ के मंत्री ने संतुष्ट होकर भूख हड़ताल का निश्चय समाप्त कर दिया था।

160—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गन्ना विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के गन्ना विभाग में व्याप्त उपरोक्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच सी० आई० डी० अथवा सी० बी० आई० द्वारा कराकर वास्तविक तथ्य सदन में प्रस्तुत करने व दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दण्ड देने की व्यवस्था करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

चूंकि विभाग द्वारा कथित अनियमितताओं की जांच की जा रही है तथा यदि अनियमितताएं सिद्ध होती हैं तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभाग कार्यवाही करने में सक्षम है। अतः ऐसी स्थिति में सी० आई० डी० और सी० बी० आई० से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

राजकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तों का भुगतान

161—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की कितनी किस्तों का भुगतान (जोकि देय हो गई हैं) अभी किया जाना बाकी है ? भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान भारत सरकार द्वार केन्द्रीय कर्मचारियों को स्वीकृत महंगाई भत्ते की किस्तों के सादृश्य पर किया जाता है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का अन्तिम किस्त दिनांक 1 जून, 1982 से स्वीकृत की है, जिसे प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को 1 जून, 1982 से स्वीकृत कर दिया है। इस प्रकार प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कोई किस्त स्वीकृत करना शेष नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्र महराजगंज में आग लगने से मकानों को क्षति तथा आर्थिक सहायता

162—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज के निर्वाचन क्षेत्र महराजगंज के किन-किन गांवों में नवम्बर, 1981 से जुलाई, 1982 तक आग लगने से मकानों आदि की क्षति हुई है। इनमें से कितने व्यक्तियों को किस-किस मात्रा में सहायता दी गई और जिनको अब तक सहायता नहीं दी गई तो इसके क्या कारण हैं और कब तक सहायता दे दी जायेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज के निर्वाचन क्षेत्र महराजगंज के माह नवम्बर, 1981 से जुलाई, 1982 तक कुल 67 ग्रामों में आग लगने से कुल 132 मकानों को क्षति हुई है तथा 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 132 व्यक्ति प्रभावित हुए। अग्निकांड से प्रभावित 67 ग्रामों की सूची संलग्न है। 85 व्यक्तियों को 100 रु० की दर से, 33 व्यक्तियों को 50 रु० की दर से तथा एक व्यक्ति को 40 रु० की सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त 3 मृतकों के परिवार वालों को 1000 रु० की अनुग्रह अनुदान के साथ दो को 200 रु०

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 194 पर)

की दर से तथा 1 को 150 रु0 की आर्थिक सहायता भी दी गई। इस प्रकार कुल 119 व्यक्तियों को 13,740 रु0 की धनराशि की आर्थिक सहायता दी गई। शेष 13 व्यक्ति सहायता पाने के पात्र नहीं थे, अतः उन्हें सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम विशुनपुरा मटियरा से संबंधित भूखंड 390 पर कब्जा छोड़ने के निर्णय की रिपोर्ट

163- श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर कानूनगो सर्किल राजधानी के ग्राम विशुनपुरा मटियारा से संबंधित भूखंड 390 पर 700 रुपये जुर्माना के साथ कब्जा छोड़ने का निर्णय हुआ ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि ऐसा नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जी नहीं। जिले से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि के विषय में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई और न 700 रुपये जुर्माना ही हुआ है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री परमेश्वर दीन कटियार को सामूहिक बीमे की देय धनराशि का भुगतान

164--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री परमेश्वर दीन कटियार, सेवानिवृत्त लिपिक, कलेक्ट्रेट हरदोई के बीमा कागजात शासन को रजिस्ट्री संख्या 1894, दिनांक 31-1-81 द्वारा प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं और कार्यवाही कब तक सुनिश्चित हो जायेगी ?

श्री बैज नाथ कुरील--

जी नहीं, श्री परमेश्वर दीन कटियार के सामूहिक बीमा के कागजात जिलाधिकारी, हरदोई के दिनांक 9-8-82 के पत्र के साथ बीमा निदेशक को भेज गये थे। बीमा निदेशालय द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 1982 को श्री कटियार के सामूहिक बीमे की देय धनराशि 640 रु0 का भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि मंडलायुक्त को भेज दी गयी।

165-- श्री राम आसरे वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

भोजपुरी सामाजिक फिल्म 'बिटिया भइल सयान' को कर मुक्त करने हेतु विचार

166--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 24 जून, 1982 को पत्र जरीना प्रोडक्शन फिल्म निर्माता, बम्बई द्वारा दहेज प्रथा पर आधारित एक भोजपुरी सामाजिक फिल्म "बिटिया भइल सयान" को कर मुक्त करने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो सरकार ने क्या उसे कर मुक्त करने पर विचार कर

लिया है ? यदि हां, तो कब तक कर मुक्त कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां ।

विचाराधीन है ।

ग्राम एकधरवा में लेखपाल द्वारा फर्जी नाम मतदाता सूची में शामिल किये जाने की शिकायत की जांच

167--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के 2रे शुक्र के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 17 के उत्तर के संदर्भ में संबंधित लेखपाल को ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रयोग होने वाली मतदाता सूची में फर्जी नाम बढ़ाने से संबधित मामले में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप जो जांच कराई गई वह क्या है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बैज नाथ कुरील--

जांच में ग्राम औसानपुर के मतदाताओं का नाम एक धरवा ग्राम में भी उनके शपथ-पत्र के आधार पर बढ़ाये जाने के लिये लेखपाल दोषी पाया गया, क्योंकि ग्राम औसानपुर भी उसके क्षेत्र में था और उसे मतदाता सूची देखकर जांच कर लेनी चाहिये थी कि इन लोगों का नाम ग्राम औसानपुर की मतदाता सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं । ग्राम बनगवा के संबंध में दो फर्जी नाम बढ़ाये जाने के संबंध में भी लेखपाल का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया । आपत्ति-कर्ताओं की आपत्तियों के संबंध में ठीक से जांच न करने के लिए कानूनगो का काम भी सन्तोषजनक नहीं पाया गया है ।

दोषी लेखपाल को कठोर प्रतिकूल प्रविष्टि देकर उसकी पूर्व सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सेवा में बहाल कर दिया गया ह । कानूनगो के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी, बस्ती को आदेश भेज दिये गये हैं ।

ग्राम नैपुरा, जनपद फैजाबाद को घाघरा नदी के कटाव से क्षति तथा जांच

168--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नैपुरा (रकबा, ब्लाक व परगना व तहसील टांडा), जनपद फैजाबाद घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है और पिछले वर्ष सन् 1981 तथा मौजूदा वर्ष में घाघरा नदी के कटान से ग्राम प्रभावित रहा तथा जिसकी जांच माह अगस्त, 1982 में परगनाधिकारी, टांडा व तहसीलदार, टांडा द्वारा की गई ? यदि हां तो संबंधित अधिकारियों की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बैज नाथ कुरील--

जी हां, ग्राम नैपुरा ब्लाक व परगना व तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है । वर्ष 1981 में तथा वर्ष 1982 में घाघरा

नदी के कटान से उक्त ग्राम प्रभावित हुआ था। जिलाधिकारी फैजाबाद से प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य, तत्कालीन परगनाधिकारी टांडा और तहसीलदार टांडा ने दिनांक 10-8-1982 को उक्त ग्राम का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के समय पाया गया कि नैपुरा खास की आबादी से मात्र 12, 14 लाठे की दूरी पर नदी की धारा तेज बह रही थी और कटाव जारी था। यह आवश्यक हो गया था कि इस आबादी के निवासियों एवं उन गृह स्वामियों, जिनका मकान नदी से शीघ्र कटाव के खतरे में था, के पुनर्वास हेतु नदी से दूर आवास स्थल दिये जायं और इन परिवारों में खाद्यान्न का भी वितरण किया जाय ताकि भुखमरी की कोई आशंका न रहे। तदनुसार लिये गये निर्णय के अनुसार 28 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किया गया और कुल 3 कुन्तल गेहूं उक्त गांव में बांटा गया।

169--श्री चेतराम गंगवार--

[8वे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कोषागार मुख्य लिपिक के सृजित पद

170--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1982 में शासन ने 100 पद कोषागार मुख्य लिपिक के सृजित किये थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक कितनी नियुक्तियां हुईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जी हां। 100 पदों के सृजन की प्रशासनिक तथा 40 पदों की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। 31 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। अतिरिक्त पदों की वित्तीय स्वीकृति आवश्यकतानुसार दी जाएगी।

[12 बजकर 20 मिनट]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मेरा प्रश्नों से सम्बन्धित एक है कि मेरा एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था और जिसे मैंने 14 जनवरी, को भेजा था। मान्यवर, आपकी तरफ से यह अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार भी किया गया। लेकिन मान्यवर, यह एक हरिजन विधवा का मामला है जिसमें उस हरिजन विधवा की थाना शिवगढ़, जनपद राय-बरेली की पुलिस करीब-करीब 8 लाख रुपया की सम्पत्ति 82-82 की कार्यवाही की आड़ में वगैर लिस्ट दिए हुए उठा ले गयी है और उसकी 600 रु0 की कलौंजी को कुएं में डाल कर बरबाद कर दिया है। आपने इसे अल्पसूचित प्रश्न के रूप में स्वीकार भी किया है, लेकिन कल मुझको एक सूचना मिली है जिसमें यह अल्पसूचित प्रश्न तारांकित प्रश्न के रूप में परिवर्तित करके उसे 22वें मंगलवार के लिए निर्धारित करना बताया गया है।

श्री अध्यक्ष--

क्या आपको इस बात की जानकारी है कि यह बात लिखित रूप में आपको सूचित की गयी थी कि आपका यह प्रश्न अल्पसूचित के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री मोती लाल देहलवी--

जी हां, यह सूचना आ गयी थी और अब यह सूचना आयी है इस प्रश्न को 22वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न के रूप में रखा गया है । तो मान्यवर, इस सत्र में 22वां मंगलवार तो आयेगा नहीं और न यह प्रश्न यहां पर आ सकेगा इसलिये मैं आपका ध्यान नियम 46 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें आपको यह अधिकार प्राप्त है कि कम से कम इसके कारण को हमें आप बतायेंगे जानना चाहते हैं कि आखिर किस कारण से ऐसा हुआ है ? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नियम 46 को पढ़ दूं ?

नियम 46--प्रश्न के वर्ग में परिवर्तन करने की अध्यक्ष की शक्ति--अध्यक्ष, किसी अल्पसूचित प्रश्न को तारांकित या अतारांकित प्रश्न में तथा किसी अतारांकित प्रश्न को तारांकित प्रश्न में परिवर्तित कर सकेंगे ।

परन्तु, अध्यक्ष यदि उचित समझें तो तारांकित प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से अपने प्रश्न को इस वर्ग में रखने का कारण संक्षिप्त रूप से बताने के लिये कह सकेंगे और उस पर विचार करने के उपरान्त अध्यक्ष निदेश दे सकेंगे कि प्रश्न को उस वर्ग में रखा जाय ।

तो मान्यवर, इसमें कोई कारण नहीं बताया गया कि हरिजन विधवा की इतनी सम्पत्ति उठा ली गयी उस पर यहां प्रश्न करने का अवसर आया तो इसे 22वें मंगलवार के लिये निर्धारित कर दिया और 22वां मंगल इस सत्र में आयेगा नहीं हमको इस प्रश्न को परिवर्तित करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया । तो मान्यवर, मैं इस पर व्यवस्था चाहता था कि बगैर कारण बताये हुए क्या किसी हरिजन का मामला जिसके लिये सरकार को बड़ी सहानुभूति है और उस सहानुभूति को यहां प्रदर्शित भी करते रहते हैं, तो क्या बगैर कारण बताये हुए इसको परिवर्तित किया जा सकता है कि वह इस सत्र में आ ही न सके ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने जो मेरा ध्यान आकर्षित किया और नियम 46 का हवाला दिया है तो अध्यक्ष को अधिकार है निर्णय लेने का कि प्रश्न को तारांकित या अतारांकित किस रूप में उसे स्वीकार किया जाय । लेकिन मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम 29 की तरफ भी ले जाना चाहता हूं । अल्पसूचित प्रश्न की सूचना सम्बन्धित मंत्री को दी जाती है और उनसे पूछना पड़ता है कि आप इसका अल्पसूचित प्रश्न के रूप में उत्तर तीन दिन के अन्दर दे सकेंगे या नहीं यदि मंत्री लिखता है कि हम असमर्थ हैं तो उसके बाद में निर्णय करना पड़ता है । सूचना इस तरह की हो सकती है कि जो लखनऊ से सम्बन्धित न हो, तो ऐसी हालत में जब मंत्री का लिखा हुआ आ जाये तो उस पर मुझे निर्णय लेना होता है कि इसको अल्पसूचित में किया जाय या तारांकित प्रश्न के रूप में किया जाय । आपके मामले को मैंने देखा है और उसको मैं फिर विस्तार से देख लूंगा । माननीय मंत्री जी सन्तुष्ट नहीं थे या अल्पसूचित चर्चा पर प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे इसलिए अल्पसूचित न स्वीकार करते हुए तारांकित प्रश्न का रूप ले लिया जिन बातों की ओर माननीय सदस्य द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया है उन पर मैं फिर कक्ष से अभिलेख देखकर निर्णय लूंगा ।

श्री भीखा लाल---

मान्यवर, इसी से मिला हुआ एक दूसरा प्रश्न है । माननीय देहलवी जी के प्रश्न में लिखा हुआ है कि 22 वें मंगलवार के लिए । तो 150 दिन सदन चले तब 22वां मंगलवार आयेगा । मान्यवर, सदन 90 दिन चलना चाहिए लेकिन 50 दिन से ज्यादा नहीं चल पाता है लेकिन यह संभावना नहीं है कि 22वां मंगलवार आयेगा । तो आप यह देखें कि इस तरह की हस्यास्पद तिथि निश्चित करने से क्या लाभ है ? कम से कम इस तरह से रखा जाय जो इस सत्र में आ जाय । यह तो साल भर भी नहीं आयेगा, तो इसको भी देख लें ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने निर्णय दिया है कि मैं अपने कक्ष में देख लूंगा और उसके बाद निर्णय लूंगा ।

श्री चेत राम गंगवार---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय भीखा लाल ने कहा मान्यवर, अल्प-सूचित प्रश्न वह है जो आप की दृष्टि में लोक महत्व का हो शासन को उसके बारे में निदेश होते हैं कि 3 दिन के अन्दर वह उत्तर दें । नियमावली में संशोधन हो गया है और इसी के तहत माननीय मंत्री ने मना कर दिया है । अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । आपने उसको ग्राह्य किया और माननीय मंत्री जी ने डिमेन्ट लगा दिया है । नियमों में जो व्यवस्था है जो दिवस उपलब्ध होगा उत्तर दिया जायेगा । मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है तो इस प्रकार से उसकी वैल्यू घट जायेगी । मान्यवर, अब दूसरा प्रश्न उठता है आपको निर्णय करना है, शासन ने जो अनुमति मांगी है वह सही है या गलत है । शासन का 3 दिन के अन्दर उत्तर आपको नहीं मिला शासन ने उसको स्वीकार कर लिया है अल्पसूचित उत्तर देने के लिए । अगर 3 दिन बीत जाने के बाद उत्तर आता है । शासन को उत्तर देने के लिए बाध्य कर दिया जाना चाहिए । लेकिन मान्यवर, नियमावली बदल गयी है जिसके फलस्वरूप उस अधिकार पर अंकुश लग गया है । इसलिए कम से कम इतनी व्यवस्था दे दें कि जो अवधि है उसमें शासन को उत्तर देना पड़ेगा । अगर शासन से अदरवाइज उत्तर नहीं मिला तो सरकार को वाध्य किया जाना चाहिए । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

*श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी मैंने दो प्रश्न दिये थे, उन दोनों को स्थगित कर दिया गया । इस सत्र में जो प्रश्न मैंने दिया उसमें भी कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही ह । मान्यवर, मेरे यहां एक जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक श्री राजेन्द्र प्रसाद के बारे में मैंने प्रश्न किया था । उसको 7 साल से तनख्वाह नहीं दी जा रही है । आज भी कहा जा रहा है कि सूचना एकत्र कर रहे हैं । एजेन्डे में सत्रहवें नम्बर पर मेरा यह प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं और जो वहां पर सड़क बनी है, उसका मुआवजा नहीं दिया गया है । जिला आफिस से फौरन सूचना मांगी जा सकती है किन्तु लिख दिया है कि 22वें मंगलवार के लिये स्थगित कर दिया गया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, सुन लें आपको आसानी हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

कैसे आसानी हो जायेगी ? आप जो कुछ कह रहे हैं उसे आप लिख कर दे दें । आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं जब तक मैं डिटेल में उन्हें देख नहीं लूंगा तब तक कैसे कोई निर्णय दे सकता हूं ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, 22वां मंगलवार नहीं आयेगा जिसमें किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा देने की बात है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपकी बात को देखूंगा । माननीय सदस्य जो इस तरह के प्रश्नों की अनियमितता के बारे में एकदम से यहां उठाते हैं तो यहां बिना रिकार्ड देखे मेरे लिये सम्भव नहीं है निर्णय देना, जब तक मैं पूरी चीजों को देख नहीं लूंगा, कौन सही कहता है, कौन गलत कहता है, इस चेयर से कोई उस पर उत्तर देना और निर्णय देना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

*श्री पंचानन राय--

मान्यवर, आपके द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी जो करण जारी किया गया है उसमें प्राविधान है कि एक बार से ज्यादा सवालों को स्थगित नहीं किया जा सकता है । मेरे पिछले सत्र में और इस सत्र में 70 से ज्यादा सवालों को स्थगित कराया गया है और मैंने माननीय मंत्री जी को लिखकर इसके बारे में दे दिया है...

श्री अध्यक्ष--

जब आपने लिखकर दे दिया है तो फिर क्यों कह रहे हैं ?

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आज के सवालों के बारे में कहना चाहता हूं मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या 56 था जिसमें मैंने कहा था कि विधान सभा के प्रथम सत्र सन् 1982 के दूसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत 39 गांवों में चकबन्दी कब प्रारम्भ की गई है तथा कब तक पूरी हो जायेगी । मान्यवर, विभागीय अधिकारी यह कहते हैं चूंकि सवाल पूछा गया है इसलिये चकबन्दी नहीं होगी । मान्यवर, इससे पूर्व वहां के एम0 एल0 ए0 राम सुन्दर जी पांडेय थे, उन्होंने भी ऐसा सवाल पूछा था...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

जब आपने लिखकर दे ही दिया है तो फिर उसको मैं देखूंगा जो आप कह रहे हैं, जब तक मैं डिटेल में उसको देख न लूं, कैसे निर्णय दे दूं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न संख्या 56 में कहा गया है कि चकबन्दी करा दी जायेगी और फिर कहा गया है कि जिले से इसके लिये जानकारी कराई गई है । जानबूझकर अधिकारी इस समस्या को टालते हैं । इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको देखूंगा ।

श्री बदन सिंह--

मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिये 20 मिनट का समय निर्धारित है । मान्यवर, कल जो यहां पर हुआ कि पहले अल्प सूचित तारांकित प्रश्न पर 16 मिनट लिये गये और दूसरे के लिये केवल 4 मिनट ही रह गये । इस तरह से यह असन्तुलन हो गया । एक सवाल के लिये 16 मिनट और दूसरे के लिये केवल 4 मिनट जिसका परिणाम यह हुआ कि हमें उस प्रश्न पर बोलने का मौका नहीं मिला । कल जो दूसरा सवाल था वह शंकर सिंह जी का था, समय नहीं मिल पाया । केवल दो ही अल्पसूचित प्रश्न हो सकते हैं । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि सवालों में इतना असन्तुलन नहीं होना चाहिए कि एक सवाल को दूसरे सवाल से चौगुना समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जहां तक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में समय देने की बात है । इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कितना समय एक में दिया जाना चाहिये । यह तो प्रश्न की महत्ता को देखते हुए कि कितने माननीय सदस्य इस पर खड़े होते हैं, सदन की क्या मंशा है, कितने लोग प्रश्न करना चाहते हैं उस हिसाब से होता है । मैं तो चाहता हूं कि एक प्रश्न को 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलना चाहिये । जब मैं आगे बढ़ता हूं तो आप लोग आग्रह करते हैं कि इसमें और प्रश्न करने दीजिये । इसमें तो आप सबको मुझे सहयोग देना चाहिये । मैं तो चाहता हूं कि हर एक माननीय सदस्य को अवसर मिल जाय, उनके जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर उनको ठीक से मिल जांय । मैं तो यही चाहता हूं जो आपकी मंशा है ।

श्री चेतराम गंगवार--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह सम्भव नहीं है कि जो कुछ आप कह रहे हैं उसका उत्तर अभी दे दूं. मैंने यह व्यवस्था दे दी है ।

ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद की सम्पत्ति पर सवर्णों द्वारा अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 36 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 21 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री केदार नाथ सिंह, श्री पंचानन राय, श्री राम आसरे वर्मा, श्री अकबर हुसैन, श्री रियासत हुसैन, श्री राम गोविन्द की 5 सूचनायें मैंने स्वीकार की हैं बाकी अन्य सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार कर दी गयी हैं

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मान्यवर, हरिजन सेवक संघ द्वारा इलाहाबाद में हरिजनों के उत्थान के लिए ईश्वर शरण आश्रम (हरिजन आश्रम) चलाया जा रहा है । भारत वर्ष में यही एक मात्र हरिजनों के उत्थान के लिए संस्था है । यह महात्मागांधी की प्रेरणा से उनके निकटतम सहयोगी स्व0 मुन्शी ईश्वर शरण द्वारा एक झोपड़ी में शुरू कर आज इस संस्था द्वारा एक महाविद्यालय, दो इन्टरमीडियेट कालेज आश्रम पद्धति स्कूल, वोकेशनल प्रिन्टिंग प्रशिक्षण, अनाथ आश्रम, बेड सहित चिकित्सालय, कई छात्रावास इसके साथ ही सिनेमा प्रोजेक्टर, एक डीजल जेप, बड़ी बस थ्री व्हीलर, स्कूटर, दो नलकूप टंकी सहित, कृषि योग्य भूमि एवं बड़े-बड़े बाग आदि काफी मात्रा में सम्पत्ति है । इस आश्रम को हरिजन उत्थान के लिए केन्द्र सरकार से भी अनुदान दिया जाता है । यहां पर भारत के कोने-कोने से हरिजन एवं जन-जाति के छात्र आते रहे हैं जनता शासन काल में इस संस्था के संस्थापक स्व0 मुन्शी ईश्वर शरण के पौत्र श्री शशिभूषण शरण को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिला दिया और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास (उ0 प्र0) हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने । पुरानी प्रबन्ध समिति के सदस्यों के स्थान पर हरिजन एवं गांधी विरोधी तत्वों को नामांकित करके अब तक सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि भवन आदि पर सवर्णों से अवैध रूप से कब्जा करा दिया गया है । कीमती सामान को गायब किया गया है तथा लाखों का अनुदान खा गये । जिसके कारण कई शाखायें बन्द हो चुकी हैं अन्य के बन्द होने की नौबत है ।

अतः आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार का ध्यान उपरोक्त लोक महत्व की सूचना की ओर इस आशय से दिलाना चाहता हूं कि शीघ्र हरिजनों एवं सरकार के करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को बचाने की कार्यवाही करें।

उत्तर प्रदेश चीनी निगम की मिल पिपराइच, जिला गोरखपुर की तकनीकी खराबी के कारण पेराई क्षमता में कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री केदार नाथ सिंह--

महोदय, उत्तर प्रदेश चीनी निगम की मिल पिपराइच, जिला गोरखपुर तकनीकी दृष्टि से चलाने योग्य ही नहीं रह गयी है क्योंकि टूट-फूट के कारण आये दिन बन्द हो जाती है । रोलर टूट जाने से 15 दिनों से मिल बन्द है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री केदार नाथ सिंह---]

उक्त मिल की प्रतिदिन की औसत पेराई क्षमता गत वर्ष लगभग 9,000 क्विंटल से ऊपर थी परन्तु इस समय उक्त चीनी मिल मात्र 5,000 क्विंटल की प्रति दिन पेराई कर पा रही है । मिल ने पेराई कर कार्य बहुत पिछड़कर शुरू किया था । फलस्वरूप कृषकों के ऊपर काफी संकट आ गया है । गोरखपुर, देवरिया के लगभग 400 गांव के कृषक भयंकर रूप से प्रभावित हो रहे हैं । अनुमान है कि इस वर्ष उक्त क्षेत्र का गन्ना खेतों में ही खड़ा रह जायेगा । लगभग आधा सीजन समाप्त होने जा रहा है परन्तु अनुमानित पेराई का एक चौथाई भी गन्ना नहीं पेरा जा सका । अब गन्ने का वजन गर्मी के समय में कम आयेगा इसलिये गन्ने की आपूर्ति में विशेष तेजी लाकर आस-पास के मिल सुरक्षित क्षेत्रों से कम से कम 15 दिन पूर्व गन्ना समाप्त करा देना चाहिये ताकि इधर की हानि की पूर्ति की जा सके ।

अतः इस लोक महत्व के विषय की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए अपेक्षा करूंगा कि कृषकों के गन्ने की आपूर्ति की तत्काल व्यवस्था करे ।

प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतनमान निर्धारण के फलस्वरूप अवशेष धन का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय---

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन तथा राज्य सरकार के संज्ञान में एक लोक महत्व की घटना लाना चाहता हूं ।

प्रदेश के एक लाख सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों को वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उनके देय अवशेषों का भुगतान नहीं हो रहा है । विद्यालयों के तैयार किये गये भुगतान सम्बन्धी कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक तथा शिक्षा उप निदेशक के कार्यालयों के बीच घूम रहे हैं । प्रदेश के शिक्षकों में अवशेष का भुगतान न होने से भारी क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है । इसके अतिरिक्त व्यायाम शिक्षकों के वेतन निर्धारण की राजाज्ञा भी अभी तक निर्गत नहीं हुई है ।

वेतन निर्धारण का कार्य प्रायः जुलाई महीने में समाप्त हो गया । 8 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी अवशेष का भुगतान न होना जहां एक तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की कार्य पद्धति को भी स्पष्ट करता है ।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि शिक्षकों के अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी कार्यवाही करायी जाय

जनता धोती की खरीद बन्द किये जाने से हरदोई के मल्लावां व गौसगंज क्षेत्र के बुनकरों के समक्ष उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, जनपद हरदोई के मल्लावां व गौसगंज क्षेत्रों के बुनकरों पर आये संकट से हैंडलूम उद्योग खतरे में पड़ गया है । लाखों रुपयों की कीमत की जनता धोती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के ढेर लग गये हैं, बुनकरों पर बेशुमार कर्जा लद गया है, अनेकों करघे बन्द हो गये हैं, सैकड़ों बुनकर अपने स्थानों से भाग-भागकर मजदूरी के तलाश में भटक रहे हैं। बहुतों के घर दो-दो तीन-तीन दिनों तक चूल्हा नहीं जलता है। यह स्थिति पैदा हुई है। यूपिका द्वारा जनता धोती की खरीद बंद होन तथा मल्लावां इकाई द्वारा खरीद में मनमानी के कारण कारपोरेशन की इकाई में कार्यरत अधिकारी जातीय विद्वेष की भावना से बुनकरों को बैठने, लोट बाल्टी छूने पर अंकुश लगाये हुये हैं। मैंने स्वयं हस्तक्षेप कर लूट-खसोट, दुर्व्यवहार से बुनकरों को सुनने, बराबर दोनों के बीच सहयोग का वातावरण बनाने का प्रयास किया, उद्योग मंत्री, उद्योग सचिव को भी लिखकर स्थिति को अवगत कराया, किन्तु इनके प्रभाव उल्टे ही पड़े।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि बुनकरों की जिन्दगी से न खेला जाय, शासन के निर्देशों के मुताबिक इकाई द्वारा खरीद सुनिश्चित की जाय तथा यूपिका द्वारा खरीद पुनः शुरू करायी जाय।

जूनियर हाई स्कूल के उर्दू अध्यापकों का वेतनमान निदेशक द्वारा कम कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन--

नवम्बर, सितम्बर, 1972 के शासनादेशानुसार प्रदेश में 4833 सहायक उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी थीं जिसमें से एक हजार जूनियर हाई स्कूल में नियुक्तियां की गयी थी, जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्त होने वाले उर्दू अध्यापकों का ग्रेड 450-720 निर्धारित किया गया था। प्राइमरी और जूनियर सेक्शन में नियुक्त किये गये उर्दू अध्यापकों की नौकरियां दिनांक 29-12-81 को स्थायी कर दी गयी थी, परन्तु डायरेक्टर उत्तर प्रदेश ने दिनांक 27-9-82 को एक आदेश जारी किया जिसमें यह कहा गया है कि जूनियर हाई स्कूल में नियुक्त उर्दू अध्यापकों को भी प्राइमरी अध्यापकों के बराबर ही तनख्वाह मिलेगी जिनका ग्रेड 201---320 तक है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इस दौरान में जो ज्यादा तनख्वाह की रकम के हिसाब से जूनियर हाई स्कूल के उर्दू अध्यापकों ने वसूल की है उसको सरकार के हक में जमा किया जाय। डायरेक्टर के इस आदेश के कारण सारे ही जूनियर हाई स्कूल के उर्दू अध्यापकों में विशेष तौर से उर्दू प्रेमी जनता में आम तौर से डायरेक्टर के आदेश के विरुद्ध एक प्रक्रिया हुई है जिसके कारण व्यापक रूप से असंतोष उत्पन्न हुआ है। एक तरफ तो सरकार की नीति उर्दू भाषा को प्रोत्साहन करने को कहा जाता है और दूसरी तरफ उर्दू अध्यापकों के सम्बन्ध में इस तरह के आदेश किये जाते हैं। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के सभी उर्दू प्रेमियों में आक्रोश, असंतोष उत्पन्न हुआ है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि आज दूसरा दिन है मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर जनपद के महाराजगंज में नैपाल और बिहार के तस्कर आते हैं और बन्दूक लेकर चावल और गेहूं....

श्री अध्यक्ष--

आप कल नहीं थे, मैंने इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है। जब इसके लिए समय आए तो आप उस पर कहियगा। इस समय यह नहीं है।

दिनांक 17 फरवरी, 1983 को विधान परिषद् की कार्य-सूची में श्री क्रान्ति कुमार द्वारा प्रस्तुत संकल्प के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

[12 बज कर 46 मिनट]

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न यहां पर उठाना चाहता हूं।

श्री खैरुल बशर--

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने मोहन सिंह जी को औचित्य के प्रश्न पर बुलवाया है। इसके बाद ही आप अगर व्यवस्था का प्रश्न लायें, तो उस समय उस पर विचार करूंगा।

*श्री मोहन सिंह--

श्रीमन्, मैं जो औचित्य का प्रश्न यहां पर उठाना चाहता हूं, उसके सम्बन्ध में सबसे पहले सम्बन्धित नियम 300 का उल्लेख कर देना चाहता हूं। नियम 300 में है--औचित्य का प्रश्न और उन पर विनिश्चय--और प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। मैंने आपके संज्ञान में बात ला दी है। भारतीय संविधान में विधान परिषद् और विधान सभा के कार्यों का बंटवारा करते हुए दोनों की शक्तियों का स्पष्ट विनिश्चय कर दिया गया है।

मान्यवर, आप कल की जो विधान परिषद् की कार्य-सूची है, उसको कहीं से देखें, इसमें एक संकल्प श्री क्रान्ति कुमार, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि--"इस सदन का निश्चित मत है कि न्याय प्रशासन की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उस पर किए जाने वाले व्यय को बढ़ाकर सम्पूर्ण बजट का 5 प्रतिशत धनराशि इस मद में व्यय की जाय।" अब मान्यवर, निश्चित तौर पर अपने संचित निधि और बजट के सम्बन्ध में विधान परिषद् को चर्चा करने का कोई अधिकार संविधान के अन्तर्गत नहीं है मैं इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान की धारा 198 आपको सुनाना चाहता हूं कि विधान परिषद् में धन विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान की यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उल्लिखित धारा है, जिसके अनुसार किसी भी धन विधेयक पर विधान परिषद् में कोई चर्चा नहीं होगी । इसी सम्बन्ध में अब मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 199 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह बताया गया है कि धन विधेयक किसे कहते हैं ? उसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है । उसमें दिया है कि 199 (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबंध हैं अंतर्विष्ट हैं, अर्थात्—

(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियमन,

(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा राज्य द्वारा लिए गए अथवा लिए जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि का संशोधन,

(ग) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना,

(घ) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग।

यानी जो बजट है, वह बजट हमारी संचित निधि के प्राविधानों को हम अपनी विधान सभा के अन्तर्गत चर्चा करके, मूल संचित निधि में से कुछ खास मदों में से वित्तीय व्यवस्था करते हैं । आप इसके अनुसार हमारी संचित निधि में हम री विधान सभा में जो पास हो गया, व्यवस्था में जितना प्राविधान करेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ धन रखने की व्यवस्था एक निर्देश की शक्ल में विधान सभा द्वारा ल ने के लिए कोशिश की गई है । अब कोई स्थिति आ जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, विधान परिषद् की नियमावली भी इस सम्बन्ध में कहती है । विधान परिषद् की नियमावली के नियम 147 में दिया हुआ है—

(1) यदि वित्तीय उपबन्धों से सम्बन्धित किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के प्रश्न के प्रस्ताव की सूचना मिले तो सभापति निर्देश दे सकते हैं कि वह कार्य सूची में सम्मिलित न किया जाय ।

(2) जबकि कोई ऐसा विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा हो तो कोई भी सदस्य उस प्रक्रम अथवा किसी अनुवर्ती प्रक्रम पर यह आपत्ति कर सकता है कि वह एक वित्तीय विधेयक है और उस पर परिषद् में आगे विचार न किया जाता ।

उसमें आगे यह भी है कि सभापति यदि आपत्ति को वैध समझें तो वह निदेश देंगे कि विधेयक सम्बन्धी आगे की कार्यवाही समाप्त की जाय । इसका दूसरा हिस्सा है, यदि सभापति महोदय को आपत्ति की वैधता में कोई संदेह हो, तो वे इस विषय को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देंगे, जिनका निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा । अध्यक्ष का आशय विधान सभा के अध्यक्ष से होता है । यदि कोई बात जैसे मैंने यहां उठायी कि यह धन विधेयक है कि नहीं, मान लीजिये इस पर सन्देह पैदा हो जाये तो मान्यवर, विधान परिषद् में विद्वान सदस्य बैठते हैं, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया होगा । वहां के उप-सभापति

[श्री मोहन सिंह---]

महोदय, जो कार्यकारी सभापति महोदय हैं, वे भी विद्वान पुरुष हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से आपको निर्दिष्ट करना चाहिये था और आपका आदेश ही इस संशय को समाप्त करने के लिए काफी है । यह नियमावली और भारतीय संविधान की जिस धारा 199 का मैं उल्लेख कर रहा हूं, उसके तीसरे खंड में आप देखें-यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद् वाले किसी राज्य में विधान मंडल में पुरस्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष का विनिश्चिय अन्तिम होगा ।

एक तरफ हमारा संविधान कहता है और दूसरी तरफ हमारी विधान सभा की नियमावली भी कहती है कि जब धन विधेयक के बारे में कोई संशय हो जाय, तो उसमें आपका निर्णय अन्तिम होगा । इस प्रकार की बात, इस संशय को समाप्त करने के लिए क्या उन्होंने आपको लिखा, यदि उन्होंने लिखा तो अपने उनको क्या निर्देश दिये, इस सम्बन्ध में हम जानकारी चाहेंगे ? यह धन विधेयक है या नहीं । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी सदन का संकल्प किसी भी सरकार के लिए आदेश के रूप में होता है ।

यदि संकल्प चर्चा के रूप में वहां स्वीकार किया जाय, पास हो जाय, तो इस सरकार के लिए तो आदेश के रूप में होगा, जिसकी अवहेलना करना इस सरकार के लिए एक विशेषाधिकार का प्रश्न खड़ा करने वाली बात हो सकती है और जहां तक इस प्रकार के संकल्पों पर चर्चा का सवाल है, यह बात उठाई जा सकती है कि केवल मात्र संकल्प प्रस्तुत करने से तो वह संकल्प पास हुआ तो नहीं माना जायेगा लेकिन क्या कोई भी सदन जो उसकी अधिकार सीमा है उसके अधिकार के बाहर जाकर किसी भी संकल्प के ऊपर चर्चा कर सकता है । जैसे मान्यवर, हमने एक संकल्प दिया था वह संकल्प था--'उत्तर प्रदेश का बटवारा कर दिया जाय और इस बंटवारे के लिए कमीशन नियुक्त किया जाय ।' मान्यवर, मुझको इस सम्बन्ध में आपका एक पत्र मिला जिसमें यह कहा गया कि बटवारे का प्रश्न और उस पर कमीशन बनाना यह केन्द्रीय सरकार का विषय है, इसलिए आपका संकल्प, बजट में स्वीकार होने के पश्चात, चूंकि हमारे अधिकार सीमा में नहीं आता है, इसलिए यहां पर उस पर चर्चा नहीं हो सकती । हमारा संकल्प निरस्त हो गया । ठीक उसी तरह से जो परिषद् की सीमा में नहीं आता है, उस पर क्या विचार किया जा सकता है ?

मान्यवर, इससे दो प्रश्न खड़े होते हैं, कि क्या कोई कार्यवाही जो दूसरे सदन में हुई है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की लोक सभा, हिन्दुस्तान की राज्य सभा या दूसरी अन्य किसी विधान सभा या विधान परिषद् की कोई भी कार्यवाही, जो हमारे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है, उसके ऊपर हम चर्चा करने में सक्षम है । मेरी राय में निश्चित रूप में विधान परिषद् में चर्चा हुई है यह विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में एक अतिक्रमण का विषय है । इसलिए यदि विधान सभा अपने अधिकार की रक्षा में पूर्ण सक्षम नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए अनुचित बात होगी । इसलिये मान्यवर, मैं तीन बिन्दुओं पर व्यवस्था चाहता हूं--

(1) क्या इस संकल्प पर चर्चा करने से पहले वहां के उप सभापति महोदय, जो आज वहां कार्यकारी सभापति हैं, ने आपसे कोई सम्मति ली ?

(2) बिना आपकी सम्मति, यदि उन्होंने चर्चा की तो उस चर्चा के क्या उनको अधिकार था ?

(3) यदि उन्होंने चर्चा कर ली, तो क्या हम इसके हकदार हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के लिए, उनकी जो कल की सम्पूर्ण कार्यवाही हुई, अपने निर्देशानुसार उसको कार्यवाही से निकलवा सकें ।

इन तीन बिन्दुओं पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय मोहन सिंह के औचित्य के प्रश्न को सुना । जहां तक विधान सभा का सम्बन्ध है इसके अपने अधिकार अपनी जगह पर हैं इसकी नियमावली अलग है जहां तक विधान परिषद् किस तरीके से कार्य करेगी, कैसे उसका संचालन होग यह उनका अपना अधिकार है ? जिस सदन में जो बात होती है उसका निर्णय लेने का उसी सदन को अधिकार है । इसी तरह वर्ष 1965 में भी एक बात उठी जिस पर 22 अप्रैल, 1965 को एडवोकेट जनरल द्वारा विधान परिषद् में कही गयी किसी बात के लिए उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में आये हुए प्रश्न का निराकरण करते हुए श्री अध्यक्ष न कहा था "उन्होंने परिषद् में क्या कहा, इस पर तो परिषद् ही कार्यवाही कर सकती है, हम नहीं करेंगे ।" परिषद् इंडिपेन्डेन्ट बाडी है वह क्या कार्यव ही करती है, क्या निर्णय लेते यह उनके अधिकार में है । हम क्या कार्यवाही कर रहें है हम पर निर्भर क ता है । अगर कोई चीज नियमानुसार हमारे यहां भेजते हैं जैसे विधेयक आते हैं यहां से वहां जाते हैं उस बात को छोड़कर, विधान परिषद् को अपने मामलों पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है । किन परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है इसकी जानकारी उनको है । अतएव माननीय मोहन सिंह ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है मैं उसको अस्वीकार करता हूं ।

*श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, गोंडा में बड़गांव स्टेशन के पास मन्दिर के पास एक शराब की भट्टी बना दी गई है । जहां पर ऐसे आदमी रहते हैं जो महिलाओं को आरती नहीं करने देते हैं । पिछले स ल वहां पर एक नौजवान की मृत्यु भी हो चुकी है । कई बार इस सदन में कहा गया कि ऐसी भट्ठी धार्मिक स्थानों पर नहीं रखी जायेगी लेकिन इसका बराबर वहां का प्रशासन अवहेलना कर रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह तो लाबी में खुलने वाली है ।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है । मैं आपको आज्ञा नहीं देता हूं ।

श्री मसरूर जाफरी--

[× × ×]

(व्ययधान)

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। मैंने आज्ञा नहीं दी है। उसके बाद आप मान नहीं रहे हैं। मंत्री जो सामने बैठे हैं आप उनके कक्ष में जाकर कह सकते हैं कि यह बात है, वह आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मंत्री जो तो ऐसी दुकानों को जो मन्दिर और मस्जिद के पास है उद्घाटन करके आये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति का नवम् प्रतिवेदन†

[12 बजकर 59 मिनट]

*श्री दलजीत सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की "संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति" का नवम् प्रतिवेदन, जो "मंत्रिपरिषद् का विधान मंडल के प्रति उत्तरदायित्व" विषय से सम्बन्धित है, इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस समिति का सभापतित्व स्वयं माननीय अध्यक्ष करते हैं और इस प्रतिवेदन में एक गूढ़ संसदीय विषय पर समिति ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। समिति ने मंत्रिपरिषद् के विधान मंडल के प्रति उत्तरदायित्व का विस्तृत अध्ययन किया है और विभिन्न संसदीय लोकतांत्रिक देशों में इस उत्तरदायित्व का विकास शनैः-शनैः किस प्रकार हुआ ? इसकी गूढ़ता से ऐतिहासिक विवेचन करते हुए प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार किया है।

आज के युग में विशेषकर प्रजातांत्रिक देशों के परिप्रेक्ष्य में मंत्रि परिषदों और विधायिका से उनके सम्बन्धों का अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण है। प्रजातांत्रिक देशों के इतिहास का अवलोकन करने से एक बात यह स्पष्ट होती है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही एक दूसरे की अपेक्षा अपनी शक्तियों और प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयास करते रहे हैं। कतिपय परिस्थितियों में तो ऐसा लगता है कि कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण घट सा रहा है : ब्रिटेन में संसदीय सरकार का स्थान मंत्रिमंडलीय (कैबिनेट) सरकार ने ले लिया है और कैबिनेट के अन्दर भी मइनर कैबिनेट बन जाती है। फ्रांस में पांचवें गणतन्त्र में राष्ट्रपति की शक्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि यह संदेह होने लगा कि क्या वहां सचमुच कोई संसदीय सरकार चल भी रही है ? अमेरिका में तो शक्ति पृथक्करण है ही, फिर भी वहां के कांग्रेस के प्रभाव में अपेक्षाकृत कमी आई है। इस प्रकार विधायिका के प्रभाव में कमी की प्रवृत्ति लोकतन्त्र के सच्चे स्वरूप पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है।

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व व्यवस्थापिका को कार्यपालिका से स्वतन्त्र होने और जन प्रतिनिधयात्मक स्वरूप ग्रहण करने में लगभग सौ वर्षों का समय लग गया। स्वतन्त्रता के पूर्व प्रहर में संविधान सभा ने भारतीय संविधान के प्रारूप में यह व्यवस्था की कि "मंत्रि परिषद" लोक सभा के प्रति

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । इसी मान्यता के आधार पर हमारे संविधान में यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति तथा राज्यों की मंत्रि परिषदें अपनी विधान सभाओं के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगी । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतन्त्र की स्थापना के साथ ही भारत में विधायिका का कार्यपालिका से पृथक प्रभुत्व एवं स्वतन्त्र अस्तित्व का विकास हुआ । भारतीय संसद में श्री मावलंकर प्रथम स्पीकर थे, जिन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया, विशेषाधिकारों की स्थापना की, संसदीय समितियों का गठन किया । जो प्रशासन के कार्यों का अनुवीक्षण कर सकें और इस प्रकार उन्होंने संसद की स्थिति को सरकार से स्वतन्त्र बनाया ।

समिति द्वारा किए गए इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मंत्रिपरिषद् जन भावना का जितना अधिक आदर करेगी और जन प्रतिनिधियों के प्रति जितने अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करेगी, वह उतनी ही सफल होगी । एक ओर मंत्रिपरिषद सदन की इच्छा के अनुसार कार्य करती है और दूसरी ओर ऐसे अवसर भी आते हैं जब उसके द्वारा सदन का मार्ग दर्शन किया जाता है । अतः इनके पारस्परिक सम्बन्ध जितने सौम्य और जनहितकारी होंगे, लोकतन्त्र की जड़ें उतनी ही मजबूत होंगी । संसदीय प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक नहीं वरन् एक दूसरे के पूरक होने चाहिए । मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक हाइफन अर्थात दोनों के बीच की कड़ी के नाम से सम्बोधित किया गया है । मंत्रिपरिषद जितना अधिक विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होगा उतना ही वह जनता के प्रति उत्तर-दायी माना जाएगा ।

इन शब्दों के साथ में "संसदीय शोध, संदर्भ एवं अध्ययन समिति" के नवम प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह अभी तक मिला नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जो प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत किया गया है वह मंत्रिपरिषद और विधान मंडल दल के आपस के सम्बन्ध से सम्बन्धित है ।

मान्यवर, नियम 216 (3) के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में मंत्री जी या तो अभी कहें या फिर समय बता दें । नियम 216 (4) के अन्तर्गत मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अगर मेरी सूचना को सही मानें तो इस समय के 7 मिनट पहले तक यह पिजन होल में नहीं थी । अगर किसी माननीय सदस्य के पास हो तो दिखा दें कि उनको प्राप्त हो गई है । मान्यवर, आपके रहते हुए यह अनियमित कार्य हुआ है । नियमों में व्यवस्था है कि सदन के पटल पर रखी जाने वाली चीज पिजन होल में रखी जायगी । बिना रखे हुए इसका परायण हो रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आगे से यह व्यवस्था करूंगा कि जब इस प्रकार का कोई विषय हो तो उसकी प्रतियां पहले मिलनी चाहिए । हमें तो बताया गया है कि इसकी प्रतियां भेज दी गई हैं । पिजन होल में लगाए जाने के लिए मैं इस बात को दिखवा लूंगा जिसके लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नहीं मिली । आगे इस प्रकार की व्यवस्था होगी, जो बात आप उठा रहे हैं वह नहीं होगी ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं नियम 216 (4) के अन्तर्गत चर्चा की मांग करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय रियासत साहब ने पहले 216 (3) की बात कही तो अगर इसमें आपकी आज्ञा हो, 216 (4) में है यदि अध्यक्ष उचित समझें, तो मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो स्पष्टीकरण कर दिया जायगा । किसी और तिथि को जिसे आप उचित समझें तो स्पष्टीकरण कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह कार्य मंत्रणा समिति में आता है आप पेश कर दीजिएगा । इस पर कार्यवाही तब संभव हो सकेगी ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मुझे माननीय सदन को सूचना देनी है कि दिनांक 17 फरवरी, 1983 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ और समिति ने सर्व सम्मति से दिनांक 21 फरवरी से 25 फरवरी, 1983 तक का सदन का कार्य निम्नलिखित रूप में लिए जाने की संस्तुति की है :--

फरवरी, 1983

21 सोमवार — वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा--समाप्त

अपरान्ह 5 बजे से--

उत्तर प्रदेश गन्ना काश्तकारों को गन्ने के मूल्य की अदायगी के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दो घंटे की चर्चा ।

22 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

अपराह्न 5 बजे से--

हाल ही में प्रदेश में बिजली की दरों में की गई वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर डेढ़ घंटे की चर्चा ।

23 बुधवार — वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

अपराह्न 5 बजे से---

उत्तर प्रदेश में खेलकूद की स्थिति में प्रगति के सम्बन्ध में श्री लाल प्रताप सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आधे घंटे की चर्चा ।

24 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

25 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

अपराह्न 3-30 बजे से--

(1) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण ,

(2) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा आज सबन को दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[1 बजकर 9 मिनट]

24 अगस्त, 1982 को अनुपूरक अनुदान 1982-83 के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा को समाप्त करते समय भाषण में वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों में संशोधन हेतु संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी---)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24 अगस्त, 1982 को अनुपूरक अनुदान 1982-83 के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा को समाप्त करते समय भाषण में वित्त

[श्री अम्मार रिजवी--]

मंत्री द्वारा जो बातें कही गयीं थीं उसमें आंकड़ों में मैं कुछ शोधन करना चाहता हूं, जो निम्न प्रकार है :--

भाषण का अंश	भाषण का संशोधित अंश
1--अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्रों की जो 10 वीं कक्षा के छात्र हैं, उनको छात्रवृत्ति के लिए 3.84 करोड़ रु0 दिया ।	1--अनुसूचित जाति और जनजाति के 10 वीं कक्षा के ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 3.84 करोड़ रु0 दिये ।

भाषण का अंश

एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं सदन को देना चाहता हूं । रेवेन्यू सरप्लस होता है । 99.39 करोड़ की आशा की थी किन्तु वर्ष के अन्त में 245 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस हो गया । इसी प्रकार 1981-82 में आशा की थी 167.70 करोड़ की जो कि अन्त में बढ़ कर 254.64 करोड़ था ।

भाषण का संशोधित अंश

एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं सदन को देना चाहता हूं । वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए 65.42 करोड़ रु0 के रेवन्यू सरप्लस की आशा की गयी थी किन्तु वर्ष के अन्त में 182.64 करोड़ रुपया का रेवेन्यू सरप्लस हुआ । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 1981-82 में 109.69 करोड़ रुपये के रेवेन्यू सरप्लस की आशा की गयी थी जो वर्ष के अन्त में बढ़ कर 250.04 करोड़ रुपये हो गया ।

दिनांक 18 जनवरी, 1983 को मुजफ्फरनगर में श्री करन सिंह की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 18-1-83 को थाना सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर पर 9-15 सायंकाल श्री रामपाल सिंह पुत्र नत्थू सिंह ने लिखित प्रथम सूचना अंकित कराई कि वह कुछ अन्य लोगों के साथ श्री नकली सिंह, सदस्य, विधान सभा के निवास स्थान से वापस लौट रहे थे तो 8-30 बजे सांय ज्ञानदीप स्कूल के सामने एक ट्रक के खड़े होने के कारण उनकी कार को निकलने का रास्ता नहीं मिला । रास्ता मांगने पर ट्रक के निकट खड़े आदमी ने जिसका नाम बाद में रामवीर सिंह पता चला, उन्हें गाली देना प्रारम्भ किया और गाली देने से मना करने पर उसने अपने रिवाल्वर से दो-तीन फायर उन्हें जान से मारने के उद्देश्य से किये । फायरों की आवाज सुनकर श्री नकली सिंह, विधायक, उनका अंगरक्षक एवं श्री करन सिंह घटनास्थल पर आ गये । रामवीर सिंह ने पुनः दो फायर जान से मारने की नीयत से किये जिसमें एक गोली श्री करन सिंह के पेट में लगी । अंगरक्षक द्वारा बचाव में फायर करने पर एक गोली रामवीर के पैर में लगी । श्री करन सिंह की दशा गम्भीर होने के कारण उनको तुरन्त सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया । इस सूचना के आधार पर, अभियोग संख्या 18, धारा 307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 18-1-83 को ही थाना सिविल लाइन पर श्री चांदवीर सिंह पुत्र हरवीर सिंह ने लिखित प्रथम सूचना अंकित कराई कि 18-1-83 को रात्रि 8-30 बजे विधायक श्री नकली सिंह अपने शंडों के साथ उसके छोटे भाई, रामवीर सिंह के घर पर आये और गाली देकर ट्रक हटाने को कहा जिस पर रामवीर सिंह ने आपत्ति की। विधायक अपने घर लौट गये और कुछ समय उपरान्त पुनः 16-17 अन्य व्यक्तियों के साथ जो बन्दूक, रायफल व रिवाल्वर से सुसज्जित थ, आये और दरवाजा तोड़ने का प्रयास करने लगे। रामवीर सिंह के मना करने पर जान से मारने के उद्देश्य से फायर किये जो दरवाजे पर लगे। अचानक चिटकिनी खुल जाने से एक फायर रामवीर सिंह के लगा जिस पर अपने बचाव में रामवीर सिंह ने भी फायर किये, जो एक व्यक्ति को लगा।

उक्त सूचना अपराध संख्या 18 ए धारा 147, 148, 149, 307, भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया।

बाद में श्री करन सिंह की दिनांक 21-1-83 को मृत्यु होने पर अपराध अन्तर्गत अभियोग संख्या--18 धारा 302 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। प्रश्नगत घटना की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको पढ़ने के बाद केवल स्पष्टीकरण की ही मांग करें और भाषण आप न करें। इस प्रकार की परम्परा न डालें कि सदन का ज्यादा समय व्यतीत हो।

श्री मोहन सिंह--

श्री चांदवीर सिंह ने जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी वह कितने बजे लिखायी गयी और उस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गुलाब सेहरा--

पूरा मामला सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है। 8-30 बजे की घटना लिखी है। यह लिखी है इन्होंने 9.20 बजे।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इस घटना के सम्बन्ध में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, रामवीर सिंह, उसका इतिहास क्या है ? उसने रिवाल्वर का प्रयोग किया, तो क्या वह लाइसेन्सी था ? यदि हां, तो वह किसकी संस्तुति पर दिया गया था ?

श्री गुलाब सेहरा--

रामवीर सिंह का आपराधिक इतिहास है, उसका पूर्ण विवरण बता दिया है। अभियुक्त रामवीर सिंह के विरुद्ध वर्ष 1969 में धारा 324 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडित हुआ था। वर्ष 1972 में धारा 307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। दिनांक 30-12-82 को श्री रवीन्द्र कुमार सेठ, सुरक्षा अधिकारी/यू0 पी0 स्टील नगर द्वारा अभियुक्त रामवीर के विरुद्ध धारा 504/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कराया। अभियुक्त के नाम बन्दूक एवं रिवाल्वर के लाइसेन्स दिये गये जिन्हें पुलिस द्वारा अधिकार में ले लिया गया।

श्री यशमन सिंह गहलौत---

जैसा कि मन्त्री जी के वक्तव्य में है कि इस घटना के समय शासक दल के माननीय सदस्य श्री नकली सिंह मौजूद थे। यह कहा जा रहा है कि उनकी हत्या करने के लिये रामवीर नामक व्यक्ति ने गोली चलाई, जो दुर्भाग्य से वह करन सिंह को लग गयी। उनके साथ जो शैडो था उसको बचाने का कर्तव्य था, उसने कर्त्तव्य किया। मैं पूछना चाहता हूं कि शैडो को सस्पेंड करने का क्या औचित्य है, क्यों सस्पेंड किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री यशमन सिंह गहलौत--

क्या शैडो के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

वह सस्पेंड कर दिया गया।

श्री यशमन सिंह गहलौत--

क्या किया गया ? यह मामूली बात नहीं है। आप कृपया बता दें। प्रश्न पुनः दोहराये देता हूं। उक्त घटना के समय माननीय नकली सिंह जी, सदस्य, शासक दल उपस्थित थे। आम चर्चा का विषय है कि उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। सौभाग्य से वह बच गये। दुर्भाग्य से करन सिंह को गोली लग गयी। ऐसे में जो नकली सिंह जी के साथ शैडो था उसको जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, कार्यवाही की। उसका क्या कसूर था। उसे क्यों सस्पेंड किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री यशमन सिंह गहलौत--

मान्यवर, किस आधार पर सस्पेंड किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी कह रहे हैं कि सूचना की आवश्यकता है। मोहन सिंह जी, आप केवल स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछ लें।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, शैडो किसी माननीय विधायक की सुरक्षा करने के लिये होता है। इनके राज्य में विधायकों की हत्या आम बात हो गयी है। नकली सिंह पर फायर हुआ, वह बच गये। शैडो ने सुरक्षा में फायर किया। बावजूद उसको पुरस्कृत करने के, उसे निलम्बित कर दिया गया। निलम्बन किस राजनैतिक दबाव में, मन्त्री के दबाव में किया गया। इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है ? सूचना तो रहती है इसमें।

श्री गुलाब सेहरा—

जब सस्पेंड किया जाता है तो आधार लिया जाता है, आधार क्या है ? यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, स्पष्टीकरण है । मैं प्रश्न नहीं करूंगा । प्रस्ताव लाया गया, मोहन सिंह थे, थम्मन सिंह जी थे, मैं भी उसमें था । हत्या की गयी, संगत उत्तर होना चाहिये । संगत उत्तर की अपेक्षा की जाती है । उत्तर संगत हो तभी सफाई होगी । इसमें साफ नहीं है कि यह जो कार्यवाही हुई है राजनैतिक प्रयत्न है । विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के खिलाफ एक साजिश हुई । एक मन्त्री ने जानबूझ कर अपने ही कार्यकर्ता को मार डालने की साजिश की। शैडो ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया कुछ मन्त्री लोग दिल्ली गये। शैडो ने पकड़ने की चेष्टा की, सामने पिस्टल लेकर खड़ा हो गया। उस समय माननीय वर्मा जी का जो शैडो था, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । उसका तो वह कार्य था ही, उसी काम के लिए उसे डिप्यूट किया गया कि वह रक्षा करे । यदि वह शैडो गोली न चलाता तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती और उसको निलम्बित कर दिया जाता । माननीय मंत्री जी के पास जानकारी नहीं है । मान्यवर, दुर्भाग्य है इस आदरणीय सदन का कि गृह विभाग का उत्तर देने के लिए जो खड़े हो जाते हैं, संगत तथ्यों को छिपाने वाले उत्तर दिये जाते हैं । चाहे वह श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी रही हों और चाहे माननीय श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी रहे हों । मान्यवर, जब यह मुद्दा उठा था तो आपने कृपापूर्वक हमें यह आश्वासन दिया था कि माननीय नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री ही निर्देशित करें । मेरी तो मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि इससे 11 करोड़ की जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और प्रशासन पर उसका प्रभाव पड़ता है । 11 करोड़ की जनता के हित को ध्यान में रखते हुये आप निर्देश दें और उस पर सोमवार को पूरी जानकारी के साथ मेन विन्दु पर पुनः अपना बयान दें । जैसा कि हमारे माननीय श्री थम्मन सिंह जी ने जानना चाहा कि शैडो को निलम्बित क्यों किया गया और तथ्यों को क्यों छिपाया जा रहा है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन, मेरे लायक दोस्त श्री गुप्ता जी कुछ भ्रम में हैं । मान्यवर, यह सी0 आई0 डी0 जांच के लिए दी गई है कि शैडो ने कर्तव्यपरायणता के लिए गोली चलायी या किन परिस्थितियों में चलाई, इसका अपराध अनुसंधान शाखा के विवरण में मौजूद है ।

(व्यवधान)

दोनों तरफ से गोली चलाई गई । पूरा मामला सी0 आई0 डी0 को दिया गया है। उसमें यह भी विवेचना होनी है कि गोली दोनों तरफ से सही चलाई गई या गलत चलाई गयी । शैडो ने कर्तव्यपरायणता से गोली चलाई या और किसी कारण से गोली चलायी, यह विवेचना भी होनी है, इसलिए मान्यवर, यह मामला सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

क्या शैडो के बारे में आपके पास जानकारी है या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैंने कहा कि शैंडो को निलम्बित कर दिया गया है क्योंकि एक दूसरे के शैंडो के ऊपर आरोप थे, इसकी इन्क्वायरी निष्पक्ष हो, शैंडो को निलम्बित कर दिया गया था ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया पत्रावली मेरे पास भेजी जाय और आज शाम को सदन उठने से पहले इसकी सूचना सदन को दें । शैंडो के बारे में माननीय सदस्यों ने जो भावनायें प्रकट की हैं शाम को पांच या पौने पांच बजे करीब उसके बारे में जानकारी दे दें ।

(व्यवधान)

इस बिन्दु पर माननीय मंत्री जी, मांगी नयी सूचना आखिरी मद के बाद सदन को देंगे ।

[1 बजकर 25 मिनट]

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल कार्य मन्त्रणा समिति में हम लोगों ने आपस में विचार-विमर्श किया था और हमारे यहां जो नियम 56 के अन्तर्गत पहले से पद्धति चली आयी थी, उससे अलग हो गये थे । कार्य-मन्त्रणा समिति में विचार-विमर्श हुआ है और नियम 56 के बारे में ग्राह्यता और अग्राह्यता के बारे में मैंने स्वयं निर्णय लिया है कि उनकी ग्राह्यता के बारे में हम सबको नहीं सुन सकेंगे । होता यह है कि एक व्यक्ति का दो महीने पहले का प्रश्न है, वह भी नियम 56 के अन्तर्गत आ जाता है जब कि उसका कोई महत्व नहीं है । जहां पर महत्वपूर्ण मामला होना चाहिये था, नहीं तो पता और सदन का समय नष्ट होता है । विचार-विमर्श के बाद आज यह निश्चय किया है कि 13 में से 3 के बारे में ग्राह्यता पर 2-2 मिनट में माननीय सदस्य बतायेंगे ।

*राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना दी है और आपको यह जानकारी है कि हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता की दृष्टि से उनको ऊपर उठाने की दृष्टि से बैंकों द्वारा और इस प्रकार से अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों के माध्यम से उनको जो कर्जा दिया जाता है, आज सम्पूर्ण प्रदेश की यह स्थिति है कि आवेदन पत्र ऐसी संस्थाओं में और बैंकों में पड़े हुए हैं और उसमें घोर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है । सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और स्वयं शासन पक्ष के दलाल आज दलाली करके इन बैंकों से और अन्य संस्थाओं से जो हरिजनों और कमजोर वर्ग को कर्जा दिलाया जाता है, आज उसमें व्यापक अनियमितायें और भ्रष्टाचार फैला हुआ है । हमको यह जानकारी है कि बुन्देलखंड क्षेत्र के अन्दर अभी कम से कम एक प्रतिशत ही प्रार्थना-पत्रों पर कर्जा दिलाया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, उसमें से 50 प्रतिशत इस प्रकार के कर्मचारी और उनके सरकारी दलाल आज उसको कमीशन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आज हमारे प्रदेश के अन्दर और बुन्देलखंड क्षेत्र के अन्दर भीषण प्रश्न उत्पन्न हो गया है।

मैं अपनी नियम 56 की सूचना के अन्तर्गत यह प्रार्थना करता हूं कि कार्य का स्थगन करें और आज इसकी चर्चा करायें क्योंकि यह प्रदेश के अन्दर दलाली का और भ्रष्टाचार का सब से बड़ा माध्यम बन गया है। कहते हैं कि सुविधा प्रदान करेंगे और हरिजन और गरीब वर्ग को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके उठाने की स्थिति यह है कि उस कर्जा का 50 प्रतिशत, जो कि बैंक से लैण्ड डेवलपमेन्ट बैंक को मिलता है, का पम्पिंग सेट उस व्यक्ति को खरीद दिया जाता है। उसको बाध्य किया जाता है कि सड़ा गला माल ले। 3 हजार रुपया का पम्पिंग सेट दिया गया है क्योंकि रेट इनके द्वारा फिक्स किया गया है, लेकिन जब वह 4 हजार रु0 का अन्य सड़ा गला माल लेता है तब पम्पिंग सेट के लिए कर्जा मिलता है। इस प्रकार सारे प्रदेश के अन्दर कर्जा देने में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके पश्चात् भी केवल एक प्रतिशत लोगों को कर्जा प्राप्त हुआ है। यह मैं आपको जानकारी बुलन्दशहर के पांचों जनपदों के बारे में दे रहा हूं, इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि आज सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

(व्यवधान)

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। बाराबंकी से बहराइच और गोण्डा को मिलाने वाली घाघरा नदी पर एक पुल बन रहा है, जिसकी लागत 5 करोड़ रुपये की है। इस ओर मेरी निश्चित जानकारी है कि जो खम्भा नं0 16 और 31 हैं, इनमें दरारें अभी से पड़ गयी हैं, जबकि अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है। इसका कारण मान्यवर, यह है कि जिस मानक के अनुसार निर्माण सामग्री लगाना निर्धारित हुआ था, उसके अनुसार न लगाकर, उससे नीचे स्तर का सामान कम रेसियो के साथ लगाया जा रहा है, जिसके कारण यह सम्भावना है कि जब यह पुल तैयार होगा तो पता नहीं किस वक्त और कौन सी दुर्घटना घट जाए, कहा नहीं जा सकता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस मामले पर आज सदन का कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाए।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

अगर ऐसा हुआ तो मान्यवर, पेट तो इनका अवश्य बड़ा हो जायेगा, लेकिन काफी लोग मर जायेंगे।

*सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जिस खम्भे के बारे में माननीय सदस्य ने मरहम-पट्टी के हटायें जाने की बात कही है, उसके लिए मान्यवर, हमने आज ही सम्बन्धित एस0 डी0 ओ0 से इसकी जांच के लिए तुरन्त आदेश कर दिए हैं, अगर वास्तव में कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, इस पर वक्तव्य तो दिलवा दीजिए कि क्या फैक्ट रहा ?

श्री अध्यक्ष--

बाद में देखा जायेगा ।

श्री भोखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ मिनट पहले एक माननीय सदस्य की हत्या किये जाने के प्रयास किये गये, के बारे में चर्चा हो रही थी, उसी प्रकरण में मैंने एक काम रोको प्रस्ताव पेश किया है, वह यह है कि

(व्यवधान)

राजनीति विद्वेष के कारण

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । इस सदन के माननीय सदस्य, श्री मित्रसेन यादव पर कई फर्जी मुकदमें साजिस कर के 395 के लगाये गये हैं । संक्षेप में मैं यह बतना चाहूंगा कि गांव मुनीसपुर, थाना इनायतनगर में कुछ जमीन थी, जिसे वहां भूतपूर्व प्रधान ने कुछ हरिजनों में आवंटित कर दी थी, परन्तु वह प्रधान चुनाव हार गये, तो हारे हुए प्रधान आए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव डाला गया और उस आवंटन को रद्द घोषित कर उन हरिजनों से वह भूमि वापस ले ली और अपने ईष्ट मित्रों के नाम आवंटित कर दी तब उन हरिजनों द्वारा जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र दिया गया, जिस पर एस0 डी0 एम0 द्वारा जांच हुयी और भूतपूर्व प्रधान द्वारा नए आवंटन अनियमित पाए गये । इस आधार पर धारा 145 में जमीन को अटैच कर लिया गया और थाना अध्यक्ष को यह आदेश दे दिये गये कि इस भूमि पर कोई निर्माण-कार्य नहीं होगा । लेकिन 26 अक्तूबर को कुछ लोगों द्वारा उस जमीन पर निर्माण करना शुरू कर दिया गया ।

नये प्रधान थाने गये, पर थानेदार ने कोई सुनवायी नहीं की, इस बीच गांव के कुछ लोगों ने जो निर्माण-कार्य हो रहा था उसे रोक दिया । कुछ कार्य उखाड़ कर फेंक दिया । झगड़ू यादव ने 395 में रिपोर्ट लिखाई । उसमें 10 आदमी नामजद हैं । मित्रसेन वहां मौजूद थे ही नहीं । यह घटना होती है सबेरे 6 बजे और बारह बजे फैजाबाद कोतवाली में रिपोर्ट लिखायी जाती है । इस रिपोर्ट में श्री मित्रसेन यादव का नाम नहीं है । युवक कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरी रिपोर्ट 12 बजे रात को लिखाई और पुलिस से सांठ-गांठ करके उसमें मित्रसेन यादव का भी नाम जोड़ दिया जब कि वे वहां थे ही नहीं । झूठी रिपोर्ट कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं ने यह लिखायी कि 15-16 आदमियों ने उनके दफ्तर को तोड़ डाला और सामान आदि लूट लिया । इस रिपोर्ट में यह भी लिखाया गया है कि श्री झगड़ू यादव के मकान पर श्री मित्रसेन यादव ने डाका डाला जबकि झगड़ू यादव श्री मित्रसेन का नाम तक नहीं लेता । वहां के पुलिस कप्तान श्री दीक्षित के खिलाफ चूंकि माननीय मित्रसेन तथा कुछ लोगों ने शिकायतें की थीं, अतः इस मौके का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से उनको यह केस बनाकर फांसने की कोशिश की जा रही है । जैसे ही मुझे यह सूचना मिली मैं स्वयं और सरजू पांडेय जी एम0 एल0 सी0 मुख्य मन्त्री जी से मिले और उनको बताया कि यह फर्जी केस बनाये जा रहे हैं । हमने सी0 आई0 डी0 से जांच

कराने का आग्रह किया और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन भी दिया इस पर भी वह नहीं हुई । अगर इस तरह से विधान सभा के माननीय सदस्यों को ऐसे जघन्य अपराधों में फंसाया जायेगा गलत तरीके से तो इस सदन की मर्यादा कैसे रह पायेगी, इसलिये आप इस पर चर्चा करा दें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री मोहन सिंह--

जिन विधायकों से इनको अरुचि होती है उनको फर्जी दफाओं में गिरफ्तार कराया जा रहा है । श्रीपति मिश्र जी के 6 माह के कार्यकाल में 6 विधायक ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से दफा 302, 394, 395 तथा 307 आदि में, जघन्य अपराधों में, फंसाये जा चुके हैं और उन पर मुकदमें चलाये जा रहे हैं तथा अदालतों में चार्जशीट सबमिट होने वाली है । आखिर हम माननीय सदस्यों को संरक्षण कैसे प्राप्त होगा ? आप कृपा कर एक लीगल सेल बनायें जो ऐसे उत्पीड़न के मामलों में हमारी सहायता करें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस पर सुन लिया है । अब आप कृपा करके बैठें ।

श्री रियासत हुसैन--

आधा मिनट कृपया मुझे भी सुन लें ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मैंने अपनी अलग से कार्य-स्थगन की सूचना आपको दी है, मुझे भी आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

यह निश्चय हुआ था कि जितने भी माननीय सदस्य मिलकर एक सूचना देते हैं उसमें से एक को, जिसे वे चुन लेंगे, उस पर बोलने के लिये उनको समय दिया जायेगा, वरना इस तरह से तो सभी बोलना चाहेंगे और कार्य कैसे चल पायेगा ? जो आपने लिख कर दिया है वह मेरे पास है ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इसकी बहुत महत्ता है । माननीय सदस्य को क्लियर तौर से, साफ तौर से एक केस में फंसाया गया क्योंकि झगड़ू ने जो रिपोर्ट लिखाई उसमें कहीं माननीय सदस्य का नाम नहीं है परन्तु उसके कई घंटे के बाद जो रिपोर्ट लिखाई गई उसमें माननीय सदस्य का नाम आ गया । केवल माननीय सदस्य को इम्पलीकेट करने के लिये कई घंटों के बाद रिपोर्ट लिखा कर उनका नाम उसमें डाल दिया गया । इसलिये यह महत्वपूर्ण मामला है और इसे आप चर्चा के लिये यहां पर स्वीकार कर लीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मेरा भी एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

जब हम खड़े हुए हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप नियमों का पालन न करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस घटना की महत्ता और अविलम्बनीयता के बारे में मैं कहना चाहता हूं । विधि की नजरों में सभी समान हैं । सत्ता रूढ़ दल के विधायक कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर धारा 307 की और कई मामलों की नामजद रिपोर्ट लिखी हुई है परन्तु उनमें से किसी की जांच नहीं हुई और न उनकी गिरफ्तारी ही होती है । रिपोर्ट लिखा देने से कोई बन्द नहीं हो जाता है । तथ्यों को देखा जाता है, उस पर विवेचना होती है परन्तु यह नहीं होता कि उनकी महीनों गिरफ्तारी ही न की जाय । इसलिये मैं इस विषय पर बल देता हूं और आपसे मांग करता हूं कि इस सदन में इस विषय पर अवश्य चर्चा करा दें ।

*संसदीय-कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आज तो असरकारी दिवस था, आज कार्य-स्थगन के प्रस्ताव इस तरह से नहीं आने चाहिये थे । माननीय मोहन सिंह ने, रियासत साहब ने, राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो फैजाबाद के सम्बन्ध में बात कही है श्री मित्रसेन के बारे में । इसमें जो न्याय होगा वही किया जायेगा, इसमें दल की वजह से कोई तरफदारी नहीं की जायेगी । गुप्ता जी ने जो विरोधी दल के विधायक के नाम रिपोर्ट लिखाने और सत्ता दल के लोगों को न अरेस्ट किये जाने के सम्बन्ध में बात कही है कि सत्ता पक्ष के लोगों को हम छोड़ देते हैं तो इस सम्बन्ध में किस-किस की गिरफ्तारी हुई और किस-किस की नहीं हुई, इसकी सूचना आपको दे दी गयी है । चाहे वह विधायक हो या चाहे विधायक न हो, चाहे इधर का हो या उधर का हो, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है । इसमें जांच करके सही कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

(विरोधी पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो कर बोलने का प्रयत्न करने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । जो आपस में तय हुआ है, आप उसका पालन कीजिये ।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

आखिर आप मुझे सुनते क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये पहले आप अपने नेताओं से बात कीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(सर्वश्री गोपी नाथ वर्मा, सत्य पाल सिंह, अकबाल हुसैन एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिसके कारण व्यवधान हुआ ।)

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । मैं आप लोगों में से किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

आप लोग कृपा करके बैठें । मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो बात तय हुई है उसका पालन होना चाहिये । आप कृपा करके बैठें ।

*श्री सत्यपाल सिंह--

मैं अगर कोई सूचना नियम 301 में आपके समक्ष देता हूं तो आप सदन का समय सीमित बतला कर उसे रोक देते हैं । जब मैं नियम 51 के अन्तर्गत कोई सूचना देता हूं तो आप उसे कम महत्व की बतला कर केवल एक ही सूचना को स्वीकार करते हैं । आपने जो तरीका अपनाया है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता था परन्तु उसको भी आपने रोक दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में 4 फरवरी को एक हरिजन महिला के साथ पुलिस ने सामूहिक बलात्कार किया । थाने के अन्दर एक आदमी को मारा गया ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सुन लिया है । अब आप कृपया बैठें । मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । आप मेरी बात को सुनें । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कोई ऐसी मन्शा नहीं है कि किसी माननीय सदस्य को समय न दूं । कोई भी माननीय सदस्य चाहे इधर का बैठने वाले हों चाहे उधर का बैठने वाले हों सभी को एक ही नियम के अन्तर्गत समय देता हूं । मेरे ऊपर माननीय सदस्य ने हमला किया । जो निर्णय लिया जाता है उस पर किसी के द्वारा टीका टिप्पणी की जाती है तो यह आदरणीय सदन को शोभा नहीं देता है । हमारे यहां पर नियम बने हैं । मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है । अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो किसी प्रकार से यह सदन चल नहीं पायेगा । मैं चाहता हूं कि अच्छे तरीके से और ज्यादा से ज्यादा बहस चले । शासन भी उसका उत्तर दे, मेरी कोई मन्शा नहीं है जो आपने हमला किया । आपको यह शब्द वापस लेना चाहिए ।

श्री सत्यपाल सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कोई चीज नहीं लिखी जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× ××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री भृगु नाथ चतुर्वेदी--

इधर के लोगों का दामन साफ नहीं हो सकता है ऐसी सम्भावना की जा सकती है और विरोधी पक्ष में बैठे हुए आदरणीय सदस्यों के दामन बहुत साफ हैं। गरीबों पर जो होता है उसकी रिपोर्ट इन तक पहुंच जाती है लेकिन इधर के लोगों के पास नहीं पहुंचती है। मान्यवर, आप एक आचार संहिता बना दें तो अच्छा होता कि कितने सवाल जीरो आवर में उठाये जायेंगे। 2-3 आदमियों की पार्टी है। सभी लोग मिल कर तय कर लें कि यह सवाल आने हैं लेकिन यह मछली की बाजार रोज जो लगती है तो शायद यह बन्द हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

जो सूचनायें नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं उन सभी को अस्वीकार किया है, लेकिन श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की जो है उसकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की महोबा को जिला बनाये जाने के बारे में जो है उसकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री सरदार सिंह, श्री लल्लू सिंह चौहान और श्री प्रदीप कुमार यादव की सूचनाओं को शासन के पास भेज दिया है। श्री राम आसरे वर्मा, भीखा लाल आदि की जो सूचना फर्जी गिरफ्तारी से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में है, उसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि जो हम लोग कार्यस्थगन के प्रस्ताव यहां पर आपको देते हैं उन्हें आप सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार को आप निर्देशित तो कर देते हैं किन्तु उस निर्देश पर सरकार अपनी आंख और कान बन्द कर लेती है। मैंने अपने सहकारिता मंत्री जी के बारे में एक कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा था जो उनके विभाग से सम्बन्धित था। आपने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये उन्हें भिजवा दिया। तो आप जो निर्देश देते हैं उसका पालन किस तरह से हो, इसके बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसे व्यवस्था का प्रश्न नहीं मानता। लेकिन आपसे बात करने के बाद जिन बातों के ऊपर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है उस पर आगे चलकर बिचार विमर्श करेंगे।

(व्यवधान)

कृपा करके आप लोग बैठ जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैंने भी एक गम्भीर मामले के ऊपर कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके बैठें।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिए औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योगों को दिये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर चर्चा पहले से शुरू हुई है और मैंने अपने कुछ विचार उस संकल्प के सम्बन्ध में रखे थे। मैं उनको थोड़ा सा दुहराता हूं उसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। मान्यवर, मैंने यह कहा था कि विकास की दर को गति देने के लिये यह जरूरी है कि उन उद्योगों को, उन इन्डस्ट्रीज को उस साधन को प्रोत्साहित किया जाय जिनका सीधा सम्बन्ध कृषि से हो। और भी उद्योगों की जरूरत है लेकिन उनमें एक सामंजस्य, एक संतुलन होना आवश्यक है। मैंने वह बात कही थी कि इस तरह के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय। अब इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि विकास की समग्र नीति में कृषि को प्राथमिकता का स्थान होना चाहिए। सारी व्यवस्था, सारा आर्थिक आधार कृषि से सम्बद्ध है इसलिये इसमें प्राथमिकता का होना आवश्यक है। इस पर विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन एक बात मेरे दिमाग में स्पष्ट रूप से है कि कृषि के माध्यम से ही हम इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकते हैं और उससे उद्योग को, साधन को बढ़ा सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। इसलिये कृषि को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। उसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता है।

कृषि के माध्यम से हम कैपिटल पा सकते हैं, पूंजी पा सकते हैं जिसको हम उद्योगों पर लगा सकते हैं, उसके प्रसार पर लगा सकते हैं और दूसरे उद्योगों की स्थापना पर लगा सकते हैं। एक बात यह भी पैदा होती है कि किस तरह से उद्योग लगाये जायं जिससे आर्थिक समता, आर्थिक उत्थान हो सके? कुछ लोगों का मत है और हमारे भारत की जो परिस्थिति है उसके अनुसार कुछ लोगों का मत है कि बड़े-बड़े उद्योग यहां पर सफल नहीं हुये।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।)

हमारी आर्थिक उन्नति में (इकोनामिक डेवलपमेंट में) यह बहुत सफल नहीं होंगे ऐसा कुछ लोगों का मत है।

---

†दिनांक 27 अगस्त, 1982 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने भी बड़े इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में कहा है इनसे बेरोजगारी हम खतम नहीं कर सकते हैं, आर्थिक उन्नति हम नहीं कर सकते हैं, गरीबों का जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। उनका यह विचार है इस पर कुछ विचार भी किया गया। उन्होंने जो तीन किताबें लिखी हैं उनका मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। उनकी पहली किताब है इंडियाज इकोनामिक पालिसी, दूसरी किताब है ज्वाइंट फार्मिंग एक्सरेड और तीसरी किताब है इंडियाज पावर्टी दि प्राबलम एन्ड दि सोल्यूशन। ये तीनों बहुत अच्छी हैं, वैल रिटेन हैं भाषा भ अच्छी है, विचार भी अच्छे हैं लेकिन उनसे एक इम्प्रेसन पड़ता है वह यह कि जब कोई व्यक्ति एक तरफा हो जाता है और एक ही तरफ तलवार चलाने लगता है वह कहीं पर गलती कर जाता है वह संतुलन और सामन्जस्य की भावना से अलग हो कर एक रेखा के ऊपर चलने लगता है और यही सोचता है कि इसका एक ही सोल्यूशन है तो वहां पर उसकी मिस्टेक हो जाती है।

वही गलती चौधरी चरण सिंह जी भी कर गये हैं। जिस विचार को उन्होंने प्रतिपादित किया है उसमें यह गलती हो गयी है। मेरा इम्प्रेसन इन तीनों किताबों को पढ़ने से यह लगा है। चौधरी चरण सिंह जी यह समझते हैं कि माडर्न टेकनोलाजी या बड़े उद्योग या मशीनीकरण बिलकुल घातक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये किन्हीं परिस्थितियों में छोटे उद्योग ज्यादा फायदा कर सकते हैं, घरेलू उद्योग लाभप्रद हो सकते हैं और किन्हीं परिस्थितियों में बड़े उद्योग जरूरी हैं और लाभकारी हो सकते हैं। लेकिन यह कह देना कि उनका उपयोग किसी किस्म से जरूरी नहीं है, हमारे देश में किसी भी दशा में उनका महत्व नहीं है इसमें मैं उनसे सहमत नहीं होता हूं। कृषि में छोटे उद्योग और बड़े उद्योगों में संतुलन होना आवश्यक है। यह बात अपनी जगह पर सही है। उस रास्ते पर हमको चलना चाहिये जिससे आर्थिक उत्थान हम कर सकें।

आज यह विचार दुनियां में आ गया है कि एग्रीकल्चर में प्राथमिकता होनी चाहिये। सारी दुनियां में एक आवाज पैदा हुई है कि आने वाले दिनों में हमारी फूड सिचुवेशन बहुत ही जबरदस्त हो जायेगी ऐसा सारी दुनियां के लोग कह रहे हैं। अभी एक सेमीनार हुआ 27, 28 देशों का एशियाई देशों का उन्होंने यह चिंता व्यक्त की, लेकिन यह कोई नयी चिंता नहीं है, बहुत पुरानी है और बहुत व्यापक तरीके से है।

खासकर एशियाई देशों के लिए जहां उद्योग बहुत आगे नहीं है, उनका आर्थिक उत्थान भी नहीं हुआ है उनके लिए यह चिंता व्यक्त की गई है कि खाद्यान्न समस्या 4, 5 साल बाद हो जायेगी, कुछ भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। बगदाद में भी कुछ मुल्कों के लोग इकट्ठा हुए उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि कृषि उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये नहीं तो हमारी हालत अच्छी नहीं रह सकती है। यूनाइटेड नेशन्स आर्गनाईजेशन तथा उससे सम्बन्धित जितनी एजेंसियां हैं उन्होंने भी यह चिंता व्यक्त की है और खासकर एशियाई देशों के लिए।

एक चीज और भी कही गई कि बाहर से जो गल्ला आने पर निर्भर करना चाहते हैं तो एक समय ऐसा आयेगा कि बाहर से भी गल्ला मिलना मुश्किल हो जायेगा चूंकि उनके पास जहां ज्यादा गल्ला है वह देश उन्हीं देशों को गल्ला देंगे जिनके यहां गल्ला नहीं है जिनको कि वह बचा सकते हैं और उन देशों को गल्ला नहीं देंगे जिन देशों की बचने की कोई सम्भावना नहीं है। तो भारत-वर्ष की भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहां से गल्ला मंगा सकते हैं वह सोचे कि यह देश तो बच नहीं सकता है इसलिये इसको गल्ला देने से कोई फायदा नहीं होगा, उन देशो को दें जिनको हम बचा सक। यह स्थिति आ सकती है। इसलिये कृषि उत्पादन पर पूरी शक्ति से जोर देना चाहिये जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन दे सकें और कुछ गल्ला बाहर भी भेज सकें। तभी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ हमारा उत्थान हुआ।

उधर कुछ दिनों से हरित क्रांति आयी चूंकि खादों और सिंचाई क्षमता के बढ़ने से गल्ला ज्यादा पैदा हुआ। इसमें सन्देह नहीं 30 साल पूर्व और आज की स्थिति में फर्क हो गया है, पैदावार बढ़ी और खाने पीने का स्तर अच्छा हुआ। तो हरित क्रांति आयी जिसके माध्यम से खाने पीने में तरक्की हुई और बाहर कुछ भेज सकते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से ऐसा मालूम होता है कि प्रयास नहीं कर रहे हैं या जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है जिससे गल्ले और खाने-पीने में हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये चिन्ता है।

इस पर सोचने की जरूरत है। इसमें बहुत बातें हैं। लेकिन इस समय कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी शक्ति, पूरी ताकत एग्रीकल्चर को बढ़ाने में होनी चाहिये और इंवेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के विकास के लिए होना चाहिये तभी हम एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों कहना है कि एग्रीकल्चर पर जो ज्याद निर्भर है 70 से 84 प्रतिशत तो अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि इतने लोग एग्रीकल्चर पर यदि निर्भर रहेंगे तो एग्रीकल्चर की तरक्की नहीं हो सकती है। इसके सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जापान में 8 से 12 प्रतिशत आदमी एग्रीकल्चर में काम करते हैं, बाकी उद्योग में जाते हैं। इसलिए यदि इस देश में एग्रीकल्चर में इतना प्रेसर रहेगा तो तरक्की नहीं हो सकती है। लेकिन वह अर्थशास्त्री या तो भूल जाते हैं या सिद्धान्त से हट जाते हैं कि लोग जब इंडस्ट्री में चले आयेंगे, घरेलू उद्योग या बड़े उद्योगों में चले आयेंगे तो भी उनको खिलाने की जरूरत होगी और इस समय भी जरूरत होगी चाहे इंडस्ट्री में रहें या घरेलू उद्योग में रहें। उनको खिलाने की जिम्मेदारी हमारी और किसान की है, उनको खाना मिलेगा एग्रीकल्चर उत्पादन होने से।

श्री अधिष्ठाता--

आप दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मुझे इसमें एक घंटा मिलना चाहिये चूंकि मैंने इसको ओपेनिंग किया है लेकिन मैं अब बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत कुछ प्रेक्टिकल पूंजी निवेश इसी के माध्यम से हो सकती है, जिस पर हम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकते हैं। एक चीज और है, जो मैं महसूस करता हूं, यह ठीक है कि

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

बिना फारेन-एड के कोई भी मुल्क, खासकर एशिया के अन्दर उन्नति या विकास नहीं कर सकता है। आज वह फारेन-एड के माध्यम से ही तरक्की कर रहा है।

इसलिये मैं ऐसा मानता हूं कि दुनियां का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जो बाहर से कोई मदद न लेता हो। कोई न कोई ऐड या टैक्नोलाजी हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन उससे यह भी हो सकता है, उस लेन-देन का हमारी नीतियों पर असर अवश्य पड़ता है और उससे हमारी स्वतन्त्र नीतियों पर कमजोरी आती है। जिस वक्त पी० एल०--480 का जहाज यहां पर पहुंचता था तो हम पर दबाव पड़ने लगता था और सरकार ने इसे महसूस किया कि उन विदेशों ने हम पर जोर डाला कि आपको इस नीति का कुछ न कुछ रुख बदलना चाहिये। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति से काम होना चाहिये और जिस कदर पूंजी निवेश हो सके वह होना चाहिये।

दूसरा सवाल यह उठाया गया है कि उन्हीं इन्डस्ट्रीज पर लागू किया जाए, जिसका सम्बन्ध सीधे-सीधे कृषि से हो, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हीं इन्डस्ट्रीज में 'सिर्फ' लगा लेने से और चीजे नेगलेक्ट कर देने से यह विकास असन्तुलित हो जायेगा और विकास रूक जाएगा। इतना विरोध मेरा इस संकल्प से है। बहुत से मुल्को में तरक्की हुई है इंग्लैंड और अमेरिका में हुई है। इंग्लैंड में जो तरक्की हुई उसने भी एग्रीकल्चर के माध्यम से तरक्की की है। वहां जो शिप्रस भेड़ें बहुतायत में होती हैं, उसका ऊल वह पहले विदेशों को भेज देता था और वहां से तैयार होकर माल उस मुल्क में आता था, लेकिन बाद में उनसे ऊल को गैर मुल्कों में भेजना बन्द कर अपने यहां के कारखानों में इस्तेमाल किया और उससे माल तैयार किया इस तरह से उसका विकास हुआ। एक वक्त वह था और आज भी है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजो कपड़ें को पहनने के लिए लोग एशिया और यूरोप में दौड़ते थे। उसकी बड़ी चाह थी। एक अंग्रेजी लेखक ने इस चीज को लेकर बड़ा अच्छा लिखा है--दि फूड अफ शिप हैज टण्ड सैन्ड इनटू गोल्ड। तो खेती के उत्पादन को हमें भी ताकत के साथ बढ़ाने की अवश्यकता है। आप देखें कि इस सम्बन्ध में क्या-क्या उद्योग हैं, जिनका सम्बन्ध हम एग्रीकल्चर से कह सकते हैं। जैसे दाल मिल, चावल मिल, आटा चक्की, तेल एक्सपेलर, कार्न-फ्लैक्स और दलिया बनाने का कारखाना, अचार, मुरब्बा, सूखी सब्जियां, आलू व दाल आदि के पापड़ बनाने के कारखाने, ट्रैक्टर, पम्प, डीजल इंजन की रिपेयर शाप्स तथा कृषि औजारों की रिपेयर शाप्स, रूई पर आधारित उद्योग, गुड़ शक्कर व खांडसारी पर आधारित उद्योग, जूट पर आधारित उद्योग, बना हुआ पशु चारा, डबल रोटी, साबुन उद्योग आदि के कारखाने हैं। काटन और जूट भी एग्रीकल्चर से सम्बन्धित उद्योग हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं और चौधरी चरण सिंह, खास कर कहते हैं मान्यवर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि खेती के लिए ट्रैक्टर जरूरी नहीं है। ट्रैक्टर जो है, अनइम्पलायमेंट पैदा करता है और इसी तरह से उन्होंने मिसाल दी है कि थ्रेशर अनइम्पलायमेंट पैदा करता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रैक्टर के अलावा किसी से काम भी नहीं चल सकता है, उसकी सख्त जरूरत है। मान्यवर, बड़े जोत के काश्तकार के लिए ट्रैक्टर का माध्यम बहुत जरूरी है। अगर उससे लेबर रिलीज हो जाती है बच जाती है, तो उसे इन्डस्ट्री या और दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। यह बात नहीं कि लेबर केवल एग्रीकल्चर में ही रहे। तो अगर बड़े उद्योग धन्धे नहीं

लगेंगे, सो लेबर एग्रीकल्चर पर ही निर्भर रहेगा, उससे गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती, प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । मार्डन रिक्वायरमेंट्स जो इस प्रदे को है, उसके लिए तीन बातें जरूरी हैं, तीनों में संतुलन होना जरूरी है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, अपनी बात कृपया समाप्त करें ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2 मिनट का समय और दे दें ।

अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं । हमारे आर्थिक उत्थान के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गयी । मैंने अध्ययन किया है । एशिया में कुछ विचारक हैं, जो कहते हैं कि एशिया के तीन मुल्क ऐसे हैं जो खाद्यान्न के मामले में बढ़े हुए हैं, तरक्की के रास्ते पर भी बढ़े हुए हैं यह हैं, साउथ कोरिया, तैवान, सिंगापुर । एक विद्वान ने लिखा है--यह तीन मुल्क ऐसे हैं, जिनमें खाद्यान्न की कमी नहीं है । इसमें सिंग.पुर ऐसा है जहां हमारे सात हजार इंजीनियर काम कर रहे हैं । लेबर वहां भी बाहर से आता है ताइवान के लोग खुशहाल हैं । मैं इस सम्बन्ध में बाद में विस्तार से निवेदन करूंगा, जब मौका मिलेगा लेकिन इस सम्बन्ध में एक चीज और आपसे निवेदन करना चाहता हूं सिंगापुर के बाबत । एक मिनिस्टर साहब के पास कुछ यूनियन के लोग उनसे मिलने गये और कहा कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए नहीं तो हम अंदोलन करेंगे या कुछ और करेंगे तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि कृपा पूर्वक मेरी बात सुन लें, उसे मान लें और उसी में आपका हित होगा । उन लोगों ने कहा बताइये । मिनिस्टर साहब ने कहा कि 5 साल तक मेरे पास किसी को तनख्वाह बढ़ाने का चार्टर लेकर मत आइये और 5 साल के बाद आपको जो तनख्वाह है यह 10 गुना हो जायेगी, वह आपकी रियल वेज हो जायेगी ।

यानि कहने का मतलब यह है कि उत्पादन इस कदर बढ़ाइये कि आपकी जो तनख्वाह है, वह 5 साल बाद 10 गुना हो जायेगी, वही आप की रियल वेज होगी । तो यह सिद्धान्त मैं समझता हूं जो एशिया के देशों पर पूरा-पूरा लागू होता है । इस सिद्धान्त के अनुसार और अन्य तर्कों के अनुसार विकास के लिये बड़ी कृषि होनी चाहिए और बड़े उद्योग एवं कुटीर उद्योग होने चाहिए । तो जरूरत तीनों की है बड़ी कृषि हो, उद्योग हों और काटेज इन्डस्ट्रीज हों । उनमें सामंजस्य होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं । अन्त में मैं एक बात और कहूंगा कि किसी भी आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम इसको नहीं भूल सकते कि हमारी पापुलेशन कम होनी चाहिए उस पर नियंत्रण होना चाहिये ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ, मैं माननीय श्री विजयदीप सिंह बरार के प्रश्न का केवल इतना विरोध करता हूं कि सिर्फ एक ही रास्ता है विकास का हैवी इन्डस्ट्री, काटेज और टू गो विथ एग्रीकल्चर ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकार गया ।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अब 10 मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करेंगे ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री बरार जी ने जो यहां संकल्प रखा है, मैं शत प्रतिशत उनसे सहमत हूं ' और इसके सम्बन्ध में और इस संकल्प के सैद्धान्तिक रूप में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं । भारत जैसे देश में, जहां कि 85 प्रतिशत जनसंख्या सीधे कृषि पर आधारित हो, उनकी जिन्दगी, उनकी समाज की स्थिति, उस दशा के सम्बन्ध म यह संकल्प अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्दिष्ट करता है । मान्यवर, जनता पार्टी के शासन में इस देश में एक कदम उठाया गया ।

और वह यह कदम था कि चाहे छोटे उद्योग हैं जिनका आधार कृषि है ऐसे उद्योगों का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब बड़े उद्योगों पर आप अंकुश लगाये । मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि बड़े उद्योगों की उपयुक्तता नहीं है उनको समाप्त कर दिया जाय । लेकिन जब यह बड़े उद्योग ऊंचे पैमाने पर पहुंच जाते हैं तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडस्ट्रियल एम्पायर छा जाते हैं । शोषण शुरू हो जाता है और बेरोजगारी की शुरुआत होती है । हमारी जो मंशा है जो अर्ध विकसित देश का है अविकसित देश का है उनकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है । इसीलिये जनता शासन ने निर्णय किया था कि जो छोटे उद्योग धंधे हैं जिनको वह पैदा करते हैं उसको बड़े उद्योग वाले न पैदा करें । ताकि बड़े और छोटे का टकराव न हो सके ।

अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि देश की बेराजगारी दूर हो तो 85 प्रतिशत लोग जो गांव में रहते हैं जिनके पास साल में 4 महीने को छोड़कर कोई काम 8 महीने नहीं रहता है बेकार रहते हैं, गांव की महिलायें 50 प्रतिशत ऐसी हैं जो केवल खाना बनाने का काम करती हैं । 2-3 प्रतिशत नौकरी करती हैं । महिलाओं की बेरोजगारी का जहां तक सवाल है उसको दूर करने के लिये ऐसे उद्योगों की स्थापना करनी होगी जिसके लिए कच्चा माल बाहर से न मंगवाना पड़े । आप ऐसे उद्योग वहां लगाये जो वह अपने घरों की दीवारों में, बाग में और गांव में लगा सके । इस प्रकार से आप बेकारी दूर कर सकते हैं ।

मान्यवर, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं अगर आप 8-10 करोड रुपया लगाकर एक चीनी मिल लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा साढ़े 6 सौ लोगों को नौकरी दे सकते हैं बहुत बढ़ा दीजिये तो 8 सौ एक हजार इससे अधिक नहीं । 10 करोड रुपये लगाने के बाद एक हजार लोगों को आप रोजी दे सकते हैं । अगर आप 10 करोड रुपया गांवों में लगाये जो कच्चा माल खेती से मिलता है जैसे चीनी उद्योग है उसकी खोई ले लें, शीरा ले लें या गन्ने का पत्ता जो होता है शुरू में ले लें तो इसके माध्यम से 10 गुना लोगों को रोजगार आप दे सकते हैं इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं अपने देश और प्रदेश के विकास के लिये आपको अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा । जब तक उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं हो सकता है । गांव में धान होता है आप उसकी भूसी को ले लें । इससे ऐसी चीजें तैयार हो सकती हैं । आप यह मान कर चलिये यह सच्चाई है कि हमारी जिन्दगी खेती से जुड़ी है हम कृषि से दूर नहीं हो सकते हैं हम उससे बंधे हुये हैं । आप जापान की बात कर रहे हैं । जापान में 6 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और 94 प्रतिशत लोग इन्डस्ट्री में काम करते हैं । लेकिन यह भारत वर्ष है यहां 70 करोड़ लोग रहते हैं । हम छोटे देशों की बात यहां नहीं कर सकते हैं । इजरायल की जनसंख्या 32 लाख है और गोरखपुर की जनसंख्या 32 लाख । यह सबसे बड़ा देश है । यहां 85 प्रतिशत लोग खेती करते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिये जो जयदीप सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये, बेरोजगारी को दूर करने के लिये आर्थिक समस्याओं के और जो प्रदेश में अन्य समस्यायें पैदा हो गई हैं ।

ये पढ़े-लिखे, बेरोजगार लोग सड़कों पर घूम रहे हैं । उनको आप रोजी नहीं दे सकते । दूसरा कोई धंधा उनके पास नहीं है । पूंजी नहीं है, तो वह करेंगे क्या ? तो पढ़े-लिखे लोग, बेरोजगार लोग दूसरे किसी असामाजिक कार्यों में न लग सकें, उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा चार महीने से ज्यादा खेतों में काम नहीं है । जिनके पास खेती है, वह तो चार महीने तक खेतों में काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग, जिनके पास खेती नहीं है, वह कहां जायेंगे, इसलिए हमारे शासन को इसके लिए सोचना पड़ेगा । इसके लिए आपको प्रायरिटीज तय करनी पड़ेगी । हम तो यह नहीं कह सकते हैं कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपने सारे धन को लगा दिया, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में, यह मानना पड़ेगा कि निश्चित रूप से कुछ बुनियादी गलतियां हुई है । अगर जो बेस है इंडस्ट्रीज का उसको अगर हमने लिया होता तो इसका समाधान, जो बेरोजगारी का है, हो गया होता । इसके साथ हमको दलगत राजनीति से उठकर सोचना पड़ेगा । अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायगी, जैसी आज का असाम की समस्या है । वहां की समस्या यह है कि जो एग्रीकल्चर वहां पर है, अगर उस पर आधारित इंडस्ट्री वहां पर कायम कर दी गयी होती, जैसे चावल की खेती वहां पर होती है, चाय के बागान वहां पर हैं, अगर इस दिशा में हमने काम किया होता, तो जो असामाजिक स्थिति वहां पर है, वह न होती ।

वही स्थिति की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है । हम कृषि से उत्पन्न जो चीजें हैं, और खास तरीके से जो उसको बाई प्रोडक्ट को लेकर हम नये सिरे से, नये उद्योग धंधों का जाल बिछाने का काम करें, यह तभी सम्भव है, जब जो प्रोड्यूस होता है, उसकी मार्केटिंग की जिम्मेवारी शासन अपने हाथ में ले लें । छोटे-मोटे उद्योग-धंधों की विफलता का सबसे बड़ा कारण यही है । जैसा मैंने पहले प्रकाश डाला था, कि बड़े उद्योग-धंधों के टक्कर में हम विफल हो जाते हैं । अगर सरकार इसको खरीदने और बेचवाने की जिम्मेदारी ले ले, तो यह समस्या सुलझ सकती है । इसी प्रकार से जो जयदीप सिंह बरार ने संकल्प रखा है, इधर के लोग और उधर के लोग भी यह सोचकर कि आज प्रदेश की बेरोजगारी कहां-पर जा रही है, अगर हम किसी को काम नहीं देंगे, तो वह चुप नहीं बठ सकता । माननीय बरार जी ने जो संकल्प रखा है, इन शब्दों के साथ मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने माननीय बरार जी के संकल्प पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया । इस पर गम्भीर रूप से विचार करने की आवश्यकता भी है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी देश को आर्थिक, कृषि या औद्योगिक या कोई भी नीति हों, उसके लिए देश की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देखने के बाद ही उसकी कल्पना करना, उसको तय करना आवश्यक है ।

[श्री प्रिय दर्शी जेतली--]

[2 बजकर 25 मिनट]

इससे पहले कि हम निर्णय कि हमारी औद्योगिक नीति लेंकैसी हों, हमें यह देखना होगा कि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है, इसलिये इस देश और प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्रियल बेस उद्योगों की आवश्यकता है और उसके बाद इसमें हैवी इंडस्ट्रीज को जोड़ने की भी आवश्यकता है लेकिन मैं यहां पर यह कहना आवश्यक समझता हूं कि इस पर विचार करते समय प्रदेश की सही स्थिति को भी जानना जरूरी है । अतः मैं आपके सामने आंकड़ों को रख रहा हूं । मेरे पास 1979-80 का प्रदेश का आंकड़ा है, राजस्व परिषद् के अनुसार जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है उसके अनुसार प्रदेश में कुल खातेदारों की संख्या 2 करोड़ 73 लाख 272 थी । इसमें से सवा छः एकड़ के ऊपर के खातेदारों की संख्या 2 करोड़ 30 लाख 44 हजार 312 थी । सवा 6 एकड़ के नीचे के खातेदारों की संख्या 42 लाख 55 हजार 960 थी और इसमें यह प्रदेश की मौजूदा परिस्थिति खातेदारों की है । इसको मद्देनजर रखना पड़ेगा ।

इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद किस प्रकार से इस देश के गांवों में रहने वाले किसान ने खेती से अपने को जोड़ा और इस प्रदेश की अधिकांश भूमि कृषि में आयी । इस सम्बन्ध में भी मैं आंकड़े रखना चाहता हूं । मेरी ही तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के आंकड़े हैं जिसके अनुसार 1947 में वहां जो कृषि भूमि, जिस पर काश्त होती थी, उसका क्षेत्रफल अकबरपुर तहसील में 9 हजार 708 हेक्टेयर थी । 1973 में यह बढ़कर 19 हजार 593 हेक्टेयर हो गयी । आज इस बढ़ती हुयी आबादी से खेतों के और दंटवारे होंगे ।

इस स्थिति को देखना होगा और विचार करना होगा कि क्या इस तरीके से देश के बेरोजगारों, गांवों में रहने वाले अधिकांश लोगों का, जिनका मुख्य आधार कृषि तथा कृषि आधारित श्रम है उनके विकास के लिये कौन-सा कदम उठाया जाय जिससे इस देश का आर्थिक विकास हो सके । इस सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जमीन भूमि आबंटन के सम्बन्ध में मेरे पास जो आंकड़े मौजूद हैं । उन पर आप यदि गौर करें जैसा कि तहसील अकबरपुर, फैजाबाद जिले में भूमि आबंटन हुआ है, उस सम्बन्ध में मैं आंकड़े रखना चाहता हूं । 12 जून, 1980 को जो पट्टे ग्राम सभा में किये गये वह 10 हजार 861 हेक्टेयर गांव सभा की जमीन थी । और इसमें जो मैक्सिमम किसी भूमिहीन को इस मास पट्टा किया गया वह 3 15 विस्वे का था और जो कम से कम रकबे का पट्टा किया गया वह डेढ़ विस्वे का था । इसी प्रकार सीलिंग, भूमि की जो 12 जून, 1980 के पूर्व जो पट्टे किये गये हैं, 12 जून, 1980 के पहले जो जमीन निकली थी वह 642 हेक्टेयर थी, इसमें से जो पट्टे किये गये वह ज्यादा से ज्यादा 2 बीघे के थे और कम से कम 5 बिसवे के थे । मान्यवर, इस तरह से आप देखें कि जमीन किस तरह से छोटे-छोटे हिस्सों में बंटती चली जा रही है ? इस दिशा में इस चीज को मद्देनजर रखकर हमने अपनी नीति को नहीं बनायेंगे, योजनाओं को तैयार नहीं करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब इस प्रदेश के अन्दर रहने वाला, गांव के अन्दर रहने वाला काश्तकार, खातेदार, जिनकी संख्या 2 करोड़ 72 लाख से ऊपर पहुंच गयी है, उनको खेती करने में दिक्कत होगी ।

जब डेढ़ बिस्वे भूमिहीनों को भूमि दी जायगी तो वह कैसे उस भूमि का उपयोग कर पायेंगे यह गौर करने की बात है ? इस बात को मद्देनजर रखते

हुये हमें विचार करना होगा, मेरा विचार है कि कृषि में लगे हुये लोगों में और जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भूमिहीन बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर 2, 2 बीघे और तीन-तीन बीघे पट्टे दिये गये और खातों का बंटवारा होता रहा तो स्थिति काबू के बाहर हो जायगी, क्योंकि आज दो-दो बिस्वों का पट्टा हो रहा है।

मान्यवर, यदि हम 30 साल पहले के खातों को अगर देखें तो देखेंगे कि जो पचास बीघे का काश्तकार था वह तो आज 5 बीघे के अन्दर आ चुके हैं। मान्यवर, जो खेती पर लगे लोग हैं उनको खेती को नियोजित करना पड़ेगा। अगर प्लान्ड खेती नहीं की गई तो उसमें लाभ नहीं होने वाला है और न उसका सही उपयोग होगा जैसे आज गन्ना किसान परेशान है, दाम बढ़ाओ, गन्ना उगाओ मिलों की क्षमता है या नहीं, गन्ना बोते चले जा रहे हैं, तो गन्ना जाये तो कहां ? इसलिए ऐसी इण्डस्ट्रीज की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता है तो कृषि पर आधारित नियोजित ढंग से अपनी चीजों को पैदा कर और स्वयं उससे पैदा वार के आधार पर उद्योग लगाये जिससे खेत के उत्पादन के माध्यम से हम उद्योगों का उत्पादन बढ़ा सकें और उससे बेरोजगारों को व्यवसाय या जरिया दे सकें।

छोटी इण्डस्ट्रीज लगाने के साथ-साथ बड़ी इण्डस्ट्रीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको भी लगाना पड़ेगा। लेकिन इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता कि बढ़ती हुई आबादी से बेरोजगार जो बढ़ते जा रहे हैं, भूमि बंटती जा रही है, मान्यवर, नियमों के अन्तर्गत हमने सवा तीन एकड़ की कास्त को अलाभकर मान लिया है उसके बावजूद दो-तीन बिस्वों के पट्टों को बांटना उचित नहीं है क्योंकि आज जिसको दो बिस्वा देंगे वह अपने आप दूसरी पुश्त में भूमिहीन हो जायगा। उसमें वे सब लैंड-लेस होने जा रहे हैं। अब हमको इण्डस्ट्रीज बेस्ड एकानामी को डेवलप करना है। ऐसी भी इण्डस्ट्रीज लगाना होगी जिससे इस देश, प्रदेश के कृषि आय प्रोडक्शन पर भारी असर पड़े। जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं उसकी भी आवश्यकता कम पड़े और साथ ही साथ जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी हम इम्प्लायमेन्ट दे सकें।

मान्यवर, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, सबसे बड़ा अन्याय आज खेती के साथ, क्योंकि आज की शिक्षा को लोग रोजगार का माध्यम मानने लगे हैं। जिन घरों में खेती है, 10, 15, 20 बीघे, उनके भी बेटे हाई स्कूल पास करने के बाद चपरासगीरी, बाबूगीरी के लिए घूम रहे हैं और जो उत्पादन अपने खेतों से कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं।

हमने तरक्की की है। आज हिन्दुस्तान अन्न के मामले में आजादी के पहले और आजादी के बाद, बहुत आगे जा चुका है। लोगों की हालत सुधरी है लेकिन संस्कार नहीं बदले हैं और इसका कारण क्या है ? पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी अच्छा किसान जो खाना खाता है अर्थात् है वह भारत का नक्शा बनाता है अर्थात् हिमालय पर्वत जैसा चावल, हिन्द महा सागर जैसी कलनी दाल और लंका जैसी जरासी सब्जी। इसलिए कलचर भी बदलना होगा और इसके तहत ही परिवर्तन ला सकते हैं। मान्यवर, इस सबके बावजूद यदि बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोका गया तो हम कोई भी योजना लागू करें, कोई भी हमारी प्लानिंग हो, कोई भी नीति बने, सफल नहीं हो सकती ? आज इस प्रदेश की, देश की स्थिति यह है कि बढ़ती हुई आबादी और बटते हुए खेत, इस देश की अर्थ व्यवस्था को चरमरा दे रहे हैं। यदि इस पर हम नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं कर

[श्री प्रियदर्शी जेतली--]

सकेंगे । इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया ।

श्री बचन सिंह--

मान्यवर, श्री जयदीय सिंह बरार द्वारा प्रस्तुत संकल्प इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिए औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योगों को दी जय । मान्यवर, यह संकल्प बहुत ही सामयिक और ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए लोगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए अनुकूल है । यह भारत देश जिसमें पांच लाख से अधिक ग्राम बसते हैं, इनमें बसने वालों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के बिना दूसरे प्रगतिशील देशों के मुकबले में कभी खड़ा नहीं हो सकता । आज जो काम मशीनों के द्वारा होता है वह काम प्राचीन काल में कृषि के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के आधार पर ग्रामों में होता था । उसके द्वारा गांव की बहुत बड़ी संख्या को काम मिलता था और उनको अपनी जीविका के निर्वहन के लिए अच्छे साधन उपलब्ध थे । मैं आज इस माननीय सदन के सामने कृषि से उत्पादित वस्तुओं के द्वारा जो उद्योग चलाये जा सकते हैं, उनको रखना चाहता हूं ।

आजकल तिलहन की खेती के ऊपर शासन द्वारा भी विशेष जोर दिया जा रहा है और यह हमारे देश और प्रदेश की मुख्य फसल समझी जाती है । हमारे गांवों में तिलहन की सरसों, लाही और मूंगफली, अंडी पैदा करते हैं जिसको हम मशीनों द्वारा पिराई भी करवाते हैं । प्राचीन काल में सरसों, लाही की पिराई के लिए कोल्हू चला करते थे । उससे गांव के बहुत बड़े हिस्से को रोजगार मिलता था । उस घानी से तैयार किया हुआ तेल बड़े ही शुद्ध रूप में मिलता था और कृषि कार्य में काम आने वाले जानवरों बैल, गाय, भैंस आदि को खली वहीं की वहीं मिल जाती थी जो बड़ी ही लाभदायक होती थी ।

दुर्भाग्य है कि जो तेल घानी से निकाला जाता था, उसी कार्य के लिए मशीनों का प्रयोग हो रहा है । उद्योग के द्वारा गांव के जिन लोगों को काम मिलता था, वह बेकार हो गये हैं । इसी प्रकार से मान्यवर, कपास की खेती हमारे देश की मुख्य खेती है । आज रूई धुनने के लिए सूत काटने के लिए, कपड़ा बुनने के लिए, सभी कामों के लिए मशीनें हैं ।

प्राचीन काल में यह कार्य गांव के मजदूरों के हाथों से होता था । पहटिया चलाई जाती थी, कपास को ओटा जाता था, रूई और बिनौला अलग-अलग कर दिये जाते थे ग्राम के लोगों की लिहाफ भरने की जरूरत रूई से और पशुओं के दाने मिलने की जरूरत वहीं पर बिनौला मिलने से दूर हो जाती थी रूई की धुनाई होती थी । बुनकरों के द्वारा सूत काता जाता था और बुनाई की जाती थी । गांव में जो निर्बल वर्ग रहता था प्रायः वह इस काम को करता था । बुनकरों के बुनने से शुद्ध कपड़ा पहनने को मिलता था । हजारों हाथों को रोजगार मिलता था जिसे मशीनों ने छीन लिया । इसी प्रकार खेत में हम पटसन, सनबीज और जूट पैदा करते हैं । इनके द्वारा भी बहुत बड़े उद्योग गांवों में पहले चलते थे और अब भी चल सकते हैं अगर हम मशीनों की शरण में जाना छोड़ दें । जो सन हम पैदा करते थे, खाली समय में जब खेतों में काम नहीं होता था, उसकी रस्सियां बाट लिया करते थे अपनी चारपाइयों को बनाने के लिए इसी सन से और भी आवश्यक वस्तुएं बनती थीं । मान्यवर, यदि उनसे इन चीजों के लिए कांच पैदा की जाती तो आज हमें इन मशीनों के पास नहीं जाना पड़ता ।

मान्यवर, मैं इस माननीय सदन के समक्ष एक बात और लाना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पैदा करने के लिए कृषक को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, जो खेतों की मोड़ों पर भी पैदा हो जाती हैं। सरपता एक ऐसी चीज है, जिसके अन्दर से मूजा निकाल कर, उसकी रस्सियां बनती हैं और उसके बचे हुए पदार्थ से कागज बनता है। अतएव मान्यवर, मेरा कहना था कि इस सरपता से कागज का उद्योग चल सकता है। इस काम को उस समय वह तबका भी करता था जिसके पास खेत नहीं थे। इस प्रकार जिनके पास खेत नहीं थे, उनको भी गावों में काम मिल जाता था।

मान्यवर, इसी तरह में एक चीज यह भी रखना चाहता हूं कि खेत में जो फलदायक वृक्ष होते हैं, जो बाग बगीचों में पैदा किये जाते हैं उनके विभिन्न प्रकार के अचारों का उद्योग अच्छी तरह से चलाया जा सकता है, यदि इसको बढ़ावा दिया जाय तो गरीब के हाथ में भी काम दिया जा सकता है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहूंगा कि बहुत सी खेती ऐसी थी जो कृषि योग्य नहीं हो सकती, उसमें कंकड़ निकलते थे। उस कंकड़ को चक्की में पीसकर चूना तैयार किया जाता था। आज हम सीमेन्ट के लिए रोते हैं। यदि इसको बढ़ावा दिया जाता तो ये सबके सब प्रश्न हल हो जाते। मान्यवर, इससे इतना बढ़िया चूना मिलता था कि चार सौ वर्ष पुराना फतेहपुर सीकरी इसी चूने के द्वारा बना खड़ा हुआ है और आज के सीमेन्ट से हम मकान बनाते जा रहे हैं और साथ ही साथ वह बहते भी जा रहे हैं।

अन्त में मैं इन शब्दों के साथ कहूंगा कि अगर गांवों में इन छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को अपना लिया जाय तो मशीनों की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। वास्तव में ग्रामों का आर्थिक एवम् सामाजिक उन्नति करने के लिए कृषि से उत्पन्न वस्तुओं का उचित उपयोग हो है। मैं माननीय श्री जयदीप सिंह बरार के प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं और माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प को सहर्ष और सर्वसम्मति से पास कर दें।

*श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, मा0 बरार जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं समाजिक उद्धार के लिए औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को दी जाय।

ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक उद्धार से ही सामाजिक उद्धार सम्भव है। अगर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है तो निश्चित ही सामाजिक उद्धार हो जायगा। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और यहां की 85 प्रतिशत जनता खेती पर आधारित है लेकिन जैसा एक साथी कर रहे थे कि कोई नियोजित कृषि नहीं रह गई है और इसी कारण आज खेती में लगे हुए लोग निराश से नजर आते हैं। वे परम्परागत ढंग से खेती करते चले आ रहे हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद और समय-समय पर कुछ नारे भी दिए गए चाहे वह "जय जवान जय किसान" का नारा हो या "अधिक अन्न उपजाओ" का नारा हो। अनेक परियोजनायें भी चलाई गयीं। इनका मूल्यांकन करने के लिए भी केन्द्र सरकार ने "फूड इन्क्वायरी कमेटी" भी गठित की थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभू नारायण सिंह--]

किसी भी योजना की सफलता की आशा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि देश के करोड़ों छोटे किसान इसके उद्देश्य को स्वीकार न कर लें, इसके बनाने में भाग न लें इसको अपना न समझें और इसके कार्यान्वियन में आवश्यक त्याग करने के लिए तैयार न हों। खाद्य उत्पादन का एकीकृत कार्यक्रम उत्साह पैदा नहीं कर सकता। खाद्य समस्य केवल खाद्यान्नों के आयात को समाप्त करने से कहीं अधिक विस्तृत है। कृषि उत्पादन इतना बढ़े कि बढ़ती हुई आबादी और पौष्टिक तत्वों की मांग की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कृषि सुधार आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ग्रामीण जीवन के स्तर को सुधारने और उसे पूर्ण एवं समृद्ध करने के आदर्श को देश के सामने रखकर हम जनता के उत्साह को जागृत कर सकेंगे और ग्रामीण अंचल में रहने वाले करोड़ों परिवारों के मनोयोग और सहायता से उनके अपने जीवन स्तर को उठाने के महान कार्य में लग सकेंगे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ 101 में कहा गया था कि कृषक का जीवन एक समन्वित जीवन होता है और उसकी विभिन्न समस्यायें एक दूसरे से इस तरह से गुथी हुई होती हैं कि वह उन्हें एकांगी तौर पर नहीं देखता। इसी तरह कृषि विकास पर विचार करते समय किसान के जीवन और उसकी समस्याओं को एक साथ देखना होगा। इसमें शक नहीं कि उन मदों को अलग से चुनना होगा जिन पर विशेष जोर देना है लेकिन उद्देश्य सदैव कृषक के दृष्टिकोण और वातावरण को व्यापक और सर्वांगीण प्रयास में बदलने का होगा। लक्ष्य ग्रामीण समाज के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के विकास का हो। इसकी प्राप्ति मुख्यतः ग्रामवासियों को अपनी समस्याओं का हल करने के लिए सक्षम बनाने और सहकारी कार्यक्रम के लिए अपने आपको संगठित करने से होगी। ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए ज्ञान और साधनों को वे नियोजित कर सकें। इस तरह से एक तरफ तो सरकार को प्रशासनिक मशीनरी और विशेष तौर पर प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामवासियों को मार्ग-दर्शन और सहायता देने के उत्तरदायित्व निभाना होगा। सामुदायिक विकास एक पद्धति है और ग्रामीण प्रसार सेवा वह माध्यम है, जिनके द्वारा गांव के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रारम्भ करना अभीष्ट था। इसके बाद जो अनुभव किए गए विभिन्न समाज शास्त्रियों द्वारा वह संक्षेप में अभी बतायेंगे, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा जो सूटेड-बूटेड स्टिक इन हैंड। ए डाग बिहाइन्ड दि जेन्टिलमैन। यह कहावत है कि जो सरकारी कर्मचारी सूटेड-बूटेड होकर वहां जाते हैं, तो जब वह वहां के जीवन से वहां के रख-रखाव से वाकिफ नहीं हैं, उनको आप वहां भेज देते हैं तो वह क्या ग्रामवासियों की समस्याओं को समझेंगे? इस ओर मा0 अधिष्ठाता महोदय कुछ सुझाव दूंगा कि ग्रामवासियों की समस्या से संबंधित कार्य के लिए ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता द्वारा ही ग्रामीणों से सम्पर्क किया जाए।

दूसरे यह कि कार्यक्रम ऊपर से न लादकर जन सहयोग पर आधारित हों और तीसरे यह कि अपनी स्थिति को सुधारने का प्रमुख दायित्व जनता का ही होना चाहिए और सरकारी तन्त्र केवल मार्ग दर्शन और सहायता का काम करें तथा व्यापक रूप से फैली हुई बेरोजगारी जो कि ग्रामीण जीवन की विशिष्टता है, को वैज्ञानिक खेती और कुटीर एवं लघु उद्योगों द्वारा कम किया जाए। दूसरे सलाह और उपदेश न देकर बीज, उर्वरक, ऋण और तकनीकी जानकारी किसान की तुरन्त की समस्याओं को हल करने के

लिए उपलब्ध कराई जाए। साथ ही इस ओर अच्छे नतीजों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों का लगन से अनुसरण किया जाए और ग्रामवासियों से सम्पर्क उन्हीं के अनुभवों के सहारे किया जाना चाहिए और समस्याओं को सहज रूप से समझना चाहिए और ग्रामवासियों के उत्साह को जागृत और निरंतर बनाए रखने के लिए ऐसा लक्ष्य जो जनता और जनता में काम कर रहे जनसेवकों में काम करने के संकेल्प को एवं तत्पर कार्य की भावना को सुदृढ़ कर सके तथा ग्रामवासियों के हृदय में अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने और बेहतर तरीके से रहने के लिए एक तीव्र इच्छा पैदा करे। साथ ही ग्रामीण निर्धनता और अविकसित स्थिति पर प्रभावी हमला ग्रामीण क्षेत्र के समन्वित विकास के परिवेश में ही नियोजित किया जा सकता है।

यह समन्वित विकास कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी संसाधनों की उपलब्धता और संभावनाओं पर आधारित होगा। स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, जिनमें जनशक्ति शामिल है पर विशेष ध्यान दिय जाना चाहिए, न कि अधिकांश बाहर से प्राप्त होने वाले निवेशों पर इसमें जिले की व्यवहारिक योजनाएं तैयार करनी हैं जो हर क्षेत्र की अलग-अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जायें। इसके लिए प्राकृतिक साधनों का विस्तृत सर्वेक्षण बहुत आवश्यक है। हमें नवीनतम विज्ञान और प्रौद्योगिक से उत्पन्न संभावनाओं का पूरा उपयोग ग्रामीण आर्थिक जीवन के पुनरुत्थान में करना है।

उसके साथ ही साथ मा0 अधिष्ठाता महोदय यह भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली जो वस्तुएं हैं, उनसे संबंधित बनने वाले वस्तुओं के लिए निश्चित तौर पर छोटे-छोटे उद्योग लगाए जाएं और उन उद्योगों में काम करने वाले वहां के कृषक ही हों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री रामस्वरूप वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर दिया। इस संकल्प का विषय यह है कि औद्योगिक नीति में ऐसा परिवर्तन किया जाय कि सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को दी जाये। इससे मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन आएगा, सामाजिक और आर्थिक उन्नति होगी। हमारे यहां बहुत से उद्योग हैं और उनका विश्लेषण करने में काफी समय चाहिए, थोड़े समय में उस पर विस्तार से विचार करना सम्भव नहीं है। लेकिन मैं अपने प्रदेश का जो महत्वपूर्ण उत्पादन है, गन्ना, उसको ही लेता हूं। सारे देश का 40 प्रतिशत गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। अभी तक गन्ने से हम एक ही चीज बना रहे हैं और वह है शकर। अगर गन्ने पर आधारित सारे उत्पादों का हम विश्लेषण करें और उसके उद्योग लगायें तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, आर्थिक उन्नति हो सकती है, विदेशी मुद्रा की काफी बचत की जा सकती है और प्रदेश को समृद्धिशाली बनाया जा सकता है।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

गन्ने से शकर के अलावा 4-5 चीजें तैयार की जा सकती है। गन्ने की पेरायी के बाद जो बगास या खोयी निकलती है वह 27 प्रतिशत होती है। उससे ही हम 4-5 चीजें तैयार कर सकते हैं 1--अखबारी कागज, 2--कैनाइट बोर्ड, 3--फरफ्यूरल, 4--गत्ता और 5--स्टेपिल फाइबर यानी यह चीजें हम काफी मात्रा में अभी तक विदेशों से मंगा रहे हैं। इस सरकार को मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी कि यह खोयी जो हमारे यहां बेकार जा रही है या केवल जलाने के काम में लायी जाती है उसका प्रयोग किन-किन कामों में किया जा सकता है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार क्यूबा में 8 लाख टन का एक कारखाना लगाया जा रहा है जो खोई से फाइबर कपड़ा तैयार करेगा जो ऋतुवाही होगा यानी गर्मी में ठंडा होगा और जाड़ों में गरम होगा। अभी तक हमारे यहां जो फाइबर क्लाथ बनता है वह गर्मियों में गरम और जाड़ों में ठंडा रहता है। इस खोयी से जो फाइबर कपड़ा तैयार होगा उसमें यह सिफत होगी कि वह ऋतु विरोधी होगा--यानी गरमी में ठंडा और जाड़े में गरम। आपके यहां कपास का उत्पादन आप जानते हैं कि घट रहा है। उसे आपको विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। मैंने सरकार को लिखा था, टाइम्स आफ इंडिया की एक कटिंग भी भेजी थी, कि इससे आप 3-4 उद्योग लगा सकते हैं। फाइबर बनाने की जानकारी के लिए आप अपने अधिकारियों को क्यूबा भेज सकते हैं। आपके यहां तो 227 करोड़ टन गन्ना पेरा जाता है और उसकी 20 परसेन्ट भी खोयी हम लगा लें तब भी वह इतनी होगी कि उससे कई कारखाने हम स्थापित कर सकते हैं और इससे इतना कपड़ा तैयार कर सकते हैं कि वह पूरे हिन्दुस्तान के लिए काफी हो सकता है। खोयी एक ऐसी चीज भी है जो आसानी से ले जायी जा सकती है।

इसके अलावा कैनाइट बोर्ड हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। यह सिनेमा हालों में ध्वनि नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। यह भी हम इसी से तैयार कर सकते हैं। अखबारी कागज हम इससे तैयार कर सकते हैं। आज साढ़े तीन अरब का कागज हम विदेशों से मंगा रहे हैं। यह अखबारी कागज हम खोयी से तैयार कर सकते हैं। इससे काफी विदेशी मुद्रा को हम बचा सकते हैं। इस तरह अखबारी कागज के मामले में हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।

अब मैं पावर अलकोहल के बारे में बतलाता हूं कि पावर अलकोहल शीरे से निकलता है और उसको ले जाने में तकलीफ होती है और ले जाने में बहुत सा नष्ट भी हो जाता है। यह चारो उद्योग जोकि गन्ना की मिल से सम्बन्धित हैं इसके लिए मैंने सरकार से कहा भी था कि इसका राष्ट्रीयकरण कर लो आज चीनी मिलें केवल शक्कर बनाती हैं, वहां केवल शक्कर ही गन्ने से पैदा की जाती है। अगर सरकार इसको ले लें और 8,000 टन प्रतिदिन के हिसाब से शीरा जितना निकले या औसतन जो उससे शीरा निकलता है तो उससे पावर अलकोहल बनाया जायगा। पावर अलकोहल इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है, अभी कानपुर में इस पर शोध हुआ तो वहां पर अलकोहल का शोधन करके बताया कि इससे कारें चलायी जा सकती हैं हमारी कारें पावर अलकोहल से चल सकती हैं जोकि अभी केवल पेट्रोल से चलती हैं। पेट्रोल हमारे यहां विदेशों से आ रहा है इससे विदेशी मुद्रा का क्षरण हो रहा है। विदेशी मुद्रा के क्षरण का मेन कारण ही पेट्रोल है तो फिर क्यों न यहां पर पावर अलकोहल को बनाया जाय। कृत्रिम रबड़ के बनाने की बात की जाती है तो कृत्रिम रबड़ को बनाने के लिए पावर अलकोहल की जरूरत पड़ेगी।

इसके अतिरिक्त तीसरी चीज मैली है । तो जो मैली निकलती है उससे मोम और रंग बनता है । मान्यवर, अभी मोम के हमारे कई कारखाने बन्द हो गए हैं तो हम मैली से मोम और रंग को बना करके तैयार करें तो यह भी एक उत्पादकता हो जायेगी तो यह बाई प्रोडक्ट के रूप में, शक्कर के अलावा हम बनायेंगे । इसका परिणाम यह होगा कि जब हम गन्ना 30 रु0 क्विन्टल लेंगे तो शक्कर 2 रु0 किलो बिक जायेगी । इससे सारे टैक्स वसूल हो जायेंगे । गन्ने से शक्कर के अलावा खोयी मैल, शीरा इन सब का सदुपयोग हो जायेगा और इस पर साधारण खर्च आयेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी हमने चारों तरफ से चीनी देने में जो नुकसान उठाया है, उसको बचा सकेंगे ।

मैंने इस विषय में सरकार से बार-बार कहा है लेकिन मुझे अफसोस है कि इस बजट में इसका कहीं भी कोई काम्प्लेक्स लगाने का प्राविधान नहीं है । यहां की सरकार सोई रहती है । इसे जब फाइनेन्स कमीशन बुलाता है तब भी ये सोए रहते हैं और देर से पहुंचते हैं । छठीं पंचवर्षीय योजना में यह नहीं कह कर भेजा कि हमारे यहां स्टेपिल फाइबर का प्लान्ट लगना है । हमारे गन्ने को प्रतिदिन 22 टन खोयी व्यर्थ जा रही है । 22 टन खोयी का हम कितना उपयोग कर सकते हैं, इसका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं।

यदि औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में उद्योग धंधों को लगाया जाय तो देहात की जनता बेकार नहीं घूमेगी, उसे काम मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी और इसके साथ ही हमारा प्रदेश सम्पन्न होगा और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी । इसके साथ ही मैं श्री बरार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री दूधनाथ राजभर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है उसमें भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । भाई बरार जी ने जो संकल्प रखा है उस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है और जिस तरह से मैं अपनी राय देना चाहता हूं, यह हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और लगभग 12 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश इसकी पूरी की पूरी जनता कृषि पर आधारित है । जो संकल्प हमारे सामने है, वह हमें विचार करना है कि हम आर्थिक और सामाजिक उत्पादन जो करते हैं, जब हम कृषि की बात करते हैं और किसान की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या आती है ।

जो कृषि में लगे हुए हैं, जो श्रमिक हैं, भूमिहीन खेतिहर हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उसका सारा परिवार कृषि पर निर्भर है । जो हमारे किसान हैं उनके घर में खेत में श्रम करने पर आधारित है । यह समस्या हमारे सामने आती है जो विचार करने का विषय हमारे सामने रखा गया है, उसमें इस बात को विचार करना है कि अगर कृषि उत्पादन से सम्बन्धित हम उद्योग को प्राथमिकता देकर लगाते हैं तो क्या तरक्की होगी । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश कि तो धान का उत्पादन विशेष रूप से कहां होता है, कहां मक्के का उत्पादन होता है, कहां पर अरहर का उत्पादन होता है उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दूधनाथ राजभर—]

आधार पर ऐसे क्षेत्रों में धान का यंत्र लगाया जाय और दूसरे जो उत्पादन हैं उनसे सम्बन्धित अगर उद्योग लगाए जायें तो हमारा क्या स्वरूप बनेगा ?

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो श्रमिक वर्ग है जिसको रोटी-रोजी का ठिकाना अपने श्रम की बदौलत है उसकी एवज में मिलता है। ऐसे वर्ग की समस्या को हमें सामने लाना चाहिए। दूसरी समस्या हमारे सामने है गन्ने की जो किसानों का कैश क्राप कहा जाता है। गन्ने का उत्पादन तपती हुई धूप में किसान करता है और सिहरती हुई ठंडक की रात में वह उसको अपने खेत से निकालता है और जब वह उसके उत्पादन को घर में ले जाता है और फिर बाजार में जाता है तो उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। गन्ना किसानों का आज मिलों पर करोड़ों रुपया बकाया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिए सबसे ज्यादा चिन्ता की बात है और हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि किसान को गाढ़ी कमाई का जो गन्ना उत्पादन करते हैं उसका बकाया पड़ा हुआ है। विशेष तरीके की योजना बनाकर गन्ना किसानों का बकाया जो है उसका भुगतान होना चाहिए और आज की प्रक्रिया में जो चीनी मिले चल रही हैं उसमें गन्ना किसानों का 2-3 महीने में भुगतान मिल पाता है। किसानों को कई बार दौड़ना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसान की तरक्की चाहते हैं तो आपको विचार करना होगा। जो संकल्प है वह बहुत ही गम्भीर है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनको सस्ते रेट पर बिजली दी जाए जो उनकी फसल है उसको उचित मूल्य दिया जाय। स्थिति क्या है जब किसान अपने खेत में फसल उत्पादन करता है और उसको बेचने के लिए बाजार जाता है तो वह पानी के भाव बिकता है और जब किसान के घर माघ और पूस में गल्ला कम हो जाता है और वही किसान जब बनिये के घर में जाता है तो उसको उसी के गल्ले का अधिक दाम देकर लेना पड़ता है। यदि इस कृषि प्रधान देश में और प्रदेश में किसानों की रक्षा की बात सोचते हैं और किसानों के उत्पादन को खपाने के लिये उस पर उद्योग के लिए प्राथमिकता के आधार पर नहीं सोचते हैं तो जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या हमारे देश और प्रदेश में सुरसा की तरह मुंह बाये हुये है उसी तरह से इस समस्या का भी समाधान नहीं हो सकता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे शासन की नीति है, हमारे नेता की नीति है, हमारे प्रधान मंत्री का इसमें विश्वास है कि समाज के गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिये उन्होंने जो संकल्प लिया है और जो प्रत्येक परिवार में एक छोटा घरेलू उद्योग स्थापित करने का विचार किया है वह निःसंदेह प्रगति की ओर एक कदम है। मैं समझता हूं कि जो नीति हमारे नेता की है कि हम हर परिवार में खेती के साथ-साथ एक छोटा उद्योग भी लगाना चाहते हैं उस नीति के चलते उस छोटे तबके की भलाई हो सकेगी। उधर से एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे हम सहमत हैं। जो खेतिहर मजदूर हैं उनको कम से कम एक उद्योग से सम्बद्ध करना आवश्यक है, तभी हम प्रगति कर सकते हैं।

हम भी इस समस्या को आपके सामने रखना चाहते हैं और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो किसान और विशेष रूप के हमारा भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो कि माघ और पूस के महीनों में ये बड़े-बड़ किसान उनको खेती में

लगाते हैं और उसको एवज में उसे मजदूरी देते हैं, जब खेती में काम करने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, जो कि श्रमिक वर्ग को रोजी-रोटी का सहारा देता है, जिन दिनों उसके पास कोई काम नही होता है उन दिनों हमें उस गरीब तबके को देखना है ।

हम सब लोग गांवों से आते हैं । गांवों में एक तबका ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है । उसके पास न मकान है, न खेती है और जो बड़े किसान हैं जो काफी जमीन रखे हुये हैं जो कि उन्हें खेती में काम कराते हैं, उससे उन्हें जो मजदूरी मिलती है उसी से वे अपने बाल-बच्चों को पालते हैं । समाज के इस वर्ग के लिये माघ और पूस के महीनों में कई काम नहीं होता है और वे इन दिनों बेकारी के शिकार होते हैं । उसके बच्चे हफ्तों तक आलू खा कर और शर्बत पी कर सो जाते हैं और इसके लिये उन्हें मजबूर होना पड़ता है । यदि हम ऐसे तबके के लिये इस संकल्प के माध्यम से कुछ सोचते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कुछ सहारा मिल सकेगा और अन्ततोगत्वा हमारे देश और प्रदेश का विकास होगा और साथ ही हमारे समाज की तरक्की होगी । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भाई बरार साहब ने संकल्प लिया है उस पर हम लोगों को गम्भीरता से विचार करना चाहिये और मैं समझता हूं कि हम सब को इस संकल्प को एक स्वर से पारित करना चाहिये ।

*श्री कुबेर सिंह नेगी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय जयदीप सिंह बरार के संकल्प पर बोलने की अनुमति प्रदान की । माननीय बरार का संकल्प बहुत ही अच्छा है और खुशी की बात है कि दोनों पक्षों की ओर से इसका समर्थन किया जा रहा है । मान्यवर, आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी जी ने आवाहन किया था कि विदेशी कपड़े को हिन्दुस्तानी त्याग दें । उसके पीछे मंशा यह थी कि यहां से जो कपास इंगलैंड के लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलों में जाती थी उसका वहां से कपड़ा तैयार होकर आता था जो यहां पर बहुत कीमती होता था । उसका परिणाम यह होता था कि यहां पर कपास पैदा करने वाले को अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे और यहां पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी ।

विदेशी मिल मालिक हमें लूट रहे थे लेकिन आजादी के बाद वह समस्या उसी प्रकार से बनी है । आज जो हमारे पूंजीपति घराने हैं वे इसी तरह देश को लूट रहे हैं । कपास के काश्तकार को आज भी कम कीमत मिल रहा है लेकिन कपड़े के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं । यही समस्या गन्ने की है गन्ना काश्तकार को उसके गन्ने के दाम 9 और 10 रु0 क्विंटल मिल रहे हैं और अभी भी करोड़ों रुपये उनके मिलों पर बकाया पड़े हैं और दूसरी तरफ चीनी जो आम उपभोक्ता को उपलब्ध हो रही है वह बहुत ऊंचे दामों पर उपलब्ध हो रही है ।

गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है हमारे देश के 85 प्रतिशत लोग आज खेतों में काम करते हैं लेकिन हमारा ध्यान गांवों की तरफ नहीं गया है । हमारा ध्यान चन्द औद्योगिक घरानों की ओर गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

[श्री कुंवर सिंह नेगी—]

पसीना जो बहाता है वह भूखा है उसके पास मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो आज भी वैसा पसीने पर हूबी है। बरार साहब ने जो सुझाव दिया है कि कृषि पर आधारित उद्योग गांवों में लगने चाहिये तो शहरों में औद्योगीकरण से जो बुराइयां उत्पन्न हो रही हैं वह कम हो जायेंगी, क्योंकि आप कानपुर का ही उदाहरण ले लीजिये वहां पर औद्योगीकरण के कारण नागरिक सुविधायें लोगों को नहीं मिल पा रही है आप देखेंगे कि प्रदेश के सबसे ज्यादा टी0 बी0 के मरीज वहां पर हैं। यदि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो जाय, छोटे-छोटे उद्योग गांवों में लग जायं जैसे गन्ने पर आधारित उद्योग, तेल पेरने वाले उद्योग, खाद बनाने वाले उद्योग तथा और दूसरे छोटे उद्योग वहां पर लग जायं तो निश्चय ही हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। मेरा तो यहां तक सुझाव है कि रासायनिक खाद कीटनाशक दवाओं और कृषि यंत्रों के उद्योग भी गांवों में लगने चाहिये। आज यह हो रहा है कि कहीं बन रही है, कहीं जा रही है। व्यापारी उसमें मिलावट कर रहे हैं।

आज मेरठ और मुजफ्फरनगर के बारे में बात आई कि व्यापारी मिलावट कर रहे हैं जिससे खेत की उर्वराशक्ति के लिए भयंकर खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। तो मान्यवर, आज आवश्यक हो गया है कि हमारा ध्यान गांवों की ओर जाना चाहिये कि गांवों में कृषि पर आधारित उद्योग लगाये जायें। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में आलू का उत्पादन हो रहा है तथा फलों का उत्पादन हो रहा है। परन्तु फलों के भंडारण और विपणन की कोई उचित व्यवस्था न होने से काश्तकारों को ठीक दाम नहीं मिल रहे हैं। मान्यवर, वहां आलू और सेव आज सड़ रहे हैं, इसलिये सरकार को चाहिये कि वहां छोटे-छोटे प्रोसेसिंग प्लान्ट लगाकर फलों का जूस निकालने का उद्योग करे जिससे वहां के काश्तकारों को फायदा हो सके।

मान्यवर, यह अच्छी बात है कि सरकार ने हल्द्वानी में सोयाबीन प्लान्ट लगाया तो मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार जहां सोयबीन होता है वहां इसी तरीके से प्लांट सरकार लगाये जिससे काश्तकारों को फायदा हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्वागत करता हूं और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह भी इसका समर्थन करें।

श्री शम्भूनाथ—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो श्री बरार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, श्री जयदीप सिंह बरार ने जो संकल्प दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिये क्या उपयोगी चीजें हैं वह कृषकों को मिलनी चाहिये। मान्यवर, कृषि के लिये बिजली, खाद और पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

मान्यवर, बिजली की यहां समुचित व्यवस्था नहीं है और आज 15 रुपये प्रति हार्स पावर से बढ़ाकर 22 रुपया प्रतिहार्स पावर कर दिया गया है जिससे किसानों को बड़ी परेशानी हो गयी है। मान्यवर, बिजली की आज हालत यह है कि रात में मिलती है जिससे किसानों को सिंचाई में असुविधा होती है।

मान्यवर, जहां तक गन्ने के मूल्य का सवाल है तो उसमें हमारी सरकार ने काफी किसानों का बकाया भुगतान कर दिया है और जो थोड़ा बकाया रह गया है वह भुगतान कर देगी लेकिन गन्ने के संबंध में

मेरा कहना है कि किसानों के गन्ने का आज उतनी मात्रा मिलों में खपत नहीं हो पा रही है जितनी कि गन्ने की खपत होनी चाहिये इसलिये इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

मान्यवर, जहां तक उद्योग का सवाल है तो छोटे उद्योग किस आधार पर लगाने चाहिये, उसकी क्या रूपरेखा होगी इस पर विचार करके ही उद्योग ग्रामीण स्तर पर लगायें जांय और इस संबंध में ग्रामीण लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिये । उद्योग लगाते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि उस उद्योग के लिये कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा कि नहीं और उसके विपणन की व्यवस्था को भी ध्यान में रखना होगा ताकि वहां उद्योग चल सके । इसके लिये हमारी सरकार ने उचित कदम उठाये हैं ।

[समय 3 बजकर 25 मिनट]

मान्यवर, हमारी सरकार की नीति है कि गांव के गरीबों को छोटे किसानों को उपर उठाने के लिये कार्यक्रम बनाये जांय और उसने उनके आधार पर छोटे-छोटे उद्योग चलाने के लिए ग्रामीण स्तर पर गांव के लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है उसकी ओर से व्यवसायिक प्रशिक्षण चलने की व्यवस्था होने जा रही है और उसकी अति-आवश्यकता भी है । जो किसान पैदा करता है, उसका उसको लागत के हिसाब से दाम मिलना चाहिए । जितना उसका खाद, बीज, पानी और बिजली आदि पर खर्च होता है, लागत आती है, उसके आधार पर उसी के अनुसार उसका उत्पादन का मूल्य मिलना चाहिए । जनता पार्टी की हुकूमत में इन्होंने 7 रुपया क्विंटल गन्ना खरीदा और उसका पैसा आज तक भी किसानों को नहीं दिया । जबकि हमारी सरकार साढ़े 21 रुपया क्वींटल गन्ने का दाम दे रही है और जो (व्यवधान) बकाया इनकी सरकार ने रखा था उसका भुगतान भी हमारी सरकार ने किया है ।

आज प्रदेश सरकार की नीति ठोस हो गयी है और किसानों को हम उनकी उपज के अनुसार पैसा देंगे और भारी उद्योग लगायेंगे और बेरोजगारों तथा नौजवानों को रोजगार देंगे । इस आधार पर हमारा सारा कार्यक्रम चल रहा है और गांव गांव में छोटे-छोटे उद्योग लगाने की व्यवस्था की जा रही है । बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ठोस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके आधार पर गांव को ऊपर उठाने के लिए मजबूत आधारशिला रखी जा रही है । किसानों और मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष को मिलकर काम करना चाहिए । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं मैं केवल इस पर अपने सुझाव देने तक सीमित रहूंगा । मेरा पहला सुझाव तो यह है कि यह जो प्रस्तुत संकल्प है--"इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक उद्धार के लिए औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को दी जाय" । तो इसमें प्राथमिकता शब्द के बाद कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को दी जाय, के स्थान पर 'के आधार पर कृषि उत्पादन को औद्योगिक आधार प्रदान किया जाय ।' इस संबंध में मेरा कहना यह है कि उद्योगों के लिए खुला हुआ सिद्धान्त है कि बाजार में मूल्य आएगा और जिस कीमत पर आएगा, उसमें मुनाफा जोड़कर वह बेचा जाएगा और कृषि के संबंध में अब तक यह सिद्धान्त लागू

[श्री विजय सिंह राना--]

नहीं हो-पाया है। बार-बार मांग की जाती है कि कृषि उत्पादनों का मूल्य कम से कम उनकी लागत के अनुसार तो मिलना चाहिए। लेकिन आज जो बाजे मूल्य मिलता है, वह उसे लागत से भी कम मूल्य मिलता है। कृषि उत्पादनों के मूल्य निर्धारण के लिए व्यापारिक तरह से नीति होनी है चाहिए। उसमें जो उत्पादक है, उसकी लागत, श्रम और उसके मनाफे को जोड़ देना चाहिए और उसके बाद ही उसके उत्पादन का मूल्य निश्चित होना चाहिए और उसी मूल्य पर उसके बिकने की व्यवस्था होनी चाहिए। पहली चीज तो यह होनी चाहिए इसके बाद अधिष्ठाता महोदय में दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने जैसा कहा गन्ना से सम्बन्धित यहां उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। उस से पहले मैं एक बात और कहूंगा इस देश में आप के बहुत से भूमि सरक्षण अधिष्ठान है। प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम के निवेदन करना चाहता हूं यहां कि चप्पा-चप्पा जमीन का सवक्षण किया जाना चाहिए, कि कौन से प्रदेश में कौन से जिले हैं कौन सी तहसील में किस जमीन के अन्दर कौन सी उत्पादन संभव हो सकता है, व्यापारिक फसलें संभव हो सकती है। जब तक आप हर प्रदेश के हर गांव के किसान को आप कोई में कोई व्यापारिक फसलें नहीं दे पायेंगे, तब तक उस किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव नहीं हो सकता।

मेरठ में, बुलन्दशहर में, मुजफ्फर नगर में यहां के किसान का विकास क्यों संभव हुआ, आप जाकर वहां पता लगायें। वहां के हर प्रगतिशील किसान को एक लाख या दो लाख रूपए का गन्ना बेचने का मौका मिल जाता है। हमारे यहां किसान केवल खाद्यान्न पैदा करता है। रबी की फसल में वह पैदा करेगा--गेहूं, जो और चना और खरीफ की फसल में वह पैदा करेगा ज्वार और बाजार, इनमें मुनाफे का कोई दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए किसान आगे विकास नहीं कर सकता है। तो निवेदन है कि पूरे प्रदेश की चप्पा-चप्पा जमीन का सर्वेक्षण कराया जाय और यह पता लगायें कि कौन सी जमीन किस तरह की पैदावार दे सकती है। जहां पर फल आदि बहुतयात से पैदा होते हैं, वहां फल संबंधी उद्योग लगाये जायं। मैं अपने जनपद की बात उदाहरण स्वरूप कहना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे आगरे में अमरूद की फसल बहुत पैदा होती है। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि यहां अमरूद की जूस का एक कारखाना हो जाय। इसका कारखाना नैनीताल में पड़ा हुआ है। आपकी जो मान्यवर, कैन्टीन है, उसमें अमरूद के जूस की बोतल केवल 60 पैसे में मिलती है आप देखें कोका कोला और डबल सेवन से कितनी कम कीमत है। 60 पैसे में जूस की बोतल मिल जाती है। तो उसका विकास करने में क्या कठिनाई है? आगरा जिला, आगरा जिले के नजदीक के जिले अलीगढ़, मथुरा है, मान्यवर, हाथरस का अमरूद बहुत ही मशहूर है तो मैं चाहता हूं कि इससे सम्बन्धित जो औद्योगिक संस्थान है वे वहां पर बढ़ने चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा और मांग करता हूं कि सबसे पहले आगरा जिले में अमरूद की जूस बनाने का कारखाना होना चाहिए।

मान्यवर, आगरे में फालसे की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर वहां कारखाना लग जायेगा तो इससे जूस भी बनेगा, सास भ बनेगा। मान्यवर, प्रदेश के हर जिले का सर्वेक्षण कराया जाय कि वहां कौन सी जमीन व्यापारिक फसलें दे सकती है। दूसरा अधिष्ठाता महोदय मेरा सुझाव यह है कि जैसा कि माननीय वर्मा जी ने भी अभी कहा कि गन्ने की पैदावार कृषि उत्पादन है,

तो इससे जो बाई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उससे उद्योग धन्धे गांव में स्थापित किये जाने चाहिए। मान्यवर, तम्बाकू देहात में पैदा होती है तो बीड़ी बनने वाले, सिगरेट बनने वाले, माचिस बनने वाले उद्योग धन्धे देहातों में बढ़ने चाहिए ताकि हैण्डी क्राफ्टस के माध्यम से लोगों को काम मिल सके और इससे सम्बन्धित जो बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए हैं उस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए ताकि गांव में उद्योग धन्धे चल सकें।

मान्यवर, इसी प्रकार चिप्स आदि के कारखाने गांव में होने चाहिए क्योंकि अलू गांवों में पदा होता है। आप देखें गांव का आलू बिकता है एक रुपए का दो किलो और उसी की चिप्स बिकती है 5 रुपए किलो। तो इस रोशनी में, कि किसान का आलू बिकता है एक रुपए का दो किलो और वही जब फैक्टरी में चला जायेगा और जब उससे चिप्स बनकर अयेगी तो वह बिकेगी पांच रुपए किलों तो यह अन्तर क्यों? मैं यह कहना चाहता हं कि इसी प्रकार से दाल है। दाल का पैकेट ले लीजिये चाय के साथ एक छटांक से कम दाल होगी लेकिन मल्य एक रुपया होगा। गांव से तो एक कुन्तल दाल 50 रुपया में खरीदेंगे और बेचेंगे 5 सौ रुपये कुन्तल। यह हाल मूगफली का है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के उद्योग धन्धे गांवों में लगने चाहिये इनको स्थापना प्राथमिकता के आधार पर गांवों में होनी चाहिये। कृषि उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों को गांवों में लगाया जाय और उसको पूरा संरक्षण दिया जाय।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हं कि इसमें 2 चीजें आड़े आ रही हैं। एक तो ग्रामीण अंचल में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। गांव का व्यापारी गांव छोड़कर शहरों में भाग रहा है और दूसरी चीज है बिजली और नल की व्यवस्था, यह जिस प्रकार शहरों में मिलती है इस प्रकार की व्यवस्था गांवों में नहीं है। यदि इसकी व्यवस्था गांवों में की जाय, तो सारे कृषि आधारित उद्योग धन्धे गांव में हो सकते हैं। इसी के साथ दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हं कि बेरोजगारी को रोकने के लिये सरकार जो बसों के परिमिट देती है बसों को लाने के लिये यहीं शहर में लाखों करोड़ों का व्यापार करने वाला व्यक्ति उन बसों को भी चलाता है इसको गांव के बेरोजगार पढ़े-लिखे नौजवानों को दिया जाय।

सरकार एक नियम बना दे कि यह परमिट गांव में रहने वाले पोस्ट ग्रेजयट या ग्रेजयट को देंगे। जो धन्धे गावों में चल सकते हैं गांव के बेरोजगार लोगों को दिये जायं। मान्यवर, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं पशुपालन के सम्बन्ध में इसमें जो काम हो रहा है वह सब गोरखधन्धा बन कर रह गया है। आई0 आर0 डी0 स्कीम में किसी को एक भैंस दे दिया। इससे प्रगति नहीं हो सकती है। सब फर्जी काम इस विभाग में हो रहा है हमारे यहां आगरा में एक प्राइवेट डेरी है पंजाब डेरी के नाम से उसके पास 63 गायें हैं कोई भी गाय ऐसी नहीं है उसमें जो 42 किलों से कम दूध देती हो।

आप सर्वेक्षण करा लें और कम से कम पशुपालन विभाग से कहें किसी कोई व्यवस्था करायें जिससे कुछ लाभ हो सके। जनता को कुछ लाभ पहुंचे। अन्त में कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव बहुत अच्छा है और मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री सरदार सिंह---

मेरा व्यवस्था का सवाल है । इतना महत्वपूर्ण यह विषय चल रहा है । सदन का इतना पैसा खर्च होता है इस समय माननीय उद्योग मंत्री जी को बुलवा लें तो अच्छा होगा । और आगे भी इस प्रकार की बहस जब हो तो सम्बन्धित मंत्री का रहना आवश्यक है । इस पर मंत्री को रहना चाहिये या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता---

शासन अपना कर्तव्य समझता है । खाद्य मंत्री जी बैठे हैं ।

श्री सुरेन्द्र कपिल---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का समय दिया । मान्यवर, जो विषय था वह महत्वपूर्ण था श्री बरार साहब ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि लोग विषय से भटक कर बोल रहे हैं । इसका मतलब यह नहीं था कि हम इस चर्चा में पड़ जांय कि औद्योगीकरण होना चाहिये या नहीं । राष्ट्र के अन्दर बड़ी-बड़ी फैक्ट्री लगे या माननीय चौधरी चरण सिंह के कहने के अनुसार बैल गाड़ी चलती रहे और अमेरिका तक उसी बैलगाड़ी से पहुंच जाय यह तात्पर्य नहीं । श्री जयदीप सिंह बरार के संकल्प का उद्देश्य यह था कि "इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिए औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को दी जाय" । बहुत स्पष्ट विषय है मान्यवर, । लेकिन मालूम नहीं कि हम क्यों उस विषय से अनभिज्ञ रहे हैं । हम अपने ग्रामीण समाज की संरचना के ऊपर अगर मनन करें, तो स्पष्ट रूप से हम देखेंगे कि देश के अन्दर जब तक हम औद्योगीकरण को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक वास्तव में हम देश के ग्रामीण समाज का उद्धार नहीं कर सकेंगे और उसका उत्थान नहीं कर सकेंगे । हम किसी दूसरे देश का उदाहरण अपने देश पर देने लगते हैं, तो यह हमारे मानसिक कुंठा का बहुत बड़ा प्रतीक है ।

मान्यवर, हमारे देश की परिस्थितियां, दूसरे देश की परिस्थितियों से भिन्न हैं । जो विकासशील देश हैं, उनके अन्दर सबकी भिन्न-भिन्न परिस्थितियां हैं, कोई कृषि प्रधान देश है, किसी देश के अन्दर औद्योगिक स्रोत कुछ है और किसी देश के अन्दर अन्य संसाधन हैं । तो इस तरह से प्रत्येक देश के अन्दर औद्योगिक स्रोत के अलग-अलग साधन हैं । हमारा यह कृषि प्रधान देश है । कुछ ऐसे भी देश हैं, जिनमें पेट्रोलियम पैदा होता है, अगर हम उनसे मुकाबिला करने लगेंगे, तो हम कहां से इतना पेट्रोलियम पैदा करने लगेंगे । इसलिए मान्यवर, मेरे कहने की मंशा यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अगर हम इसकी उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें कृषि के उत्पादन पर ध्यान देना पड़ेगा ।

मान्यवर, एक चीज देखने में यह आई है कि हमारे बरार साहब ने अपने संकल्प में कहा था कि हमारे यहां बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, मान्यवर, यह बेरोजगारी की समस्या केवल भारत वर्ष के सामने ही नहीं, यह सभी देशों के सामने है । मान्यवर, अगर हम हर स्रोत के ऊपर गहन अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि जन-संख्या वृद्धि पूरे विश्व की समस्या है ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

आप विषय पर आइये ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

यह आपकी समझ की बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मशरूर जाफरी--

क्या जबरिया नसबन्दी लागू कराना चाहते ह अपनी सरकार द्वारा, आवादी घटाने के लिए ?

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय यदुनाथ सिंह इंजीनियर हैं, वह क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, बेरोजगारी हमारे यहां क्यों बढ़ी है ? इसका एक कारण अनियोजित जन-संख्या की वृद्धि है तथा दूसरा कारण आज जिस घर का बच्चा 12वीं तक पढ़ लिया है, वह बजाय इसके कि अपने ग्रामीण उद्योगों में, कृषि में अपनी शिक्षा का उपयोग करे, वह क्लर्क बनना पसन्द करता है । आज जिस समय वह शहर में पढ़ने के लिए पहुंचता है, वह ग्रामीण अंचल से शहर में जाता है, गांव में वह 11 साल तक बच्चा नंगा घूमता है, शहर में वह चमक दमक के रहन सहन से आकर्षित होता है, वह ऐसे काम की टोह में रहता है, जिसके अन्दर शारीरिक परिश्रम कम करना पड़े और चाहे उसको कुछ झूठ-फरेब भी क्यों न बोलना पड़े, परन्तु उसको 100 रु0 की क्लर्की मिल जाय । जिससे उसे शारीरिक कार्य न करना पड़े । इस तरह से ग्रामीण लोगों का दिमाग शहर की ओर आकर्षित होता है । यही कारण है कि हमारे गांव का युवक आज शहर की तरफ भागता है । गांवों से शहर की ओर लोगों के भागने के कारण दो नुकसान होते हैं । अगर आज का युवक ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि उत्पाद उद्योगों में नहीं लगाया जायगा तो हमारे सामने जहां पर बेरोजगारी की समस्या है, जहां हमारे देश की आर्थिक उन्नति की समस्या है वहां एक और भयंकर समस्या पैदा होती जा रही है, उसका भी हम समाधान कर पायेंगे कि नहीं । जैसे-जैसे यह तड़क-भड़क और साज-सज्जा की ओर नवयुवक आकर्षित होते जसेंगे तो उससे शहरों के अन्दर पर्यावरण की समस्या बढ़ेगी ।

आज शहरों के अन्दर पर्यावरण की समस्या बढ़ती जा रही है । अगर हम इन नवयुवकों का मस्तिष्क कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगीकरण की ओर नहीं लगायेंगे तो शहरों की पर्यावरण की समस्या बढ़ती जायगी । इसका छुटकारा जब हो सकता है जब कृषि उत्पाद उद्योगों का जाल ग्रामीण क्षेत्र में बिछाया जाय । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि हमारे शासन ने सदैव ही इस ओर अपना दिमाग लगाया है । आज गांव के अन्दर जो योजनायें चल रही हैं उनमें उन उद्योगों को सरकार बढ़ावा देना चाहती है जो कृषि पर

[श्री सुरेन्द्र कपिल—]

आधारित हैं । मान्यवर, अभी ग्रामीण रोजगार योजना के अन्दर भेड़ पालन, पशुपालन का काम और अन्य दूसरे काम जो कृषि उत्पादन पर आधारित हैं उनके सम्बन्ध में ध्यान दिया गया है लेकिन हमें देखना है कि गांव के युवकों का दिमाग इस तरफ क्यों नहीं लग रहा है उनकी रुचि उस तरफ क्यों नहीं है ?

हमारी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों से धन मुहैया कराया है कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों के लिये धन मोहैया कराया है लेकिन यदि उनका रुझान नहीं है तो यह सोचने की बात है । सरकार को इस बात को अच्छी तरीके से सोचना चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों का रुझान कृषि उत्पादन उद्योगों की ओर हो और उनमें शहर को भागने की प्रवृत्ति कम हो । हम देख रहें हैं कि जो बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है । जिस व्यक्ति के उत्थान के लिये, उसके सामाजिक सम्मान को बढ़ाने के लिये, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये, हमारे राष्ट्र की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके एक अहम कदम उठाया वह सारा का सारा हमारी एक छोटी सी कमजोरी की वजह से निष्फल होता जा रहा है । आज जो भेड़, भैंस पालने के लिये पैसा दिया जा रहा है उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और भैंस पालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, भेड़ पालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है ।

एक सदस्य—

गधे के बारे में बता दीजिये ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

चाहे हम सत्ता पक्ष के हों, या विपक्ष के, हम अपने जनपद लेबिल पर जाकर जो समस्यायें हैं उन पर दिमाग लगायें चंद कुछ लोग जो जनता को भरमा रहे हैं जिससे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसी हमारी गन्ने की समस्या है उसे मैं बिल्कुल मानता हूं कि गन्ने के उत्पादन पर आधारित उद्योग होने चाहिये । जैसे शीरे से अल्कोहल बनाने का कारखाना लगा सकते हैं, खोयी से कागज बनाने का कारखाना लगा सकते हैं, स्ट्रा बोर्ड प्राप्त कर सकते हैं । लेकिन यह भी देखना होगा, अल्कोहल से स्प्रिट बनाने के बारे में और स्प्रिट से गाड़ी चलाने के बारे में वर्मा जी ने कहा, लेकिन कृषि नियोजन नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है, नहीं तो दूसरी समस्यायें पैदा हो जायेंगी और पूरे हिन्दुस्तान की जमीन पर गन्ना ही पैदा होने लगेगा और सिर्फ अल्कोहल ही बनेगा चाहे खपत हो या न हो । इसलिये जरूरी है कि कृषि को नियोजित किया जाय और कृषि उत्पादन पर आधारित औद्योगीकरण हो । मैं बरेरा जी के संकल्प का स्वागत करता हूं और मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी इस पर बोलने के लिए मैं देख रहा हूं काफी लोग इधर के और उधर के खड़े हैं इसलिए अगर 10 मिनट के बजाये 5 मिनट कर दिया जाये तो ज्यादा लोग बोल सकेंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग ज्यादा हैं और विपक्ष के कम । इसलिए आप सत्ता पक्ष के दो तथा विपक्ष के एक सदस्य को बोलने का मौका दें

एक सदस्य--

तो आप भी इधर आ जायें, उधर की गिनती कम हो जायेगी तथा इधर की बढ़ जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

5 मिनट किया जाता है । श्री बलवीर सिंह जी, आप बार-बार खड़े होते हैं । जिस दिन यह रखा गया था, आप बोल चुके हैं । क्या दुबारा बोलना चाहते हैं ?

श्री बलवीर सिंह--

मैं नहीं बोला था ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, बलवीर सिंह जी की याददास्त बड़ी कमजोर है इसलिए कभी-कभी भटक जाते हैं ।

(हंसी)

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, यह जो संकल्प आपके सामने प्रस्तुत है कि ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों को दी जाय, इस पर सत्ता और विपक्ष, दोनों ने ही विचार रखे हैं और पूरा सदन इनके संकल्प से सहमति प्रकट करता है और सहमति प्रकट करेगा ।

आज जिस कृषि उत्पाद के ऊपर आधारित उद्योगों की बात कही गयी है और इसके द्वारा जो लाभ बताये गये हैं, इससे हमारे ग्रामीण अंचलों का आर्थिक, सामाजिक विकास होगा । यह बात अपनी जगह पर सत्य है । कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति-बिरादरी का हो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, सम्पन्नता है तो मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति को इज्जत मिलती है गांव के अन्दर । इस तरह से जो व्यक्ति उपेक्षित है, तिरस्कृत है, उसको भी उत्थान मिलता है । तीसरा लाभ और होता है । जो समाज के अन्दर पिछले 20 सालों के अन्दर जितनी तेजी से महंगाई बढ़ी है, अगर कृषि उत्पादनों पर आधारित ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाये जायेंगे तो इस पर भी अंकुश लग सकेगा ।

आज जो हम खेती करते हैं, उसका भी औद्योगीकरण कर दिया जाय, ऐसा एक बहुत बड़े अर्थ शास्त्री ने कहा है । आज हम खेतों में कारखाने की खाद डालते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, बिजली द्वारा चलाये जा रहे ट्यूबवेलों से सिंचाई करते हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, इससे आज हमारी उपज भी बढ़ी है लेकिन उसके ऊपर इतनी लागत आती है जितनी लागत जिस जमाने में हम आधुनिक संयंत्रों का उपयोग नहीं करते थे और जितनी उपज हुआ करती थी उससे बहुत ज्यादा । उपज आज बढ़ी है लेकिन कीमतें और महंगाई भी बढ़ी है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्यपाल सिंह---]

अगर गांवों के अन्दर औद्योगीकरण किया जाये, छोटे-छोटे कारखाने खड़े किये जायं तो जो महंगाई भस्मासुर की तरह बढ़ती जा रही है, उस पर अंकुश लगेगा ।

गन्ने का उद्योग है, विभिन्न प्रकार की समस्यायें हमारे इस सदन के अन्दर चर्चा का विषय बन चुकी हैं । जैसे आज गन्ने की मिलें इतनी कम हैं कि कास्तकार अगर आपूर्ति करता है तो उसे गन्ने की लागत का भाव नहीं मिलता । अगर गन्ना मिलों की संख्या इतनी बढ़ा दी जाय, अगर इतनी बड़ी संख्या में सरकार नहीं खोल सकती है तो जो गन्ने का भाव 20-21 रुपया दिया जाता है, अगर छोटे-छोटे खाण्डसारी उद्योग, गुड़ बनाने के कारखाने खोले जायें और मार्केटिंग की व्यवस्था भी सरकार करे, तो जो गन्ना मिलों को जाती है, उनको मिल जाये, इस तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है जो बेरोजगारी की समस्या है तभी दूर होगी और इस प्रकार यदि छोटे-छोटे उद्योग लगाये जायेंगे तो वहां के पढ़े-लिखे नौजवान अपने देहात के अन्दर उद्योग लगायेंगे । देहातों का औद्योगीकरण होगा । जो धान की पुआल निकलती है उससे कार्ड बोर्ड की फैक्टरी चल सकती है। भूसा बनाया जाता है, इससे बहुत बड़ा उत्पादन हो सकता है । इस प्रकार से मैं समझता हूं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा । बिजली पहुंचेगी, सड़कें पहुंचेगी। ग्रामीण अंचल का आदमी यह महसूस करेगा और वह शहरों की तरफ नहीं भागेगा। सामाजिक सुधार ही नहीं होगा, बल्कि महंगाई पर भी कन्ट्रोल होगा । इन शब्दों के साथ मैं जगदीप सिंह बरार द्वारा लाये गये संकल्प का समर्थन करता हूं ।

*श्री देवेन्द्र पान्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बरार जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह अपने आप में ही इतना स्पष्ट है कि वे बधाई के पात्र हैं । इसमें साफ है कि इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार के लिये औद्योगीकरण नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योगों को दी जाय । बड़ी देर से मैं पक्ष और विपक्ष के भाषणों को सुना रहा था। मैंने बीच में पाया कि कुछ लोगों को गलतफहमी हो रही है कि इसमें कुटीर उद्योगों की बात की जा रही है । ऐसी बात नहीं है । सबसे बड़ी चीज जो देखने में आ रही है वह यह है कि ग्रामीण अंचलों में लोग औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत होने के बारे में सोचते हैं ।

आर्थिक मजबूती के लिये इस संकल्प में जो मुख्य बात कही गयी है, वह यह है कि आज शासन इस बात पर विचार करे कि ग्रामीण अंचलों में कहां-कहां कौन-कौन चीजें किसान पैदा करता है ? उदाहरण के लिये सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो या कोई भी क्षेत्र हो । मक्का, ज्वार, गन्ना, धान यह जो चीजें किसानों की तरफ से पैदा की जा रही हैं, उन पर आधारित उद्योग लगायें तो स्वाभाविक है कि वहां के किसानों को फायदा होगा । दाल मिल कहां लगता है, पता चला शहर के किनारे लगा है । यह मिलें देहाती क्षेत्र में होंगे तो वहां के किसानों का फायदा होगा । इसी आधार पर वहां का विद्युतीकरण होगा, सड़कें बनेंगी, आस-पास के लोगों को रोजगार मिलेगा । संकल्प का मुख्य ताल्लुक इन्हीं बातों से है । मेरा निवेदन है कि आज शासन, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री, आज इस बात पर विचार करें, इस संकल्प पर कि हम अपने क्षेत्रों में उद्योग लगायेंगे तो पहले यह सूची बना लेंगे कि उस क्षेत्र विशेष में वहां के किसान क्या-क्या उत्पादन करते हैं ? हमें खुशी है कि इस समय हमारे बीच में कृषि मंत्री जी मौजूद हैं । मैंने उनसे कहा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्होंने आश्वस्त किया कि इस बात का वे ध्यान देंगे । मैं इतना कहना चाहूंगा कि भविष्य में जब नीति निर्धारित की जाय तो यह आधार बनाया जाये कि किस क्षेत्र में क्या पैदा होता है, वहां उसी चीज की फैक्ट्री लगाई जाय। श्री जयदीप सिंह बरार जी को मैं बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि शासन भविष्य में औद्योगिक नीति के निर्धारण में इन मदों का ध्यान रखेगा । कुटीर उद्योग ही नहीं बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज जो हैं वह भी देहाती क्षेत्र में लगाई जायेंगी । इन शब्दों के साथ समर्थन करते हुये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जिस माननीय सदस्य का प्रश्न हो तो क्या उक्त जिले से सम्बन्धित विधायक भी उस संकल्प पर बोल सकता है या नहीं ? यह प्राविधान नियमावली में है या नहीं । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता---

यह पूरे प्रदेश का है ।

*श्री राम स्वरूप निम---

मान्यवर, इस पक्ष से और सत्ता पक्ष से संकल्प का लगातार स्वागत किया जा रहा है । सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि बहुत अच्छा संकल्प है । प्रथम वक्ता ने आदरणीय चौधरी साहब की नीतियों के बारे में स्वीकारा कि माननीय चौधरी साहब ने कृषि के बारे में जो कुटीर-उद्योगों की बात कही है, निश्चय ही बहुत अच्छी बात है, बगैर उसके देश, किसान और समाज का उद्धार नहीं हो सकता है । साथ ही दूसरी बात उन्होंने कही, मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह बड़े उद्योगों के विरोधी हैं ऐसी बात नहीं ।

चौधरी चरण सिंह ने अपने भाषणों में हमेशा एक ही बात कही है कि ये जितने भी बड़े पूंजी-पति हैं और बड़े-बड़े उद्योग धन्धे हैं यदि अच्छा सामान पैदा करते हैं तो इन्टर नेशनल मार्केट में ले जाकर उसे सेल करें और यहां जो छोटे-छोटे उद्योग धन्धों से सामान बना है वह इस देश के अन्दर कम कीमत पर बिके । वह इसलिए कि अगर बड़े कारखानों द्वारा बनाया गया सामान यहां के बजारों में बिकने लगेगा तो वह कुटीर उद्योगों से बने हुए सामान से सस्ती होगा, फलस्वरूप कुटीर उद्योगों का सामान बाजार में नहीं बिक पायेगा ।

चौधरी साहब कहते थे कि इससे दोहरा फायदा होता है, एक तो इन्टर-नेशनल मार्केट में देश का क्रेडिट बनता है और दूसरा उसके साथ वहां से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है । बड़े उद्योगों के खिलाफ चौधरी साहब नहीं थे । लेकिन जहां छोटे उद्योगों की बात कही जाती है, जैसा कि माननीय वर्मा जी अभी कह रहे थे कि गन्ने के सामान से बहुत सी ऐसी चीजें जो देहात के अन्दर बनाई जा सकती हैं जैसे उन्होंने कपड़े की बात कही, उससे पेपर भी बन सकता है, गत्ता भी बनता है और इस तरह से जो चीनी बनती है तथा उसके बचे हुए शीरे से भी बहुत कुछ सामान बनता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामस्वरूप निम--]

मान्यवर, मैं उस जिले से हूं जहां शीरा 140 रुपये प्रति कुन्तल के भाव से बिकता था तब जापान उसे खरीदता था लेकिन आज इस सरकार की गलत नीति के कारण वह शीरा 10-12 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से बिक रहा है । इस प्रकार लगातार किसान विरोधी कार्यक्रम यह सरकार चलाती जा रही है । कृषि के ऊपर जितने भी उद्योग धन्धे हैं वह चलाये जायं, तभी किसान का उत्थान होगा और तभी किसान का सामाजिक सुधार होगा ।

मान्यवर, बहुत सारे काम आज किसान अपने यहां गांवों में करती है । मान लीजिए कृषि के लिए उसने एक निजी ट्यूबवेल लगाया, लेकिन उसको बिजली नहीं मिली और उसी काम के लिए आपने एक उद्योग को बिजली सस्ते दाम पर दी । एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जो अर्थात वन मंत्री आज उनकी जगह पर दूसरे हैं, ने 75 रुपये टन के हिसाब से बिड़ला को लकड़ी दी और शाहजहांपुर के उद्योग को 4 सौ रुपये प्रति टन के हिसाब से तो इस प्रकार मान्यवर, बिड़ला का तो कारखाना चल जायेगा और शाहजहांपुर का कारखाना ठप हो जायेगा । छोटे उद्योगों को ठप करने के लिए ।

मान्यवर, उसका मुख्य मुद्दा यह है कि यह सरकार यह चाहती है कि जिस तरह से सरकार ने हरिजनों को जमीन बांटने का दावा किया और हरिजनों को और मजदूरों को लड़वा दिया । अगर कुटीर उद्योग धन्धे खोले जायं तो किसान को भी फायदा होगा और मजदूर को भी फायदा होगा, लेकिन सरकार को नुकसान यह होगा कि वोटों की राजनीति नहीं चल पायगी क्योंकि जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधरती है तो उसकी विचारधारा भी बदलती है । इस सरकार की "फूट डालो और राज्य करो" वाली नीति नहीं चल पाएगी । इसीलिए इनकी किसान को ऊपर उठाने की मंशा नहीं है ।

*श्री सुन्दर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी । मैं आपका आभारी हूं कि आपने बरार जी के इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री बरार जी ने इस संकल्प के माध्यम से अपेक्षा की है कि सरकार इस संकल्प के द्वारा ऐसी व्यवस्था करे कि कृषि पर आधारित उद्योग ही स्थापित किए जायं । इस दिशा में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि 1971 तक खाद्यान्न के मामले में यह देश आत्मनिर्भर नहीं था । 1971 में पहली बार खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हुआ । जब खाद्यान्न और कृषि पर आधारित उत्पादन सरप्लस हुआ तो यह विचार हुआ कि इस पर आधारित उद्योग स्थापित किए जायं । मुझे इस संकल्प के बारे में यही कहना है कि कृषि उत्पादन वस्तुओं में जैसे गन्ना है, धान है, मकई है, आलू है और तिलहन है, इसका फसले है, तिलहन की खली से उद्योग लगता है । इसके अलावा गन्ने पर और आलू पर तमाम उद्योग लगते हैं । मकई से ग्लूकोज आदि की तमाम इन्डस्ट्री लगा सकती है ।

इस संकल्प का तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसके साथ यह भी दिशा निर्देश हो कि जो उद्योग लगें कि वे कृषि उत्पाद वस्तुओं पर प्राथमिकता के आधार पर लगाए जायं और ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जायं । इस व्यवस्था के अन्तर्गत जो भी उत्पादन हो उसका लाभ किसान को मिलना चाहिए । होता यह है कि किसान अपने खेत में जो भी गल्ला पैदा करता है, बड़े-बड़े पूंजीपति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसे खरीदकर अपने गोदामों में भर लेते हैं लेकिन जब किसान का अवसर आता है तो उसे मंहगी दर पर खरीदना पड़ता है । मैं इतना संशोधन चाहता हूं कि सरकार कृषि उत्पादन वस्तुओं पर प्राथमिकता दे तो वह उद्योग ग्रामीण अंचलों में लगाये जायं ।

लेकिन ग्रामीण अंचलों में उद्योग लगाने का वातावरण क्या है, वहां सड़को की यातायात की और बिजली की आवश्यकता है । इसके अलाव सुरक्षा की भी आवश्यकता है । यह सारी बातें निश्चित की जायं । जैसा एक कवि ने कहा था--यह अपना हिन्दुस्तान कहां, जो बस हमारे गांवों में । यह बात सत्य है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला किसान खेतिहर मजदूर, उसमें से 80 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं । गांव की बात हम करते हैं साहस करके यह भी संकल्प करना चाहिए कि, जब तक गांवों में रहने वाले किसान और मजदूर तरक्की नहीं कर लेंगे तब तक हम शहरों के विकास को रोक देंगे, इसको भी तय किया जाना बहुत अवश्यक है । इस देश के प्रमुख कवि स्व0 श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर रूस गए और उन्होंने वहां के कृषि एवं पशुधन के विकास को देखा और बहुत ही प्रभावित हुए और फिर अपने देश में आकर एक पत्र, श्री सेन को लिखा कि भारत वर्ष इतने वर्षों से आजाद होने के बाद भी वह तरक्की नहीं कर सका है, जो अन्य देशों ने थोड़े समय में कर लिया है ।

जब कि हमारे प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, जहा के लगभग 80 प्रतिशत लोग इस पर निर्भर हैं और यहां राम लक्ष्मण लगता है शायद नाराज होकर रूस चले गए हैं, जहां की कृषि जो श्री राम के जिम्मे थी और लक्ष्मण पर पशु रक्षा का भार था । नहीं तो क्या वजह है हमारे पास आज सब कुछ होते हुए भी इस ओर हम पिछड़े हुए हैं ।

इस बात को चीन भी मानता है कि भारत वर्ष शिक्षा एवं टैक्नोलाजी में हमसे आगे है । लेकिन हम यहां की हालत को देखकर क्या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे किसानों और गरीब मजदूरों की हालत कुछ सुधरी है जो पहले थी उससे भी आज ज्यादा खराब है ।

मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस संकल्प को जरा गम्भीरता से लें और इस कृषि के अन्तर्गत हार्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्म तथा एनीमल हस्बंड्री भी आती है, इसलिए इस उद्योग में चतुर्मुख उत्थान की आवश्यकता है और इन्हें हम आसानी से लगा भी सकते हैं और अगर इस ओर हम ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें तो हमारे गांवों का विकास हो सकेगा इसके लिए यह जरुरी है कि जब तक गावों का विकास हो न जाए तब तक शहरों के विकास को छोड़ दिया जाय, धन्यवाद ।

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज हो रही चर्चा जो मा0 जयदीप सिंह बरार ने रखी है, उस पर बोलने का अवसर दिया । श्री बरार ने यह संकल्प प्रस्तुत कर यह साबित कर दिया है कि उनके दिल में ग्रामीण आंचल के उत्थान एवं विकास के लिए कितनी पीड़ा है । मान्यवर, इस देश की आबादी करीब 85 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अक्बाल हुसैन—]

लेकिन आज जो दशा गांवों के उत्थान की है, वह हम से किसी भी हालत में छिपी नहीं है। इस संकल्प द्वारा आज 36 साल की आजादी के बाद हम सब का ध्यान इस ओर गया है कि इससे सम्बन्धित उद्योग किस तरह से पनप सकते हैं और यह प्रदेश दूसरों की तरह प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है और हर प्रकार से आर्थिक, सामाजिक उत्थान हो सकता है यदि उन्हीं क्षेत्रों में उत्पत्ति सामग्री के आधार पर उद्योग लगाये जाएं, इसको देखना चाहिए कि वास्तव में क्या हम लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं ?

माननीय, अभी कुछ दिन पूर्व इस बात के आंकड़े सदन में आये थे कि हमारे देश के कुछ प्रदेश जिसमें हमारा प्रदेश भी शामिल है, कृषि उत्पादन में आस्ट्रेलिया, अमेरिका और कैनेडा का मुकाबला कर रहा है। प्रति एकड़ गेहूं की जो पैदावार वहां होती है, आज हमारे यहां पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी उतनी पैदावार होने लगी है।

इसके साथ-साथ कृषि उत्पादन के आधार पर अगर औद्योगीकरण हो जाये तो प्रदेश की तरक्की में चार चांद लग सकते हैं। जब हमारा कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो उसके साथ-साथ नये-नये उद्योग लगेंगे और उससे फिर ग्रामीण अंचल में लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ग्रामीण अंचल में जब उद्योग लगेंगे, तो उसके साथ-साथ वहां के लिये सड़कें बनेंगी, बिजली पहुंचेगी, ऊर्जा की व्यवस्था होगी और इस तरह से वहां का चतुर्मुखी विकास हो सकेगा।

कृषि उत्पादन में धान की भूसी से ब्राऊन आयल तैयार किया जा सकता है और उसका उद्योग लगाया जा सकता है। गन्ने की खोई से भी कई चीज तैयार की जा सकती हैं। कार्ड बोर्ड बनाने का एक कारखाना बलरामपुर में लगा है जो खोयी से कार्ड बोर्ड तैयार करता है। गन्ने की खोयी जो फेंक दी जाती है, 50 रुपये क्वेन्टल पर बिकती है। इसी तरह इन चीजों से नाना प्रकार के उद्योग लगाये जा सकते हैं। जो चीज बेकार समझ कर फेंक दी जाती है उसका भी मूल्य किसान को मिलने लगेगा।

एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि कृषि के आधार पर जो उद्योग लगाये जायें वे ग्रामीण अंचल में ही लगाये जायं। जहां पर किसी तरह का विकास अभी तक नहीं हुआ है, वहां पर लगाये जाय। इन शब्दों के साथ इस संकल्प का मैं स्वागत करता हूं। सदन को इस प्रस्ताव को सर्व सम्मत से स्वीकार करना चाहिये।

श्री ध्रुप राय—

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इस संकल्प की भावना का प्रश्न है, वह बिलकुल ठीक है और कृषि को उद्योग की तरफ ले जाने की एक कल्पना है, परन्तु यह संकल्प अपूर्ण है। काश, यह पूर्ण होता, सारी बातों का इसमें निराकरण सम्मिलित होता, तो यह और अच्छा संकल्प होता।

माननीय, उद्योग की स्थापना के लिये कृषि ही उसका बेस है। 1775 के पहले सारे विश्व का रहन-सहन कृषि पर ही आधारित था और वह सारा रहन-सहन पिछड़ा हुआ था। 1775 में रुई के द्वारा उद्योग शुरू हुआ और उसी से इन्डस्ट्रियल रिवोलूशन की स्थापना हुई। कृषि से जितनी भी चीजें पैदा होती हैं उनसे कई उद्योग लगाये जा सकते हैं। धान को ही लीजिये, उससे आयल और

पिट्रोल तक पैदा हो सकता हैं । परन्तु आज समस्या यह है कि क्या आज की बिखरी हुई खेती औद्योगिक कल्पना देती है या हम गांव में उद्योग स्थापित कर सकते हैं । या आज को कृषि का जो समाधान है, जो समस्या है उसका निराकरण हम सोचा करते हैं । यदि उसका निराकरण हो जाता तो आज कृषि सुधर जाती। इसलिये कृषि के समुचित विकास के लिये हमें कृषि के विकास की तरफ अपना ध्यान ले जाना पड़ेगा, इसके लिये एक क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा और वह है सामूहिक कृषि । अभी हमारे एक साथी ने रूस की मिसाल दी । रूस और चीन में जो कृषि होती है वह है सामूहिक कृषि, कोआपरेटिव फार्मिग । वहां पर कोआपरेटिव फार्मिग होती है इसीलिये वहां की कृषि उन्नतिशील है । हमारे पन्डित जवाहर लाल नेहरू ने इस सामूहिक कृषि की कल्पना की थी परन्तु रिएक्शनरी शक्तियों ने जिसमें चौधरी चरण सिंह भी थे, उसे पूरा नहीं होने दिया इसलिये उनकी कल्पना पूरी नहीं हो सकी । जब तक कोआपरेटिव फार्मिग नहीं होगी, कृषि की एक संस्था नहीं बनेगी, उसका उत्पादन समुचित रूप से नहीं किया जायेगा तब तक खेतिहर मजदूरों की हालत खराब होती जायेगी । आज कोई भी उद्योग उस पर बेस नहीं किया जा सकता है । आप क्या धान की भूसी आज गांव में पा सकते हैं जिससे कि आप उद्योग लगा कर समाज का कल्याण कर सकें ? क्या आपको उद्योग लगाने के लिये गांवों में आयल मिलेगा ? आप क्या शुगर केन बेस पर जो अलकोहल बनाना चाहते हैं वह नहीं हो सकेगा, जब तक कि आप समुचित नियोजन नहीं करेंगे । जब तक आप गांवों के रहन-सहन को ऊपर नहीं लायेंगे, जब तक कोआपरेटिव बेसिस पर फार्मिग नहीं करेंगे तब तक आप कोई उद्योग नहीं लगा सकते हैं और न प्रदेश प्रगति कर सकता है । चाहे कृषि की बात हो, चाहे मिनिरल की बात हो, चाहे सापट कोल हो सभी कुछ वेस्ट हो रहा है, सारी इनर्जी का उत्पादन जो कि उसको चलाता है, सब वेस्ट हो रहा है ।

इन्डस्ट्री के लिये मेरा विचार है कि हर गांव में इन्डस्ट्री हो । इसमें हमारी सामाजिक कमियां हैं, आर्थिक कमियां नहीं हैं । यदि हम कोई कदम इस ओर उठाते हैं व्यक्तिगत रूप से फार्मिग करके आप उद्योग को आगे नहीं चला पायेंगे । मैं इससे सहमत हूं कि अगर आप क्रान्तिकारी कदम उठा सकते हैं, आपमें इतना साहस है तो निश्चित रूप से आप कृषि करके इन्डस्ट्री लगा सकते हैं और इस तरह से उद्योग का विकास कर सकते हैं । आपने मुझे समय दिया, मैं इसके लिये आपका अभारी हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि इस संकल्प को विस्तृत करना पड़ेगा, बिना इसके समाज का कल्याण नहीं हो सकता है ।

*श्री खैरुल बशर--

मैं माननीय विधायक जी को इस संकल्प के लिये बधाई दे रहा हूं कि जो उन्होंने यहां पर यह संकल्प रखा है । लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इस सदन में इस पर विचार करना इसलिये कि केवल यह विचार ही मात्र हो सकता है । हमारे देश में कृषि क्या औद्योगीकरण भी या कृषि पर आधारित उद्योग बहुत कम है । यह बात तभी सम्भव हो सकती है जब हमारे यहां एजूकेशन हो । वर्तमान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री खैरुल बशर--]

सरकार जो 35 वर्षों से यहां पर राज कर रही है उसने केवल 29 परसेन्ट ही शिक्षा की है और इस शिक्षा की कोई जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है, शिक्षा के सम्बन्ध में यह सरकार कोई घोषणा करने वाली नही है तो उससे आप क्या आशा कर सकते हैं ?

हमारे किसान जो छोटे-छोटे जोतों के हैं, वे अपनी पैदावार का सही मूल्य नहीं पाते हैं। जो गेहूं 1 रु0 30 पैसा में बिकता था वह गेहूं आज बाजार में 3 रु0 में बिक रहा है परन्तु इसका लाभ किसानों को नहीं मिलता है। लुटेरे और पूंजीपतियों की व्यवस्था जिस देश में है। पूंजीवादी शर्मनाक व्यवस्था जिसने कि देश को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी सत्ता नौकरशाही पर चलती हो।

[4 बजक, 25 मिनट]

गांव के अन्दर दो घंटे बिजली दे रहे हैं। हमारे किसानों को मजबूर कर दिया है कि जो छोटी-छोटी जोत के किसान हैं उनको 3 हार्स पावर की बिजली नहीं मिल सकती है। 5 हार्स पावर की लीजिए हमारे गांव के अन्दर गांव का गरीब किसी तरीके से अनाज पैदा करने के बाद गुजर करता है, किसी तरह से अपने तन को ढक लेता है, रात को पुवाल के अन्दर घुस कर सर्दी काटता है। बाढ़ में घर गिरता है, जाड़े में सर्दी का शिकार होता है। वह किसान इसी तरीके से इन्डस्ट्री चलायेगा। किस प्रकार से कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करेंगे ? आज देहात में बन्धुवा मजदूर हैं, आज भी सामन्ती व्यवस्था के अवशेष हैं। प्रदेश के अन्दर और प्रदेश के बाहर सामन्ती व्यवस्था आज भी मजदूरों को जीने लायक मजदूरी नहीं दे रही है और आप जिस व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आज यह व्यवस्था नग्न रूप में हमारे सामने आ गयी है और ऐसी व्यवस्था में कोई काम गरीबों की भलाई के लिए नहीं हो सकता है।

इस सरकार की सारी योजनाएं कागज पर चलती हैं और कागज पर बनती हैं। आज हम अपने प्रदेश का कोई विकास नहीं कर सकते हैं, जिस देश में सिंचाई के लिए 33 प्रतिशत बिजली के उत्पादन से 7 प्रतिशत बिजली किसानों को देंगे तो इससे हमारे देश का भला होने वाला नहीं है। आपकी सत्ता ने और कांग्रेस (अ ई) की कर्णधात्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश को तबाही की ओर ले जा रही हैं। ऐसी सूरत में मैं चौधरी चरण सिंह की जो आलोचना करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि देश की तबाही की जननी आपकी श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

सारा सबक जो पढ़कर आये हैं वह सब सुना देंगे क्या ?

श्री खैरूल बशर---

मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान शासन प्रणाली और वर्तमान गांव की कंडीशन जो है उसमें यह फिट नहीं है, और तेल नहीं खाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चेतराम गंगवार---

अधिष्ठाता जी, मैं सुबह से उठ बैठ रहा हूं। मैं 4 बजे से घर जाना चाहता था। जब मैं खड़ा हुआ था उस समय केवल दो ही व्यक्ति थे। आपकी इस व्यवस्था पर मैं सदन का त्याग करता हूं मुझे खेद है कि आपने समय नहीं दिया। अगर आपको मेरा नाम याद नहीं था तो आपके पास जो स्टाफ है उससे मेरा नाम पूछ सकते थे।

श्री अधिष्ठाता---

आपके पीछे भी लोग उठ बैठ रहे हैं, वह आपको नहीं देख पड़ते हैं। मुझे उनका भी तो ख्याल रखना होता है। आप बैठिए समय आपको भी मिलेगा।

(व्यवधान)

(श्री चेतराम गंगवार बैठ गये)

*श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय बरार जी ने एक बहुत बढ़िया संकल्प रखा है और जब मैं इस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं तो मुझे इतनी कुछ बदमजगी आ गई कि संकल्प के कुछ ऐसे टुकड़े हो गये, इस पर मैं एक शेर पढ़ देता हूं---

पहले तो उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ला कहा।
इस तरह जालिम ने रस गुल्ले के टुकड़े कर दिये।।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, इस संकल्प को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक उद्धार और दूसरा कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग। इसमें कोई शक नहीं कि कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग लगाये जायं तभी हमारी आर्थिक और सामाजिक उन्नति होगी और मैं समझता हूं कि माननीय बरार जी की मंशा भी यही थी कि इस संकल्प को लाने से हमारे प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। मनुष्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास के लिये भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि, कला एवं मनोरंजन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें जितनी भी बातें कृषि उत्पाद से सम्बन्धित हैं वह सुरक्षा को पूरा नहीं कर सकती हैं। हमारी जितनी औद्योगिक इकाइयां हैं, संस्थायें हैं वह कृषि उत्पाद और खनिज पर आधारित हैं और सुरक्षा हमारी चाहे आन्तरिक हो या देश की हो, वह आवश्यक है।

इस प्रजातन्त्र में मैं आपका ध्यान इस माननीय सदन के दरवाजों पर दिलाना चाहता हूं। जो फूल पत्तियां इसमें बनी हुई हैं। ये सब हथियारों के चित्र हैं और ये इस बात के प्रतीक हैं कि इस प्रजातन्त्र की रक्षा तभी होगी जब आप हथियारों से मजबूत, सम्पन्न और धनी होंगे वरना किसी जमाने में जो हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी हुई थी उस पर विदेशियों ने बारी-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जियाराम शुक्ला 'विकल साकेती'--]

बारी से विजय प्राप्त करके उसे खतम कर दिया था। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस पर अपने विचार प्रकट करने के बाद आपसे यह अनुरोध करता हूं कि यह संकल्प पूरी तरह से मनुष्य के सर्वांगीण विकास को प्रदर्शित नहीं करता है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसलिये इसमें इनने सुधार की जरूरत है। और अगर खाली हम कृषि उत्पाद वस्तुओं पर आधारित रह जायेंगे तो हमारा दूसरा पक्ष कमजोर होगा, विदेशी ताकते हमारे ऊपर हावी हो जायेंगी और हमको उनके सामने घुटने टेक देने पड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय बरार जी को बधाई देता हूं कि उनका जो संकल्प है उनका एक पक्ष बहुत प्रबल है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संकल्प बहुत ही सुन्दर है और माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं वे निर्धन, असहाय और ग्रामीणवासियों के लिये बहुत अच्छे हैं। अगर इसमें सचमुच में अमल किया जाय और सरकार विचार करे तब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं देखता हूं और मेरी 55 वर्ष की उम्र हो गई है। 14 वर्षों से इन नेताओं के सम्पर्क में रहने का मुझे अवसर मिला और रोज ये गरीबों की दुहाई देते हैं, गांवों के विकास की बात करते हैं। उस समय जब अंग्रेजों के शासन के बाद जब देश आजाद हुआ तो गरीबों के उत्थान की बात होनी चाहिये थी लेकिन इनकी कोरी बातें ही चल रही हैं। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों प्रकार के किसान रहते हैं। एक तो बहुत बड़े फारमर हैं जिनके पास 4-4 और 5-5 हजार एकड़ भूमि है जो मजदूरों से खेती कराते हैं। दूसरे काश्तकार वह हैं जो अपने हाथ से ट्रैक्टर चलाकर अपने खेतों को आबाद करते हैं और अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति खेती से करते हैं।

तीसरे नम्बर के काश्तकार वे हैं जिनके पास खेती इतनी है कि वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं लेकिन पेट भरने और तन पर कपड़ा पहनने के लिए अन्न का उत्पादन कर लेते हैं। चौथे वे काश्तकार हैं, मेरे जैसे जिनके पास खाने के लिए तीन महीने भर के लिए होता है और बाकी 9 महीने हमें दूसरे के खेतों में जाकर पूरा करना पड़ता है जैसे हमारे त्रिपाठी जी के जैसे काश्तकारों के खेतों पर जा कर मजदूरी करनी पड़ती है जिससे हमारी जीविका चलती है। कुछ ऐसे भी कृषक हैं जिनके पास हमारे पहाड़ों में एक नाली या डेढ़ नाली जमीन होती है जो यहां के आधा बीघा से कम होती है। तो उनके बारे में हमारे भाई भला आदमी बरार साहब ने यह संकल्प रखा है। इस सम्बन्ध में मैं ताना चाहता हूं जब कोई तरक्की करना चाहता है तो वह अपने पास-पड़ोस की नकल भी करता है।

हमारे देश में महान त्यागी और विद्वान पैदा हुए हैं लेकिन उन्होंने नकल करना नहीं सीखा। पर हमारे ये भाई अच्छी चीज की नकल नहीं करते हैं, बुरी चीज की नकल जरूर कर लेते हैं। तो इन भाइयों ने अच्छे देशों की नकल नहीं की। यह जापान गये लेकिन वहां से कुछ नहीं सीखा। जापान सरकार ने अपने यहां कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, बड़े कारखाने नहीं खोले। गांधी जी भी कहा करते थे कि मैं बड़े उद्योगों के पक्ष में नहीं हूं, छोटे-छोटे उद्योग गांवों में अवश्य लगने चाहिये। हमारे देश में जब मौजूदा सरकार ने जन्म लिया तो उसने बड़े उद्योगों को संरक्षण दिया उसका नतीजा यह हुआ कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेरोजगारी बढ़ी, कुटीर उद्योग गांवों से समाप्त हुए । गांवों में पहले लोहार होता था जो औजार बनाता था लेकिन वह औजार अब फैक्ट्रियों से बन कर आ रहे हैं इससे उनका पुराना धंधा समाप्त हो गया है । टोकरियां थोड़ी सी बन रही हैं लेकिन वह भी फैक्ट्रियों में बनने लगी हैं । हमारे मित्रों ने ग्रामीण क्षेत्रों में फलों का जिक्र किया जिनका अचार बन सकता है, मुरब्बा बन सकता है जो कुटीर उद्योगों के माध्यम से हो सकता है । लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है । हमारे पहाड़ों में भी आलू और सेब बहुत पैदा होते हैं, । वहां पर इसके उद्योग लगाये जा सकते हैं इसके लिए वहां हमने सेमीनार किया, मन्त्री जी भी वहां जाते हैं कहते हैं इस पर विचार करेंगे ।

लेकिन आज तक वहां कुछ नहीं किया गया । जो भी कारखाने लगे हैं वह शहरों में लगे हैं । अगर कहीं लगे भी हैं तो वह बंद पड़े हैं । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं हमारे यहां एक एग्रो फैक्ट्री कोसी, अल्मोड़ा में खोली गयी । उसके उद्घाटन में मैं भी मौजूद था जिसका उद्घाटन कुमाऊं के कमिश्नर ने किया । सभी ने तारीफ किया लेकिन वह फैक्ट्री 6 महीने भी नहीं चली और आज बंद पड़ी है । उसी तरह से रामगढ़ में सबसे अधिक सेब का उत्पादन होता है, वहां भी फैक्टरी बनाया गया लेकिन वह भी बंद है, पर्वतीय विकास मन्त्री से रुपया देने के लिये कहा गया तो उन्होंने 14-15 लाख रु0 दिया लेकिन फिर भी वह फैक्टरी आज बंद पड़ी है इसलिये ऐसी फैक्टरियां बनाने से कोई फायदा नहीं है ।

मान्यवर, ग्रामीण अंचल में आज कुटीर उद्योग लगाने की आवश्यकता है चाहे किसानों की आवश्यकता की जो वस्तुयें कारखाने पैदा करते हैं उनको बंद ही क्यों न करना पड़े ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण संकल्प पर अपने विचार प्रकट करते हुये मैं इसको दो हिस्सों में बांटकर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, पहला हिस्सा है कि किसी देश की आर्थिक नीति, किसी प्रदेश का आर्थिक विकास किन आधारों पर किया जाये । इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जो विचार प्रकट किये और उनके विचारों के अनुसार, जैसा शासन ने निश्चय किया है कि हर जिले में उद्योग लगायेंगे, उन जिलों में भी उद्योग लगायेंगे जहां उद्योग अभी तक नहीं थे तो इसका प्रस्तुत संकल्प से सीधा सम्बन्ध है कि आखिर वह उद्योग कौन हों ? इसलिये प्रस्तुत संकल्प का यह विचार सराहनीय है कि वह उद्योग लगें जो कृषि और कृषि उत्पादन सामग्रियों से सम्बन्धित हों । मान्यवर, समय की सीमा में दो बातों की ओर मैं आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे यहां हिन्दुस्तान और खासकर, उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में दुनिया में सर्वोपरि स्थान रखता है । गन्ने के उत्पादन से कई चीजें बनायी जा सकती हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजन्द्र त्रिपाठी---]

मान्यवर, अभी बगास के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये कि बगास से सम्बन्धित उद्योग स्थापित किये जायं। इसका एक पक्ष है कि गन्ने से .3 प्रतिशत मोम मिलता है। इस वर्ष गन्ने का उत्पादन 717 लाख टन हुआ, इसमें 205 लाख टन गन्ने की जो पेराई हुई है इसके यदि .3 प्रतिशत के हिसाब से प्रापर यूटीलाइजेशन करें तो लगभग 2 लाख टन मोम का उत्पादन हो सकता है और जो विदेशों से मोम इंपोर्ट करना पड़ता है और विदेशों का मुद्रा जाती है, इसलिये इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा।

मान्यवर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां आलू का उत्पादन अधिक है और वह दुनिया में भेजी जा सकती है इसलिये आलू का उत्पादन चाहे डिहाईड्रेशन करके पाउडर बना सकते हैं और दूसरे आलू का अल्कोहल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

इसलिये मान्यवर, सदन के माननीय सदस्यों की जो मंशा है कि कैसे इस प्रदेश का उत्तरोत्तर विकास हो तो उसके लिये आज औद्योगीकरण की नीति स्पष्ट होनी चाहिये, इसलिये औद्योगीकरण विकास की नीति को स्पष्ट करते हुये अ.दरणीय सदन में जो विचार हमारे मित्रों ने व्यक्त किये हैं उन पर माननीय नेता सदन और अन्य माननीय मन्त्री जी अवश्य ध्यान देंगे और उन उद्योगों को स्थापित करने पर ध्यान देंगे जिससे यहां के प्राकृतिक साधनों का उपयोग पूरी तरह से किया जा सके।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि से सम्बन्धित और जो कई हिस्से हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, जैसे हॉर्टिकल्चर, पशुधन पर आधारित उद्योग, जैसे आनन्द डेरी को देखें जो गुजरात में है, स्थापित करके वहां के सामाजिक और आर्थिक हालत में सुधार हुआ है तो उसी प्रकार यहां भी एक आदर्श हम स्थापित कर सकते हैं।

मैं यह इसलिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि आम है आपके प्रदेश में और आम का नाम तो यह है उसके बारे में कहा जाता है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। गुठलियों का भी उत्पादन करके हम उसके पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। एक बार नेशनल कमीशन आफ एग्रीकल्चर ने इस प्रकार की कुछ चीजों के उत्पादन के बारे में कहा था और उसके लिए उसने एक राष्ट्रीय नीति बनाने की बात कही थी। उसमें कहा गया था कि कौन-कौन उत्पादन आधारित इंडस्ट्रीज आप लगा सकते हैं। इसके लिए किसानों और शिक्षा विदों का ध्यान आकर्षित किया गया था। (लाल बत्ती होने पर) अब मैं उसके बारे में दो बात ही आपके सामने कहना चाहता हूं, इसमें प्रमुख रूप से....

श्री अध्यक्ष---

आप अधिक समय लेना चाहते हों तो अपना भाषण जारी रखें, क्योंकि हमें अब दूसरी मद लेनी है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मैं जारी रखूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आपके एक-दो मिनट बाकी रहे हैं, 5 मिनट में ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आप आज्ञा दें तो हम आगे जारी रखें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप आगे जारी रखेंगे ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

[4 बजकर 47 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । एक खैरुल बशर, राम आसरे वर्मा, गोपी नाथ वर्मा, मसरूर जाफरी और परमाई लाल की जनपद आजमगढ़ के कस्बा कोपागंज में अनेकों दुकानों को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में है । दूसरी श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की झांसी नगर में आग्नेयास्त्र बनाने की फैक्टरी बरामद होने के सम्बन्ध में है । तीसरी, श्री कुंवर सिंह नेगी व नरेन्द्र सिंह भंडारी की पालीटेक्निक, लखनऊ में इंजन फटने से एक छात्र की मृत्यु के संबंध में है । चौथी सूचना, सर्वश्री थन्मन सिंहमहलोत, शंकर सिंह, नन्द राम, बलवीर सिंह व राजेन्द्र अग्निहोत्री की खारी में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के सम्बन्ध में है और छठीं सूचना श्री बदन सिंह की होमगार्ड विभाग में वर्षों से चले आ रहे रनर्स पदों को पुनः नए पदों पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में है ।

जहां तक पहली सूचना का सम्बन्ध है, इसको वक्तव्य के लिए मैं स्वीकार करता हूं, दूसरी का जो विषय है उस पर शासन का ध्यान पहले ही आकर्षित किया जा चुका है, तीसरी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है और चौथी सूचना जो है इसमें भी शासन का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं । पांचवीं सूचना पर यहां पर वक्तव्य पहले ही स्वीकार किया गया है ।

श्री मसरूर जाफरी--

इसमें मेरा और राम आसरे वर्मा जी का एक था ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने नाम पढ़ दिए हैं, अब सुनने का कोई प्रश्न नहीं है । मैंने इसको स्वीकार किया है । जब इसका समय आएगा, तब मैं इसको सुनूंगा ।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, इसके लिए समय निर्धारित कर दिया जाए ?

श्री अध्यक्ष--

इस पर मन्त्री जी वक्तव्य कब देंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

25 तारीख तक का सारा कार्यक्रम लगा हुआ है । इसके बाद ही, पहली, दूसरी या तीसरी का किसी दिन हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक ह । अब अगला आईटम ले रहे हैं ।

टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, रायबरेली में शान्ति प्रिय कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-2-83 को सुपर मार्केट (गुरु ेग बहादुर मार्केट) के कपड़ा व्यापारी सर्वश्री दलजीत सिंह, रघुवीर सिंह ने अपनी दुकान से तीन औरतों को कपड़ा चोरी करने के आरोप में बाजार में पकड़ा । इनके पास से दो शाल तथा दो साड़ियां बरामद हुई । इस घटना के आधार पर थाना कोतवाली रायबरेली में मुकदमा अपराध संख्या-49/83 धारा 380/411 भारतीय दन्ड विधान का अंकित किया गया । इन महिलाओं से पूछतांछ पर इनका नाम श्रीमती संतोषलता, श्रीमती कनकलता तथा कु0 वीना ज्ञात हुआ । श्रीमती संतोषलता के पति श्री रूप किशोर आई0 टी0 आई0 रायबरेली के बिजली कर्मचारी हैं तथा श्रीमती कनकलता उसकी जेठानी तथा कु0 बीना उसकी बहन है । पूंछतांछ से श्रीमती संतोषलता ने अपना अपराध स्वीकार किया और इस तिथि के पूर्व चुराए हुए सामान अपने आई0 टी0 आई0 स्थित निवास स्थान पर मौजूद होना बताया ।

श्रीमती संतोषलता के साथ पुलिस ने इनके निवास पर पहुंचने पर वहां दो व्यक्ति मिले और सामान अटैचियों, बक्से, झोलों और होलडाल में बधा पाया । दोनो व्यक्ति जो बच कर भाग निकलने का प्रयास कर रहे थे, रोक लिए गए और तमाम सामान का फर्द बना कर सामान सर्वमोहर किया गया और दोनों व्यक्ति हिरासत में लिए गए । इन व्यक्तियों का गिरफ्तार स्त्रियों का रिश्तेदार होना मालूम हुआ । उपरोक्त मुकदमा कायम होने, तलाशी लिए जाने और अभियुक्तों को जेल भेज दिये जाने की बात को लेकर दिनांक 10-2-83 को आई0 टी0 आई0 के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली को मांगपत्र दिया । इस मांग-पत्र में उन्होंने (1) महिलाओं को रिहा करने तथा मुकदमा वापस लेने, (2) पुलिस कर्मियों का निलम्बन (3) करतार वस्त्रालय के मालिक को गिरफ्तार करने और (4) अन्य अधिकारियों के निलम्बन किये जाने (5) दूर भाष नगर को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने की मांग की । जिलाधिकारी ने उन्हें बताया कि मामले में मैजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

दिनांक 11-2-83 को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आई0 टी0 आई0 फैक्ट्री के गेट के सामने मजिस्ट्रेट और पुलिस की व्यवस्था की गई थी । लगभग 12.30 बजे दिन फैक्ट्री के कर्मचारियों की भीड़ ने तीन तरफ से नारे लगाते हुए तैनात पुलिस कर्मचारियों पर ईट पत्थर फेकना शुरू कर दिया । नगर मजिस्ट्रेट ने उन्हें तितर बितर होने के लिए चेतावनी दी । स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भीड़ पर 10 शेल अश्रु गैस छोड़ी गई, परन्तु भीड़ अनियंत्रित होती गई और उसने वहां पर खड़े पुलिस वाहनों दुकानों और साइकिलों को तोड़ना तथा ड्राइवरों को मारना पीटना शुरू

कर दिया। लाठी चार्ज पर उनको तितर बितर करने का प्रयास किया गया परन्तु भीड़ पास की दुकानों, वाहनों, साइकिलों व स्कूटरों में आग लगाने लगी सम्पत्ति व जान की रक्षा को दृष्टि में रखते हुए चार राउन्ड फायर किये गये। भीड़ फैक्ट्री के भीतर तथा इधर उधर भागने लगी। मौके पर 63 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। भीड़ फैक्ट्री के अन्दर घुस कर नारे बाजी करती हुई सुरक्षा अधिकारियों व कर्मचारियों से मार पीट करती हुई व फैक्ट्री तथा फैक्ट्री के वाहनों को जलाती हुई पीछे गेट की ओर भागती चली गई। इसी बीच एक सुरक्षा गार्ड ने आकर बताया कि फैक्ट्री के भीतर उग्र भीड़ ने एक सुरक्षा गार्ड को मार कर बुरी तरह घायल कर दिया है तथा एक हेल्पर भी घायल पड़ा है गिरफ्तार व्यक्ति थाने को रवाना किये तथा नगर मजिस्ट्रेट व पुलिस जन व ड्राइवर इत्यादि जो घायल हो गए थे, अस्पताल रवाना किय गये।

भीड़ द्वारा फैक्ट्री के अन्दर की गई तोड़ फोड़ के बारे में सुरक्षा गार्ड श्री राम औतार यादव द्वारा फैक्ट्री के कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 22/83 धारा 143/436/307/447/332/427 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा दर्ज कराया गया। उपरोक्त मुकदमें में अंकित कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि उपद्रवी भीड़ ने कैश काउन्टर तथा वाहनों को नुकसान पहुचाया और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को ईटों लोहे की सरिया इत्यादि से चोटें पहुंचाई। कैश काउन्टर पर सामान की तोड़ फोड़ की तथा आग लगाने लगे। वहां पर तैनात सुरक्षा गार्ड सूर्यभान को मारते हुए कैश रूम से बाहर खींचने लगे। जिस पर अपनी जान बचने के लिए उसने बन्दूक से एक फायर किया। सूर्यभान गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पास ही में फैक्ट्री का एक कर्मचारी मरा हुआ पाया गया। सूर्यभान की रायफल को भीड़ ने तोड़ डाला।

उपरोक्त दोनों मुकदमों में विवेचना प्रचलित है। दिनांक 11 फरवरी, 1983 की टेलीफोन इन्डस्ट्री रायबरेली में पुलिस कर्मियों द्वारा अकारण श्रमिकों को लाठी व जूतों से मारने कम्पनी की गाड़ियों, मजिस्ट्रेट के वाहनों में स्वयं आग लगने के आरोप सही नहीं हैं। टेलीफोन इन्डस्ट्री के एक कर्मचारी की पत्नी एवं साली के साथ छेड़खानी करने वाले व्यापारियों को हिरासत में लेने व महिलाओं को थाने में ले जाकर मारे पीटे जाने के संबंध में किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं था क्योंकि व्यापारियों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। करतार वस्त्रालय रायबरेली के विरुद्ध प्राप्त प्रार्थना-पत्र की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है।

श्री मोहन सिंह—

माननीय, माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य असत्य का पुलिंदा है। इसमें सप्लीमेंटरी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि माननीय, देखें यह घटना 7 तारीख को हुई, उसकी प्रक्रिया में 10 तारीख को जिलाधिकारी के घर पर प्रदर्शन हुआ, वहां पर लाठीचार्ज किया गया। उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। 11 तारीख को पुलिस गेट पर लगा दी गई। किसने पुलिस टेलीफोन कम्पनी के मैनेजर ने जनरल मैनेजर ने क्या दावत नामादे रखा था पुलिस वहां पहुंच गई? 11 तारीख को पुलिस पोस्ट कर दी गई और अन्दर घुसने का कारण यह बताया कि सुरक्षा गार्ड ने कहा। सुरक्षा गार्ड के कहने पर आई0 टी0 आई0 में पुलिस को घुसने का क्या अधिकार था? जब कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया कि हमारे महिलाओं के साथ व्यापारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया एफ0 आई0 आर0 लिखाई। माननीय मन्त्री जी ने किसी बात का उल्लेख नहीं किया

[श्री मोहन सिंह--]

बल्कि कानूनची की तरह वक्तव्य पढ़ दिया । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अन्दरूनी सुरक्षा के लिए गार्ड हैं तो पुलिस को अन्दर घुसने का आदेश क्यों दिया गया ? 11 तारीख की बात है वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई लेकिन जो व्यापारियों के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया था उसकी विशेष जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, पहली बात यह है कि व्यापारियों का जो काण्ड है 7 तारीख का उस पर मैजिस्ट्रेरियल जांच का एलान कर दिया गया । दूसरी बात जब जिलाधिकारी के यहां प्रदर्शन किया गया जैसा यह कहते हैं 11 तारीख को विशेष परिस्थिति में इस बात की आशंका थी कि कहीं शान्ति व्यवस्था खत्म न हो जाये गेट पर पुलिस लगा दी गई । मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चोरी करते हुये औरतों को व्यापारियों ने किस समय पकड़ा, एफ0 आर0 आर0 किसने लिखाई, औरतों को थाने में किस समय ले जाया गया और कैसे पूछताछ की गई उनको हवालात में दाखिल किया गया या नहीं इन सब बातों पर प्रकाश डालें ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने वक्तव्य के प्रारम्भ में कहा कि यह औरतें चोरी करते हुये पकड़ी गई और इनके यहां एक दूकान ही नहीं बल्कि बहुत सी दूकानों का माल बरामद हुआ । एफ0 आई0 आर0 दलजीत पुत्र सरदार. . . .।

श्री रियासत हुसैन--

किस समय पकड़ी गई ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर दे रहे हैं आप सुन लीजिए ।

श्री रियासत हुसैन--

समय बता दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

19 बजे 7-12-82 को . .

श्री रियासत हुसैन--

किस वक्त पकड़ी गई । 19 बजे तो एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई और उसके बाद वह हवालात में बन्द की गई और उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने सुराग दिया तो चोरी का और माल बरामद हुआ ।

श्री गुलाब सेहरा--

घटना वास्तव में यह थी कि यह औरतें उस दुकान में कुछ सामान देख रही थी उसके बाद वह चलीं गई । उनके जाने के बाद दुकानदार ने देखा कि

कुछ सामान नहीं है वह औरतें जा रही थीं उसने जाकर पकड़ा और उनकी पोटली खोली गई तो उसमें सामान प्राप्त हुआ, उसके बाद दूसरे दिन उनके घर की तलाशी ली गई तो और बहुत सा सामान बड़ी लम्बी लिस्ट लगभग 60 व्यापारियों के यहां का सामान बरामद हुआ ।

श्री रियासत हुसैन--

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ।

(श्री राज कुमार राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह आखिरी सवाल होगा ।

श्री राज कुमार राय--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने बजे उन औरतों का आन दि स्पष्ट अरेस्ट हुआ और कितने बजे उनका इक्स्ट्रा जुडीशियल कंफेशन रिकार्ड हुआ ? कब हवालात में उनको बन्द किया गया ? जब साढ़े 3 बजे औरतें पकड़ी गयीं, और माल बरामद हो गया, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि दूसरे दिन फिर माल की बरामदगी हुई, तो उसके लिए क्राइम नम्बर फिर डाला गया होगा, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि टाइम्स आफ दि अरेस्ट आफ दि लेडी और मुकदमा कब दर्ज हुआ और कब इक्स्टा जुडीशियल कंफेशन हुआ और कहां हुआ ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बहुत सफाई दे रहे हैं । मान्यवर, पुलिस ने 5 लोगों की हत्या किया है, पुलिस ने बराबर लठी चार्ज किया है, कई सौ लोगों को घायल किया है और माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य के जरिए उसकी सफाई दे रहे हैं और लीपा-पोती कर रहे हैं । इसलिए इस गन्दे और क्रूर काम के लिए मैं अपने दल के साथ थोड़ी देर के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मोहन सिंह अपने दल के सदस्यों सहित कुछ समय के लिए सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह शासन का आदेश है कि महिला को रात में हवालात में नहीं रखा जायगा । किसके आदेश से इन्हें रात में रखा गया ?

(व्यवधान)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी चोरों की वकालत कर रहे हैं; यह तो बड़ी शर्म की बात है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय मोहन सिंह की बात से अपने को सम्बद्ध करते हुए, इस वक्तव्य के रोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन महिलाओं को अगर हवालात में बन्द करके रखा गया, तो कितनी देर तक, कितने टाइम रखा गया, इसका कहीं हवाला वक्तव्य में नहीं है । दूसरी बात इसमें यह कि पुलिस 11 तारीख को बुलाई गयी, किसने बुलाई ? अगर पुलिस की डिमांड हुई होगी, तो किसके कहने से बुलाई गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, यह जो एफ0 आई0 आर0 है, यह वहां के कई व्यापारियों ने की, 19 बजे रिपोर्ट हो गयी, जिस वक्त औरतों को पकड़ा गया, उस समय साढ़े 3 बजा था, और उनके पास से सामान बरामद हुआ और व्यापारियों ने सामान पहचान लिया ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, देख लीजिए, माननीय मंत्री साढ़े 3 बजे बता रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, क्योंकि 5 बजे मुझे दूसरा मद लेना है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इतना इम्पार्टेन्ट यह मुद्दा है ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, तो क्या मैं प्रतिदिन आपसे कहूं कि समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करिए ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, साढ़े 3 बजे औरतें पकड़ी गयीं और एफ0 आर0 आई0 19 बजे होती है ।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, किस समय उनको लाक-अप में बन्द किया गया, इसका कोई समय माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, 19 बजे एफ0आई0आर0 हो जाती है, क्राइम नम्बर माननीय मंत्री ने 143 बताया और दूसरे दिन जो उनके घर से सामान बरामद होता है, उसका कौन सा क्राइम नम्बर पड़ा है ?

श्री गुलाब सेहरा--

उसकी एफ0 आई0 आर0 नहीं है। उसकी तो मैंने टाईमिंग बता दिया।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जो जानबूझकर तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विरोध में जनता पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री सरदार सिंह--

माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कुंवर सिंह नेगी भी सदन त्याग कर चले गए।)

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, यह जो वक्तव्य दिया गया है, बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल सत्य से परे है। वास्तविकता यह है कि जिन महिलाओं का जिक्र है, जिस कर्मचारी का जिक्र है, जिस दूकानदार का जिक्र है, यह लोग उनके मकान में किराए में रहते थे। कुछ दिन पहले यह इनके मकान को छोड़कर आई0 टी0 आई0 के क्वार्टर्स में चले गए थे। 26 जनवरी को इन सरदार जी ने इन महिलाओं से छेड़छाड़ की जिसकी रिपोर्ट कराने वह कोतवाली गयी लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। उनसे बदला लेने के लिए वहां के एस0 पी0 सरदार जी ने और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता सरदार जी जो यहां के एम0 पी0 के खास आदमी थे सम्भवतः उनका नाम कल्यान सिंह है, उन्होंने सरदार की इज्जत आबरू बचाने के लिए महिलाओं के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज कराया। इस अपराध पर लीपा-पोती की जा रही है। इसलिए हम अपने दल के साथ जो इस प्रोटेस्ट में कि सत्य को छिपाया जा रहा है, के विरोध में सदन से वाकआउट करते हैं, 5 मिनट के लिए।

(श्री भीखालाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गए।)

वाराणसी स्थित प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मन्दिर में हुयी चोरी से नागरिकों में व्याप्त क्षोभ एवं असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 13 पर अब एक घंटे की चर्चा होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा था कि जब सब कार्य समाप्त हो जायगा तब आखिर में 7-ख को लेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय, हमारी भी नियम 56 में सूचना थी। विश्वनाथ मन्दिर के बारे में कार्य-स्थगन की सूचना थी ? धारा 52 में अपने स्वीकार किया था। बुकलेट में हमारा नाम आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह का छपा है। आपका नाम भी भेज दिया गया था आपको मौका मिलेगा। कृपा कर बैठें।

*श्री मोहन सिंह--

माननीय, काशी विश्वनाथ मन्दिर में हुई चोरी इस पूरे प्रदेश के प्रशासन के लिए एक कलंक है। यह माननीय, पहली चोरी नहीं है। यह पांचवी चोरी है। इसके पहले 4 चोरियां हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की, बनारस की निष्क्रिय पुलिस आज तक इनका कोई पता नहीं कर सकी है। अफसोस की बात यह है कि चोरी की घटनाएं तो होती ही रहती है लेकिन इस घटना में पुलिस के साथ शासन का जो रवैया होना चाहिए था उसका अभाव इस घटना में दिखलाई पड़ता है।

लाखों की चोरी काशी विश्वनाथ के मन्दिर में हुई। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में धार्मिक भावनाओं के जो लोग थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन वाराणसी की पुलिस निष्क्रियता के साथ इस घटना की छानबीन सही ढंग से नहीं कर सकी है। 4 चोरियां हो गयीं तो वहां पर 5 आर्म्स गार्ड्स मन्दिर की सुरक्षा में रहने लगे थे। उसके बावजूद भी चोरी हो गयी। उसके बारे में जिसने कथानक वाराणसी की पुलिस ने गढ़े थे वे सारे कथानक बाद में असत्य साबित हुए थे।

जिस प्रकार से निरपराध लोगों को वहां पर पकड़ा गया और मारापीटा गया वह अपने आप में बेमिसाल कहानी है। उसकी चर्चा यहां में करना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना के लिए जिम्मेदार और इसकी ठीक से जांच न करने वाले अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार को जिनको दण्डित करना चाहिए था तो उनको दण्डित नहीं किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको पुरस्कार देने का काम किया। उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कार दिया है।

सच्चाई यह है कि जब बंटवारे को ले कर आपस में झगड़ा हुआ तो उन्हीं चोरों में से एक आकर डी0 आई0 जी0 को खबर करता है कि माल अमुक-अमुक के पास है और उसको पकड़ा। माल बरामद करने, पुजारी को पकड़ने की कहानी बनायी गयी, अन्त में जाकर सारी कहानी असत्य साबित हुई और यह इस बात का प्रमाण है कि वहां की पुलिस, प्रशासन एकदम बेकार और निष्क्रिय था और यहां तक कि वहां के एस0 एस0 पी0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

अधिग्रहण कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन आपने उसकी चर्चा नहीं की। धार्मिक लोग थे इस देश के अन्दर, राजनीतिक लोग थे, कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग भी थे लेकिन वह विश्वास करते हैं कि मंदिरों का इंतजाम ढंग से चले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिग्रहण करते समय, कानून बनाते समय, कोई चर्चा नहीं की। यहां यह बात बार-बार कही जा चुकी है, 1954, 55, 56 लगातार 3 साल काशी में आन्दोलन हुए, हरिजनों के मन्दिरों में प्रवेश को लेकर और विश्वमित्र, राजनारायण के प्रयास से वहां हरिजनों का मन्दिरों में प्रवेश हुआ और उसके बाद करपात्री जी ने कह दिया कि विश्वनाथ की आत्मा उड़ गयी और शंकर जी की पिन्डी को छू दिया।

काठ का मन्दिर की स्थापना की और कहा कि असली शंकर और विश्वनाथ भगवान यहीं हैं। तब से जब से हरिजनों का मन्दिर में प्रवेश हुआ, 1958 से, मैं उस मन्दिर में गया नहीं और यह भी कह दिया कि जो विश्वनाथ जी की शक्ति है वह नष्ट हो गई इसीलिए चोरी हो गई है। विश्वनाथ जी की शक्ति इतनी है कि बहुत से लोगों के आक्रमण हुए उसको उन्होंने नष्ट कर डाला लेकिन चोरों को नहीं पकड़ पाए हरिजनों के प्रवेश होने की वजह से।

इसलिए जो शक्ति थी वह खतम हो गयी है। इसलिए मैंने असली प्रतिमा स्थापित की है। जो यह बात कहते हैं उन्हीं को न्यास का अध्यक्ष बनाते हैं। इसलिए प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता की निन्दा करता हूं और कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन हुए मैं थाइलैंड गया था वहां पर यह जान कर आश्चर्य हुआ कि 10-10 कुन्तल सोने की बुद्धि मूर्ति रखी है सार्वजनिक स्थानों पर और उसका एक सूत भी चोरी नहीं हुआ। न वहां कोई कान्स्टेबिल, न सुरक्षा का कोई इंतजाम। इसलिए या तो ऐसी धार्मिक भावना हमारे समाज में विद्यमान हो जाये की कम से कम चोरी बन्द हो जाय और यदि ऐसी भावना विद्यमान न हो तो अंकुश इतना हो, प्रशासन इतना मजबूत हो कि चोरी करने वालों के अन्दर एक आतंक और दहशत की भावना व्याप्त हो जाये लेकिन इस तरह की चोरी होती है और चोरी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, जिस दिन और जिस ढंग से चोरी हुई, वहां के थाने के थानाध्यक्ष, एस0 एस0 पी0, दोनों छुट्टी पर चले जाते हैं।

कई लोगों को आशंका है कि इन दोनों की साजिश से चोरी हुई और ठीक अवसर को समझ कर इन लोगों ने जानबूझ कर छुट्टी ले ली थी यह भी लोगों की आशंका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोगों की आशंका को निर्मूल करने के लिए कम से कम वहां के प्रशासन का न्यूनतम स्थानान्तरण कर देना चाहिये। इन्हीं शब्दों के आधार पर मैं इस मुद्दे को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं कि दोनों पक्षों के लोगों को सुनकर कोई निष्कर्ष निकाला जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमानुसार पहले मुख्य मन्त्री बोल लें, उनका वक्तव्य आ जाये, तभी हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। इसलिए वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

इसलिए तो मैंने पहले उनको बुलवाया है। इसमें कौन सी व्यवस्था की बात हो गई? अगर कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो कैसे मैं उनको मजबूर करूं।

हरिजन तथा समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—

मेरा निवेदन यह है कि मैं सबको पहले सुन लूं उसके बाद ही कुछ कहूं ।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय मोहन सिंह जी ने कहा, किस प्रकार से उत्तर देना चाहते हैं?

श्री गुलाब सेहरा—

सबका उत्तर दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन—

आफीसियल वर्ड जब टेबुल पर आयेगा । तभी न उत्तर देंगे ।

(व्यवधान)

*श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैं अपने लायक दोस्त मोहन सिंह जी को सुन रहा था । उन्होंने एक जिक्र किया कि पिछली चार चोरियां हुई एक भी वर्क आउट नहीं हुई । उन्होंने सूचना दी । मैं बता दूं एक वर्क आउट हो गई पिछली भी ।

श्री मोहन सिंह—

चलिये थर्ड क्लास पास हो गए ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, काशी विश्वनाथ मन्दिर के साथ भारत की जनता का बड़ा भावनात्मक सम्बन्ध है । जिस वजह से हमको यह अधिगृहीत करना पड़ा वह विशेष परिस्थिति है । वहां जो इसके महन्त थे, वास्तव में विशेष रूप से चार में लोवर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे थे । व्यक्तिगत फर्म के रूप में काम हो रहा था । वहां पर अधिग्रहण के बाद न हिसाब मिला और न ही सामानों की सूची मिली । न यह पता लगा कि क्या क्रय हुआ था, क्या व्यय हुआ ? क्या धार्मिक संस्थानों में होना चाहिये, क्या यात्रियों को सुविधायें थीं, कुछ भी नहीं पाया गया । इस बीच में वहां चोरी हुई और चोरी से लाखों की भावना को ठेस पहुंची ।

काशी विश्वनाथ मन्दिर, जिसके साथ धार्मिक भावना जुड़ी है, पवित्रता की दृष्टि से जो बना है, में चोरी होने से धार्मिक जनता में इस बात की शंका हुई कि वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है । अव्यवस्था है । उसकी व्यवस्था को सुचारूरूप देने के लिये जन आन्दोलन शुरू हो गये । जो महत्वपूर्ण बात शासन ने की वह यह है कि इसकी व्यवस्था आपने हाथ में ले ली । शासन ने इस बात को इतनी गम्भीरता से लिया कि उसने इस चोरी के सम्बन्ध में स्पष्ट निदेश जारी कर दिया कि हर हालत में इस चोरी का तुरन्त पता लगना चाहिये चाहे शासन की पूरी मशीनरी लग जाये और श्रीमन, इतनी जल्दी इस चोरी का पता भी लग गया । वह मैं समझता हूं, इसमें सबसे ज्यादा पुलिस की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रशंसा की जानी चाहिये और विशेष रूप से एस0 एस0 पी0 बनारस को. जिसने अपने मेहनत से बिहार तक जाकर इस चोरी के माल को बरामद किया, यह एक उल्लेखनीय बात है । श्रीमन्, जिस समय आन्दोलन शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि इसकी सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करा ली जाय और शासन ने इसमें इतनी शीघ्रता की श्रीमन, आप आश्चर्य करेंगे कि सी0 बी0 आई0 से जांच कराने के किए शासन ने 21 तारीख को सेन्ट्रल गवर्नमेंट को यह मामला भेज दिया था उसमें लिखा था कि इस चोरी में इस देश के लोगों की धार्मिक भावना निहित है, अतएव इस चोरी का पता लगना जरूरी है । लेकिन जब तक सी0 बी0 आई0 इसकी जांच करे तब तक हमारी पुलिस और हमारा शासन इसमें इतना कारगर हुआ कि उसने पहले ही माल को बरामद कर दिया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी अपना भाषण संक्षेप में दें ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, जब हम अच्छा काम करते हैं तो इनको खराब ही लगता है । जैसे अन्धे के घर चक्की, उसे क्या मालूम कि धार छूरी पर है या चाकू पर ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय मन्त्री जी आप भी तो विरोध में रहे हैं ।

*श्री कैलाश टण्डन--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भाई मोहन सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है । मान्यवर, इस मन्दिर में इससे पहले भी इसमें 5 बार चोरी हो चुकी है । जहां तक मुझे याद है कि सन् 1982 में जब ऊपरी स्तम्भ की पर्त से सोने की कुछ प्लेटें निकाल दी थी तो उस समय हमारी जिला परिषद् पार्टी के अध्यक्ष, श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी जी ने बनारस के पुलिस कप्तान से आग्रह किया था कि यहां पर पुलिस गार्ड बिठा दी जाय । मान्यवर, उस समय बनारस के पुलिस कप्तान का यह बयान है कि भयंकर ठण्ड के कारण हमारी गार्ड सोई हुई थी लेकिन मैं श्रीमन्, आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें लिखा गया है कि जब मैं वहां गया था तो गार्ड वहां मौजूद थी और पहरा दे रही थी, इस प्रकार मान्यवर, वहां चोरी हुई ।

मान्यवर, ये कहते हैं कि इस पर जनता में बड़ा क्षोभ है, जुल्म हो गया है, अत्याचार हो गया है, जिस तरीके से इसको राजनैतिक रूप दिया जा रहा है । काशी में साढ़े तीन बजे मंगला होती है और साढ़े 4 बजे पट खुल जाते हैं और लोग, हर-हर गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे कहते हुए, गंगा स्नान करते हुए बाबा विश्वनाथ जी के मन्दिर पर पहुंच जाते हैं । श्री राज नारायण जब 1980 में श्री कमलापति त्रिपाठी के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने वहां जाप करने को कहा तो माननीय मन्त्री जी ने उन्हें एलाऊ नहीं किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाश टण्डन---]

हमारे बनारस के एस0 एस0 पी0 नारायण दत्त जी के बिरादर थे और उन्होंने कैलाश पति त्रिपाठी जी को इस प्रकार फंसाया, मैं नहीं कहता, अखबारों में उन्होंने बयान दिया, उसको देखिये, बाबा विश्वनाथ मन्दिर की चोरी में महन्त कैलाश पति ने गड़बड़ी की। 4 सौ ग्राम का एक तांबे का छत्र दत्र मिला कुंये के कीचड़ से और उसके बाहर सोने का लेप दिया गया था।

[5 बजकर 25 मिनट]

महन्त जी चिल्लाते रह गये। मैं कहता रह गया कि यह जो निकला है इसका वाटर कैमीकल एग्जामिन करवा लीजिये, सोने की प्लेट पर वाटर स्पाट पड़े हैं, तय हो जायगा कि यह वाटर में कितने दिनों से पड़ी हुई है। मन्त्री जी ने कहा कि बनारस की पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है, 15 हजार का पुरस्कार दिया गया है। मैं चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल द्वारा पुरस्कार पुलिस कप्तान को दिया जाना चाहिये, जिस तरह उसने सत्ता के मद में आकर एक सांप की माला पहनाई, बदनामी करनी चाही। चोर हैं चार, चकिया के रहने वाले, जिनका पेशा ही चोरी है।

जब महा मृत्युंजय की चोरी हुई, केवार महाराज वहां के महन्त थे। जब उस चोरी में कैलाशपति को बन्द करना चाहा, उस 82 वर्ष के महन्त को बन्द करना चाहा, तब हम और हमारी नेता चन्द्रा त्रिपाठी खड़ी हुयीं और कहा कि यह चोर नहीं हो सकते। वहां पर कई चोरियां हो चुकी हैं। यही चारों चोरियां करते थे। पुलिस ने रोब फैलाना शुरू किया। मैं तो अपने को भाग्य-शाली समझता हूं कि मैं काशी नगरी में रहता हूं। आरोप आये कमलपति जी पर, आरोप आये लोकपति जी पर लेकिन मेरा मकान चौक में है, जहां शिव कुमार शास्त्री जी का मकान है। मैंने अपने पिता जी से सुन रखा है कि जब बड़े-बड़े विद्वान आते थे तो काशी में दर्शन करने के बाद पं0 शिव कुमार के दर्शन न करें तो उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती थी। इन्होंने सदन और बाहर जो परम्परा कायम कर रखी है, सारी परम्पराओं का वैसे ही निर्वाह किया। मिथ्या आरोप लगाया, मिथ्या कहानी कही। सारा तमाशा होता रहा, हम लोग मूक दर्शक बने सारा तमाशा देखते रहे राज कैसे खुला, मारकण्डे, भगवती, ओम प्रकाश, यह चारों चोरी करने पहुंचे। जब बंटवारा हुआ तो विनोद ने भी हिस्सा लिया, उसके बहनोई को जब हिस्सा नहीं दिया तो झगड़ा शुरू हो गया। जब हवलदार ने यह राज बताया तो उसको 50 रु0 मिले, 15 हजार रु0 इन लोगों ने बांट लिये। रामनगर का वह दीवान चोरी के बारे में बताने वाला था। और उस मुखबिर को, जिसने इतनी महत्वपूर्ण खबर दी उसको तो इनाम के रूप में केवल 50 रुपये दिये जाते हैं और रु0 15 हजार कि राशि को सब अधिकारीगण मिलकर खा जाते हैं और इस समय मौजूदा काशी नरेश जो विभूति नारायण सिंह हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, जिनको

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी---

श्री कैलाश टण्डन अब अमर हो गये हैं।

श्री कैलाश टण्डन---

मान्यवर, मौजूद काशी नरेश को उस पद से हटाया जाए और उनके स्थान पर किसी को भी वहां पर तमाम पढ़े लिखे लोग डाक्टर्स के रूप में इन्जीनियर

और वकील के रूप में मौजूद हैं किसी को भी वहां का अध्यक्ष बना दीजिए तो वहां की स्थिति सुधर सकती है, धन्यवाद ।

*श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय, उत्तर प्रदेश शासन की पुलिस फूलन देवी के साये व उसकी सारी को तो पकड़ नहीं सकी वह इस मन्दिर में हुयी चोरी को क्या पकड़ेगी ? जिस वक्त यह खबर अखबारों में छपी मैं उस वक्त मैं हैदराबाद में था, पढ़कर आश्चर्य हुआ और उससे ज्यादा आश्चर्य उस वक्त हुआ जब यह डी0 आई0 जी0 का बयान सुना कि यह कोई बात नहीं हुयी कि जिन महन्तों की जो चीज थी, वह उन्हें मिल गयी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गयी और इसके बावजूद भी वह दीक्षित आई0 जी0 अपने स्थान पर मौजूद है, इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात होगी ? और वहां के जिम्मेदार मंत्री यहां पर मौजूद हैं और वह क्षेत्र भी पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का है और लोकपति त्रिपाठी जी का है ।

मैं यह नहीं कहता कि उस चोरी में इन लोगों का हाथ है, यह कहना तो राजनीतिक द्वेश होगा, चाहे इस पक्ष के लोग हों ऐसा कहने वाले या उस पक्ष के मुख्य मंत्री जी स्वय और पंडित लोकपति त्रिपाठा जी जिन्होंने अधिग्रहण के बारे में बयान दिया उसके बाद में मोहन सिंह जी ने खोल करके बहा कहा । विश्वनाथ मन्दिर का अधिग्रहण किय गया ऐसे भूत पूर्व काशी नरेश के द्वारा जबकि आदरणीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रीवीपर्स प्रथा को समाप्त किया, उसके बाद भी भू0 पू9 काशी नरेश जो ऐसा कहता है कि 55, 56, 57, 58 में हरिजनों के साथ समाजवादी नेताओं ने किया था । नेता राज नारायण की विरोधी दल की भूमिक होनी चाहिये थी । ब्राह्मण से लेकर धोबी तक जिसमें मुसलमान भी हैं । स्त्रियों ने पुलिस को वहां पर चूड़ियां दी हैं । ऐसी पुलिस जो प्रदेश में है चाहे वे आई0 जी0 हों, डी0 आई0 जी0 हों यां एस0 एस0 पी0 हों, ख्याति प्राप्त स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि कैबिनेट स्तर के मंत्री जो कि बिना कैबिनेट का डिसीजन हुए ही इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं ।

14 जनवरी को मैंने चितरंजन पार्क में भाषण दिया कि पंडित कमलापति का फार्म है वहां शर्मनाक काम होते हैं, मुर्गा खाया जाता है । वह फार्म सौ-डेढ़ सौ एकड़ का है वहां पर हरिजनों का स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है, जो कुख्यात भगवती सिंह ब्राह्मण है, राधे सिंह ठाकुर है और मरकण्डेय सिंह कुर्मी है । वहां पर चोरी की गयी । चोरी के बाद पूरे नाटकीय ढंग से जैसा कि अभी मोहन सिंह जी ने कहा कि बटवारे के बाद जो सोने के पत्तर निकले उसके लिये अभी हमारे कैलाश टण्डन जी ने कह दिया कि मन्दिर में साढ़े तीन बजे सुबह होती है । मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया जानता है बनारस की सुबह और अवध की शाम मशहूर है यानी लखनऊ की शाम मशहूर है । बनारस में रात के 12 बजे से 3 बजे तक चोरी होती है । जबकि वहां पर सुरक्षा के लिये पुलिस है । महन्त के कुएं में जो चीज चली जाती है वह सचमुच में इस चोरी से सम्बन्धित नहीं है ।

भगवती सिंह, मरकण्डेय सिंह और राधे सिंह जो कि सोने के व्यापारी थे ऐसे लोगों के लिये शासन को कम से कम कड़े निर्देश देने चाहिये थे । लेकिन जब शासन में ऐसे अधिकारी रहेंगे, आई0 जी0 जो कि चोरी का पता लगाने के लिये काशी नरेश के यहां पहुंचे तो उनसे उन्होंने कहा कि 28 साल पहले स्वामी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री यदुनाथ सिंह---]

करपात्री के समय से देवत्व समाप्त हो गया । कहा गया कि तब काशी नरेश कुएं में कूद गये ।

यहां पर गुलाब सेहरा जो कि हरिजन कल्याण और समाज कल्याण के मंत्री हैं मुख्य मंत्री जी की जगह उनके स्थान पर उत्तर देते हैं और तथ्यों को छिपाते हैं । लगता है कि ये रोज मुख्य मंत्री जी की आरती उतारते हैं । वहां पर चोरी हुई और वहां के लोगों ने रोष प्रकट किया तो यह पता चलाया गया । इसमें पुलिस की कोई बहादुरी नहीं है । लेकिन यह सहा है कि बातचीत हुई और चोरी के माल का बंटवारा हुआ । सोने के बाद जब चांदी की खड़ाऊं के बांटने की बात अयी तब यह बात खुली । पूरे बनारस में जनता की उत्तेजना फैली हुई है । जो लोग पकड़े गये ।

श्री अध्यक्ष---

आप समाप्त कीजिए ।

श्री यदुनाथ सिंह---

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, ऐसे लोग पकड़े गये जो पहले 411 में पकड़े गये, काशी की परम्परा है कि कुएं या नदी में फेंक दिया जाता है । महन्त की गिरफ्तारी गलत रूप से हुई । भगौती सिंह, राधे सिंह के बारे में क्या शासन इसी तरह से कार्यवाही करेगा. यह बड़ा ही गैरजिम्मेदाराना काम है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य आप बैठें । यह लिखा नहीं जायेगा । 5 मिनट का समय निर्धारित है । इसको समय पर समाप्त होना है, इसलिए माननीय सदस्य अधिक समय न लें ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)---

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि चर्चा समाप्त होने के पहले मुझे भी 2-4 मिनट का समय दे दें ।

*श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में मुझे भी भाग लेने का मौका दिया । वाराणसी के काशी विश्वनाथ मन्दिर में हुई चोरी की चर्चा यहां पर हो रही है । काशी विश्वनाथ का मन्दिर हो या और किसी दूसरे धर्म का स्थल, सभी समान पूजनीय होते हैं । जब काशी विश्वनाथ मन्दिर में चोरी की गयी, मैंने सुना तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरा विश्वास है कि गयी, हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया में सभी को दुख हुआ होगा । मुझे अगर अपने बच्चे से प्यार है बाप की हैसियत से तो दूसरे के बच्चे से बाप की हैसियत से प्यार करना होगा । अगर हम अपने धर्म को मानते हैं तो दूसरे धर्म को प्यार करना होगा । इसकी निन्दा हर कोई करेगा लेकिन मान्यवर, जब धर्म के नाम पर अधर्म होता है तो धर्म शरमा जाता है । हम वहां जाते हैं पूजा करते हैं और मुरादें मनाते हैं, लेकिन आज उनके दरबार मे कुकर्म हो गया है तो हर आदमी सोचने पर मजबूर हो गया कि यह चीज ठीक नहीं हुई । अगर ऐसे मौके पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

धर्म के नाम पर ऐसा काम करते हैं कि बजाय चोरी का माल मिलने के कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाये ।

मान्यवर, वाराणसी में जो कुछ हुआ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब इस चीज की जानकारी हुई तो चाहे हिन्दू रहा हो या मुसलमान रहा हो, सभी परेशान थे और हमारे कुछ साथियों ने यह समझा कि खुदा ने हसीन मौका दे दिया है इसकी आड़ में खूब उछाला और इन्दिरा गांधी को बदनाम कर दिया जाय और जो दूसरे बड़े नेता हैं उनको बदनाम कर दिया जाय और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम कर दिया जाय । और अंजाम यह हुआ कि इस तरह का नंगा नाच किया गया । विरोधी पक्ष ने अवरोध उत्पन्न कर दिया वरना यह माल तो और पहले मिल गया होता लेकिन इन्होंने अवरोध पैदा किया और राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश की । मुझे एक बार शुबहा हो गया कि खुदा न करे कहीं इन्हीं का हाथ न हो कि इन्दिरा गांधी को बदनाम करने का इनको मौका मिल गया है इसलिए इसको उछालो और जिससे इनको राजनैतिक लाभ मिले । बनारस में काशी विश्वनाथ का मन्दिर (व्यवधान) भगवान सब का होता है, इनको परेशानी क्यों है ? अगर हमारे और आपके भगवान थे और हैं तो चोर के भी भगवान थे और हैं । सुना है उसने भी भगवान से मन्नत मांगी थी कि एक मर्तबा उसके हाथ में भी सोना आ जाय । तो यह ठीक है कि उसके हाथ में भी सोना आ गया और भगवान ने उसकी मुराद भी एक बार पूरी कर दी । लेकिन क्या आप इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान की दी हुई मन्नत को उसे वापस लौटाकर दे दें ? मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप धर्म के नाम पर अधर्म न करें । स्थानीय अधिकारियों ने जिस तत्परता और समय रहते काम किया, काशी की जनता ने जो साथ दिया और जैसा कि माननीय मोहन सिंह जी ने कहा मैं उन्हें अन्त में एक शेर सुना कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं--

इस बात पर हंसता हूं अल्लाह के बन्दे

काबे की तहफ्फुस की दुआ मांग रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, बोलने से पहले मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं और वह यह है--मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि चूंकि इस पर कई सदस्य बोलना चाहेंगे इसलिए आप इस विषय पर चर्चा के लिए समय 15 मिनट के लिये बढ़ा दें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां, मान्यवर, सदन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि इस विषय पर चर्चा के लिय समय 15 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, काशी में जो यह घटना हुई उससे हम सब बहुत दुखी हैं, क्षुब्ध हैं लेकिन जिस भावना से प्रस्तावक महोदय ने इसे यहां पर रखा और उस पर माननीय सदस्य, वाराणसी ने अपना भाषण दिया कि राजनीति से प्रेरित होकर इस को

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

इस तरह से कहा जा रहा है। मान्यवर, इसका उत्तर देने से पहले और इस पर कुछ कहने से पहले इसकी बैकग्राउन्ड को देखना पड़ेगा। उसको देखने से हम दो निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। मान्यवर, जो घटना हुई वह शासन की दिशाहीनता का परिणाम है और साथ में बैठे हुये ये अपने निकट सम्बन्धियों के निहित स्वार्थों को भावनओं को परिचायक हैं। मान्यवर, मैं कुछ तथ्य भी इसके साथ प्रस्तुत करना चाहूंगा। अभी माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा, वे मुख्य मंत्री जी के भार साधक मंत्री भी हैं, कि कुछ नहीं मिला और चोरी हो गई।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि हमारी पुलिस ने जो काम किया, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए क्योंकि चोरी का माल मिल गया। मैं कहना चाहता हूं कि शासन के पास क्या कोई तखमीना है कि कितना सामान चोरी किया गया? मान्यवर, अगर वह तखमीना है और उसके हिसाब से अगर सामान मिल गया तो उसकी आप जुडीशियल इन्क्वायरी करें। कितना सामान वहां था और कितना चोरी चला गया इस बात को जानने के लिये हमें उसकी पृष्ठ भूमि में जाना पड़ेगा। 2 हजार वर्ष पूर्व इस देव स्थान अर्घ की स्थापना की गई थी। मुगलों ने इसकी मरम्मत की और तोड़ा बनाया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 1777 में महारानी अहिल्या बाई ने इसका निर्माण कराया।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात को जानते होंगे कि बहुत सा सोना इस अरघे के नीचे भी रखा था। मान्यवर अरघे के भीतर कितने रत्न थे, यह बताना चाहता हूं। महाराज रणजीत सिंह ने 820 किलोग्राम सोना चढ़ाया था। आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में वहां पर कितना सोना था। 1928 में पुरुषोत्तम खत्री ने 500 भर, तुलाराम गोयल ने 900 भर तथा स्वामी बामदेव ने 150 भर सोना दिया था और तब उसका अरघा मढ़ा गया था।

मान्यवर, जिस दिन चोरी होती है, उस दिन रात में काफी ठंड थी। उसकी चाबी वहां पर दो जो चौकीदार थे, सरजू आदि उनके पास रखी गई। पुलिस का भी पहरा था। उनके समक्ष चोरी होती है और 1/3 सोना उसका चला गया। सोने का पत्तर गया, चांदी का छत्र, नाग पलंग तथा घंटे घड़ियाल भी चोरी चले गये। क्या-क्या सामान गया, यह माननीय मंत्री जी ने जान लिया? लेकिन यह आंकड़े हैं क्या किसी अवसर पर इस बात की जानकारी की गयी कि मंदिर के पास इतना सोना, इतनी चांदी या इतनी संपत्ति थी और वह कहां चली गई? मुझे मालूम हुआ कि अब तक तहसीलदार इस बात की जानकरी कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की जानकारी चाहूंगा मंदिर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। यहां पर एक बहुत बड़े और प्रमुख आदमी है, आज भी श्रद्ध के पात्र हैं लेकिन जिस तरह से समाज में एक बिखराव आ गया वहां पर भी आ गया। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी कोई जुडिशियल इनक्वयरी कराने की कृपा करेंगे। इस मंदिर में कितना सोना था, कितना चांदी था और कितनी संपत्ति थी, अब कहां चली गई?

अब मैं एक दूसरी बात पर आता हूं यहां पर एक कैलाशपति नाम की बात आई। मैं विवाद में नहीं पड़ता कि किसने चोरी की और किसने नहीं की, यह जानकारी करना पुलिस का काम है। लेकिन मैं माननीय सदस्य बनारस से जानना चाहूंगा जिस समय यह चोरी की घटना हुई उसकी खबर चार महंतो को दी गई वह चार मंहत राम शंकर, कृष्ण शंकर, कैलाश पति

और बिजय शंकर जो थे उनको दी गई । लेकिन कैलाशपति नाम के सम्मानित सज्जन जिनका सर्वश्व बर्वश्व है उनका वहां पर राजनीतिक प्रभाव भी है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि महंत को राजनीति से सम्बन्धित होना चाहिये, मेरे भी जानने वाले महंत हैं । लेकिन यह बात संदेह पैदा करती है जिस समय चोरी की सूचना मिली चार में से दो ही भाग कर वहां आये ब को दो क्यों नहीं आये ? चाभी भी किसके पास थी उस चौकीदार को चाभी दी गयी थी जो एक समय सरविस से निकाल दिया गया था और पुनः कैलाशपति ने उसको रखवाया था । इस पर जरा सोच लें 1961 में चोरी होती है, 1969 में चोरी होती है, 1976 में चोरी होती है फिर 1981 में चोरी होती है उसका जो अभिलेख है उसमें यह दर्ज है जिसने चोरी की उसने बयान दिया है कि कैलाशपति के लड़के ने हमसे चोरी करवाई । 1981 में जो चोरी हुई उसके बाद 11 लाख का अनुदान सरकारी एक्सचेंकर ने दिया ।

तीसरा मुद्दा में जो लाना चाहता हूं अच्छा होता राजनारायण जी का नाम न लिया होता यह सब जानते हैं कि कैलाशपति जी का सम्बन्ध किस परिवार से है यह बनारस का बच्चा-बच्चा जानता है ? पिछले चुनाव के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को जिन्होंने पूजा कराई थी वह व्यक्ति कौन थे ? जिस समय दूध की घटना हुई और जिसका खामियाजा माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को भुगतना पड़ा । राजनीतिक प्रभाव के कारण इन्हीं श्री कैलाश-पति जी ने कामाख्या में कलुवा की जमीन हड़प ली । यह सब जानते हैं कि उस फार्म पर वेश्या और शराब की बरामदगी हुई । इसमें सफाई देने की क्या जरूरत है ? मैं वहां गया था वहां पर 23 कर्मचारी हैं जिनको 8, और 10 रु0 तनख्वाह मिलती है इतनी कम तनख्वाह में वह कैसे काम करते हैं ?

मैं इस सरकार की दिशाहीनता का आरोप लगाता हूं । क्या यह सही नहीं है मैं माननीय राज्यपाल जी का नाम नहीं लेना चाहता था, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं शासन के दिशाहीनता का दृष्टिकोण रख रहा हूं, मुझे दो मिनट और दे दें, माननीय राज्यपाल मंदिर में गये थे जब उन्होंने मंदिर की अवस्था देखी तो उनके मुंह से एक उद्गार निकले कि इसका अधिग्रहण कर लिया जाय । तत्काल सरकार को व्यवस्था का नियम बना लेना चाहिये था ।

जब स्कूलों का अधिग्रहण किया गया तो उसके नियम तय किये गये थे कि इसके बाद कोई संपत्ति नहीं बेची जायेगी बिना निदेशक की अनुमति के इसी तरह से इसमें भी यह चीज क्यों नहीं देखी गई ? महंतों को पता चल गया कि अधिग्रहण होना है इसलिए वह चोरी में माल ले गये । चोरी के बाद जनता ने मांग किया तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अधिग्रहण किया जाना चाहिये । मुख्य मंत्री विदेश से दिल्ली लौटे तो पत्रकारों के सामने मुख्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान गैरजिम्मेदाराना था, उनको यह नहीं कहना चाहिये था । यह चीज पेपर में है जिसकी कटिंग मेरे पास है । दूसरे दिन कैबिनेट की मीटिंग में यह मामला रखा गया जिसमें विचारों में मतभेद थे जिससे मंत्रि मंडल ने इस मसले को सेन्ट्रल के पास भेजा और उसका यह प्रारूप दिया चूंकि इनके ऊपर प्रेसर था । तो यह शासन की दिशाहीनता का परिचायक है ।

मान्यवर, यह पुलिस के प्रसंशा की बात करते हैं । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पुलिस के लोग भी थे । तो शासन की यह अदूरदर्शिता

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

और आपस में मिलने की बात है । डा0 विभूति नारायण जो काशी नरेश कहे जाते हैं उसका कोई बयान शासन के पास आया है कि नहीं ? यदि बयान नहीं आया तो उनको खंडन करना चाहिए कि मेरे बारे में जो शिकायत है कि देवत्व नष्ट हो गया है ऐसा मैंने कहा है, या यह मैंने नहीं कहा है । उनको इस सम्बन्ध में अपनी सफाई देना चाहिए था । मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भगवान हर एक में हैं और वह इतने पुलपुले नहीं हैं कि हरिजन के छूने से उनका महत्व घट जाता है । इसलिए हरिजन का प्रवेश होना चाहिए । लेकिन यह साफ होना चाहिए और काशी नरेश को कहना चाहिए कि इस मंदिर के देवत्व नष्ट हुआ नहीं मानता हूं । अन्यथा यह कहें कि हरिजन का मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए । उनकी सफाई उनको जनता के समक्ष रखनी चाहिए । वही डा0 विभूति नारायण उस मंदिर के अध्यक्ष बन गये हैं तो और भी आवश्यक हो गया है कि वह इस सम्बन्ध में अपनी सफाई दें अन्यथा वहां की व्यवस्था कैसे करेंगे ?

इसलिये क्या आवश्यक नहीं है कि उनके द्वारा इसकी सफाई होना चाहिये ? विश्व की जनता की चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, हम सभी पक्षधर हैं कि जो जिसका मंदिर है, जो जिस धर्म को मानता है, वह उसकी माने और उसकी व्यवस्था करे इसलिये जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं तो उनको वहां नहीं जाना चाहिये और यदि श्रद्धा रखते हैं तो जाति विभेद नहीं करना चाहिये । इसलिये काशी नरेश को सफाई करना चाहिये कि वहां का देवत्व खंडित हुआ मैं नहीं मानता हूं और जब तक यह बात नहीं होती तब तक आरोप यहां सदन में और सदन के बाहर और बनारस में लगते रहेंगे । काशी नरेश के खिलाफ मेरी जानकारी नहीं है लेकिन उनको इसकी सफाई देनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि इसमें शासन की दिशाहीनता प्रकट होती है इसलिये इसमें कोई राष्ट्रीय नीति निश्चित करने की आवश्यकता है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन्, मैं काशी का रहने वाला हूं और अगर देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो मेरी यह मान्यता है कि देश की सांस्कृतिक, राजधानी यदि कहीं है तो वह काशी है । काशी विश्वनाथ का मन्दिर किसी एक जाति और सम्प्रदाय का मन्दिर नहीं है । यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय लोगों के भावना का मन्दिर है । विदेश से जो आता है वह काशी विश्वनाथ का दर्शन करने नहीं आता है, वह काशी विश्वनाथ को देखने आता है जिसकी स्थापना उस युग में हुई थी जब कि रोम काल का इतिहास भी नहीं था । और उसी स्थान पर काशी विश्वनाथ बिराजे थे और अगर धार्मिक लोगों की भावना लेनी है तो जो गंगा शंकर जी की चोटी से निकली थी, वह गंगा काशी में आकर शंकर के पांव छूती है । यही भावना काशी विश्वनाथ की है । लेकिन जब मैंने सुना, पहले मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी, कि यहां लोगों ने उत्तर भारत के केवल एक इतिहासकार के ही इतिहास को पढ़ा है, केवल डा0 ईश्वरी प्रसाद के इतिहास को ही पढ़ाऊं तो उन्होंने इतिहास में यह लिख दिया कि विश्वनाथ के मन्दिर को औरंगजेब ने गिराया था ।

आज हिन्दुस्तान का हर व्यक्ति उसी को लेकर ढपली पीट रहा है कि काशी विश्वनाथ के मन्दिर को औरंगजेब ने गिराया था। जबकि इतिहास सर्वथा इसके विपरीत है। वास्तविकता तो यह है कि औरंगजेब का एक कमाण्डर, जो बंगाल से युद्ध करके लौट रहा था, बनारस में उसका कैम्प पड़ा, उसने किसी बात पर इस मन्दिर को तुड़वाया। लेकिन जब औरंगजेब को इस बात का पता चला, तो 72 घंटे के अन्दर बादशाह सलामत दिल्ली में आए और उस सिपहसलार का उन्होंने सर कलम किया।

मैं किसी की भावना का नहीं कहता, लेकिन जैसा ईश्वरी प्रसाद ने लिख दिया, उसी को सही मानकर वही परम्परा कायम हो रही थी, इसलिए मैंने यहां बोलना उचित समझा। चाहे विश्वनाथ मंदिर की चोरी हो, चाहे संकटादेवी मन्दिर की चोरी हो, चाहे मृत्युंजय मंदिर की चोरी हो या विन्ध्यवासिनी देवी के काली-खोह की चोरी हो और काली जी की आंख निकाल ली जाए, यह क्यों है? श्रीमन्, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और इस सम्मानित सदन से क्षमा मांगता हूं अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, अभी कुछ क्षण पहले जो चोर को पुलिस ने पकड़ा, उसके ऊपर विवाद हो रहा था, तो जिस दिन यह परम्परा हो जायेगी कि असामाजिक तत्वों की या सदन रक्षा करेगा, प्रश्रय देगा, उस प्रदेश में यही बात होगी।

बनारस में काशी विश्वनाथ मंन्दिर के अरघे की चोरी हुई और मैं सोचता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात् से शायद ही कोई घटना हुई हो जिसमें इस तरह से जनता ने अपना विरोध और रोष व्यक्त किया हो। जिस तरह से उस दिन बनारस बन्द हुआ, चाहे वह हिन्दुओं का एरिया रहा हो, चाहे मुसलमानों का एरिया रहा हो, चाहे सिखों व ईसाइयों का एरिया रहा हो, सबने अपना पूर्ण कारोबार बन्द रख कर अपने शोक और विरोध का परिचय दिया था और नगर में एकदम शान्ति थी। और जिस दिन तक चोरी का पता नहीं चला, हर रात को रात भर सारे काशी में हर-हर महादेव का नारा हर व्यक्ति लगाता रहा। वह राजनीति नहीं थी, यह सच है।

श्री यदुनाथ सिंह--

आप धार्मिक व्यक्ति की तरह या मंत्री की तरह बोल रहे हैं?

श्री लोकपति--

मैं एक भारतीय हूं, और जिस सम्प्रदाय से सम्बद्ध हूं, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस धर्म और सम्प्रदाय का हूं। श्रीमन्, इसको राजनैतिक तूल दी जाने लगी। यह सही है। और उस तूल के अन्तर्गत चाहे हमारे किसी भी दल के सदस्य हों, सब उस धारा में प्रवाहित हो गए। चोरी हुई, कितनी बड़ी यह प्रश्न नहीं है--एक करोड़ की या पांच लाख की हुई। प्रश्न यह है कि कितने लोगों की भावनाओं को चोरी हुई। इस मुल्क के रहने वाले 48 करोड़ से अधिक लोगों की भावनाओं की चोरी हुई। जो शंकर को मानते हैं। इस मुल्क के रहने वाले 70 करोड़ लोगों की भावना थी कि चोरी हुई। जो इस देश के निवासी हैं, जो हर की भावना का आदर करते हैं उनकी भावनाओं को ठेस लगी। इसके खिलाफ बनारस के लोग खड़े हुए हैं। इसके पहले चोरी हुई थी, लेकिन लोग नहीं खड़े हुए थे, लेकिन इसके खिलाफ खड़े हुए थे। वह क्षण ऐसा था कि अगर प्रशासन स्थिति को न संभालता, तो हो सकता था कि काशी जलती। अगर प्रशासन ने किसी को गिरफ्तार किया,

[श्री लोकपति---]

मैं नहीं मानता, माननीय गुप्त जी ने कहा कि कड़ियां ज्यादा जुड़ती हैं, जब पुलिस कोई कार्यवाही करेगी तो किसी कड़ी को ही लेकर चलेगी। हो सकता है वह कड़ी गलत हो, या हो सकता है वह कड़ी सही हो। दूसरे, कोई कार्यवाही जब पुलिस करता है, तो एक वातावरण पैदा करने के लिए करती है, जिससे दहशत हो। उसका हल्ला-गुल्ला मचाते हैं, सोने का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि वह बिका नहीं। मृत्युंजय महादेव की अरधे की चांदी गायब हो गयी थी, अभी इसी वर्ष हुई, क्या उसका बंटवारा नहीं हुआ। अरधे की चांदी नहीं मिली। शंकर का सर्प गायब हुआ उसे भी मिले हुए साल भर हो गया, उसका भी बटवारा हुआ। वह सब मिल गया। संकठा जी का पांव और मुखड़ा गायब हो गया, जो मिल गया, भगवान शंकर का अरधा निकला था, बाकी सब पत्थर का लगा हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को यह बात बतला दें, उन्हें मुझसे ज्यादा धार्मिक जानकारी है, मुझसे बड़े हैं, यह कोई सोने की चोरी नहीं हुई। चोरी अरघे की। यह भी भ्रम है।

श्री लोकपति---

जो काशी के शंकर थे। मेरे पितामह एक काशी पुराण लिख गये।

एक सदस्य---

देवरिया का।

श्री लोकपति---

देवरिया के 18 पुश्त पहले आये थे यह तीसरे पुश्त में लिखा गया तो उसमें सारी चीजों का उन्होंने वर्णन किया है। किसी ने तो देखा है नहीं कि वह प्रतिमा कितनी लम्बी-चौड़ी है। मगर जो मेरे पितामह जी लिख गये काशी पुराण उसमें वह प्रतिमा करीब 9 फीट लम्बी है और अधिकांश उसका हिस्सा धरती में है। उसमें पत्थर का अरघा लगा हुआ है, वह नहीं निकल सकता है, जब तक उसकी बुलडोजिंग न की जाय और दांत वाले क्रेन से न निकाला जाय तो उसमें ऐसा है किसी ने देखा तो है नहीं लेकिन वह चर्चा है। तो श्रीमन्, हुआ क्या जिसने चोरी किया? जो अरघा बनता है उस पर कोई न कोई देव चिन्ह रहता है। देव चिन्ह शंकर पर सर्प का रहता है। मुखौटा जो है वह भी सोने का होता है। शंकर जी के श्रृंगार का सर्प बना रहता है वह देव चिन्ह है। देव चिन्ह श्रीमन्, नहीं बिक सकता। बटवारा का कारण विशेष चोरी का सुराग नहीं, बल्कि वह बिका नहीं। पुलिस के अपने मुखबिर होते हैं हर काम तो पुलिस का आई० जी०, डी० आई० जी०, एस० पी० करता नहीं है। तो वह तो मुखबिर करते हैं।

मान्यवर, इस प्रदेश में सवा लाख पुलिस है और पुलिस के करीब ढाई तीन लाख मुखबिर हैं। मुखबिरों से उनको सूचना मिली और सूचना पर वह पकड़े गए। कोई हादसा हो जाय तो कहिए कि पुलिस निष्क्रिय बैठी रही और सब मिल जाय, तो यह कैसे हो सकता है। इसी प्रकार की बातें हमारे सम्मानित विधायक काशी के बोल गये, मुझे इसका आश्चर्य है। यह सही है कि आपके विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और यह भी सही है कि मैं भी वहीं का रहने वाला हूं।

श्रीमन्, इसमें सबसे ज्यादा फजीयत हमारी हुई, आज 20 साल पहले मेरे चाचा थे जिनका मृत्यु हो गयी, जिनका नाम कैलाश पति था उनका मृत्यु सन् 1961 में हुई अब आज वह कैलाश पति श्री कैलाश पति से जोड़ दिये गये। तो श्रीमन्, मैं तो माननीय मोहन सिंह जी की भावनओं की कद्र करता हूं, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी की भावनाओं का कद्र करता हूं। यह मेरा अनुरोध है यह जो कार्य हुआ है इसका सराहना होनी चाहिये। जहां तक प्रस्न इस ट्रस्ट का है। महाराजा काशी नरेश विश्वनाथ के स्वरूप माने जाते हैं माने जाते थे नहीं आज भी माने जाते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह—

यह हम मानने को तैयार नही हैं।

(व्यवधान)

श्री लोकपति--

श्रीमन्, राम नगर की रामलीला देखने हिन्दुस्तान से लोग आते हैं। काशी नरेश राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन वह काशी के प्रथम नागरिक हैं।

श्री यदुनाथ सिंह—

वहीं से 80 प्रतिशत वोट लेकर आया हूं।

श्री लोकपति--

यही आपका सौभाग्य है कि वह राजनीति में नहीं हैं नहीं तो 80 क्या 8 प्रतिशत वोट भी न पाते।

(व्यवधान)

आज भी जब वह चलते हैं तो हर-हर महादेव कहा जाता है।

श्री यदुनाथ सिंह—

हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री लोकपति--

काशीनरेश आज भी महादेव के स्वरूप माने जाते हैं। उनकी अगवानी महादेव के नाम से होती है। वह काशी के प्रथम नागरिक हैं। काशी विश्वनाथ मन्दिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष वह नहीं होंगे तो क्या लोकपति होंगे ?

श्री यदुनाथ सिंह—

अगर यह होगा तो विश्व हरिजन सम्मेलन करवायेंगे।

(व्यवधान)

श्री लोकपति—

वह प्रथम अखबार वालों ने जो उनसे प्रश्न किया था देवता के बारे में लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया वह विद्वान आदमी हैं। वेदों का अध्ययन करते हैं। उनका पुत्र संस्कृत पढ़ता है। हम ब्राह्मण हैं हम संस्कृत का एक शब्द नहीं जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

इसीलिए पुलिस मारती है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ सिंह जी आप बीच में न बोलें ।

(व्यवधान)

श्री लोकपति

उनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया ? आदि शंकराचार्य जब अपने आवाहन में 25 सौ साल पहले निकले थे तो उनको शंकराचार्य की मान्यता नहीं थी जब वह मान्यता बनारस ने नहीं दिया । जहां तक गुप्ता जी ने जो कहा वह बात सही है कि वहां के महन्त के पास एक एस0 डी0 एम0 गये और उनसे वहां की चल और अचल सम्पत्ति का ब्योरा मांगा, लेकिन वह ब्योरा आज तक नहीं मिला । जो सम्पत्ति काशी विश्वनाथ मन्दिर की थी चाहे वह राजा रजवाड़े की है या दान दाताओं की है वह सब आज महन्तों की है । यद्यपि इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन आपकी अनुमति से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने यह योजना बनाई है कि काशी में हम लोग घूमकर 3 सौ व्यक्ति को एकत्रित करेंगे जिनसे 5 हजार रुपया लेंगे । और इससे 15 लाख रुपया इकट्ठा होगा, वह ट्रस्ट के नाम से किसी बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट कर दिया जायगा और 1,500 रु0 उसका सूद मिलेगा । मन्दिर का खर्च भी 1,500 रु0 रोज के करीब है और औसत चढ़ावा है वह लगभग 500 और 800 के बीच में है । आज भी काशी में, चाहे टंडन जी बहुत रईस आदमी हों, जो काशी जाता है, वह रुपया नहीं चढ़ाता है, पैसा ही चढ़ाता है । पांच पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा चढ़ाता है, रुपया बहुत कम लोग चढ़ाते हैं । तो उनका चढ़ावा जो है 500 रु0 से 800 रुपया रोज के बीच का आता है । अब कोई पर्व जैसे पड़ जाय, जैसे अभी अखबार में निकला था कि ग्रहण के पर्व पर पिछले 15 दिन का 19,000 रु0 चढ़ गया, तो हम यह कर रहे हैं कि एक ट्रस्ट बना कर उस रुपये को किसी बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट रख दिया जाय । जो भी 5 हजार रुपया जमा करेगा उसके नाम से साल में एक बार सुन्दर अभिषेक करायेंगे । मैं सोचता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय मोहन सिंह स्थिति को गम्भीरता समझेंगे । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह 5 मिनट का समय रह गया ।

श्री मोहन सिंह--

मैं मान्यवर, ज्यादा समय नहीं चाहता हूं । काशी विश्व नाथ मन्दिर के बारे में तो आपने कह दिया कि वह पूरे देश की 70 करोड़ जनता की भावनाओं का वह मन्दिर है और न्यास (ट्रस्ट) का जिसको अध्यक्ष बनाया, वह केवल काशी का प्रतिनिधित्व करता है । तो जिस व्यक्ति ने पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इसका कोई उत्तर शासन की ओर से या सरकार ढंग से नहीं रखा गया । इसकी मैं पुनः निन्दा करता हूं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

एक मिनट मान्यवर, हमें समय दे दीजिए ।

वाराणसी स्थित प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई चोरी से नागरिकों में व्याप्त क्षोभ एवं असंतोष के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष--

माननीय साहब सिंह के बोलने के बाद किसी को बोलने का अधिकार नहीं है । केवल माननीय मुख्य मंत्री को बोलने का अधिकार है ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, भाई राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने एक बात पूछा था । सभी लोगों ने विशेष रूप से जो बात कही थी, उसका एक स्पष्टीकरण करीब-करीब हो गया । एक बात उन्होंने पूछा था कि चोरी गये मालों की सूची क्या थी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ा सुन्दर भाषण दिया । एक बात माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन लोगों ने हिसाब देने से मना कर दिया । जब मैजिस्ट्रेट गया, तो हिसाब देने से मना कर दिया । मैं मान्यवर, नम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं कि जिन्होंने हिसाब नहीं दिया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्री लोकपति--

यह निजी उनकी सम्पत्ति है । मामला सुप्रीमकोर्ट में है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

एक चीज माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें ।

श्री कैलाश टंडन--

मान्यवर, मैं एक जानकारी चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठिये ।

दिनांक 18 जनवरी, 1983 को मुजफ्फरनगर में श्री करन सिंह की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 7-ख के बारे में जो चर्चा चल रही थी और मैंने जिसके बारे में कहा था कि इसको बाद में लिया जायगा तो मंत्री जी इस सम्बन्ध में बता दें ।

हरिजन तथा समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

श्रीमन्, जो शैडो की बात उठायी गयी है उसको हटाया गया है, सस्पेन्ड नहीं किया गया है । उसके बाद वहां पर 10-2-83 से उन्हीं के साथ रि-एटैच कर दिया गया है, उन्हीं के साथ लगा दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, सोमवार को पुनः 11 बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 20 मिनट पर सोमवार, 21 फरवरी, 1983 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :

18 फरवरी, 1983

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 6 पर) ।

आज दिनांक 27-4-1982 को मध्यान्ह 12·30 बजे मैसर्स लक्ष्मी शुगर एन्ड आयल मिल्स लिमिटेड, हरदोई के प्रबन्धक मन्डल के प्रतिनिधियों व कर्मचारी प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, श्रम विभाग के उप श्रमायुक्त, श्री ओम प्रकाश शर्मा एवं गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त आयुक्त चौधरी श्री करण सिंह की संयुक्त बैठक जिलाधिकारी श्री आर० बी० भास्कर, आई० ए० एस० के सभापतित्व में सम्पन्न हुई जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये ।

निर्णय

1—माह फरवरी, 1982 का वेतन आज से बांटना प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा 30-4-82 तक वेतन बांट दिया जायेगा ।

2—माह मार्च, 1982 का वेतन मिल के चलने की तिथि से वितरित किया जायेगा जो तीन दिन में बांट दिया जायगा ।

3—प्रतिष्ठान के मजदूरों की मजदूरी व अन्य देयों के भुगतान के हेतु बैंक में एक खाता खोला जायेगा जिसमें उत्पादित शकर की बोरी, प्रति बोरी 35 रुपये के हिसाब से जमा किया जायेगा । इस खाते का संचालन श्री हीरा लाल आफीसियल एसोसियेट जिला गन्ना अधिकारी एवं प्रबन्धक मंडल की ओर से मुख्य कार्यकारी या उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों से सम्पादित होगा । जिलाधिकारी इस खाते के सम्बन्ध में अलग से टैगिंग के मद से आदेश पारित करेंगे । वह व्यवस्था स्थायी होगी ।

4—इस फन्ड से 15 मई, 1982 के अन्त तक प्रतिधारण भत्ते की बकाया धनराशि का 50 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत का भुगतान 30 मई, 1982 तक कर दिया जायेगा ।

5—माह अप्रैल, 1982 की मजदूरी का भुगतान 15-5-1982 तक तथा माह मई, 1982 की मजदूरी का भुगतान 30-6-1982 तक कर दिया जायेगा ।

6—उपरोक्त धनराशियों के भुगतान हो जाने के पश्चात् बोनस के व अन्य देयों का भुगतान किया जायेगा ।

प्रबंधक मण्डल के प्रतिनिधि

श्रमिक प्रतिनिधि

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर) ।

क्रम-संख्या	जनपद का नाम	कुल मृतकों की संख्या	मृतकों के परिवारों की संख्या जिन्हें आर्थिक सहायता दी गई		जिन परिवारों ने सहायता नहीं ली अथवा जिन्हें सहायता नहीं दी गई उनके कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4		5	6
1	अलीगढ़	25	25	1000		
2	मथुरा	7	2	1000	3 सहायता लेने से इंकार	
			2	500		
3	आगरा	14	14	1000		
4	मैनपुरी	8	4	1000	2 पात्रता की श्रेणी में नहीं थे	
			2	500		
5	एटा	21	21	1000		
6	बरेली	20	20	1000		
7	बदायूं	12	3	1000	4 उचित सत्यापन नहीं हुआ 2 परिवार सहायता के लिये पात्र नहीं थे ।	
			2	500		
			1	100		

8	शाहजहांपुर	19	10	1000		कुल 17 परिवारों के 19 मृतक थे ।
			5	500		
			1	700		
			1	600		
9	पीलीभीत	5	4	500	1 वारिसों के संबंध में विवाद होने के कारण सहायता नहीं दी गई।	
10	बिजनौर	3	2	1000		
			1	500		
11	फर्रुखाबाद	33	12	1000	8 उचित सत्यापन नहीं हुआ 3 कोई संबंधी नहीं था।	
			10	500		
12	इटावा	19	12	1000		कुल पंद्रह परिवारों के 19 मृतक थे ।
			2	500		
13	कानपुर नगर	7	2	1000	5 उचित सत्यापन न हो हुआ	
14	कानपुर देहात	41	29	1000	8 परिवार वाले सम्पन्न थे अथवा उनके संबंधियों के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई ।	
			4	200		
15	फतेहपुर	4	4	1000		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
16	इलाहाबाद	31	29	1000	
			1	250	
			1	200	
17	बांदा	1	1	1000	
18	हमीरपुर	3	..		3 उचित सत्यापन नहीं हुआ
19	झांसी	2	2	1000	
20	जालौन	1	1	1000	
21	वाराणसी	6	3	1000	एक शव बरामद न होने के कारण दो शव बरामद नहीं हुए थे किन्तु एक 20 वर्षीय व्यक्ति जिसकी गंगा में स्नान करते समय खिलवाड़ करने के कारण मृत्यु हुई थी उसकी विधवा माता को खंड विकास अधिकारी की संस्तुति पर 100 रु0 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई ।
			1	500	
			1	100	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

22	मिर्जापुर	8	8	1000	
23	गाजीपुर	18	18	1000	
24	बलिया	33	33	1000	
25	गोरखपुर	16	8	1000	
			8	500	
26	बस्ती	5	3	500	
			2	750	
27	आजमगढ़	17	17	1000	
28	देवरिया	2	2	500	
29	चमोली	7	7	1000	
30	देहरादून	3	2	1000	कुल दो परिवारों के तीन मृतक थे ।
31	लखनऊ	15	14	1000	परिवार सहायता के लिए पात्र नहीं था
32	उन्नाव	57	57	1000	
33	रा बरेली	15	13	1000	कुल 14 परिवारों के 15 मृतक थे ।
			1	500	3 के आश्रितों का पता नहीं लगा
34	सीतापुर	53	30	1000	
			19	500	1 ने सहायता लेने से इंकार किया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
35	हरदोई	34	21	1000	कुल 30 परिवारों के 34 मृतक थे ।
			1	750	
			1	500	
36	खीरी	6	1	1000	1 के कोई वारिस नहीं था
			3	800	
			1	500	
37	फैजाबाद	11	10	1000	कुल 10 परिवारों के 11 मृतक थे ।
38	गोण्डा	21	12	1000	4 पात्रता की श्रेणी में नहीं आते
			4	500	
			1	200	
39	बहराइच	48	39	1000	2 कोई वारिस नहीं था 7 पात्रता की श्रेणी मे नहीं थे

उत्तर प्रदेश विधान सभा

40	सुल्तानपुर	13	4	1000	1 मृत्यु आकस्मिक न होने के कारण	कुल 11 परिवारों के 13 मृतक थे।
			2	500	1 ने सहायत नहीं ली 1 की मृत्यु का कारण अज्ञात 1 परिवार सम्पन्न था 1 खेलते खेलते पानी में डूब जाने के कारण	
41	प्रतापगढ़	6	4	1000		
			2	500		
42	बाराबंकी	37	34	1000	वृद्धा मृतक का कोई आश्रित नहीं था	कुल 35 परिवारों के 37 मृतक थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

वर्ष 1981-82 में गाजीपुर जनपद के गन्ना किसानों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण

अ -वित्तीय सुविधायें--

	सहायक अनुदान	
	लेखा शीर्षक 305-कृषि	लेखा शीर्षक 288-समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
1--गन्ना उत्पादकों को सस्ते दर पर फसल रक्षा यत्र उपलब्ध कराने की योजना (रु0 में)	1,700	500
2--गन्ना बीज यातायात पर व्यय पर अनुदान देने की योजना (रु0 में)	2,000	250
3--चीनी मिलों के 16 कि0 मी0 परिधि क्षेत्र में सधन गन्ना विकास की योजना (रु0 में)	1,730	20
4--उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास की योजना (रु0 में)	26,000	4,000

ब -भौतिक सुविधायें--

मद	इकाई	वर्ष 1981-82 पूर्ति
1	2	3
सामान्य कार्यक्रम--		
1--गन्ना क्षेत्रफल	हजार हैक्टेयर	9.235
2--औसत उपज	क्विन्टल/हैक्टेयर	342
3--गन्ना उत्पादन	हजार मी0 टन	374
4--उन्नतशील गन्ना बीज	हजार मी0 टन	2.38
आयोजनागत कार्यक्रम--		
1--फसल रक्षा यंत्रों का विवरण	संख्या	22
2--अनुदान के अधीन स्थानान्तरित होने वाले गन्ना बीज की मात्रा	कुन्टल	1,455

1	2	3
पौधशालाओं का अधिष्ठापन--		
(अ) आधार	हेक्टेयर	2.07
(ब) प्राथमिक	हैक्टेयर	13.12
(स) माध्यमिक	हैक्टेयर	36.91
उपचारित क्षेत्र--		
(अ) भूमिगत उपचार	हैक्टेयर	130
(ब) बीज उपचार	हैक्टेयर	152
(स) पेड़ा फसल पर यूरिया छिड़काव	हेक्टेयर	207
प्रदर्शनों का स्थापन--		
(अ) संख्या	संख्या	89
(ब) क्षेत्रफल	हैक्टेयर	31.10

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर ।)

वर्ष 1982 में गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित जनपद मिर्जापुर के ब्लाक सीखड़ के ग्रामों की सूची

क्रम-संख्या	नाम ग्राम जो गंगा की बाढ़ से वर्ष 1982 में प्रभावित हुये हैं
1	2
1	चकपिपरी
2	बसारतपुर
3	चौथरीपुर
4	चकधरियारी
5	चकखजुरा
6	चकखरहो
7	मोलहापुर
8	चकबसीरतपुर
9	चकमिल्की
10	बंदौली
11	मेडिया
12	मझवातराश
13	चककुशहा
14	चकभरनि
15	चकविन्दा
16	चकताल बिसुई
17	चकताल बिसुई मु0 अदलपुरा
18	चकताल प0 पट्टी
19	आ0 लाइन सुल्तानपुर
20	चकबाध
21	सैदपुर

1	2
22	चकतिसहा
23	तालबिसुई
24	सुल्तानपुर खास
25	कुसहा
26	अदलपुरा
27	महरछ
28	आ0 ला0 सुल्तानपुर
29	रुदौली
30	चुरामनपुर
31	खानपुर
32	सोनवर्षा
33	मुन्दीपुर
34	ईश्वरपट्टी
35	तम्मन पट्टी
36	आ0 सोनवर्षा 749
37	आ0 सोनवर्षा 753
38	मगरहा
39	बसन्तपुर
40	पतलुकिया
41	मानपुर
42	चंचलिया
43	रामदासपुर
44	चकगंगहार
45	बगहर
46	पुरनपट्टी
47	जेवरी
48	काटाडूही खैरा
49	काटाडूही बाहीं

1	2
50	कुकून्दपुर
51	पाहो
52	खंपा
53	सिलंगासानी
54	सेम्हरा म0 खंरा
55	बन्नपुर
56	पिपराही
57	पसियाही
58	मझरा खुर्द
59	रतनपुर
60	मझराकला
61	बिदापुर
62	धनेता
63	डोमनपुर
64	रामगढ़कला
65	भगिरथपुर
66	रामगढ़ खुर्द
67	प्रेमापुर
68	फुलहा
69	कान्तपुर
70	सीखड़
71	भुआलपुर
72	लालपुर
73	मजोजगंज
74	बिट्ठालपुर
75	पचराव
76	हासीपुर
77	तिलंगा मु0 हासीपुर

1	2
78	बिशुनपुर
79	चकगोरईया
80	कालुपुर
81	भेलनपुर
82	बटौवा
83	लरछुट
84	गोरईया
85	छितकपुर
86	धमही
87	ऐवकपुर
88	कठेरवा
89	मवैया
90	पयागपुर
91	मढीया
92	मिसीरपुरा
93	आ० मिसीरपुर
94	सिल्पी
95	मेघूपुर
96	जोगी भोगी खुर्द
97	जोगी भोगी कलां

ङ

(देखिए आतरांकित प्रश्न संख्या-162 के उत्तर पीछे पृष्ठ 91 पर)

जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज के निर्वाचन क्षेत्र महराजगंज में माह नवम्बर, 1981 से माह जुलाई, 1982 तक जिन 67 ग्रामों में आग लगी है, उनकी सूची ।

1--मुड़िला चौधरी

2--बड़हरा

3--अहमदपुर

4--भागटार

5--सोहगौरा

6--आराजी जगपुर

7--सिंहपुर

8--सिसवाबाबू

9--रथौलीभावचक

10--महुअवा

11--महदेवा

12--करमहा

13--विशुनपुर

14--हरिहरपुर

15--धरमौली

16--बभनौली

17--कोदइला

18--बागापार

19--कसमरिया

20--लक्ष्मीपुर (कचनपुर)

21--कमहरिया

22--पिपरदेवा

23--चौपरिया

24--मोहनपुर

25--चिउरहा मऊ पाकड़

26—हरखापुर

27—लक्ष्मीपुर देउरवा

28—गोपाला

29—बौलिया राजा

30—मुन्डेरीकला

31—करमहा

32—कुइंया उर्फ महेशपुर

33—घनेवा धनई

34—पिपरा सोनाड़ी

35—सोनरा

36—चौक

37—मुजहनाबुजुर्ग

38—रामपुर मधुग्रवा

39—दुबौली

40—टीकर

41—करमहा

42—दुबौली

43—अगया

44—वरवाखुर्द

45—इमिलिया

46—धनेवाधनई

47—लक्ष्मीपुर तप्पा कटहरा

48—बरवाविद्यापीठ

49—लक्ष्मीपुर एकडंगा

50—नटुआ

51—चिउरहा मऊ पाकड़

52—सराय खुटहा उर्फ लखरांव

53—दरौली

54—पनेवा फनई

55—अमरतिया

56--पतरेंगवा

57--बरवाखुर्द

58--चिउरहा मऊ पाकड़

59--सिसवाबाबू

60--सेखुई

61--मोहनपुर

62--बरवाराजा

63--जं0 दुधई उर्फ चेहरी

64--पिपरारसूलपुर

65--बसन्तपुर राजा

66--परसामोर

67--अगया

सत्यमेव जयते